सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कम्पनी

भारत की ऊर्जा भविष्य को सुदृढ़ करना

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा **2015–16**

विषय–सूची

क्र. सं.		पृष्ठ संख्या
1.	वर्तमान प्रबंध	1
2.	बैंकर्स एवं अंकेक्षक	3
3.	सूचना–एजीएम	4
4.	संचालात्मक आंकड़े	7
5.	वित्तीय स्थिति	8
6.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	16
7.	निदेशकों के प्रोफाइल	97
8.	सचिवीय अंकेक्षक का प्रतिवेदन	104
9.	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	109
10.	प्रबन्धक परिचर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन	147
11.	वित्तीय परिणाम	153
12.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र	157
13.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा	159
14.	तुलन–पत्र की टिप्पणी (1–19 तक)	161
15.	लाभ–हानि लेखा की टिप्पणी (20–32 तक)	183
16.	महत्वपूर्ण लेखा–नीति (टिप्पणी– 33)	197
17.	लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी–34)	207
18.	वर्ष 2015–16 हेतु कैश–फ्लो विवरण	224
19.	धारा 41 का परिशिष्ट – VII	226
20.	अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर (परिशिष्ट–सहित)	228

निदेशक मंडल

(22 जुलाई, 2016 को)

श्री गोपाल सिह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

निदेशक

श्री डी. के. घोष
निदेशक (वित्त)

श्री पी. के. तिवारी
निदेशक (तकनीकी/संचालन)

श्री राधेश्याम महापात्र
निदेशक (कार्मिक)

श्री सुबीर चन्द्रा
निदेशक (तक./यो. एवं परि.)

सरकारी नामित

श्री आर. मोहन दास
निदेशक (का./औ.सं.), सीआईएल

श्री आर. पी. गुप्ता, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव (कोयला मंत्रालय)

गैर प्रशासनिक अंश–कालिक निदेशक

श्री भारत भूषण गोयल
पूर्व अति.मु.सलाहकार (कॉस्ट)

श्री अशोक गुप्ता
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

स्थाई आमंत्रित अतिथि

श्री बासुदेव रॉय
मुख्य संचालन प्रबंधक,(इ सी रेलवे)

सचिव
(खान एवं भूतत्व विभाग)
झारखण्ड सरकार,राँची

श्री सी. वी. एन. गंगाराम
कम्पनी सचिव

वर्तमान प्रबन्धन

22 जुलाई, 2016 को
(अर्थात् 60वीं आम वार्षिक बैठक के दिन)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

श्री गोपाल सिंह

कार्यकारी निदेशक

श्री पी. के. तिवारी	:	निदेशक (तक./संचालन)
श्री डी. के. घोष	:	निदेशक (वित्त)
श्री आर. एस. महापात्र	:	निदेशक (कार्मिक)
श्री सुबीर चन्द्रा	:	निदेशक (तक./यो. परि.)

अंशकालीन निदेशक

श्री आर. पी. गुप्ता भा. प्र. से.	:	संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
श्री आर. मोहन दास	:	निदेशक (का./औ.सं.), कोल इण्डिया लिमिटेड, न्यू टाउन, राजारहाट कोलकाता - 700 156।

नॉन-ऑफिशियल अंशकालीन निदेशक

श्री भारत भूषण गोयल	:	एडि. चीफ एडवाइजर (कॉस्ट) डी/ओ एक्सपेण्डिचर
श्री अशोक गुप्ता	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

स्थायी आमंत्रित अतिथि

श्री बासुदेव रॉय	:	मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे।

सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची

कम्पनी सचिव

श्री सी. वी. एन. गंगाराम

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

श्री गोपाल सिंह

कार्यकारी निदेशक

श्री डी. के. घोष	:	निदेशक (वित्त)
श्री पी. के. तिवारी	:	निदेशक (तकनीकी/संचालन)
श्री आर. एस. महापात्र	:	निदेशक (कार्मिक) (दिनांक 08.06.2015 से)
श्री सुबीर चन्द्रा	:	निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) (दिनांक 09.06.2015 से)

अंशकालीन निदेशक

श्री आर. पी. गुप्ता, भा. प्र. से.	:	संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (15.04.2015 अपराह्न से)
श्री आर. मोहन दास	:	निदेशक (का/औ.सं.) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

नॉन-ऑफिशियल अंशकालीन निदेशक

श्री भारत भूषण गोयल	:	एडि. चीफ एडवाइजर (कॉस्ट) डी/ओ एक्सपेण्डिचर (दिनांक 14.11.2015 से)
श्री अशोक गुप्ता	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (दिनांक 14.11.2015 से)

स्थाई आंमत्रित अतिथि

श्री दीपक नाथ, आई.आर.टी.एस.	:	मुख्य संचालन प्रबन्धक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)

सचिव (खान एवं भूतत्व)
झारखण्ड सरकार

कम्पनी सचिव

श्री सी. वी. एन. गंगाराम

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
कॉरपोरेशन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आन्ध्रा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
देना बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूको बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
कोलकाता – 700 001, पश्चिम बंगाल

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स जे. एन. अग्रवाल एण्ड कं.
राँची – 834 001, झारखण्ड

मेसर्स एन के डी एण्ड कम्पनी
राँची – 834 001, झारखण्ड

मेसर्स कदमवाला एण्ड कम्पनी
राँची – 834 001, झारखण्ड

मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
राँची – 834 001, झारखण्ड

कॉस्ट अंकेक्षक

मेसर्स आर. के. सिन्हा एंड कम्पनी
बोकारो स्टील सिटी – 827 001, झारखण्ड

मैसर्स कृष्णा एंड कम्पनी
धनबाद – 826 005, झारखण्ड

मेसर्स एस. के. भट्ट एंड एसोशिएट्स
नई दिल्ली – 110 091

मेसर्स दत्ता राय एंड कम्पनी
जमशेदपुर – 831 001, झारखण्ड

मेसर्स टिप्सगो एंड कम्पनी
गोरखपुर – 273 012, उत्तर प्रदेश

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स कान्त सनत एंड एसोशिएट्स
राँची – 834 002, झारखण्ड

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस
राँची – 834 029, झारखण्ड

सूचना

सं. : सचिव 3(4)/60/2016/ दिनांक : 20.07.2016

60वीं आम वार्षिक बैठक

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सभी अंशधारियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यवसायों के निष्पादन के लिए दरभंगा हाउस, राँची में कम्पनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार दिनांक 22 जुलाई, 2016 को दोपहर 12.00 बजे बुलाई गई है।

सामान्य व्यवसाय :

1. सांविधिक अंकेक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2016 के अंकेक्षित तुलन पत्र, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लाभ-हानि लेखा, सभी टिप्पणी, वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों के साथ कैश-फ्लो विवरण, सांविधिक अंकेक्षक के प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों एवं निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को स्वीकार करना, उस पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के इक्विटी शेयर पर जो डिविडंण्ड भुगतान किया गया है उसकी पुष्टि को उद्घोषित करना जैसा कि निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 2014 के 152(6) के उपबंध के अनुसरण में श्री आर. पी. गुप्ता, (डी. आई. एन. - 03388822) को कम्पनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना।
4. कम्पनी अधिनियम, 2014 के 152(6) के उपबंध के अनुसरण में श्री पी. के. तिवारी (डीआईएन - 07113640) को कंपनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ह./-
(सी. वी. एन. गंगाराम)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय : **दरभंगा हाउस**
राँची - 834 029
(झारखण्ड)
सीआईएन संख्या : U10200JH1956GOI000581

टिप्पणी : 1. कोई भी सदस्य, जो आम वार्षिक बैठक में भाग लेने या वोट देने के हकदार हैं, वे अपने बदले में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रतिपत्री का कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। वार्षिक सामान्य बैठक के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म को पूरा भर कर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के आधार पर सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे बैठक की अल्प सूचना के लिये अपनी सहमति दें।

सदस्य

कोल इण्डिया लिमिटेड, *सदस्य*
(द्वारा – अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड)
कोल भवन परिसर
न्यूटाउन, राजारहाट
कोलकाता – 700 156

श्री सुतीर्थ भट्टाचार्या
अध्यक्ष
कोल इण्डिया लिमिटेड
न्यूटाउन, राजारहाट
कोलकाता – 700 156

श्री आर. मोहन दास
निदेशक (का./औ. सं.)
कोल इण्डिया लिमिटेड
न्यूटाउन, राजारहाट
कोलकाता – 700 156

श्री गोपाल सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची – 834 029

अध्यक्ष – लेखा परीक्षण समिति, सीसीएल

श्री अशोक गुप्ता, सीए
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
नई दिल्ली

सांविधिक अंकेक्षक
मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
फोर मैंगोई लेन, सुरेन्द्र मोहन घोष सारणी
कोलकाता – 700 001, पश्चिम बंगाल

सचिवीय अंकेक्षक
मेसर्स कांत सनत एण्ड एशोसिएट्स
कम्पनी सचिव, राँची

भविष्य निरूपण/उद्देश्य एवं ध्येय

1.1 भविष्य निरूपण

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरणीय एवं सामाजिक अपवृद्धि करते हुए प्रारम्भिक ऊर्जा सेक्टर में राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरना।

उद्देश्य

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययितापूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला और कोयला उत्पाद उत्पादित करना तथा विपणन करना सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य है।

1.2 ध्येय

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्य ध्येय :

1. संसाधनों की उत्पादकता में सुधार कर, क्षति को रोककर आंतरिक संसाधनों का आशातीत प्रजजन करना तथा प्रतिष्ठान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाहरी संसाधनों को संचालित करना।
2. दुर्घटना रहित कोयला खनन हेतु सुरक्षा का उच्च मानक बनाये रखना।
3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना।
4. कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण करना और योजना बनाना।
5. वर्तमान खदानों का आधुनिकीकरण करना।
6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक सक्षमता तथा कोयला लाभकारिता का विकाश करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोयले की अधिक निकासी हेतु वैज्ञानिक खोज से सम्बन्धित विकाश कार्य और अनुसंधान करना।
7. कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा कोयला क्षेत्र के आस-पास समाज और समुदाय के प्रति निगमित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
8. कार्य संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना।
9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।
10. सीएसआर क्रियाकलाप विशेषकर आस-पास के गाँवों में स्वास्थ्य, सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था बढ़ाना।

संचालनात्मक आँकड़े

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
1. (क) कच्चे कोयले का उत्पादन (मि. टन)										
भूमिगत	0.85	0.84	0.96	1.02	1.09	1.27	1.47	1.56	1.83	1.96
खुली खदान	60.47	54.81	49.06	47.04	46.91	46.25	45.61	41.68	42.32	39.36
योग	**61.32**	**55.65**	**50.02**	**48.06**	**48.00**	**47.52**	**47.08**	**43.24**	**44.15**	**41.32**
(ख) ओवर बर्डेन निष्कासन (मिलियन घन मीटर)	106.78	97.38	59.02	63.31	65.68	62.52	56.05	55.63	55.22	45.90
2. ढुलाई (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)										
इस्पात	0.34	0.65	0.32	1.07	4.04	4.95	4.31	4.37	4.14	4.85
बिजली	33.52	33.41	32.10	31.56	33.68	30.76	28.89	29.80	29.25	25.29
सीमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22	0.08	0.05	0.07	0.05
उर्वरक	0.24	0.24	0.27	0.64	0.95	0.94	0.83	0.88	0.59	0.75
अन्य	12.40	10.23	9.00	8.98	9.25	9.50	9.79	8.55	7.53	7.12
वाशरी	13.09	10.81	10.43	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलियरी खपत	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04
योग	**59.59**	**55.34**	**52.12**	**52.89***	**48.04**	**46.38**	**43.91**	**43.67**	**41.60**	**38.10**
3. औसत श्रमशक्ति	44346	45849	47406	49076	51156	53171	55305	57681	60209	62905
4. उत्पादकता										
(क) प्रति वर्ष/प्रति मानव पाली औसत (टन)	1382.76	1213.81	1055.14	979.30	938.32	893.72	851.28	749.65	733.28	656.86
(ख) प्रति मानव पाली उत्पादन (ओएमएस)										
(i) भूमिगत (टन)	0.32	0.29	0.33	0.33	0.32	0.34	0.35	0.36	0.39	0.40
(ii) खुली खदान (टन)	8.91	7.56	6.26	6.09	5.79	5.45	5.24	4.65	4.66	4.02
(iii) समग्र (टन)	6.51	5.46	4.64	4.42	4.19	3.88	3.66	3.27	3.22	2.81
5. लागत रिपोर्ट के अनुसार सूचना										
(i) प्रति मानव पाली उपार्जन (₹)	2651.86	2507.87	2377.57	2174.95	1862.96	1615.93	1445.82	1616.43	1099.19	868.48
(ii) निबल बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत मूल्य (₹ प्रति टन)	1045.84	1099.43	1079.17	1020.42	1038.67	844.65	802.07	914.03	696.70	630.71
(iii) निबल बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य (₹ प्रति टन)	1490.72	1435.90	1414.86	1423.22	1258.70	1072.82	1021.59	977.45	868.97	807.04

* वित्तीय वर्ष 2012-13 से कच्चे कोयले की ढुलाई को पुन: व्यवस्थित किया गया।

वित्तीय स्थिति

वर्ष 2012 से 2014 की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार और कम्पनी अधिनियम, 2013 के शिड्यूल III के अनुसार वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014	2013	2012
(क)	**स्वामित्ववाली**					
	सकल अचल सम्पत्ति	6033.20	5459.57	5116.32	4805.64	4778.18
	घटाव : अवक्षयण और क्षति	3917.35	3705.82	3502.93	3407.82	3290.34
(1)	निबल अचल सम्पत्ति	2115.85	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
(2)	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	498.20	583.38	509.71	321.96	259.15
(3)	आस्थगित कर सम्पत्ति	725.03	620.47	566.31	579.37	502.51
(4)	गैर चालू निवेश	0.00	0.00	9.43	18.85	28.27
(5)	लम्बी अवधि ऋण और अग्रिम	137.27	111.58	70.75	208.66	171.16
(6)	अन्य गैर-चालू सम्पत्ति	1374.39	810.05	520.05	0.00	0.00
(7)	**वर्तमान परिसम्पत्ति :**					
	(i) (क) कोयला, कोक आदि की सम्पत्ति सूची	1313.62	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ख) भण्डार और स्पेयर की सम्पत्ति सूची	172.54	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ग) अन्य सम्पत्ति सूची	6.81	5.73	4.87	5.74	4.95
	(ii) व्यवसाय प्राप्य (निवल)	1365.58	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(iii) कैश एवं कैश समतुल्य	4188.61	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
	(iv) चालू निवेश	0.00	403.79	605.10	109.42	9.42
	(v) अल्प अवधि ऋण और अग्रिम	855.42	827.17	729.48	577.04	576.65
	(vi) अन्य चालू सम्पत्ति	612.31	526.01	434.77	439.54	370.68
	कुल वर्तमान परिसम्पत्ति (7)	**8514.89**	**8521.30**	**7680.77**	**7478.95**	**7553.11**
(8)	**घटाव चालू देयता और प्रावधान**	**5201.51**	**4181.50**	**4250.67**	**4017.45**	**4351.98**
	(i) व्यवसाय देय	148.71	108.46	91.32	78.99	74.39
	(ii) अन्य चालू देयता	2641.81	2662.20	2774.77	2362.29	2468.81
	(iii) अल्प अवधि प्रावधान	1481.99	1410.84	1384.58	1576.17	1808.78
	(iv) अल्प अवधि ऋण	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल वर्तमान परिसम्पत्ति (6-7)	**3313.38**	**4339.80**	**3430.10**	**3461.50**	**3201.13**
	योग (क)	**8164.12**	**8219.03**	**6719.74**	**5988.16**	**5650.06**
(ख)	**स्वामित्व वाली**					
	(1) लम्बी अवधि उधारी	0.00	0.00	0.00	69.92	87.54
	(2) अन्य लम्बी अवधि देयता	50.45	34.34	32.37	17.09	3.26
	(3) लम्बी अवधि प्रावधान	2140.20	2372.31	2184.42	1893.07	2121.88
	योग (ख)	**2190.65**	**2406.65**	**2216.79**	**1980.08**	**2212.68**
	नेट वर्थ (क - ख)	**5973.47**	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	द्वारा निरुपित :					
(1)	इक्वीटी पूँजी	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
(2)	संचय	1958.94	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
(3)	लाभ/हानि (+)/(-) (अतिरेक)	3074.53	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	नेट वर्थ (1 से 3)	**5973.47**	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	नियोजित पूँजी	**5429.23**	**6093.55**	**5043.49**	**4859.32**	**4688.97**

आय तथा व्यय का विवरण

वर्ष 2012 से 2014 की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार और

कम्पनी अधिनियम, 2013 के शिड्यूल III के अनुसार वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014	2013	2012
(ए)	**निम्न से आय :**					
	सकल बिक्री*	13658.96	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	घटाव : लेवी (रायल्टी, सेस आदि)	3106.59	2306.44	1937.36	2023.86	1473.22
1.	निवल बिक्री	10552.37	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
2.	अन्य आय (ए से डी)	745.24	597.54	624.94	681.64	565.28
	(ए) बालू भराई और संरक्षी कार्य हेतु परिदान	0.49	0.35	1.74	2.01	2.53
	(बी) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	280.65	252.98	228.56	199.47	203.89
	(सी) बैंक जमा पर ब्याज	329.98	251.47	300.47	359.81	293.31
	(डी) अन्य गैर संचालन आय	134.12	92.74	94.17	120.35	65.55
	योग (ए)	**11297.61**	**10072.53**	**9180.95**	**9237.88**	**8097.40**
(बी)	**निम्नलिखित के लिए प्रदत्त/प्रावधानित :**					
1.	कर्मचारी लाभ व्यय	3944.69	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	ए. वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	2821.70	2777.98	2669.31	2454.02	2244.21
	बी. पी. एफ. और अन्य फण्ड में योगदान	376.39	366.87	340.44	383.30	245.80
	सी. ग्रेच्युटी	93.35	101.53	67.46	177.06	481.61
	डी. अवकाश नकदीकरण	106.23	168.36	23.97	102.43	167.69
	ई. अन्य	547.02	482.45	408.02	405.66	353.19
2.	भण्डार में कमी/वृद्धि	– 135.99	– 112.07	36.74	275.71	– 86.50
3.	कल्याण व्यय**	0.00	0.00	76.73	63.31	24.56
4.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च	212.79	48.87	0.00	0.00	0.00
5.	उपभुक्त सामान की लागत	807.85	837.64	733.93	625.73	577.27
6.	बिजली और ईंधन	294.48	278.19	266.58	358.82	265.45
7.	ठेकेदार (रिपेयर सहित)	1391.77	1166.96	724.06	669.13	638.37
8.	वित्तीय लागत	12.38	1.08	7.98	7.55	3.58
9.	अवक्षयण/परिशोधन/क्षति	325.52	312.55	254.10	235.21	220.80
10.	प्रावधान और बट्टे खाते में डालना	470.38	170.98	182.66	279.36	183.37
11.	ओ.बी.आर. समंजन	– 225.83	– 44.77	241.66	– 43.53	188.59
12.	अन्य व्यय	1075.73	742.46	632.71	584.23	659.66
13.	पूर्व अवधि समंजन	5.10	33.11	– 11.27	– 23.67	– 40.49
	योग (बी)	**8178.87**	**7332.19**	**6655.08**	**6554.32**	**6127.16**
	वर्ष में लाभ/हानि (ए-बी)	**3118.74**	**2740.34**	**2525.87**	**2683.56**	**1970.24**
	लाभ पर कर	1204.04	969.73	854.11	797.95	650.69
	प्रस्तावित लाभांश	1457.00	354.74	1003.05	1131.37	791.74
	लाभांश पर कर	296.61	71.85	173.84	183.54	128.44
	सामान्य संचय में अंतरित	95.74	274.03	252.59	268.36	197.02
	सी.एस.आर. हेतु संचय में अंतरित	0.00	0.00	27.26	24.00	23.76
	एस.डी. हेतु संचय में अंतरित	0.00	0.00	2.28	1.72	0.00
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42	1305.83
	सुरक्षित आय में समायोजन***	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
	तुलन पत्र में अंतरित संचयी लाभ/हानि	**3074.53**	**3009.18**	**1973.78**	**1761.04**	**1484.42**
	संचयी लाभ/हानि (संचय में अंतरण के पहले)	**3170.27**	**3283.21**	**2255.91**	**2055.12**	**1705.20**

* कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन के लिए वित्तीय स्टेटमेंट के नोट – 25 में सीएसआर खर्च अलग से दिखाया गया है और अन्य कल्याण खर्च उनके क्षेत्र के अनुसार नोट – 24 में रिग्रुपिंग किया गया है जैसे – कर्मचारी लाभ खर्चे और नोट – 31 जैसे – अन्य खर्चे। वर्ष 2014–15 के पहले सीएसआर खर्चों को कल्याण खर्च के शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाता था।

** 01.04.2014 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम, 2013 के शिड्यूल – II के अनुसरण में अवमूल्यन सुरक्षित आय के सम्बन्ध में 34.59 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सम्बंधित अनुपात
वर्ष 2012 से 2014 की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार और
कम्पनी अधिनियम, 2013 के शिड्यूल III के अनुसार वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए

(ए) वित्तीय सूचना

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष		2016	2015	2014	2013	2012
(ए)	**परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित :**						
(1)	(i)	₹ 1000 प्रत्येक के इक्वीटी शेयरों की सं.	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000
	(ii)	शेयर धारकों की निधि :					
		(क) इक्वीटी	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
		(ख) संचय	1958.94	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
		(ग) संचयी लाभ/हानि (+)/(-) (अतिरेक)	3074.53	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	नेट वर्थ		**5973.47**	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
(2)	(क)	चालू परिवक्रता सहित लम्बी अवधि उधारी	0.00	0.00	0.00	86.90	104.32
	(ख)	चालू परिपक्रता रहित लम्बी अवधि उधारी	0.00	0.00	0.00	69.92	87.54
(3)	नियोजित पूँजी		5429.23	6093.55	5043.49	4859.32	4688.97
(4)	(i)	निवल अचल परिसम्पत्ति	2115.85	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
	(ii)	चालू परिसम्पत्ति	8514.89	8521.30	7680.77	7478.95	7553.11
	(iii)	चालू देयतायें	5201.51	4181.50	4250.67	4017.45	4351.98
(5)	(क)	व्यवसाय से प्राप्य (निवल)	1365.58	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(ख)	नकदी एवं नकदी के समान	4188.61	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
(6)	निम्नलिखित का अंत स्टाक :						
	(क)	भण्डार एवं कलपुर्जे (निवल)	172.54	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ख)	कोयला एवं कोक आदि (निवल)	1313.62	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ग)	अन्य सम्पत्ति सूचियां (निवल)	6.81	5.73	4.87	5.74	4.95
(7)	भण्डार एवं कलपुर्जों का औसत स्टॉक (निवल)		169.71	157.03	148.43	148.27	145.22
(बी)	**लाभ/हानि के सम्बन्ध में :**						
(1)	(क)	सकल सीमांकन (मार्जिन)	3456.64	3053.97	2786.55	2924.86	2192.89
	(ख)	सकल लाभ	3131.12	2741.42	2532.45	2689.65	1972.09
	(ग)	कर के पहले लाभ	3118.74	2740.34	2525.87	2683.56	1970.24
	(घ)	निवल लाभ (कर के बाद)	1914.70	1770.61	1671.76	1885.61	1319.55
	(ङ)	निवल लाभ (कर और लाभांश के बाद)	161.09	1344.02	494.87	570.70	399.37
(2)	(क)	सकल बिक्री	13658.96	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	(ख)	निवल बिक्री (लेवी के बाद)	10552.37	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
	(ग)	उत्पादन का बिक्री मूल्य	10688.36	9587.06	8519.27	8280.53	7618.62
(3)	बेचे गये सामान का मूल्य (निवल बिक्री-लाभ)		7433.63	6734.65	6030.14	5872.68	5561.88
(4)	(क)	कुल व्यय	8178.87	7332.19	6655.08	6554.32	6127.16
	(ख)	कर्मचारी लाभ व्यय	3944.69	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	(ग)	उपभुक्त सामान की लागत	807.85	837.64	733.93	625.73	577.27
	(घ)	बिजली एवं ईंधन	294.48	278.19	266.58	358.82	265.45
	(ङ)	वित्तीय लागत और अवमूल्यन	337.90	313.63	262.08	242.76	224.38
(5)	प्रतिमाह भण्डार और कलपुर्जों की औसत खपत (सकल)		67.32	69.80	61.16	52.14	48.11
(6)	वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति		44346	45849	47406	49076	51156
(7)	(ए)	अभिवृद्धित मूल्य	9586.10	8471.30	7519.02	7296.51	6776.45
	(बी)	प्रति कर्मचारी अभिवृद्धित मूल्य (₹ '000)	2161.66	1847.67	1586.09	1486.78	1324.66

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सम्बंधित अनुपात
वर्ष 2012 से 2014 की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार और
कम्पनी अधिनियम, 2013 के शिड्यूल III के अनुसार वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए

(बी) वित्तीय अनुपात/प्रतिशत

31 मार्च को समाप्त वर्ष			2016	2015	2014	2013	2012
(ए)	**लाभकारिता का अनुपात**						
	(1)	**प्रतिशत के रूप में निवल विक्रय**					
		(क) सकल सीमांकन	32.76	32.23	32.57	34.18	29.11
		(ख) सकल लाभ	29.67	28.93	29.60	31.43	26.18
		(ग) कर के पहले लाभ	29.55	28.92	29.52	31.36	26.16
	(2)	**प्रतिशत के रूप में कुल खर्चे**					
		(क) कर्मचारी लाभ पर व्यय	48.23	53.15	52.73	53.74	57.00
		(ख) उपभुक्त सामान की लागत	9.88	11.42	11.03	9.55	9.42
		(ग) बिजली एवं ईंधन	3.60	3.79	4.01	5.47	4.33
		(घ) ब्याज एवं अवक्षयण	4.13	4.28	3.92	3.68	3.63
	(3)	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूँजी**					
		(क) सकल सीमांकन	63.67	50.12	55.25	60.19	46.77
		(ख) सकल लाभ	57.67	44.99	50.21	55.35	42.06
		(ग) लाभ (कर के पहले)	57.44	44.97	50.08	55.23	42.02
	(4)	**कार्य संचालनात्मक अनुपात (विक्रय लाभ/विक्रय)**	0.70	0.71	0.70	0.69	0.74
(बी)	**द्रव्यता अनुपात**						
	(1)	चालू अनुपात (चालू परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	1.64	2.04	1.81	1.86	1.74
	(2)	त्वरित अनुपात (त्वरित परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	1.35	1.71	1.52	1.55	1.38
(सी)	**कारोबार का अनुपात**						
	(1)	कारोबार में निवेशित पूँजी का अनुपात (निवल विक्रय/निवेशित पूँजी)	1.94	1.55	1.70	1.76	1.61
	(2)	महीनों की संख्या के रूप में व्यवसाय प्राप्य					
		(क) सकल विक्रय	1.20	1.49	2.14	1.74	1.44
		(ख) निवल विक्रय	1.55	1.86	2.63	2.15	1.72
	(3)	निबल विक्रय के अनुपात के रूप में					
		(क) व्यवसाय प्राप्य	0.13	0.15	0.22	0.18	0.14
		(ख) कोयला, कोक, वा. को. भण्डार	0.12	0.12	0.12	0.13	0.18
	(4)	भंडार एवं कल-पुर्जों का स्टॉक					
		(क) औसत स्टॉक/वार्षिक खपत	0.21	0.19	0.20	0.24	0.25
		(ख) खपत के महीनों की सं. के रूप में अंत स्टाक	2.56	2.39	2.41	2.87	3.05
	(5)	कोयला, कोक, वाशरी कोल आदि का भण्डार					
		(क) माह की सं. के अनुसार उत्पादन-मूल्य	1.47	1.48	1.50	1.60	2.17
		(ख) बेचे गये सामान की लागत के माह की सं. के अनुसार	2.12	2.10	2.12	2.25	2.98
		(ग) माह की सं. के अनुसार निवल बिक्री	1.49	1.49	1.50	1.55	2.20
(डी)	**संरचनात्मक अनुपात**						
	(1)	ऋण इक्वीटी	0.00	0.00	0.00	0.07	0.09
	(2)	ऋण निवल राशि	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
	(3)	निवल राशि : इक्वीटी	6.35	6.18	4.79	4.26	3.66
	(4)	निवल अचल परिसम्पत्ति	0.35	0.30	0.36	0.35	0.43
(ई)	**शेयरधारकों का हित**						
	(1)	शेयर का किताबी मूल्य (₹) (निवल राशि/इक्वीटी की सं.)	6354.76	6183.38	4790.37	4263.91	3656.79
	(2)	प्रति शेयर लाभांश (₹)	1550.00	377.38	1067.07	1203.59	842.28

वित्तीय स्थिति

पूर्व अनुसूची VI के अनुसार

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009	2008	2007	2006
(ए) स्वामित्व वाली						
सकल अचल सम्पत्ति	4590.13	4659.00	4484.91	4378.64	4198.81	4036.93
घटाव : अवक्षयण	3204.05	3142.81	3038.01	2982.93	2783.73	2696.42
(1) निवल अचल सम्पत्ति	1386.08	1516.19	1446.90	1395.71	1415.08	1340.51
(2) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	408.34	343.04	311.35	323.38	267.08	271.74
(3) विविध खर्च (अन्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) निवेश	47.12	56.54	65.96	75.39	84.81	94.23
(5) आस्थगित कर परिसम्पत्ति	493.16	507.28	565.00	343.57	214.06	166.19
(6) चालू परिसम्पत्तियाँ :						
(i) (क) कोयला, कोक इत्यादि की मद सूची (इन्वेन्ट्री)	1292.31	1006.38	806.26	858.04	682.68	578.82
(ख) भंडार तथा कलपुर्जो इत्यादि की मद सूची (इन्वेन्ट्री)	143.57	154.79	141.99	129.87	127.93	135.18
(ग) अन्य भंडार सूची (इन्वेन्ट्री)	11.11	16.01	19.81	3.27	3.02	1.85
(ii) विविध देनदार	941.64	512.45	745.26	541.31	472.17	611.07
(iii) नकदी तथा बैंक शेष	2582.77	2607.01	1815.88	1115.47	334.09	234.82
(iv) ऋण एवं अग्रिम (अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ तथा समंजन सहित)	1677.16	1369.81	2740.92	2236.96	2076.97	1881.82
(v) ओ.बी.आर. समंजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग चालू परिमस्पत्तियाँ (6)	6648.56	5666.44	6270.13	4884.92	3696.86	3443.55
(7) घटाव : चालू देयताएँ तथा प्रावधान (ब्याज बकाया नहीं वाले लेखा को छोड़कर)	5854.34	5316.80	6218.54	4713.91	3408.48	3097.81
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ (6-7)	794.22	349.64	51.59	171.00	288.38	345.74
योग (ए)	**3128.92**	**2772.69**	**2440.80**	**2309.05**	**2269.41**	**2218.41**
(बी) स्वामित्व वाली मदें						
(1) सरकारी ऋण/सी.आई.एल.	0.00	0.00	157.27	307.28	457.28	757.28
(2) उपार्जित ब्याज जो देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) सावधि ऋण (वित्तीय ब्याज एवं बैंक)	90.91	112.05	136.70	115.60	125.85	138.66
योग (बी)	**90.91**	**112.05**	**293.97**	**422.88**	**583.13**	**895.94**
निवल योग (ए-बी)	**3038.01**	**2660.64**	**2146.83**	**1886.17**	**1686.28**	**1322.48**
निम्नलिखित के संबंध में :						
(1) इक्वीटी पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
(2) संचय (रिजर्व)	792.18	580.47	405.54	325.80	222.28	116.50
(3) लाभ/हानि (+)/(-)	1305.83	1140.17	801.29	620.37	524.00	265.98
निवल (1 से 3 तक)	**3038.01**	**2660.64**	**2146.83**	**1886.17**	**1686.28**	**1322.48**
नियोजित पूँजी	**2180.30**	**1865.83**	**1498.49**	**1566.72**	**1703.46**	**1686.25**

आय तथा व्यय का विवरण
पूर्व अनुसूची VI के अनुसार

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009	2008	2007	2006
(ए) निम्नलिखित से उपार्जित						
सकल विक्रय	7083.13	6291.92	5978.37	5060.54	4506.41	4512.91
घटाव : विकास खदानों से कोयला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाव : कर आदि (लेवी, रॉयल्टी, सेस इत्यादि)	1041.43	803.70	767.49	697.60	605.68	602.90
(1) निवल विक्रय	6041.70	5488.22	5210.89	4362.94	3900.73	3910.01
(2) भंडार में अभिवृद्धि/कमी	285.81	162.44	-69.94	136.58	72.70	137.62
(3) अन्य प्रयोजन के लिए निर्गत कोयला (वाशरी सहित)	0.00	1093.13	1038.45	1078.00	1059.72	1029.39
(4) अन्य राजस्व प्राप्तियाँ - अन्य	398.91	505.86	464.58	365.53	418.48	260.12
योग (ए)	**6726.42**	**7249.65**	**6643.97**	**5943.06**	**5451.63**	**5337.14**
(बी) निम्नलिखित के लिए प्रदत्त/प्रावधानित						
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ (सकल राजस्व)	2588.50	2360.03	2621.29	1799.90	1451.16	1311.86
घटाव : अन्य राजस्व शीर्षों में स्थानान्तरित	0.00	44.67	46.41	33.41	30.73	24.88
(1) कर्मचारी लाभ हेतु निवल व्यय (वीआरएस भुगतान को छोड़कर)	2588.50	2315.36	2574.87	1766.49	1420.43	1286.98
(2) वी.आर.एस. भुगतान	10.91	13.40	14.41	24.43	30.82	35.94
(3) कल्याण व्यय	86.55	202.93	193.01	165.27	143.60	119.78
घटाव : सामाजिक ऊपरी मदों का अवक्षयण एवं ब्याज	0.00	6.41	7.49	6.42	7.70	7.43
कल्याण व्यय (अवक्षयण एवं ब्याज छोड़कर)	86.55	196.52	185.52	158.85	135.90	112.34
(4) उपभुक्त सामान की लागत (सकल राजस्व)	533.19	507.18	484.91	488.35	424.18	441.07
घटाव : अन्य राजस्व शीर्षों को अंतरित	0.00	4.21	5.11	6.79	7.49	6.50
उपभुक्त सामान की लागत (निवल)	533.19	502.97	479.80	481.55	416.69	434.57
(5) (i) बिजली एवं ईंधन	202.52	266.90	256.29	225.95	226.52	219.53
(ii) अन्य प्रयोजनों के लिए निर्गत कोयला (वाशरी सहित)	0.00	1053.15	1020.17	1037.73	1024.89	1042.94
(6) ठेकेदार (मरम्मत सहित)	545.93	488.51	492.78	438.92	380.97	370.77
(7) (क) विविध खर्चे	334.48	336.09	375.35	280.46	183.56	249.51
(ख) प्रावधान / बट्टा खाता	200.34	132.06	185.93	91.91	52.09	97.48
(8) ब्याज	8.96	17.39	43.51	64.26	89.18	97.98
(9) अवक्षयण	242.54	208.05	192.08	238.64	194.89	325.73
(10) ओ.बी.आर. समंजन	100.63	185.02	71.98	103.57	263.83	21.79
(11) वित्तीय प्रभार	1.57	1.86	3.31	1.74	2.02	2.36
(12) पूर्व अवधि समंजन	10.08	—0.68	—15.83	—6.68	9.53	—125.78
योग (बी)	**4866.20**	**5716.60**	**5880.17**	**4907.81**	**4431.32**	**4172.16**
वर्ष का लाभ हानि लेखा (ए-बी)	1860.22	1533.05	763.80	1035.25	1020.30	1164.98
फ्रिंज लाभ कर	0.00	0.00	11.89	10.51	9.11	7.52
आयकर का प्रावधान	601.49	506.59	483.41	461.23	409.31	445.66
आस्थगित कर का प्रावधान	14.12	57.72	—221.43	—62.06	—47.86	—36.47
आयकर का प्रावधान (पिछले वर्ष हेतु)	—2.22	2.96	0.00	0.00	0.00	—10.11
सामान्य संचय को अंतरित	186.02	153.31	79.74	103.52	105.78	116.50
सीएसआर संचय को अंतरित	25.69	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभांश (लाभांश-कर सहित)	869.46	451.98	229.28	292.76	285.94	332.27
संचयी लाभ/हानि (पिछले वर्ष से आगे लाया हुआ)	1140.17	801.29	620.37	391.07	265.98	—43.63
तुलन पत्र में अंतरित संचयी लाभ/हानि	**1305.83**	**1140.17**	**801.29**	**620.37**	**524.00**	**265.98**

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सम्बंधित अनुपात पूर्व अनुसूची VI के अनुसार

(ए) वित्तीय सूचना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009	2008	2007	2006
(ए) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित						
(1) शेयरधारियों की निधि						
(i) इक्विटी	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
(ii) संचय एवं अतिरेक	792.18	580.47	405.54	325.80	222.28	116.50
(iii) लाभ/हानि (+)(-)	1305.83	1140.17	801.29	620.37	524.00	265.98
निबल योग	**3038.01**	**2660.64**	**2146.83**	**1886.17**	**1686.28**	**1322.48**
(2) ऋण	90.91	112.05	293.97	422.88	583.13	895.94
(3) निवेशित पूँजी	2180.30	1865.83	1498.49	1566.72	1703.46	1686.25
(4) (i) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1386.08	1516.19	1446.90	1395.71	1415.08	1340.51
(ii) चालू परिसम्पत्तियाँ	6648.56	5666.44	6270.13	4884.92	3696.86	3443.55
(iii) निवल चालू परिसम्पत्तियाँ (डब्ल्यू/सी)	794.22	349.64	51.59	171.00	288.38	345.74
(5) चालू देयताएँ (ब्याज एवं बकाया प्राप्ति को छोड़कर)	5854.34	5316.80	6218.54	4713.91	3408.48	3097.81
(6) (i) व्यवसाय से प्राप्य (निवल)	941.64	512.45	745.26	541.31	472.17	611.07
(ii) नकदी एवं नकदी के समान	2582.77	2607.01	1815.88	1115.47	334.09	234.82
(7) निम्नलिखित का अंत स्टॉक :						
(i) भंडार एवं कलपुर्जे (निवल)	143.57	154.79	141.99	129.87	127.93	135.18
(ii) कोयला एवं कोक इत्यादि (निवल)	1292.31	1006.38	806.26	858.04	682.68	578.82
(iii) अन्य भंडार मद सूचियाँ (निवल)	11.11	16.01	19.81	3.27	3.02	1.85
(8) भंडार एवं कलपुर्जों का औसत स्टॉक (निवल)	149.18	148.39	135.93	128.90	131.56	140.18
(बी) लाभ/हानि के संबंध में						
(1) (i) सकल सीमांकन (मार्जिन)	2080.04	1758.49	999.39	1338.14	1304.37	1588.70
(ii) सकल लाभ	1869.17	1550.44	807.31	1099.50	1109.49	1262.96
(iii) निवल लाभ (कर एवं निवेश छूट के पहले)	1860.22	1533.05	763.80	1035.25	1020.30	1164.98
(2) (i) सकल विक्रय	7083.13	6291.92	5978.37	5060.54	4506.41	4512.91
(ii) निवल विक्रय (कर, शुल्क एवं विकास आदि के बाद)	6041.70	5488.22	5210.89	4362.94	3900.73	3910.01
(iii) रॉयल्टी, सेस इत्यादि के संबंध में प्रदत्त/देय भुगतान राशि	1041.43	803.70	767.49	697.60	605.68	602.90
(iv) प्रतिमाह औसत निवल विक्रय	503.47	457.35	434.24	363.58	325.06	325.83
(3) बेचे गये सामान का मूल्य (विक्रय-लाभ)	4181.48	3955.17	4447.08	3327.70	2880.42	2745.03
(4) क. कुल खर्चे (वसूलियों एवं अन्य को छोड़कर)	6206.18	5716.60	5880.17	4907.81	4431.32	4172.16
ख. कर्मचारी लाभ	2576.25	2360.03	2621.29	1799.90	1451.16	1311.86
ग. उपभुक्त सामान की लागत	533.22	507.18	484.91	488.35	424.18	441.07
घ. बिजली एवं ईंधन	206.74	266.90	256.29	225.95	226.52	219.53
ड. ब्याज एवं अवक्षयण (केवल सकल राजस्व)	219.82	225.44	235.59	302.90	284.07	423.72
(5) भंडार एवं कलपुर्जों की औसत खपत (सकल प्रतिमाह)	44.44	42.26	40.41	40.70	35.35	36.76
(6) क. वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रम शक्ति	53171	55305	57681	60209	62905	65536
ख. कल्याण व्यय	86.55	202.93	193.01	165.27	143.60	119.78
ग. कल्याण व्यय प्रति कर्मचारी (रु.000)	16.28	36.69	33.46	27.45	22.83	18.28
(7) क. अभिवर्द्धित मूल्य	5587.48	4881.40	4405.78	3793.27	3332.71	3398.10
ख. प्रति कर्मचारी अभिवर्द्धित मूल्य (रु.000)	1050.85	882.63	763.82	630.02	529.80	518.51

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सम्बंधित अनुपात
पूर्व अनुसूची VI के अनुसार
(बी) वित्तीय अनुपात/प्रतिशत

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2011	2010	2009	2008	2007	2006
(ए) लाभकारिता का अनुपात						
(1) **प्रतिशत के रूप में निवल विक्रय**						
(i) सकल सीमांकन	34.43	32.04	19.18	30.67	33.44	40.63
(ii) सकल लाभ	30.94	28.25	15.49	25.20	28.44	32.30
(iii) निवल लाभ	30.79	27.93	14.66	23.73	26.16	29.79
(2) **प्रतिशत के रूप में कुल खर्चे**						
क. कर्मचारी लाभ पर व्यय	41.51	41.28	44.58	36.67	32.75	31.44
ख. उपभुक्त सामान की लागत	8.59	8.87	8.25	9.95	9.57	10.57
ग. बिजली एवं ईंधन	3.33	4.67	4.36	4.60	5.11	5.26
घ. ब्याज एवं अवक्षयण	3.54	3.94	4.01	6.17	6.41	10.16
(3) **प्रतिशत के रूप में निवेशित पूँजी**						
क. सकल सीमांकन	95.40	94.25	66.69	85.41	76.57	94.22
ख. सकल लाभ	85.73	83.10	53.88	70.18	65.13	74.90
ग. निवल लाभ	85.32	82.16	50.97	66.08	59.90	69.09
(4) कार्य संचालनात्मक अनुपात (विक्रय लाभ/विक्रय)	0.69	0.72	0.85	0.76	0.74	0.70
(बी) द्रव्यता अनुपात						
(1) चालू अनुपात						
(चालू परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	1.14	1.07	1.01	1.04	1.08	1.11
(2) त्वरित अनुपात						
(त्वरित परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	0.60	0.59	0.41	0.35	0.24	0.27
(3) कार्यरत पूँजी प्रतिशत में						
क. निवेशित पूँजी	36.43	18.74	3.44	10.91	16.93	20.50
ख. निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	57.30	23.06	3.57	12.25	20.38	25.79
(सी) कारोबार का अनुपात						
(1) कारोबार में निवेशित पूँजी का अनुपात						
(निवल विक्रय/निवेशित पूँजी)	2.77	2.94	3.48	2.78	2.29	2.32
(2) कारोबार में निवेशित कार्यरत पूँजी का अनुपात						
(निवल विक्रय/कार्यरत पूँजी)	7.61	15.70	101.00	25.51	13.53	11.31
(3) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार						
(i) सकल विक्रय	1.60	0.98	1.50	1.28	1.26	1.62
(ii) निवल विक्रय	1.87	1.12	1.72	1.49	1.45	1.88
(4) निवल विक्रय के अनुपात के रूप में						
(i) विविध देनदार	0.16	0.09	0.14	0.12	0.12	0.16
(ii) कोयला भंडार	0.21	0.18	0.15	0.20	0.18	0.15
(5) भंडार एवं कल-पुर्जों का स्टॉक						
(i) औसत स्टॉक/वार्षिक खपत	0.28	0.29	0.28	0.26	0.31	0.32
(ii) खपत के महीनों की सं. के रूप में अंत स्टॉक	3.23	3.66	3.51	3.19	3.62	3.68
(डी) संरचनात्मक अनुपात						
(1) ऋण : इक्विटी	0.10	0.12	0.31	0.45	0.62	0.95
(2) ऋण : निवल राशि	0.03	0.04	0.14	0.22	0.35	0.68
(3) नेटवर्थ : इक्विटी	3.23	2.83	2.28	2.01	1.79	1.41
(4) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ : नेट वर्थ	0.46	0.57	0.67	0.74	0.84	1.01

वर्ष 2015-2016 के लिए निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारीगण
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

सज्जनों,

मुझे निदेशक मण्डल की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षित लेखा-विवरणी, सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट एवं प्रबन्धन के जवाबों सहित कम्पनी के कार्यकलापों से सम्बन्धित 60वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

1. उत्पादन

नीचे की तालिका में वर्ष 2015-16 के वास्तविक उत्पादन और उत्पादकता तथा 2014-2015 के वास्तविक उत्पादन का तुलनात्मक विवरण दिया गया है :

विवरण	2015-16		2014-15	प्रतिशत वृद्धि (पिछले साल से)
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (एम.टी.)	59.700	60.476	54.811	10.336
भूमिगत खदान से (एम.टी.)	0.900	0.848	0.841	0.832
योग (एम.टी.)	**60.600**	**61.324**	**55.652**	**10.192**
ओ.बी.आर. (एम.एम.^{3})	**100.000**	**106.778**	**97.378**	**9.653**
धुला कोयला (कोकिंग)				
उत्पादन (एम.टी.)	1.633	1.471	1.648	- 10.740
प्रेषण (एम.टी.)	—	1.375	1.612	- 14.578
धुला कोयला (नन कोकिंग)				
उत्पादन (एम.टी.)	6.330	8.652	6.689	29.347
प्रेषण (एम.टी.)	—	8.950	6.400	33.622
उत्पादकता (ओ.एम.एस./टन)				
खुली खदान	7.910	8.910	7.560	17.860
भूमिगत खदान	0.310	0.320	0.290	10.340
समग्र	**5.820**	**6.510**	**5.460**	**19.230**

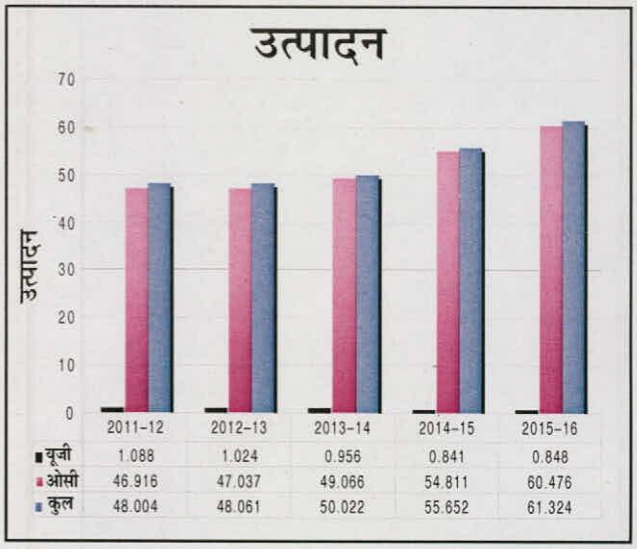

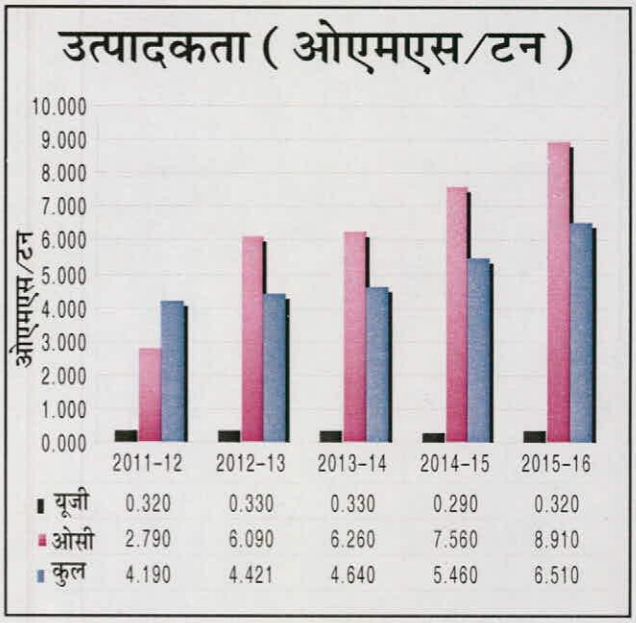

इस प्रकार आपकी कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान एम.ओ.यू. लक्ष्य का 60.60 मिलियन टन के तहत कोयला उत्पादन 61.324 मिलियन टन हासिल किया है।

2. वाशरी निष्पादन

आपकी कंपनी सीसीएल कोकिंग तथा नॉन कोकिंग कोयला की वासिंग के व्यवसाय में है। यहाँ पाँच कोकिंग तथा दो नॉन कोकिंग वाशरियाँ हैं।

- सीसीएल वाशरी से 2015-16 में 590.24 करोड़ रुपये का लाभ, 2014-15 के 689.86 करोड़ के लाभ की तुलना में अर्जित हुआ है।

उपलब्धियाँ

- कोकिंग कोल वाशरियाँ रॉ कोल की खपत 2015-16 में 8.02% की बृद्धि 2014-15 की तुलना में दर्ज की है।
- कोकिंग कोल वाशरियाँ वॉशड पावर कोल का उत्पादन 2015-16 में 41.25% की बृद्धि 2014-15 की तुलना में दर्ज की है।
- कोकिंग कोल वाशरियाँ वॉशड पावर कोल का संप्रेसण 2015-16 में 47.7% की बृद्धि 2014-15 की तुलना में दर्ज की है।
- नॉन-कोकिंग कोल वाशरियाँ रॉ कोल खपत 2015-16 में 27.36% की वृद्धि 2014-15 की तुलना में दर्ज की हैं।
- नॉन-कोकिंग कोल वाशरियाँ वॉशड कोल का उत्पादन 2015-16 में 29.36% की वृद्धि 2014-15 की तुलना में दर्ज की हैं।
- नॉन-कोकिंग कोल वाशरियाँ वॉशड कोल का संप्रेषण 2015-16 में 39.85% की वृद्धि 2014-15 की तुलना में दर्ज की हैं।

विशेष उपलब्धियाँ

- सवांग वाशरी का थीकनर (गाढ़ा करने वाला पदार्थ) का नवीनीकरण का कार्य पूरा किया गया।

कोकिंग कोल वाशिरियाँ

- कोकिंग कोल वाशरियाँ 2015-16 में 14.71 लाख टन वॉशड कोल का उत्पादन किया जबकि 2014-15 में 16.47709 लाख टन उत्पादन था।
- कोकिंग कोल वाशरियाँ 2015-16 में 218.78 करोड़ रुपये का लाभ, 2014-15 के 345.82 करोड़ रुपये की तुलना में अर्जित किया है।
- 2014-15 की तुलना में 2015-16 में उत्पादन और यील्ड का विवरण नीचे दिया गया है।

वाशरी	उत्पादन (लाख टन में)		यील्ड (उत्पन्न करना) का प्रतिशत	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
कथारा	1.393	1.59205	23.97	27.45
स्वांग	0.788	1.67016	16.59	41.69
रजरप्पा	7.342	6.96693	49.01	50.04
केदला	3.682	3.59145	38.35	44.70
करगली	1.506	2.65650	50.51	75.25
योग	**14.712**	**16.47709**	**38.59**	**46.69**

नॉन कोकिंग कोल वाशरियाँ

- नॉन-कोकिंग कोल वाशरियाँ 2015-16 में 86.53 लाख टन वॉशड कोल का उत्पादन 2014-15 के 66.88705 लाख टन की तुलना में किया है।
- नॉन-कोकिंग कोल वाशरियाँ 2015-16 में 371.46 करोड़ रुपये का लाभ 2014-15 के 344.04 करोड़ रुपये की तुलना में अर्जित किया है।
- 2014-15 की तुलना में 2015-16 में उत्पादन और यील्ड का विवरण नीचे दिया गया है :

वाशरी	उत्पादन (लाख टन में)		यील्ड (उत्पन्न करना) का प्रतिशत	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
पिपरवार	84.775	65.20705	94.89	93.88
गिद्दी	1.771	1.68000	51.82	50.19
योग	**86.526**	**66.88705**	**93.31**	**91.87**

आपकी कंपनी ने 2015-16 के एमओयू के 8.00 मिलियन टन वॉशड कोल के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 10.123 मिलियन टन का उत्पादन कर एक्सेलेंट रेटिंग प्राप्त किया है।

2(ए). निर्माण हेतु प्रस्तावित नई वाशरियों की स्थिति

I. बीओएम अवधारणा पर पिपरवार क्षेत्र में (10.0 एम. टी. वाई.) गैर-कोकिंग कोल अशोक वाशरी

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।

(ii) जेएसपीसीबी से ''स्थापना हेतु सहमति '' के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिनांक 08/08/2013 को प्राप्त किया जा चुका है।

(iii) दिनांक 21.07.2012 को बोली दाता को लेटर ऑफ अवार्ड (एल.ओ.ए.) जारी हुआ।

(iv) बोली दाता को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(v) ''स्थापना हेतु सहमति'' के लिए जे. एस. पी. सी. बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में देरी की वजह से बोलीदाता ने मूल्य वृद्धि के लिए कहा जो एनआईटी के प्रावधानों से परे है।

(vi) पर्यावरण मंजूरी में देरी की वजह से एम. आई. एल. ने दिनांक 08/09/2014 को कीमत मुआवजे की स्वीकृति के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक लिखित प्रार्थना पत्र दायर किया।

(vii) माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 26/11/2015 को दिया गया।

(viii) याचिकाकर्ता और सीसीएल दोनों माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एलपीए (पत्र पेटेंट अपील) दायर किया। मामला न्यायाधीन है।

II. **बीओएम अवधारणा पर बी. एण्ड के. क्षेत्र में (7.0 एम. टी. वाई.) गैर-कोकिंग कोल कोनार वाशरी**

(i) बीओएम अवधारणा पर 7.0 एम. टी. वाई. गैर-कोकिंग कोल कोनार वाशरी के निर्माण के लिए दिनांक 09/11/2015 को ग्लोबल ई-निविदा आमंत्रित की गयी।

(ii) अतिरिक्त 93.58 हेक्टेयर वन भूमि के लिए दिनांक 05/05/2015 को एफ. आर. ए. जारी किया गया। उपायुक्त बोकारो से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 19/01/2016 को प्राप्त किया गया। क्लीयरेंस का इंतजार है।

(iii) दिनांक 03/11/2015 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण से सम्बंधित खदान और वाशरी का समग्र T. O. R. जारी किया गया।

(iv) दिनांक 07/01/2016 को जनसभा आयोजित किया गया। ड्राफ्ट अंतिम ईएमपी सीएमपीडीआई में तैयारी के तहत है।

(v) कोनार रेलवे साइडिंग के लिए रेलवे ने E. S. P. (इंजीनियरिंग स्केल योजना) की मंजूरी दे दी है। रेलवे के पास भूमि पट्टा समझौता प्रक्रियाधीन है।

(vi) शुष्क परिष्करण संयंत्र की स्थापना की सम्भावना तलाश के लिए पहल की गई है।

III. **बीओएम अवधारणा पर बी. एण्ड के. क्षेत्र में (3.5 एम. टी. वाई.) गैर-कोकिंग कोल कारो वाशरी**

(i) बीओएम अवधारणा पर 3.5 एम. टी. वाई. गैर-कोकिंग कोल कारो वाशरी के निर्माण के लिए दिनांक 30/03/2016 को रिवर्स ऑक्शन आधारित ग्लोबल ई- निविदा आमंत्रित की गयी।

(ii) 226.67 हेक्टेयर वन-भूमि वन विभाग की मंजूरी के लिए, सीए (प्रतिपूरक वनीकरण) के भूमि का डी. जी. पी. एस. (डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) नक्शा दिनांक 25/02/2016 को प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राँची द्वारा निरीक्षण दिनांक 08/03/2016 को सम्पन्न हुआ। स्टेज - I क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है।

(iii) कारो वाशरी से करगली वाशरी साइडिंग तक 6.5 किलोमीटर वाश्ड कोल कन्वेयर कॉरिडोर हेतु आवश्यक अतिरिक्त 7.5 हैक्टर वन भूमि के लिए दिनांक 30.10.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। स्टेज - I क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है।

(iv) दिनांक 03.11.2015 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण से सम्बन्धित खदान और वाशरी का समग्र T. O. R. जारी किया गया।

(v) दिनांक 05.01.2016 को जनसभा आयोजित किया गया। ड्राफ्ट अंतिम ईएमपी सीएमपीडीआई में तैयारी के तहत है।

IV. **पिपरवार क्षेत्र में 3.5 एम. टी. वाई. गैर-कोकिंग कोल वाशरी**

(i) दिनांक 15/03/2016 - 16/03/2016 को आयोजित

सीसीएल बोर्ड द्वारा 3.5 एम. टी. वाई. शुष्क परिष्करण संयंत्र की पिपरवार क्षेत्र में स्थापना के लिए ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन।

3. उठाव (ऑफ टेक)

वर्ष 2015-16 के दौरान कच्चे कोयले का कुल उठाव 59.583 मिलियन टन रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का विधि-वार ब्यौरा निम्न लिखित है :

आँकड़े मिलियन टन में

उठाव की विधि	2015-16	2014-15	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	26.771	26.222	2.09%
सड़क	19.725	18.305	7.76%
वाशरी फीड	13.086	10.810	21.05%
कोलियरी खपत	0.001	0.001	—
कुल उठाव	**59.583**	**55.338**	**7.67%**

वर्ष 2015-16 के दौरान सीसीएल में वाशरी फीड में 21.05% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, सड़क मोड से उठाव में 7.76% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर सीसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में उठाव में 7.67% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की।

वर्ष 2015-16 के दौरान कच्चे कोयले का एवं कोयला उत्पादों का कुल प्रेषण 59.897 मिलियन टन रहा। वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न सेक्टर के लिहाज से कच्चे कोयले का एवं कोयला उत्पादों के प्रेषण का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

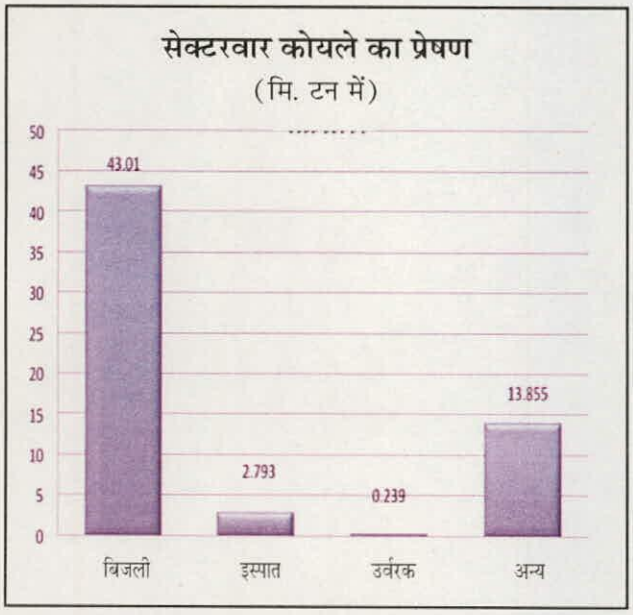

(आँकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	कच्चा कोयला	धुला कोयला (कोकिंग)	धुला कोयला (नॉन-कोकिंग)	धुला कोयला पावर	स्लरी	रिजेक्ट्स	योग
ऊर्जा	33.517	0	8.528	0.965	0	0	43.010
इस्पात (इस्पात सीपीपी मिलाकर)	0.342	1.375	0.422	0.654	0	0	2.793
खाद	0.239	0	0	0	0	0	0.239
अन्य*	12.399	0	0	0	0.304	1.152	13.855
कुल प्रेषण	**46.497**	**1.375**	**8.950**	**1.619**	**0.304**	**1.152**	**59.897**

* अन्य में ई-ऑक्शन, स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्शन, नॉन-कोर उपभोक्ता, स्पंज आयरन, सीपीपी और राज्य नामित एजेन्सियाँ शामिल हैं।

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के 61 मिलियन टन लक्ष्य के खिलाफ उठाव के 59.583 मिलियन टन हासिल किया है।

4. कोयला स्टॉक

दिनांक 31.03.16 को कच्चे कोयले* का स्टॉक 11.460 मिलियन टन रहा जबकि यह दिनांक 31.03.15 को 9.718 मिलियन टन था।

*(* सभी उत्पादक इकाइयों, वाशरियों एवं कोक-संयंत्रों का कोयला-स्टॉक)*

5. कारोबार (टर्नओवर) एवं बिक्री वसूलियाँ

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी का सकल बिक्री कारोबार 13,658.96 करोड़ रुपए था और बिक्री वसूली (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम सहित) 13,749.15 करोड़ रुपए थी। तारीख 31 मार्च, 2016 की सेक्टर वार देनदार (सकल) स्थिति नीचे दी गई है :

(आँकड़े करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	31.3.2016 को	31.3.2015 को
ऊर्जा	1314.59	1542.10
इस्पात	687.68	444.27
अन्य	92.49	42.35
योग	**2094.76**	**2028.72**

6. भारी वाहनों का प्रदर्शन

वर्ष 2015-16 में समग्र प्रमुख भारी वाहनों की उपलब्धता में वृद्धि 2014-15 के मुकाबले हुई है। शॉवेल की उपलब्धता 78.4% के मुकाबले 82.3%, डम्परों की 71.1% के मुकाबले 79.6%, डोजरों का 67.7% के मुकाबले 69.5% एवं ड्रील का 82.2% के मुकाबले 86.2% रही है।

रजरप्पा क्षेत्र में शॉवेल की उपयोगिता 2014-15, 55% की तुलना में 2015-16 में 58% दर्ज की गई। बी एण्ड के क्षेत्र में डम्पर की उपयोगिता 2014-15, 38% की तुलना में 2015-16 में 46% रही। बरका-सयाल क्षेत्र में डोजर की उपयोगिता 2014-15, 23% की तुलना में 2015-16 में 24% रही। बरका-सयाल क्षेत्र में ड्रील की उपयोगिता 2014-15, 44% की तुलना में 2015-16 में 51% रही।

7. खदान-प्रणाली क्षमता उपयोग

2015-16 की उत्पादन क्षमता जिसका आकलन 01.04.2015 को हुआ (एम.एम.^{3})	खुली खदान से उत्पादन की प्राप्ति (2015-16)			% उत्पादन क्षमता का उपयोग	
	कोयला (एम.टी.)	ओ.बी.आर. (एम.एम.^{3})	समेकित उत्पादन (एम.एम.^{3})	15-16	14-15
125.57	60.48	106.778	145.30	115.71	96.83

आपकी कम्पनी को सर्वश्रेष्ठ रेटिंग, सिस्टम कैपेसिटी युटिलाइजेशन में प्राप्त हुआ है जो 115.71% है जो 2015-16 के एमओयु लक्ष्य 90% की तुलना में है। डम्पर की उपलब्धता 80%, 67% की तुलना में रजरप्पा परियोजना में 55% शॉवेल की उपलब्धता है, डोजर की उपलब्धता 24%, बरका सयाल क्षेत्र और ड्रील की 44% उपलब्धता बरका सयाल क्षेत्र में है जिस कारण 2015-16 में लक्ष्य के 42% के तहत सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त हुआ है।

8. कोयला विपणन

8.1 वार्षिक कार्य योजना (AAP) के अनुसार मांग संतुष्टि

(आँकड़ा मिलियन टन में)

सेक्टर	मांग (AAP)	प्रेषण	% संतुष्टि	मांग (AAP)	प्रेषण	% संतुष्टि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
	2015-16	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15	2014-15	
ईस्पात (ईस्पात सीपीपी मिलाकर)	4.450	2.793	62.76	4.120	3.478	84	-19.70%
ऊर्जा	44.300	43.010	97.09	43.650	39.692	91	8.36%
खाद	0.250	0.239	95.60	0.200	0.234	117	2.14%
सीमेंट	0	0	0	0	0	0	-
अन्य	11.600	13.855	119.44	10.030	12.360	123	12.10%
कुल	**60.60**	**59.897**	**98.84**	**58.00**	**55.764**	**96**	**7.41%**

पिछले वर्ष की तुलना, वर्ष 2015-16 के दौरान प्रेषण में समग्र वृद्धि 7.41% है; हालाँकि ईस्पात क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि मुख्य रूप से ईस्पात क्षेत्र पर बकाया राशि और धुले कोयले की कमजोर मांग के कारण है।

8.2 वैगन लदान

वर्ष 2015-16 के दौरान कोलफील्ड नुसार वैगन लदान स्थिति नीचे दी गई है :

(आँकड़े रेक प्रति दिन में)

रेलवे जोन	2015-16	2014-15	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
दक्षिण करणपुरा	4.7	4.7	0.00%
उत्तरी करणपुरा	14.9	11.7	27.35%
करणपुरा (उप-जोड़)	**19.6**	**16.4**	**19.51%**
झरिया	7.5	8.2	-8.54%
कुल पूर्व-मध्य रेलवे	**27.1**	**24.6**	**10.16%**
गिरिडीह	0.4	0.5	-20.00%
कुल पूर्व रेलवे	**27.5**	**25.1**	**9.56%**
आद्रा	0.9	0.8	12.50%
कुल दक्षिण-पूर्व रेलवे	**0.9**	**0.8**	**12.50%**
कुल सीसीएल	**28.4**	**25.9**	**9.65%**

8.3 कोयले का ई-ऑक्शन

वर्ष 2015-16 के दौरान स्पॉट ई-ऑक्शन का निष्पादन निम्नानुसार रहा :

वर्ष	स्पॉट ई-नीलामी	पेशकश की मात्रा (मिलियन टन)	बुक मात्रा (मिलियन टन)	अधिसूचित कीमत पर लाभ (रु. लाख में)	अधिसूचित कीमत पर लाभ (प्रतिशत में)
	रेल	0	0	0	
2015-16	सड़क	17.733	9.031	36045.1	30%
	स्लरी	1.080	0.268	1004.3	20%
	रिजेक्ट	1.763	0.800	1587.4	23%
	कुल	**20.576**	**10.099**	**38636.8**	**29%**

9.1 कोयले की माइजिंग एवं क्रशिंग

आर. ओ. एम. कोयले की क्रशिंग के लिए एक इनपित क्रशर पिपरवार में और तीन सीएचपी गिद्दी-ए, सिरका (अरगडा क्षेत्र के अंतर्गत) एवं भुरकुंडा (बरका-सयाल क्षेत्र के अंतर्गत) संचालन में हैं। कोयले की सिएजिंग एवं क्रशिंग इन सीएचपी के द्वारा (-) 100 एमएम के आकार में की जा रही हैं, इनपित क्रशर के द्वारा क्रश्ड कोयला को बेल्ट कन्वेयर के द्वारा पिपरवार वाशरी में अग्रसीत किया जा रहा है। इन सीएचपी में प्राथमिक क्रशिंग की व्यवस्था हैं साथ ही साथ वैगन में कन्वेयर के द्वारा लोडिंग की भी सुविधा है। पाँच और पुरानी सीएचपी भी डकरा, केडीएच (एन. के. क्षेत्र), बचरा (पिपरवार क्षेत्र), सयाल (बरका-सयाल क्षेत्र) एवं सिलेक्टेड ढोरी (ढोरी क्षेत्र) में हैं, जो अभी संचालन में नहीं हैं और उनके सर्वे ऑफ की प्रक्रिया अभी चल रही है।

इनके अलावा, 31 मार्च, 2016 तक कुल 27 फीडर ब्रेकर की भी व्यवस्था सीसीएल के अलग अलग परियोजनाओं में है। सीसीएल की सालाना क्रशिंग की क्षमता 31 मार्च, 2016 की तारीख को 31.5 एम टी की है। परियोजना अनुसार / क्षेत्र अनुसार क्षमता वृद्धि साल 2015-16 में निम्नलिखित है :

क्षमता वृद्धि [(-) 100 एमएम आकार (साइज)]

100% क्रशिंग सुनिश्चित करने के लिए नये फीडर ब्रेकरों (अतिरिक्त क्षमता) को लगाने की स्थिति :

क्र.सं.	स्थान	क्षेत्र	संख्या	क्षमता (एमटीवाई)	वर्तमान स्थिति
1	झारखंड हजारीबाग		1	1.00	अधिष्ठापन की प्रक्रिया चल रही है।
2	जारंगडीह पीएफ-1	बीएंडके	1	1.00	हजारीबाग से स्थानांतरित, 30.03.2016 को कमीशन्ड।
	कुल		**2**	**2.00**	

100% क्रशिंग सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तित फीडर ब्रेकरों (अतिरिक्त क्षमता) को लगाने की स्थिति -

क्र. सं.	स्थान	क्षेत्र	संख्या	क्षमता (एमटीवाई)	वर्तमान स्थिति
1	सौन्दा साईडिंग	बरका-सयाल	1	0.75	परिवर्तित
2	उरीमारी	बरका-सयाल	1	0.75	परिवर्तित
3	अमलो साईडिंग	ढोरी	2	0.75 X 2 = 1.5	परिवर्तित
4	तारमी साइडिंग	ढोरी	3	0.75 X 3 = 2.25	परिवर्तित
5	केडीएच	एन के	3	0.75 X 3 = 2.25	परिवर्तित
6	जारंगडीह पीएफ-1	बी एंड के	2	0.75 X 2 = 1.5	परिवर्तित
7	जारंगडीह पीएफ-II	कथारा	1	0.75	परिवर्तित
8	पिपरवार परियोजना	पिपरवार	1	0.75	परिवर्तित
	कुल		14	10.50	

2015-16 के दौरान करीब 25.691 मिलियन टन कोयला विभिन्न सीएचपी, फीडर ब्रेकर, इनपित क्रशर, डंप हॉपर एवं सरफेस माइनर द्वारा क्रश किया गया।

10. तौल सेतुओं का प्रदर्शन

वर्ष 2015-16 में डिस्पैच से पहले कोयला का वजन 100% सुनिश्चित करने की हरसंभव कोशिश की गयी है। वर्ष 2015-16 में 31 रेलवे तौल सेतु रेल द्वारा डिस्पैच कोयले का वजन करने के लिए संचालन में थे। इन 31 रेल तौल सेतु में 8 स्टैंड बाई तौल सेतु भी शामिल हैं जो आरसीएम, केडीएच, राय, मक्लुस्कीगंज, केडी ओल्ड, एन आर, तारमी एवं जरंदिह में कार्यरत हैं।

एक नया 120 टन रेल तौल घर पुसरो रेलयार्ड में, बी एंड के एरिया के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कमीशन किया गया। ये तौल घर एक सएस्तांटिक तौल सेतु की जगह पे लगाया गया जो की हमारे एस्ताटिक तौलघरों के प्रतिस्थापन के कार्यक्रम के अनुरूप है। तीन नए 120 टन रेल तौल घर ढोरी, रजरप्पा और टोरी साइडिंग में लगाये जायेंगे जिनके लिए साईट की अनुमोदन की प्रतीक्षा है। उपभोक्ता और रेलवे की संतुष्टि हेतु सही मापी के लिए माप तौल विभाग, झारखंड सरकार और रेलवे के अधिकृत प्रतिनिधि एवं उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि एवं उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में रेलवे तौल घरों की नियमित रूप से एफ आई ओ परीक्षण किया जाता है। 16 नवीन रेल तौल सेतुओं की खरीद आखिरी पड़ाव पे है (प्रतिस्थापन - 15 और वृद्धि - 01)।

वर्तमान में सड़क द्वारा प्रेषित किये जाने वाले कोयले की मापी के लिए 30 टन से 60 टन क्षमता वाले 131 सड़क तौल घर हैं। 22 नए 60 टन क्षमता वाले सड़क तौल घर साल 2015-16 में स्थापित किये गए जिसमें 11 नए और 6 प्रतिस्थापित हैं। इनके अलावा 23 नए 60 टन क्षमता वाले सड़क तौल घर लगाने का काम चल रहा है (वृद्धि - 11 और प्रतिस्थापन - 12) और सितम्बर, 2016 तक इनके चालू होने की संभावना है। 9 नए सड़क तौलघर (6-पोर्टेबल और 3-स्टेटिक) की आपूर्ति आदेश दिया जा चुका है और सितम्बर, 2016 तक इनके संचालन शुरू हो जायेगा। 30 और नए सड़क तौल सेतु की खरीद की जा रही है और उनके लिए निविदा मांगी गयी है (वृद्धि - 22 और प्रतिस्थापन - 08)।

तौलघरों की खरीदी की उद्देश्य 100त्र माप को सुनिश्चित करना है।

10.1 चुरी बेनती खदान, ऐन-के क्षेत्र में मैन-राइडिंग सिस्टम की स्थापना

चुरी-बेनती खदान के लिए मैन-राइडिंग सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

11. उपभोक्ता सन्तुष्टि

सीसीएल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता संतुष्टि है। उपभोक्ताओं को आवश्यक मात्रा एवं अच्छी गुणवत्ता वाले 100 प्रतिशत क्रस्ड कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। एम ओ सी के निर्देश अनुसार सीसीएल, 01.01.2016 से 100 प्रतिशत (-100 एमएम) साईज के कोयले की आपूर्ति कर रहा है। सीसीएल के पास मुख्यालय में पर्याप्त अच्छे उपकरणों के साथ प्रयोगशालाओं में संचालित है। मुख्यालय की प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल द्वारा एक्रीडेटेड है और अन्य प्रयोगशालाएं एन.ए.बी.एल. एक्रीडेशन के लिए प्रयासरत है। थर्ड पार्टी सेम्पलिंग और विश्लेषण प्रणाली सीसीएल में कार्यरत हैं। विद्युत गृहों के उपभोक्ता संतुष्टिकरण में सुधार के लिए उनकी ओर से थर्ड पार्टी एजेन्सी को अनुमति दी गई है। वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान रेल द्वारा प्रेषण 100 प्रतिशत सेम्पलिंग और विश्लेषण द्वारा हुआ है। उपभोक्ता की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए उपयुक्त प्रणाली है। सभी गुणवत्ता से संबंधी शिकायतों पर त्वरित रूप से ध्यान दिया जाता है।

12. ऊर्जा संरक्षण तथा अंकेक्षण

ऊर्जा संरक्षण हमें नए स्रोतों को खोजने का समय देता है। यह सोचते हुए कि ऊर्जा के स्रोत सिमित है, हमें इसके बारे में गम्भीरता से सोचना होगा और ऊर्जा का उपयोग न्यायपूर्वक करना होगा। ऊर्जा संरक्षण पर एक व्यापक कानून पहले से ही सरकार द्वारा पारित किया जा चुका है और इस समस्या के निदान के लिए ऊर्जा दक्षता मानक संस्थान की स्थापना की जा चुकी है।

कोयला उद्योग के सरकारीकरण के बाद कोयला उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और यह सब बड़े लागत और क्षमता वाले मशीन के उपयोग से हो सका है। ये बड़े-बड़े मशीनें ज्यादा तेल और विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं। इसलिए दिनोंदिन ऊर्जा की जरूरत बढ़ते जा रही है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण और आवश्यकता को व्यवस्थित करने की सख्त जरूरत है।

वर्ष 2015-16 में सीसीएल में डीजल की खपत लगभग 62.54 मिलियन लीटर और विद्युत ऊर्जा की खपत लगभग 770

मिलियन किलोवॉट आवर हुई है। ऊर्जा संरक्षण के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। ऊर्जा अंकेक्षण और ऊर्जा बचाने वाले प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इसे कम से कम किया जा सकता है। साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना होगा।

वर्ष 2015-16 में सीसीएमसी विभाग का प्रदर्शन और उपलब्धियां

1. सी.एम.पी.डी.आई.एल के मदद से सभी भूमिगत और खुली खदान के ऊर्जा अंकेक्षण और डीजल और विद्युत ऊर्जा के बेंच मार्किंग का कार्य किया गया और अनुपालन हेतु इनके सुझावों को सभी को प्रेषित किया गया।

2. वर्ष 2015-16 के डीजल ऊर्जा की खपत का बेंचमार्किंग 0.96 लीटर/क्युबिक मीटर हुआ, अत: विशिष्ट (स्पेसिफीक) डीजल खपत में लक्ष्य को प्राप्त किया गया और 2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

3. वर्ष 2015-16 में विद्युत ऊर्जा की खपत का बैंचमार्किंग 5.74 किलोवाट आवर/क्युबिक मीटर निर्धारित किया गया था और असली खपत 5.30 किलोवाट आवर/क्युबिक मीटर रहा। अत: विशिष्ट (स्पेसिफीक) विद्युत खपत में लक्ष्य को प्राप्त किया गया और इसमें 7.6 प्रतिशत की कमी हुई।

4. वर्ष 2015-16 एम.आ.यू. लक्ष्य के अनुसार, दो खुली खदानों का विद्युत ऊर्जा और डीजल खपत का बेंचमार्किंग सी.एम.पी.डी.आई.एल. के द्वारा नवम्बर, 2015 तक सम्पन्न हुआ। इस कारण इसमें अति उत्कृष्ट (एक्सलेंट) रेटिंग मिला।

5. 135 उपयोग किए हुए तेल नमुनों का (ल्युब तेल) आई.ओ.सी., एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. द्वारा परीक्षण करने के पश्चात इनके रिर्पोटों को संबंधित खदानों को आगे की जरूरती कार्यवाई के लिए भेजा गया।

6. तीनों क्षेत्रीय कार्याशालाओं के सी.एम.सी. प्रयोगशालाओं को समृद्ध करने लिए उपकरण खरीद की स्कीम बनाई गई जो अनुमोदन के अंतिम चरण में है। साथ ही साथ, तीन वाइब्रेशन एनालाईर्जस और दो पॉर्टेबल तेल परीक्षण कीटस की खरीदारी अंतिम चरण में है।

7. वर्ष 2014-15 ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट को संकलित कर एवं उसे किताब रूप में छपा कर सभी संबंधित लोगों को प्रेषित किया गया।

13. दूरसंचार एवं सूचना प्रणाली

(ए) सी.सी.एल. के समस्त क्षेत्रों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली तथा आरएफआईडी के साथ सीसीटीवी आधारित भार नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली

सुरक्षित खाने उत्पादक खाने होती है और सीसीएल ने अपनी खानों को सुरक्षित एवं उत्पादक बनाने के लिए जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली तथा आरएफआईडी के साथ सीसीटीवी आधारित भार नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली लगाने का प्रथम कदम लिया है। कोयला मंत्रालय ने भी सीआईएल की सभी खदानों में जीपीएस द्वारा कोयले की निगरानी के लिए उचित निर्देश दिये है।

सीआईएल कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरण परिस्थिति के अनुकूल तकनीक के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं गुणवत्ता युक्त कोयला उत्पादन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। इसी दिशा में सभी जरूरतों को पूरा करते हुए सीसीएल ने एकीकृत प्रणाली मेसर्स ऑरेंज सर्विसेज प्रौद्योगिकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के द्वारा कुल लागत रू. 36.31 करोड़ में स्थापित किया है। 2150 (विभागीय, ट्रकों, डंफर एवं प्राइवेट ट्रिपर्स) वाहनों की निगरानी, आरएफआईडी के साथ सीसीटीवी आधारित भार नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली 112 रोड तुला सेतु के लिए कम्प्यूटरीकृत 52 परियोजना कार्यालय तथा 24X7 आधारित नियंत्रण कक्ष 11 क्षेत्र कार्यालय के साथ 01 केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सीसीएल मुख्यालय, राँची को सम्मिलित करते हुए एक कार्यादेश द्वारा किया गया है। यह परियोजना 05 वर्षों के लिए किराया आधारित है। यह परियोजना दो चरणों में प्रतिष्ठापित हो चुकी है।

प्रथम चरण : एन.के. एवं पिपरवार क्षेत्र

द्वितीय चरण : शेष सभी क्षेत्र (अरगड़ा, बी×के,

बरका सयाल, ढोरी, हजारीबाग, कथारा, कुजू, रजहरा तथा रजरप्पा)।

यह परियोजना कोयले की चोरी से बचाव के साथ साथ कार्यरत दक्षता, सभी उठाव तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली आरएफआईडी आधारित संरचना जैसे स्वचालित बूम बैरियर आदि और तुला सेतू पर नियंत्रण एंव निगरानी प्रणाली आरएफआईडी आधारित संरचना जैसे स्वचालित बूम बैरियर आदि और तुला सेतू पर नियंत्रण एवं निगरानी के लिए सीसीटीवी निरीक्षण प्रणाली लगेंगे। इस प्रकार के प्रणाली के लाने से श्रमिकों, खान के आसपास कार्यरत लोगों की सुरक्षा में अतिरिक्त सुधार, चालकों द्वारा नियमों के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी एवं निरंकुश चाल, तीव्र रफ्तार एवं अतिलादन से उत्पन्न दुर्घटनायें रोकी जा सकती है। वाहन एवं चालन पर निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली अनके ट्रकों को खान से सीएचपी/रेलवे साईडिंग तक की ढुलाई एवं चालन पर एकीकृत निगरानी व्यवस्था प्रदान करेगी। इस प्रणाली द्वारा नियत रास्ते से कोयले के ट्रकों की चाल पर निरंतर नजर रखते हुए कोयले की चोरी से रोका जा सकेगा। सीसीएल ने 1750 जीपीएस अपने तत्काल लक्ष्य के विरूद्ध में विभिन्न कोयले ढुलाई वाहनों पर 1800 यंत्रों को स्थापित कर चुकी है। सीसीटीवी आधारित भार नियंत्रण तथा निरीक्षण प्रणाली सीसीएल अधिकृत क्षेत्रों में लगाया गया है। कोलनेट सर्वर के साथ वीटीएस सर्वर का सॉफ्टवेयरएकीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है।

(बी) सीसीएल के लिए मोबाईल क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयुजी) नेटवर्क

किसी परियोजना का बुनियादी ढांचा उसका मेरूदंड होता है एवं खान सुरक्षा, उत्पादकता तथा क्षमता के लिए संचार महत्वपूर्ण है। आज कल मोबाइल संचार व्यवस्था, संचार का परमावश्यक हिस्सा है। अत: सीसीएल ने मोबाइल फोन के साथ एफसीटी हेतु दिनांक 19.05.2012 को 1428 सीयूजी कनैक्शन के लिए मेसर्स बीएसएनएल को एक कार्यादेश दिया है। सीसीएल के ईपीएबीएक्स को पीआरआई कनेक्टिविटी दी गई है। सीसीएल में अगस्त 2012 से प्रथम चरण का सीयूजी वाणी संचार संचालित हुआ। इसके शीध्र ही एक कार्यादेश निर्गत की गई थी तथा तत्काल पूरे क्षेत्रों में लगभग 3500 सीयूजी कनैक्शन संचालित है। सभी सीसीएल अधिकृत क्षेत्र, परियोजनाएं, कांटा घरों, केंद्रीय एकाइयों सीयूजी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल है। सीयूजी सुविधा सीसीएल के अंतर्गत विभिन्न संचालन/प्रबंधकीय अधिकारियों के बीच मुफ्त वार्ता की सुविधा प्रदान करती है। वाणी संचार के अलावे यह प्रणाली एसएमएस/जीपीआरएस एवं अन्य सुविधा भी सीयूजी उपभोक्ता को प्रदान करता है। अब सीयूजी, वाणी तथा डाटा संचार का मेरूदंड बन गया है तथा संचार में काफी सुधार हुआ है। प्रबंधन संबंधी, उत्पादन संबंधी, मीटिंग संबंधी आदि सूचना सीधे सीयूजी कनेक्शन को प्रेषित होती है। सीसीएल ई-मेल आईडी से प्राप्त ई-मेल की सूचना के लिए को सभी सीयूजी कनैक्शन को एसएमए सूचना भी भेजी जाती है।

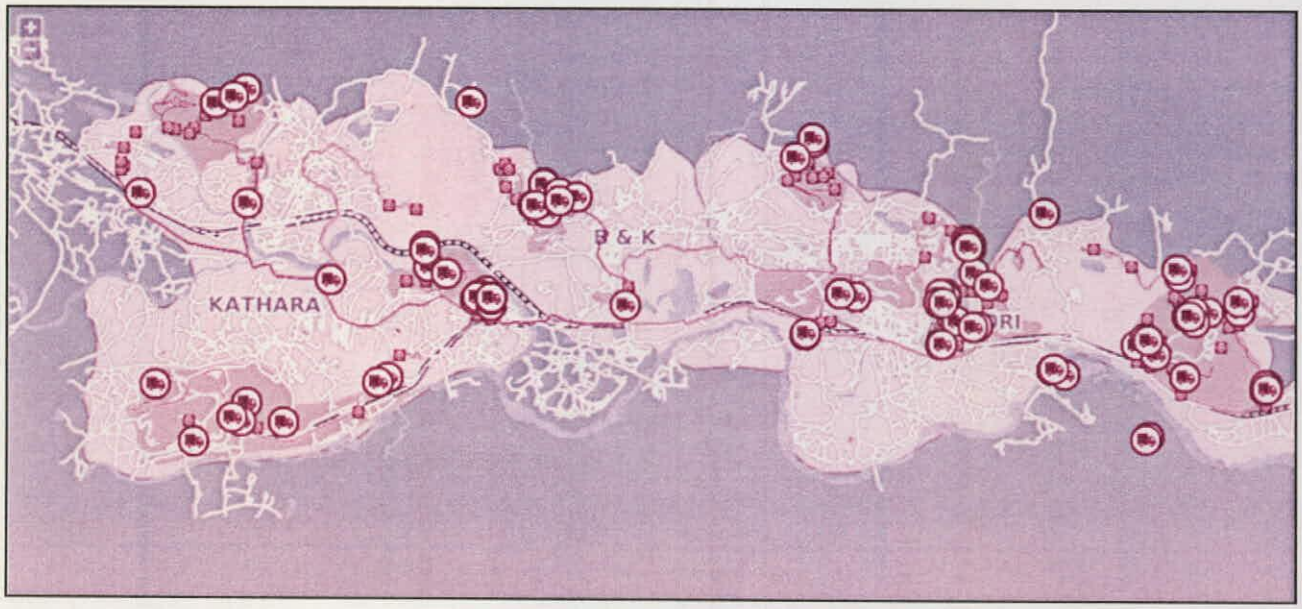

(सी) सीसीएल का वैन/लैन नेटवर्क

वर्तमान में सीसीएल द्वारा 12 अधिकृत क्षेत्रों, केंद्रीय इकाइयों के साथ तथा राँची स्थित मुख्यालय को संचालित किया जाता है। हमारे पास सुदूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, परियोजना कार्यालय, कांटा घर (रोड एवं रेलवे), क्षेत्रीय भंडार तथा सुदूर स्थित केंद्रीय एकाइयाँ हैं। सभी एकाइयों, परियोजनाओं, रोड कांटा घरों, रेल कांटाघरों, सीसीएल के क्षेत्रों के उप क्षेत्रीय भंडारों से सीसीएल मुख्यालय तथा अधिकृत क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय इकाइयों से सीसीएल मुख्यालय तक सुरक्षित जानकारी स्थानांतरण सुविधा के लिए इ & टी द्वारा वान/लैन नेटवर्क का प्रारूप तैयार किया गया है। सीसीएल में वान लगाने के लिए 05 वर्षों के किराया आधारित मेसर्स दूरसंचार सलाहकार इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया है। एमपीएलएस, वीसैट तथा आईएलएस की बैंडविड्थ सेवा मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड प्रदान करता है। सभी अधिकृत क्षेत्र, क्षेत्रीय स्टोर एवं केंद्रीय इकाइयां 2 एमबीपीएस रिडन्डन्ट एमपीएलएस लिंक ओएफसी या आरएफ लिंक द्वारा प्रदान की जाती है। सीसीएल मुख्यालय के पास 10 एमबीपीएस का रिडन्डन्ट एमपीएलएस एवं 10 एमबीपीएस आईएलएल लिंक है। 176 स्थानों पर वैन बिन्दु लगाए गए हैं तथा सभी क्षेत्र के न्यूनतम 20 बिन्दु का लैन पोर्ट हैं एवं सभी परियोजना कार्यालय को 05 बिन्दु का लैन पोर्ट दिया गया है। भविष्य में कोई भी डाटा आधारित नेटवर्क का समस्त विकास वान/लैन प्लेटफार्म पर किया जायगा। क्षेत्रों द्वारा ई-टेंडरिंग वान प्लेटफार्म पर की जाएगी। प्रणाली स्थापित किया जा चुमा है एवं सितंबर 15 से संचालित है। यह सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थानों, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर, परियोजना कार्यालय, केंद्रीय हॉस्पिटल माइन रेसक्यू स्टेशन के मध्य डाटा का आदान-प्रदान सही समय पर करेगी। यह पृष्टांश जुड़ाव सीसीएल में सुरक्षा क्षमता तथा चोरी रोकने के लिए जीपीएस/जीपीआरएस, वीटीएस एवं सीसीटीवी युक्त आरएफआईडी आधारित भार नियंत्रण एवं निरीक्षण प्रणाली के उपयोग से संभव हो पाएगा। यह प्रणाली सही समय पर सभी परियोजना कार्यालय, क्षेत्र कार्यालय & सीसीएल मुख्यालय का निरीक्षण प्रदान करेगा।

कोलनेट के सभी 06 मॉड्यूल वान/लैन नेटवर्क की सहायता से सभी सीसीएल अधिकृत क्षेत्रों में स्थापित की गई है।

(डी) सीसीटीवी आधारित कोयला प्रेषण नियंत्रण प्रणाली

कोयला की चोरी की संभावना को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन की शर्तें के अनुसार सीसीएल के 05 खानों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगाई है। पिपरवार ओसीपी, अशोका ओसीपी, डकरा ओसीपी, बचरा यूजी एवं चुरी यूजी खानें सीसीटीवी नियंत्रण प्रणाली से युक्त हैं। यह प्रणाली संतोषजनक कार्य कर रही है। स्टोर, बारूदखाना, प्रवेश निकास बिन्दु, रेल तुला चौकी एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर, सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित किया जाना है। सीसीएल अधिकृत ोत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर 300 से अधिक सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं।

(इ) पिपरवार प्रोजेक्ट के मोबाइल इंपीट क्रशर के स्टीयरिंग नियंत्रण तथा दो बेल्ट वैगन का पीएलसी आधुनिकीकरण

1922-93 के दौरान पिपरवार खदान में मोबाइल इंपीट क्रशर के साथ दो बेल्ट वेगन लगाया गया था। मशीन का औसत उत्पादन 15000 टीडीपी है। चुकि मेसर्स थाईसेनक्रुप, जर्मनी पहले ही इंगित कर चुका था कि इंपीट क्रशर के चलाने घूमने, उठाने तथा पीएलसी नियंत्रक प्रणाली इंपीट क्रशर तथा बेल्ट वैगन की जान है। कलपुर्जे की अनुपलब्धता के कारण लगातार औसत उत्पादन कम हो रही है। मशीन द्वारा प्रतिदिन 15,000 टीडीपी की उत्पादन के बनाए रखने के लिए इंपीट क्रशर तथा बेल्ट वैगन के इलेक्ट्रानिक्स स्टीरिंग कंट्रोल एवं पीएलसी प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है/इस दिशा में ओईएम से प्रस्ताव पूछा गया एवं मेसर्स थाईसेनक्रुप,संसाधन, प्रौद्योगिकी, जर्मनी (ओईएम) को यूरो 646,310 के मूल्य पर दिनांक 27.03.2013 को कार्यादेश दिया गया है। इंपीट क्रशर के अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सुधार काय आवश्यक है। कलपुर्जे भेज दिए गए है और पिपरवार क्षेत्र में प्राप्ति हो गई है। जर्मनी अभियंतावों द्वारा सफलतापूर्वक इसे स्थापन तथा प्राधिकार कार्य किए जा चुके हैं और यह मई 2015 तक प्राधिकार पत्र ले लिया गया है। प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

14. सुरक्षा (सेफ्टी)

सुरक्षा हमेशा सीसीएल के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने क लिए की गई है। सुरक्षा की दिशा में एक सावधानी

पूर्वक योजना बनाई गई है और संरक्षित दृष्टिकोण खदानों में अच्छी तरह से कार्यशालाओं के संचालन में एक लंबा रास्ता कामगारों, सामग्री और मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

''नियर मिसेस'' से घातक को लेकर हर घटना की अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जांच की जाती है और अपनी सिफारिशें यूनिट, प्रक्षेत्र और कार्पोरेट स्तर पर सभी सुरक्षा मंचों पर चर्चा की जाती है। जोखिम मूल्यांकन और सीसीएल के सभी भूमिगत और खुली खदानों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण सीआईएल से एसआईएमटीएआरएस प्रशिक्षित संकायों द्वारा पूरा किया जाता है। 31 मार्च 2016 तक 18 भूमिगत और 45 खुली खदानों के सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार किया जा चुका है।

अण्डर ग्राउण्ड खदान (भूमिगत खदान)

भूमिगत कोयला खदानों में घातक/गंभीर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक फॉल ऑफ रूफ एण्ड साइड है। स्टील कॉग्स, पिट प्रॉप्स, रूफ बोल्ट्स, डब्ल्यू-पट्टियाँ आदि का उपयोग 'ग्रीन रूफ सपोर्ट' के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ब्लास्टिंग के तुरंत बाद कोल फेस में रूफ सपोर्ट के अलावा कोई भी कम नहीं किया जाता है। कोल फेस उपकरणों और उनके लिए आवश्यक रख-रखाव के निरीक्षण का कार्य कुशल कार्य बल की एक सुसज्जित टीम के द्वारा किया जाता है।

सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के अनुपालन करने हेतु, विशेष अभियान के द्वारा सभी भूमिगत खदानों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी खदानों को लोडर लेस किया जा रहा है। सीसीएल में 27 एसडीएल और 5 एलएचडी भूमिगत खदानों में कार्यरत हैं। वर्तमान (1.04.16 तक) में 26 वर्किंग डिस्ट्रिक्ट में मैनुअल लोडिंग के साथ काम किया जा रहा है। यह योजना बनाई गई है कि 2016-17 के तक और पांच वर्किंग डिस्ट्रिक्ट मे 17 किया लोडर लेस किया जाएगा। दो भूमिगत खदानों खुली खदानों में परिवर्तित किया जाएगा। एक भूमिगत खदान (सिरका) बंद करने की योजना बनाई गई है। अरगडा भूमिगत खदान के मैनुअल काम करने की व्यवहार्यता अध्ययन के बाद यांत्रिक कामकाज के लिए परिवर्तित किया जाएगा।

ओपेन कास्ट खदान (खुली खदान)

कंपनी के कुल उत्पादन में खुली खदानों का हिस्सेदारी के अधिक है अत: विशेष जोर सुरक्षा और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उच्च क्षमता और प्रौद्योगिकी के मामले में मशीनीकरण पर विशेष प्रोत्साहन के साथ दिया जाता है। संचालन और एचईएमएम के रखरखाव के लिए एचईएमएम ऑपरेटरों/रखरखाव कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खुली खदान से संबंधित विभिन्न ड्राइव वर्ष भर में आयोजित की जाती है जैसे हॉल रोड, बेंच स्थिरता, सुरक्षित संचालन प्रक्रिया (एसओपी), प्रकाश और सुरक्षित ब्लास्टिंग ऑपरेशन आदि की कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्पादन में ठेकेदार की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। अत: उनके प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा ठेकेदार के श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्यारहवीं सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिश के कार्यान्वयन पर एक सुरक्षा ड्राइव का आयोजन किया गया है। किसी भी आपालकालीन स्थिति से निपटने तथा आग से उत्पन्न स्थिति से निपटने के ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एण्ड सप्रेशन सिस्टम एचईएमएम में स्थापित किया जा रहा है।

जोखिम आधारित व्यवस्थित प्रबंधन

सभी खदानों के लिए जोखिम आधारित व्यवस्थित प्रबंधन तैयार की गई है तथा इसे सुरक्षा क स्तर में सुधार लाने के लिए एक आधुनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षित संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है तथा एसओपी को सभी संबंधित पक्षों संबंधित पक्षों तथा आउटसोर्सिंग के ठेकेदार श्रमिकों को वितरित कर दिया गया है।

वैज्ञानिक अध्ययन

वैज्ञानिक वर्ष 2015-16 में सीएमपीडीआईएल द्वारा किए गए अध्ययन

1. हेसागरहा खुली पैच पर डीजीएमएस से डीप होल ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।
2. रजरप्पा ओसीपी के सेक्टर III में डीजीएमएस से डीप होल ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।
3. डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त करने के लिए बालकुदरा खदान आउटसोर्सिंग पैच पर साइंटिफिक ट्रायल ब्लास्टिंग का उपयोग कर एलडी/एसएमई/एसएमएस का आयोजन।
4. डीजीएमएस से डीप होल ब्लास्टिंग अनुमति प्राप्त करने के लिए कुजू ओसीपी में hutments / आवास से 300

मीटर की दूरी के भीतर काम करने के लिए कुजू ओसीपी की आउटसोर्सिंग पैच पर साइंटिफिक ट्रायल / कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जा रहा है।

5. आउटसोर्सिंग पैच, झारखंड ओसीपी, हजारीबाग क्षेत्र के लिए कुजू ओसीपी में hutments / आवास से 300 मीटर की दूरी के भीतर काम करने के लिए कुजू ओसीपी की आउटसोर्सिंग पैच पर साइंटिफिक ट्रायल / कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जा रहा है।

6. एसएमई के लिए हटमेंट / आवास से 100 मीटर 300 मीटर की दूरी या सीएमआर 170 और 170 (1बी) के तहत महुआ टूंगरी अनुभाग और खाईबरटोला / गांव के किसी भी अन्य ढांचे के भीतर का उपयोग कर कर्मा ओसीपी में डीप होल कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।

7. सारुबेरा पूर्व भूमिगत का 3-सी इन्क्लाइन का सीम I, डाउन थ्रु फॉल्ट एफ - 38 में डिग्री ऑफ गैसीनेस का डिग्री का निर्धारण।

8. उत्तर rimari ओसीपी के पश्चिम खदान, बरका-सयाल क्षेत्र में पैच आउटसोर्सिंग पर कोयला एवं ओबी की बेंच मार्क पाउडर कारक (पावडर फैक्टर)का निर्धारण।

9. अशोक ओसीपी में वैज्ञानिक परीक्षण / कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग का आयोजन बरवाटोला, तमरास्टैण्ड, थेना और बैजन गांव में किया जा रह है ताकि 100 मीटर दूरी से बाहर 300 मीटर के दायरे गांव की स्ट्रक्चर / हटमेंट्स को नुकसान नहीं हो।

10. पश्चिम खदान आम्रपाली ओसीपी में वैज्ञानिक परीक्षण / कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग का आयोजन बिंगलट की मनवाटोंगरी टोला गाँव में किया जा रहा है ताकि 100 मीटर दूरी से बाहर 300 मीटर के दायरे गाँव की स्ट्रक्चर / हटमेंट्स को नुकसान नहीं हो। जो कि सी एम आर 170 (1ए) और सी एम आर 170 के तहत है।

वार्षिक सुरक्षा सप्ताह

वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2015 डीजीएमएस (एसईज़ेड जोन और सेंट्रल जोन) के मार्गदर्शन में सीसीएल के सभी भूमिगत और खुली खदानों में 15.12.2015 से 23.12.2015 तक मनाया गया। वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2015 के दौरान सुरक्षा नियमों, विनियमन और प्रथाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया। वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2015 का समापन समारोह 20 अप्रैल 2016 को कुजू क्षेत्र में आयोजित किया गया।

विशेष सुरक्षा ड्राइव :

विशेष सुरक्षा ड्राइव काम लोगों के बीच विशेष क्षेत्रों में सुरक्षा मानक और जागरूकता बढ़ाने के लिए सीसीएल के खदानो में आयोजित की गई।

1. मानसून तैयारी पर सुरक्षा ड्राइव ओपन कास्ट माइंस में और 18.05.2015 से 29.05.2015 तथा अंडर ग्राउंड माइंस में 05.06.2015 से 11.06.2015 तक आयोजित किया गया है।

2. धूल दमन उपायों और आयोजन समिति में ब्लास्टिंग अरैजमेंट पर ड्राइव। 20.07.2015 से 29.07.2015 तक आयोजित किया गया।

3. प्रकाश व्यवस्था और कैंटीन की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा ठेकेदार श्रमिकों के लिए सुरक्षा ड्राइव 31.08.2015 से 11.09.2015 तक आयोजित किया गया।

4. जोनल खान बचाव प्रतियोगिता 06.10.2015 को आयोजित किया गया।

5. सीसीएल के सभी भूमिगत एवं खुली खदानों में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह दिनांक 15.12.2015 स 23.12.2015 तक मनाया गया।

जीवीटी केन्द्र

सीसीएल में श्रमिकों को 10 समूह व्यावासायिक प्रशिक्षण केन्द्र (जीवीटीसी) और 03 (वीटीसी) में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। सुधार और बेसिक, पुनश्चर्या और विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे कामगारों के कौषल को बढ़ावा देने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर, मॉडल, प्रशिक्षण गैलरी आदि के रूप में आधुनिक प्रशिक्षण केन्दें में प्रदान किया गया है।

अखिल भारतीय खदान बचाव प्रतियोगिता 2015 में प्रदर्शन

अखिल भारतीय खदान बचाव प्रतियोगिता खान बचाव स्टेशन, मनीन्द्रगढ़, 04.12.2015 से (एएफडीएसएस) 08.12.2015 तक एसईसीएल में आयोजित किया गया था। कुल 22 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सीसीएल से दो टीमों अर्थात 'ए' और 'बी' प्रतियोगिता में भाग लिया।

सीसीएल की टीम ने प्रतियोगिता में निम्नलिखित पुरस्कार -

1. रिकवरी वर्क में विशेष पुरस्कार — सीसीएल टीम-ए।
2. फ्रेस एयर बेस — द्वितीय श्रेष्ठ टीम-बी।

सुरक्षा पर विशेष ध्यान

वर्ष 2015-16 में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विशेष कार्य किया गया।

सीसीएल की खदानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपकरणों को खरीदा गया है।

क्र. सं.	विशेष जोर
1.	सुरक्षा बढ़ाने के लिए 19 मल्टी गैस डिटेक्टर क्षेत्र में दिये गये।
2.	क्षेत्रों में 59 फ्लेम सेफ्टी लैम्प खरीदे गये और वितरित किये गये।

इसके अलावा वर्ष 2016-17 में विभिन्न सुरक्षा उपकरण जैसे लोकल मिथेन डिटेक्टर, टॉक्सिमीटर, एलइडी कैप लैम्प्स इत्यादि का खरीदने कि प्रक्रिया जारी है।

सर्वेक्षण और सर्वेक्षण समर्थन उपकरणों की खरीद

वर्ष 2015-16 में सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने तथा ढलान निगरानी के लिए सर्वेक्षण और सर्वेक्षण का समर्थन उपकरणों का खरीद किया गया है और विभिन्न भूमिगत और खुली खदानों में बाँट दिया गया है। इन आधुनिक उपकरणों का परिचय काफी हद तक सर्वेयर की दक्षता में वृद्धि होगी।

इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन	30
प्लॉटर	30
सर्वे सॉफ्टवेयर	30
कम्प्यूटर	30
प्रिंटर	30
स्कैनर प्रिंटर	01
लैपटॉप	01
ऑटो लेवेल	18
डिजिटल लेवेल	08

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2016-17 में हमारे सर्वेक्षण कार्य में दक्षता लाने के लिए हमारी सुरक्षा और सटीकता को बढ़ाने के लिए और अधिक आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद के लिए प्रस्ताव शुरू किया गया है।

3डी लेजर स्कैनर	02
लार्ज साइज स्कैनर	30
स्कैनर प्रिंटर	08

वर्ष 2015-16 के लिए सीसीएल खदानों में संबंधित दुर्घटना सांख्यिकी वर्ष 2014-15 की तुलना में

विवरण	2015-16	2014-15
घातक दुर्घटना	02	06
घातक	02	06
गंभीर दुर्घटना	07	11
गंभीर चोट	08	11

नोट : एक है कि दिनांक 05.01.2015 को जो गंभी चोट हुई थी वह 29.07.2015 में पर घातक दुर्घटना में बदल गया है, वर्ष 14-15 के लिए इसलिए संशोधित आंकड़ों, ऊपर दिखाया गया है, जहां से एक गंभी चोट साल 14-15 और एक घातक दुर्घटना में कम हो गया है तथा वर्ष 15-16 में घातक दुर्घटना जोड़ा गया।

दुर्घटना का वर्गीकरण, स्थानानुसार

	2015-16	2014-15
घातक		
अण्डर ग्राउण्ड	0	1(1)
ओपनकास्ट	1	1(1)
एबॉव ग्राउण्ड	1	4(4)
कुल	**2(2)**	**6(6)**
गंभीर		
अण्डर ग्राउण्ड	3(3)	3(3)
ओपनकास्ट	2(2)	2(2)
एबॉव ग्राउण्ड	2(3)	6(6)
कुल	**7(8)**	**11(11)**

दुर्घटना की दर

सम्पूर्ण	2015-16	2014-15
प्रति मिलियन क्यू. मी. घातक दर	0.01	0.04
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट घातक दर	0.06	0.18
प्रति मिलियन क्यू. मी. गंभीर चोट दर	0.05	0.08
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट गंभीर चोट दर	0.25	0.34
भूमिगत खदान		
प्रति मिलियन क्यू. मी. घातक दर	0.00	5.09
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट घातक दर	0.00	0.31
प्रति मिलियन क्यू. मी. गंभीर चोट दर	6.74	8.49
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट गंभीर चोट दर	0.44	0.51
खुली खदान		
प्रति मिलियन क्यू. मी. घातक दर	0.01	0.02
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट घातक दर	0.09	0.13
प्रति मिलियन क्यू. मी. गंभीर चोट दर	0.03	0.04
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट गंभीर चोट दर	0.18	0.26

कारण घातक और गंभी दुर्घटना का विवरण

कारण	2015-16		2014-15	
	जानलेवा	गंभीर	जानलेवा	गंभीर
रूफ / साइड फॉल	0	—	1(1)	—
हॉलेज / कन्वेयर	0	2(2)	—	—
विद्युत	0	2(3)	—	1(1)
अन्य मशीन / शॉवेल	1	—	2(2)	3(3)
व्यक्ति का पतन	1	2(2)	1(1)	3(3)
वस्तु का पतन / बेंच स्लाइड	0	—	—	3(3)
डम्पर और ट्रक	0	1(1)	2(2)	1(1)
विभिन्न यूजी / पानी घुसाव	0	—	—	—
छत गिरना	0	—	—	—
विभिन्न सरफेस सस्पेन्स रेप.	0	—	—	—
कुल	**2(2)**	**7(8)**	**6(6)**	**11(11)**

दुर्घटनाओं का क्षेत्रवार विश्लेषण

क्षेत्र	2015-16		2014-15	
	जानलेवा	गंभीर	जानलेवा	गंभीर
बरका-सयाल	0	2(2)	2(2)	4(4)
अरगडा	0	1(1)	1(1)	2(2)
कुजू	0	1(2)	शून्य	शून्य
हजारीबाग	0	1(1)	शून्य	शून्य
बी. एण्ड के.	2	1(1)	शून्य	1(1)
ढोरी	0	शून्य	शून्य	शून्य
कथारा	0	1(1)	1(1)	2(2)
रजरप्पा	0	शून्य	शून्य	शून्य
एन. के.	0	शून्य	शून्य	1(1)
पिपरवार	0	शून्य	2(2)	शून्य
रजहरा	0	शून्य	शून्य	1(1)
योग	2(2)	7(8)	6(6)	11(11)

आपकी कम्पनी को 2015-16 में 34% और 64% घातक दुर्घटना और गंभीर दुर्घटना दर प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन पर सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष के लक्ष्य 3% की तुलना में गंभीर एवं घातक दुर्घटना की दर प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन पर है।

15. कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक सम्बंध

31.03.2016 को कम्पनी की श्रमशक्ति 43681 थी जबकि 31.03.2015 को यह 45011 थी। 31.03.2016 और 31.03.2015 की तुलनात्मक कोटिवार श्रमशक्ति निम्न दी जा रही है:

कैटेगरी	31.3.2016	31.3.2015
अधिकारी	2590	2706
सुपरवाइजरी	3377	3398
अतिकुशल/कुशल	14131	14574
अर्ध कुशल/अकुशल (दैनिक कामगार)	17205	16822
अर्ध कुशल/अकुशल (पीस रेटेड कामगार)	1946	3028
लिपिक वर्गीय कामगार	3827	3878
अन्य	605	605
योग	**43681**	**45011**

अत: वर्ष 2015-16 के दौरान 2574 श्रमशक्ति की कमी आई जबकि इस दौरान 1244 श्रमशक्तियों का योगदान हुआ।

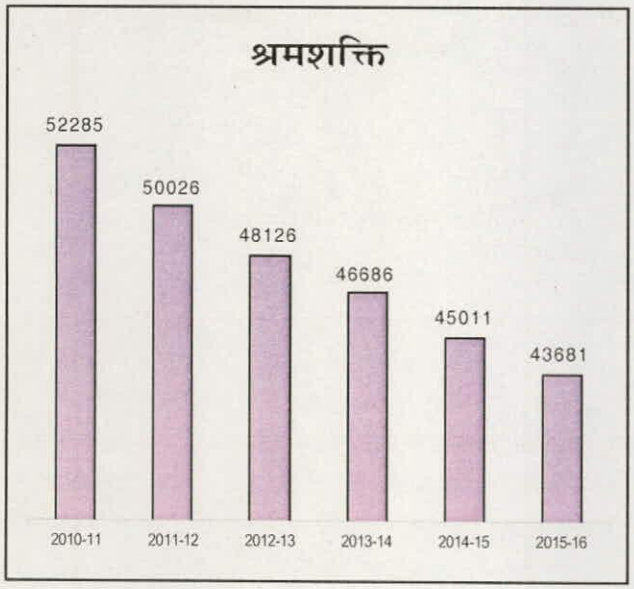

अत: इस वर्ष (2015-16) में कुल 1330 श्रमशक्ति की कमी आई।

उपर्युक्त श्रमशक्ति की कमी एवं योगदान निम्न कारणों से दर्ज की गई :

कमी :

श्रमशक्ति में कमी का कारण	कर्मचारियों की संख्या (31.03.2016)
सेवानिवृति	1756
स्वैच्छिक सेवानिवृति	10
निधन	369
बर्खास्तगी पत्र/कार्यमुक्त	31
त्यागपत्र	13
अंतर कम्पनी स्थानांतरण	54
चिकित्सीय अयोग्य	35
अन्य	306
कुल कमी	**2574**

अभिवृद्धि :

श्रमशक्ति में योगदान का कारण	कर्मचारियों की संख्या (31.03.2016)
9.3.0. के अंतर्गत नियुक्ति	404
9.4.0. के अंतर्गत नियुक्ति	26
अधिकारी के निधन के उपरांत आश्रितों के नियुक्ति	01
जमीन अधिग्रहण स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति	313
अंतर कम्पनी स्थानांतरण	37
पुन: बहाली	15
बाहरी बहाली	269
पुरस्कार मामला	0
अन्य	179
कुल	**1244**

2015-16 के शुरूआत में श्रमिक एवं औद्योगिक विवाद के 1007 मामले विभिन्न न्यायलयों प्राधिकारों (Authorities) एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थे। वर्ष 2015-16 के दौरान श्रमिक एंव औद्योगिक विवादों में 109 केसों का योग हुआ जबकि इस दौरान 93 केसों का निपटारा किया गया। अत: 31.03.2016 को कुल 1023 केसा लंबित थे।

औद्योगिक संबंध विभाग द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं एंव विवादों पर लिये गये सतत प्रयासों के चलते 2015-16 में कम्पनी का औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहा। इस वर्ष के दौरान इकाई, क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर विभिन्न यूनियनों के साथ हमेशा द्विपक्षीय वार्ता की गई। औद्योगिक संबंध व्यवस्था के अंतर्गत कम्पनी स्तर पर संयुक्त सलाहकार संचालन समिति, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सलाहकार समिति एवं इकाई स्तर पर ईकाई सलाहकार समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श के बाद कलेक्टिव बरगेनिंग के मुद्दों का निपटारा किया गया जिसके कारण कामगारों में कम्पनी के प्रति सदभावना का सृजन हुआ।

शांतिमय औद्योगिक संबंध बनाये रखने एवं समाज के अपने उत्तरदायित्व के अंतर्गत कम्पनी ने सामाजिक सुरक्षा के तहत 9.3.0./9.4.0. में 430 भूतपूर्व कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी और उसी प्रकार 2015-16 के दौरान 313 लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई। इस वर्ष के दौरान 4021 कर्मचारियों का उच्च पदों पर प्रोन्नति/चयन किया गया तथा 981 अतिरिक्त पीसरेटेड कर्मचारियों का दैनिक कर्मचारियों का दैनिक कर्मचारियों में परिवर्तित किया गया। इसके अलावा 16 कर्मचारियों का चयन माईनिंग सरदार के पद पर किया गया।

15.1 भर्ती

भर्ती विभाग की उपलब्धियों की मुख्य बातें - वर्ष 2015-16 के लिए

वर्ष 2015-16 में सीसीएल ने भिन्न भर्ती गतिविधियों को सम्पन्न किया। इस साल सीसीएल ने देश के युवाओं के लिए रोजगारक के अत्यधिक अवसर प्रदान किए और विभिन्न वैधानिक तथा गैर- वैधानिक श्रमशक्ति की भर्ती द्वारा देश के कोयला मांगों को पूरा करने के लिए योगदान दिया।

मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है....

1. भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क की ई-भुगतान पद्धति की शुरूआत के साथ-साथ पूरी तरह से ऑनलाइन रूप से आवेदन आमंत्रित करने की विधि शुरू करने से सीसीएल की भर्ती प्रक्रिया को समय और लागत प्रभावी बनाने की ओर एक कारगर कदम उठाया गया है।

2. अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और सीसीएल के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए माइनिंग सरदार-ट्रेनी की चयन प्रक्रिया शुरू की गयी है जिससे ना सिर्फ रोजगार के अवसर सामने आएंगे बल्कि इससे युवाओं को प्रशिक्षित/विकासशील बनाने की पहल भी की गई है।

3. पहली बार, पैरा मेडिकल कैडर में विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान आयोजित किया गया जिससे उके लिए रोजगार पाने का और देश के लिए योगदान का अवसर प्रदान किया गया।

4. सीसीएल ने अनुसूचित जाती/अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन, डिप्टी सर्वेयर, इलेक्ट्रिशियन (नॉन-एक्सकवेशन), ई. पी. इलेक्ट्रिशियन तथा असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिशियन) में विशेष भर्ती प्रक्रिया को सम्पन्न किया।

5. ओएमआर मशीन द्वारा ओएमआर शीट पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत माध्यम से मूल्यांकन। ओएमआर मूल्यांकन की सेवाएं कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों को जैसे ईसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीएमपीडीआई और सीसीएल के विभिन्न विभागीय परीक्षावों के लिए प्रदान की जाती हे।

6. सीसीएल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट को भी ओएमआर मशीन द्वारा ओएमआर शीट पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत माध्यम से मूल्यांकन की सुविधा कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोबेशन क्लोशर परीक्षा के लिए प्रदान करना शुरू किया है।

7. निम्नलिखित 1035 रिक्तियों में बाह्य भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसके पूर्ण होने पर सीसीएल में जरूरी वैधानिक तथा नॉन वैधानिक मैनपावर की जरूरत को पूरा किया जाएगा।

क्र	पद	रिक्तियाँ
1	माइनिंग सरदार	349
2	जूनियर ओवरमैन	148
3	डिप्टी सर्वेयर	40
4	असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)	143
5	इलेक्ट्रिशियन (नॉन एक्सकार्बेशन)	198
6	ओवरसीयर (सिविल)	33
7	असिस्टेंट रेविन्यू इंस्पेक्टर	14
8	ईपीइलेक्ट्रिशयन	64
9	स्टाफ नर्स	39
10	टेकनिशियन (रेडियोग्राफर)	1
11	फार्मासिस्ट	04
12	टेकनिशियन (पैथोजोजीकल)	01
13	टेकनिशियन (डेंटल)	01
	कुल	**1035**

16. मानव संसाधन विकास

वर्ष 2015-16 में विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण / वर्कशॉप / सेमिनार में भाग लेने का विवरण :

	प्रशिक्षण		वर्कशॉप / सेमीनार	
	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी
कम्पनी में				
एमटीसी	276	914	314	498
बीटीटीआई	—	787	—	—
सीईटीआई	—	662	—	—
एसटीआई	—	38	—	—
आईओएमएच	—	—	—	—
ग्रुप वीटीसी	—	14138	—	—
उप योग	**276**	**16539**	**314**	**498**
वाह्य (कम्पनी के बाहर सीसीएल/सीआइएल)	**495**	**122**	**144**	—
आईआईसीएम (राँची)	**567**	—	—	—
ओवरसीज	06	—	—	—
कुल योग	**1344**	**16661**	**458**	**498**

उपलब्धि 2015-16 और एमओयु टार्गेट

मापदंड	इकाई	वेट (%)	एमओयु लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के लिए	मार्च' 16 तक उपलब्धि	एमओयु रेटिंग
कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	10	23	सर्वश्रेष्ठ
रिस्क प्रबंधन पर प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	12	23	सर्वश्रेष्ठ
कर्मचारियों का 5 दिन एवं ज्यादा का प्रशिक्षण / कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	कर्मचारियों का %	1	35	38.40	सर्वश्रेष्ठ
कर्मचारियों के श्वास संबंधी बीमारी का परीक्षण	कर्मचारियों का %	1	33	34.4	सर्वश्रेष्ठ

वर्ष 2015-16 के दौरान उपलब्धि

1. समाज को जोड़ने तथा भविष्य की आद्योगिक आवश्यकता पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न खनन संस्थानों के 537 विद्यार्थियों ने पी डी पी टी/माईनिंग सरदार की प्रारम्भिक कोर्स किया (प्रिपरेटरि कोर्स फॉर माईनिंग सरदार परीक्षा 397 + पी डी पी टी 140)।

2. विभिन्न संस्थानों/कॉलेज में इंजीनियरिंग/एमबीए/बीबीए/एमसीए/बीसीए कर रहे 1291 विद्यार्थियों को कार्य प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

3. परियोजना प्रबन्धकों का विशेषज्ञ ग्रुप तैयार करने के उद्देश्य से 20 अधिकारियों ने प्रबंधन प्रशिक्षण के सर्टिफाईड पाठ्यक्रम में भाग लिया तथा 23 अधिकारियों ने कंट्रैक्ट प्रबंधन प्रशिक्षण में भाग लिया। 23 अधिकारियों ने रिस्क प्रबंधन प्रशिक्षण में भाग लिया।

4. संगठन में प्रतिभावानों की आपूर्ति करने में तथा परियोजना प्रभावित लोगों और अन्य को कमांड क्षेत्र में रोजगार की सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से आपकी कम्पनी में सीसीएल बी. टी. टी. आई., भुरकुंडा में नवंबर, 2014 में बी. टी. टी. आई. का पहला सेसन शुरु कर दिया गया है जिसमें 20 छात्र है।

दूसरा सेसन अगस्त, 2015 में शुरु हुआ जिसमें 19 छात्र है।

5. सामुदायिक विकास और समाज को प्रभावित करने के लक्ष्य से सी. ई. टी. आई., बरकाकाना में सीसीएल ने एक मल्टी स्किल डेवलेपमेंट सेंटर बनाने की पहल की है और देश के स्किल डेवेलपमेंट मिशन के तहत औरों के लिए भी यह एक प्रयास है। सी. ई. टी. आई., बरकाकाना मल्टी स्किल डेवेलपमेंट सेंटर में दो विषयों (इलेक्ट्रिशियन एवं वेल्डर) की पढ़ाई हो रही है एवं 25-25 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिशियन एवं वेल्डर कोर्स में लिया गया है। इन दोनों कोर्स की अवधि छः-छः महीनों की है।

6. भू-स्थापन, पर्यावरण और वन प्रबंधन पर इस वर्ष 13 अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

7. दूसरी सुविधाओं में वाईड एरिया नेटवर्क जहाँ पूरे उद्योग का एकत्रित डाटा और फ्रेमवर्क है तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए आरएफआईडी का कोल का परिवहन और लॉजीस्टिक की सूचना साथ ही नए (बैलेंस स्कोर कार्ड) जो संस्था में मूल्यांकन पर आधारित है, इन सभी को लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग सीसीएल ने विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित की तथा ऑटो कैड एवं लीस कैड पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 39 अधिकारियों एवं 49 कर्मचारियों ने भाग लिया।

8. डीजीएमएस द्वारा एमटीसी विभाग में वर्कमैन इन्स्पेक्टर का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें माईनिंग के 14 और विद्युत तथा यांत्रिकी के 25 वर्कमैन इन्स्पेक्टर ने भाग लिया।

9. फर्स्ट क्लास एवं सेकेंड क्लास माईनिंग मैनेजर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कोचिंग के दो कार्यक्रमों का एमटीसी में आयोजन किया गया जिसमें 37 अधिकारियों ने एवं 64 कर्मचारियों ने भाग लिया।

10. सुपरवाईजरी पर्सनल के लिए एमटीसी एचआरडी में 6 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 42 ओवरमैन ने भाग लिया।

11. कर्मचारी से अधिकारी बनने हेतु परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एमटीसी एचआरडी में आयोजित किया गया जिसमें 400 कर्मचारियों ने भाग लिया।

17. कल्याण और सामुदायिक विकास

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एक मिनीरत्न कम्पनी है जो हमेशा समग्र विकास के साथ उत्पादन तथा कल्याण कार्यों पर केन्द्रित रहा है।

सीसीएल ने बहुयामी दृष्टिकोण के साथ कल्याण स्वास्थ्य पारिवारिक कल्याण, शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता के दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सीसीएल के द्वारा (गरीबों, ग्रामीणों, और मजदूरों को सर्वांगीण विकास का नारा कायाकल्प योजना के तहत अपनाया है। कल्याण विभाग अपना कार्य तथा दायित्व कम्पनी के उद्देश्य के समन्वय के साथ निभा रहा है।

विशेष कार्य क्षेत्र निम्नलिखित

इस विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य पर विशेष जोर डाला जाता है :

- **जलापूर्ति :** कम्पनी के राष्ट्रीय करण के बाद से जलापूर्ति की समस्या पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका है। एक जूट प्रयासों के साथ साफ तथा नियमित पेयजल के आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में 12 जल प्रासोधन उपचार संयंत्र, 208 बोर होल, 150 चापानल और 100 खुले कुएँ उपयोग में लाये जा रहे हैं।

- **स्वास्थ्य :** प्राथमिक सेवा हमारे चिकित्सालय तथा दवाखान के द्वारा प्रदान की जाती है। और केन्द्रीय चिकित्सालय के द्वारा अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

  सीसीएल के तहत निम्नलिखित 4 केन्द्रीय चिकित्सालय हैं :

  - गांधीनगर अस्पताल
  - केन्द्रीय अस्पताल, नई सराय
  - केन्द्रीय अस्पताल, ढोरी
  - केन्द्रीय अस्पताल, एन के

आधारभूत संरचना

चिकित्सालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली मूल्य वर्धित सेवाएँ :

1. **सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी** तथा **निओरोलॉजी** में विशेष सुविधा गांधीनगर चिकित्सालय में **डॉ. राजीव रथी,**

मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली तथा डॉ. पी. के. कच्छला, कांति यसोदा अस्पताल, हैदराबाद के द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	चिकित्सा सुविधाएँ	संख्या
1.	अस्पताल	
	• केन्द्रीय अस्पताल	4
	• क्षेत्रीय अस्पताल	10
	• मण्डलीय अस्पताल	5
2.	बेड	892
3.	दवाखाना	63
4.	डॉक्टर्स	231
5.	एंबुलेंस	111

2. **डॉ. मनीष सुनेजा छाती रोग विशेषज्ञ, डॉ. कमेस्वर प्रसाद, विभागाध्यक्ष, तंत्रिका-विज्ञान तथा डॉ. संदीप महाजन, नेफ्रोलॉजिस्ट अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, नई दिल्ली** के द्वारा गांधीनगर अस्पताल में प्रदान की जाती है।

3. गांधीनगर, राँची में स्थित **क्रिटिकल केयर यूनिट** जिसमें 17 बेड हैं, उनकी स्थित निम्नलिखित हैं :

1.	आईसीयू	06
2.	सीसीयू	05
3.	डायलेसिस	03
4.	स्वास्थ्य	03

चिकित्सा शिविरों की संख्या : 460

लाभार्थियों की संख्या : 94647

❖ **शिक्षा** : सीसीएल अपने कर्मचारियों के बच्चो को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

❖ उचित शिक्षा के लिए सीसीएल के द्वारा स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका ब्यौरा 2015-16 के लिए निम्नलिखित है :

डी. ए. वी. स्कूल	–	रु. 183994471
केन्द्रीय विद्यालय	–	रु. 22880227
निजी संचालित विद्यालय	–	रु. 14364000

छात्रवृत्ति : सीसीएल के द्वारा निम्नलिखित योजना के तहत सीसीएल के कर्मचारियों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो निम्नलिखित हैं :

सीआईएल छात्रवृत्ति

क्र. सं.	विवरण	रकम (लाख में)	
		2014-15	2015-16
1.	खर्च	17.16	17.38
2.	छात्रों की संख्या	1004	919

शिक्षण शुल्क की अदायगी

एनसीडब्लूए – IX के तहत कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली शुल्क की अदायगी की रकम निम्नलिखित है :

क्र. सं.	विवरण	रकम (लाख में)	
		2014-15	2015-16 (अप्रैल, 2016 तक)
1.	खर्च	12.12	21.26
2.	छात्रों की संख्या	23	42
		साथ में - 4 (आई. आई. टी.) 7 (एन. आई. टी.) 3 (आई. एस. एम.) 2 (बी. आई. टी.) तथाअन्य सरकारी इंजीनियरिंग तथा मेडिकल संस्थाएँ।	साथ में - 8 (आई. आई. टी.) 8 (एन. आई. टी.) 5 (आई. एस. एम.) 2 (बी. आई. टी. तथा अन्य सरकारी इंजीनियरिंग तथा मेडिकल संस्थाएँ।

- **सी. सी. बी. एफ. छात्रवृत्ति योजना**

इस योजना के तहत वैसे कर्मचारियों जो इस योजन के सदस्य हैं, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका रकम निम्नलिखित है :

क्र. सं.	विवरण	रकम (लाख में)	
		2014-15	2015-16
1.	खर्च	21.77	18.25
2.	छात्रों की संख्या	758	658

खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम

झारखण्ड राज्य खेल प्राधिकरण समिति (जेएसएसपीएस) जी आर एएमआईएन क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन सीसीएल के द्वारा विभिन्न खेलों के कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा सीसीएल ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देते हुए अपनी कौशल तथा प्रतिभा दिखाने का मौका देती है। उन्हें प्रोत्साहन देते हुए एक प्रतिस्पर्धात्मक आयोजन में भी भाग लेने का मौका देती है।

सीसीएल विभिन्न खेल संस्थाओं को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने में सहायता करती देती है। सीसीएल ने झारखण्ड सरकार के साथ एक एम. ओ. यू. किया है, जिसमें खेल प्राधिकरण तथा महाविद्यालय मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल राँची में खोलने का निर्णय लिया गया है। कुल 15 स्पोर्ट्स आकदमी खोले जाएंगे जिसमें सीसीएल 350 खेल में रूचि रखनेवाले बच्चों को दाखिला दिया जाएगा।

निम्नलिखित सुविधा इस एकेडमी के द्वारा प्रदान की जाएगी —

1. खेल प्रशिक्षण।
2. खेल सामग्री।
3. रहने और खाने की सुविधा।
4. शिक्षा
5. स्वास्थ्य सुविधा।
6. व्यवसायिक ट्रेनिंग।
7. विभिन्न खेल प्रतियोगिता।

❖ **कैंटीन सुविधाओं में सुधार :** कैंटीन को सुधारने के दिशा में सीसीएल द्वारा अपने क्षेत्रों में तथा मुख्यालय के कैंटीन में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 15 एसी कैंटीन सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। मुख्यालय के कैंटीन में सी. सी. टी. वी. लगाया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, कि अच्छा खाना कम दाम में कर्मचारियों को मुहैया करायी जाए।

❖ **सीसीएल कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों स्वास्थ्य सामग्री का वितरण :** सीसीएल कर्मचारियों को ड्रेस एप्रन, ग्लब्स, टोपी और अन्य सामग्री प्रदान की गई है। इसी प्रकार की सुविधा सभी क्षेत्रों के कैंटीन कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।

❖ **सफाई कर्मचारियों को सामग्री वितरण :** सीसीएल के द्वारा सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के सामग्री का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि सीसीएल इस विषय को काफी गंभीरता से लेता है।

❖ **कल्याण विभाग की विशेष उपलब्धि :**

- **योग शिविर :** सीसीएल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को योग शिविर एवं साथ में तनावमुक्त प्रबंधन से सम्बन्धित आयोजन सफलतापूर्वक सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया गया।

- **विश्व आदिवासी दिवस :** विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, 2015 को पूरे धूमधाम एवं उत्साह पूर्वक मनाया गया। सीसीएल एवं कमान क्षेत्रों

में कर्मचारियों तथा भावी सहयोग से इस आयोजन को सफल बनाया गया। जिसमें खेल जगत से जुड़े उत्कृष्ट लोगों को धन्यवाद दिया गया। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- **राष्ट्रीय एकता दिवस :** राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, 2015 को सीसीएल हेड क्वार्टर और पूरे कमान क्षेत्रों में मनाया गया। मनाने का उद्देश्य भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उक्त आयोजन किया गया। भारत को एकजुट रखने में उनका अहम योगदान था। इस दिवस पर सभी कर्मचारियों मज़दूरों और श्रम संगठन प्रतिनिधियों को शपथ लेने एवं संकल्प पत्र पढ़ने का निमंत्रण दिया गया, तथा एक अवसर दिया गया, की हम अपने देश के अंतर्निहित शक्ति एवं लचीलेपन को पुन: पुष्टि कर सके।

- **अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस :** 23 अगस्त, 2015 को सीसीएल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर विकलांगों के लिए क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया।

- **ग्रामीण फुटबॉल एवं प्रतिभावान लोगों की पहचान :** हमारी कम्पनी बहुत सारी खेल-कूद गतिविधियों का संचालन ग्रामीण इलाकों में भी कर रही है जिसमें ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन और उत्साह दिखाने का अवसर मिल रहा है। और उन्हें प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का एक मंच प्रदान किया जा रहा है। सीसीएल के द्वारा विभिन्न खेल-कूद संगठनों को राज्य, राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सभी प्रकार की मदद दी जा रही है। सीसीएल दिव्यांगों के लिए और दृष्टिहीनों के खेल-कूद संगठनों को भी सीसीएल के द्वारा सभी प्रकार की मदद दी जा रही है।

18. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

वर्ष 2015-16 की समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों की उपलब्धियाँ

वर्ष 2014-15 में निगमित सामाजिक दायित्व के कुशल कार्य सम्पादन को देखते हुए वर्ष 2015-16 में कोई भी समझौता ज्ञापन मानकों का मापदंड नहीं रखा गया।

कार्य क्षेत्र के अनुसार खर्च (2015-16)
(रु. लाख में) मार्च 2016 तक

कार्य क्षेत्र	खर्च (रु. लाख में)
आधारभूत संरचना	342.10
पेयजल	234.65
शिक्षा	531.18
स्वास्थ्य	20.72
स्वच्छता एवं सफाई	50.01
स्वच्छ विद्यालय अभियान	17156
पर्यावरण विकास	161.23
कौशल विकास / सामाजिक उत्थान	102.34
खेल कूद / संस्कृति	2664.38
अन्य विकास के कार्य	16.66
कुल	**21279.27**

* **निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च :** सीसीएल द्वारा किये गये सीएसआर कार्यों का कुल खर्च 212.79 करोड़ रहा।

कार्य क्षेत्र के अनुसार, 2015-16 में सीएसआर के तहत किये गये महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

- शिक्षा

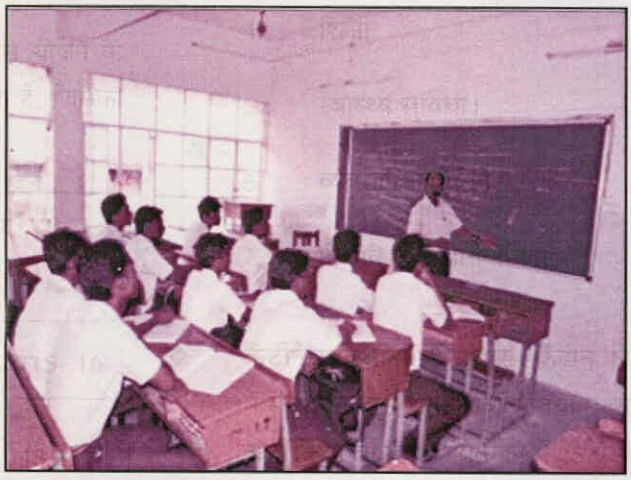

(क) सीसीएल के लाल

25 मेधावी छात्रों को चुन कर निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई :

(i) डीएवी, गांधीनगर, राँची में कक्षा XI में दाखिला और नि:शुल्क शिक्षा।

(ii) फिटजी, राँची के विशेषज्ञों के द्वारा, प्रख्यात तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था।

(iii) ''सीसीएल के लाल'' हॉस्टल में मुफ्त भोजन एवं निवास व्यवस्था तथा पाठ्येतर गतिविधियों में सहयोग।

(ख) चलो स्कूल चले

जिन बच्चों ने पढ़ाई गरीबी तथा अन्य कारणों से छोड़ दी और वो सीसीएल के आस-पास के स्थानों से है, उनमें से 78 बच्चों को चुन कर कक्षा ङ्ग तक मुफ्त शिक्षा ''संत जोसफ स्कूल, मंडेर'' में दिलाई गयी। तथा उन्हें अन्य सभी शिक्षा सुविधाएँ मुफ्त में प्रदान की गयी, जिससे उन्हें शिक्षित बना कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जा सके ताकि वे भविष्य में बेहतर जीवन यापन कर सके।

(ग) पुस्तक वितरण

12 जनवरी, 2016 को ''राष्ट्रीय युवा दिवस'' के अवसर पर बच्चों में सामाजिक मूल्य अंतर्निविष्ट करने के लिए सीसीएल ने 1 लाख रुपयों की सहयोग राशि ''रामकृष्ण मिशन'' को दी ताकि राँची के 35 स्कूलों में मूल्यों एवं आदर्शों से सम्बन्धित पुस्तकें बाँटी जाये।

	कार्य		संख्या
(क)	हस्तचालित पंप लगवाना	-	45
(ख)	कुओं का निर्माण	-	48
(ग)	डीप बोरिंग एवं पनडुब्बी पंप	-	18

(घ) आईआईआईटी राँची

सीसीएल रु. 3.2 करोड़ प्रदान करके आईआईआईटी, राँची की स्थापना में तीसरा औद्योगिक साझीदार बना। सीसीएल, टीसीएस और टाटा मोटर्स, झारखण्ड सरकार के साथ मिल कर सरकारी निजी कम्पनी भागीदारी (पीपीपी) की इस शिक्षा पहल में प्रवेश किया गया। सीसीएल राज्य के युवाओं के व्यवसायी उत्थान के लिए श्रेष्ठ प्रयास कर रही है।

(ङ) शिक्षा सुविधाओं का निर्माण एवं नवीकरण

ग्रामीण स्कूलों एवं कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 26 कार्यक्रमों किया गया, जिसमें कक्षाओं, चहारदीवारी, प्रेक्षागृह एवं पुस्तकालयों आदि का निर्माण एवं नवीकरण सम्मिलित है।

- **पेयजल**

ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना निगमित सामाजिक दायित्व का एक प्रमुख कार्य है। इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित कार्य किये गये जिसमें रु. 234.65 लाख का व्यय हुआ :

- **अधारभूत संरचना**

वर्ष 2015-16 में कमांड क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए रु. 358.76 लाख खर्च किये गये, जिसमें निम्नलिखित कार्यों को किया गया :

(क) सड़क : वर्ष 2015-16 में 5.92 kms ग्रामीण सड़कों का निर्माण / नवीकरण किया गया।

(ख) पुल : तीन पुल का निर्माण इस वर्ष हुआ।

(ग) सामुदायिक केन्द्र : वर्ष 2015-16 में नियंत्रित क्षेत्र के आस-पास 15 सामुदायिक केन्द्र / मण्डप का निर्माण हुआ।

कौशल विकास / सामाजिक सशक्तिकरण

(क) महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई तथा खाद्य प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण : वर्ष 2015-16 में कमाण्ड क्षेत्र की 185 गरीब महिलाओं को सशक्त करने हेतु 3 प्रशिक्षण प्रदान कराये गए।

(ख) अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण : कमाण्ड क्षेत्रों के 323 बेरोजगार युवाओं को वित्तीय स्वतन्त्रता प्रदान करने हेतु 2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा वाहन चालन प्रशिक्षण प्रदान कराई गई।

(ग) नियंत्रित क्षेत्रों की जरूरतमन्द महिलाओं को आत्म-सम्मान एवं प्रतिष्ठा से जीवन यापन करने हेतु बैसाखी तथा साईकिल प्रदान किया गया।

- **स्वास्थ्य**

(क) शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए कमाण्ड क्षेत्रों के आस-पास 87 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए।

के. सी. रॉय चेरिटेबल अस्पताल की मरम्मत

(ख) **अस्पताल का नवीकरण :** के. सी. राय मेमोरियल चेरीटेबल अस्पताल, राँची के बहुत पुराने अस्पतालों में से एक है, जो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूर्ण करता है। सीसीएल ने वर्ष 2015-16 में निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल की ईमारत के जीर्णोद्धार में रु. 25.00 लाख खर्च किए गए, जिससे मरीजों को बेहतर आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सुविधा मिले।

(ग) **चेशायर होम, राँची में औषधालय का निर्माण :** चेशायर होम, राँची के आस-पास के लोगों और ग्रामीणों की स्वास्थ्य सम्बन्धित जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, सीसीएल ने एक औशधालय का निर्माण किया। इस वर्ष, निगमित सामाजिक दायित्व फण्ड में से कुल रु. 12.00 लाख इस प्रयोजन के लिए खर्च किए गए ताकि वहाँ के लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर तथा मुफ्त दवायें प्रदान की जा सके।

- **खेल एवं संस्कृति**

(क) ग्रामीण युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 ग्रामीण फूटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 3 कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण क्रीड़ा स्थल / क्रीड़ांगन के विकास का कार्य किया गया।

(ख) **खेल विश्वविद्यालय / अकाडमी :** खेलगाँव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटवार, राँची में झारखण्ड सरकार के सहयोग से सीसीएल ने स्पोर्ट्स

विश्वविद्यालय को संचालित करने का विचार किया जिसमें 15 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन तथा 1400 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रख-रखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन भी तय किया है, जिसमें राज्य / देश के प्रतिभावान लड़के और लड़कियों को खोज कर खेल के क्षेत्र में विकसित किया जायेगा।

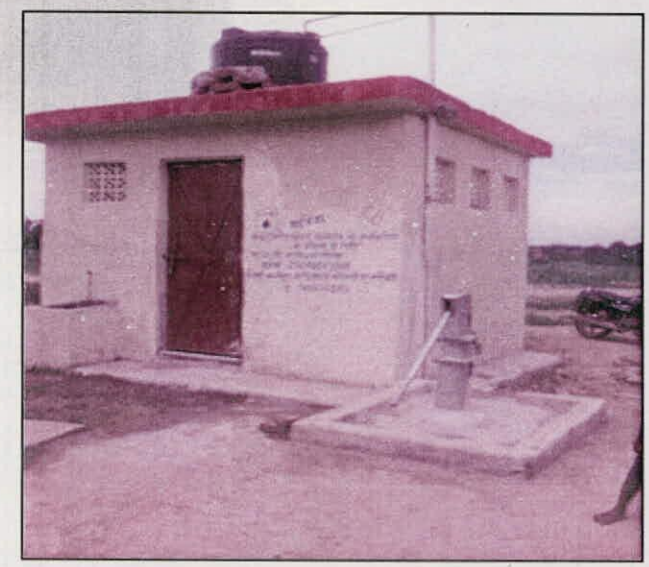

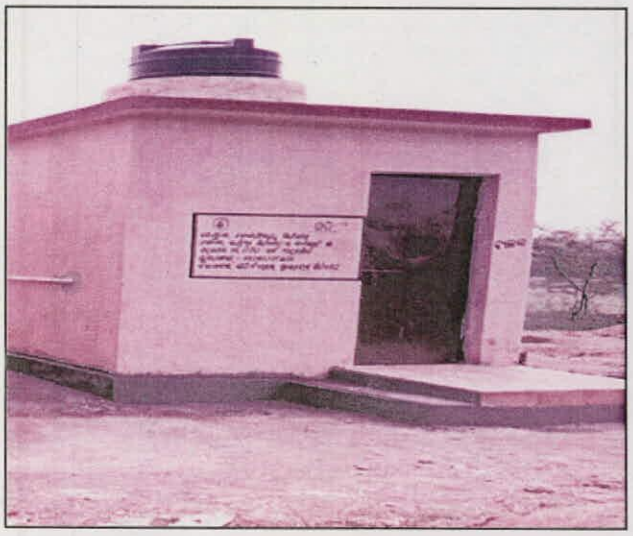

- **स्वच्छ विद्यालय अभियान**

(क) शौचालय का निर्माण एवं नवीकरण : प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण अभियान के तहत स्वच्छ विद्यालय अभियान में सीसीएल द्वारा झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा तथा उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शौचालय का निर्माण तथा नवीकरण कराया गया, जिसमें वर्ष 2015-16 में कुल व्यय रु. 171.56 करोड़ किया गया।

6352 स्कूलों में 11850 शौचालय वर्ष 2015-16 में चार राज्यों में निर्मित/मरम्मत किया गया जिसमें 171.56 करोड़ खर्च किया गया।

(ख) माउंट गैंगस्टंग पर्वत चोटी का सफाई अभियान : सीसीएल द्वारा प्रायोजित पर्वता-

रोहियों के एक समूह को माउंट गैंगस्टंग पर्वत चोटी भेजा गया। पर्वतारोही ''रॉक और रोप अड्वेन्चर'' टीम को पूरी तैयारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति गाँव में स्थित माउंट गैंगस्टंग के लिए 14.09.2015 को रवाना किया गया। उन्हें रु. 50,000 की सहायता राशि भी प्रदान की गयी। पर्वतारोही के समूह ने बर्फीली पर्वत चोटी पर सफाई कर के 200 लीटर कचरा / बेकार सामग्री एकत्रित कर उसे बेस कैंप तक लाया कि जो की सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

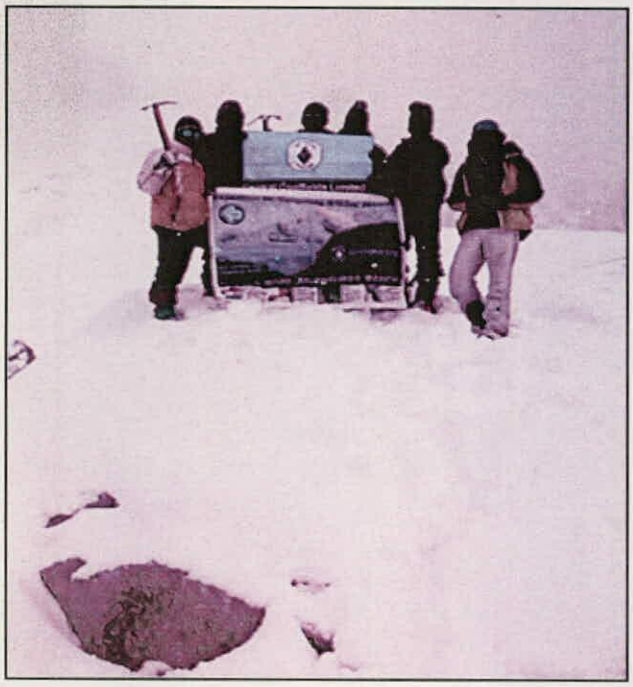

- **वर्ष 2016-17 के आगामी परियोजनाएँ**

(क) सीसीएल की लाडली

(ख) आई. टी. आई., इटखोरी

(ग) हाहाप गाँव का विकास

(घ) लड़कियों के लिए ऑब्जर्वेशन होम

(ङ) रेड क्रॉस - डिस्ट्रिक्ट डिस्सेबिलिटी रीहेबिलेशन सेनंटर

(च) मालन्यूट्रीशन सेंटर, हजारीबाग

(छ) पहल - सैन्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षण

(ज) पिपरवार क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में सामूदायिक रीहेबिलेशन सेंटर का निर्माण

19. समाधान योजना

सीसीएल के सभी पदस्थापित या सेवानिवृत्त अधिकारियों या कर्मचारियों, ठेकेदारों, उपभोक्ताओं एवं अन्य जो सीसीएल से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित हो, के शिकायतों के निवारण के लिए समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना 27.04.2012 में की गई। शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत लिखित रूप में या टोल फ्री नम्बर 18003456501 या मौखिक रूप में समाधान में उपस्थित हो कर भी दर्ज करा सकते हैं। सभी शिकायतें पंजिका में प्रविष्ट की जाती है तथा शिकायतकर्त्ता को शिकायत की पावती दी जाती है। शिकायत मिलने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को शिकायत से दूरभाष द्वारा अवगत कराया जाता है। साथ ही शिकायत की छायाप्रति के साथ लिखित तौर पर सम्बन्धित विभाग को तय समय सीमा के तहत शिकायत के निवारण के लिए प्रेषित किया जाता है। प्रतिउत्तर नहीं मिलने पर समय-समय पर दूरभाष एवं पत्र द्वारा अनुस्मारक भी दिया जाता है। विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त जबाव की जाँच की जाती है और जबाव संतोषप्रद होने पर शिकायतकर्त्ता को दूरभाष या पत्र द्वारा सूचित किया जाता है। जबाव असंतोषजनक होने पर विभागाध्यक्ष को जबाव का पुन: निरीक्षण हेतु प्रेषित की जाती है। ऐसी शिकायतों का उत्तर जो असंतोषजनक होती है उसे पुन: निरीक्षण के लिए स्थाई समिति (Standing Committee) को प्रेषित कर दिया जाता है। विभागाध्यक्ष समाधान द्वारा सही पाए जाने पर ऐसे मामलों का अनुमोदन कर सीसीएल के निदेशक मण्डल के विचारार्थ प्रेषित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समाधान सेल की उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 368 शिकायतें समाधान में दर्ज हुई, जिनमें 309 शिकायतों का निष्पादन हुआ। परिणाम स्वरूप 83.96% की उपलब्धि की प्राप्ति हुई।

समाधान मुख्यालय के शुरुआत से अब तक 1366 केस दर्ज हुई जिनमें 1281 का निवारण हुआ परिणाम स्वरूप 93.77% की उपलब्धि हुई।

समाधान में वर्ष 2015-16 में 83.96% उपलब्धि प्राप्ति के फलस्वरूप अति उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने का अधिकारी बना है।

20. दिनांक 31.03.2016 तक सामाजिक ऊपरी मदों पर अद्यतन पूँजीगत खर्च

31.03.2016 तक आपकी कम्पनी द्वारा सामाजिक ऊपरी मदों में कुल 446.41 करोड़ रु. व्यय किए गए। जिसका विवरण निम्न है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
(i)	भवन	342.81	333.78
(ii)	संयंत्र एवं मशीनरी	58.72	54.45
(iii)	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	18.15	17.71
(iv)	वाहन	7.53	7.60
(v)	विकास	19.20	19.20
	योग	**446.41**	**432.74**

21. वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी में वर्ष 2015-16 एवं 2014-15 के तुलनात्मक वित्तीय परिणामों की तालिका नीचे दी गई है :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
(i)	अवक्षयण एवं ब्याज के पूर्व सकल लाभ	3461.74	3087.08
(ii)	अवक्षयण	325.52	312.55
(iii)	ब्याज	12.38	1.08
(iv)	पूर्वावधि समंजन के पूर्व निबल लाभ	3123.84	2773.45
(v)	पूर्वावधि समंजन	5.10	33.11
(vi)	पूर्वावधि समंजन के बाद निबल लाभ	3118.74	2740.34
(vii)	असाधारण सामान	—	—
(viii)	कर के पहले लाभ	3118.74	2740.34
(ix)	आयकर प्रावधान	1308.60	1023.89
(x)	पिछले वर्ष के लिए आयकर	—	—
(xi)	आस्थगित कर के लिए प्रावधान (करोड़)	(104.56)	(54.16)
(xii)	कर के पश्चात् निबल लाभ	**1914.70**	**1770.61**

आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अंतरिम लाभांश रु. 1457.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 100 करोड़) का भुगतान किया गया तथा अंतिम लाभांश के रूप में रु. शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. 254.74 करोड़) की अनुशंसा की गई। वर्ष 2015-16 में कुल लाभांश रु. 1457.00 करोड़ है (प्रति इक्युटी शेयर लाभांश 1550.00 रु. है जिसमें 9400,000 इक्युटी शेयर का 1000.00 रु. प्रत्येक का अंतरिम लाभांश सम्मिलित है - पिछले वर्ष 377.38 रु.)।

22. पूँजीगत खर्च

गत वर्ष (2014-15) के 595.82 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2015-16 में पूँजीगत खर्च के मद में 638.33 करोड़ रु. व्यय किए गए। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पूँजीगत खर्च का शीर्षवार तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार दिया जा रहा है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय शीर्ष	2015-16	2014-15
(i)	भूमि	302.02	52.37
(ii)	भवन	12.92	29.27
(iii)	संयंत्र एवं मशीनरी	220.35	347.05
(iv)	फर्नीचर एवं फिटिंग	15.98	5.64
(v)	रेलवे साइडिंग	0.43	39.92
(vi)	वाहन	2.95	2.51
(vii)	पूर्वेक्षण एवं बेधन	32.49	51.61
(viii)	अन्य विकास	50.79	62.71
(ix)	सॉफ्टवेयर	0.40	4.74
	योग	**638.33**	**595.82**

आपकी कम्पनी वर्ष 2015-16 के एम. ओ. यू. लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त किया।

23. राजकोष (एक्स चेकर) को अंशदान

आलोच्य वर्ष के दौरान, राजकीय कोष के अंशदान का तुलनात्मक विवरण (2015-16 एवं 2014-15) निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
(i)	कोयले पर रॉयल्टी	1078.71	925.52
(ii)	एमएमडीआर (केन्द्रीय फण्ड)	11.32	0.00
(iii)	विक्रय कर/वैट	482.03	341.69
(iv)	स्टोविंग एक्साइज ड्यूटी	61.21	58.87
(v)	आय-कर	1226.54	1025.65
(vi)	लाभांश कर	348.47	93.08
(vii)	सर्विस कर	57.77	34.37
(viii)	क्लीन एनर्जी सेस	1135.78	420.70
(ix)	कोयले पर केन्द्रीय उत्पाद	503.45	510.43
	योग	**4905.28**	**3410.31**

24. पूँजीगत ढांचा

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कम्पनी में अधिकृत शेयर पूँजी तथा प्रदत्त शेयर पूँजी गत वर्ष की तरह अर्थात् क्रमशः 1100.00 करोड़ रु. एवं 940.00 करोड़ रु. ही थी। दिनांक 31 मार्च, 2016 को कंपनी का नेटवर्थ 5973.47 करोड़ रुपया था जबकि यह गतवर्ष दिनांक 31.03.2015 को 5812.38 करोड़ रुपया ही था।

24. (i) ऋण

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कम्पनी ने बैंकों से 1106.00 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपोज़िट के विरूद्ध 929.00 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण लिया।

25. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 31.03.16 तक 2 करोड़ रु. एवं उससे अधिक की स्वीकृत पूँजी की लागत पर 115.86 मिलियन टन/वर्ष की क्षमता वाली 62 खनन परियोजनाओं तथा 26 गैर खनन परियोजनाओं की विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी हो चुकी है। इनमें से 52 परियोजनाएँ पूरी कर ली गई है (32 खनन तथा 20 गैर खनन परियोजनाएँ)। कुल 4612.63 करोड़ रु. की स्वीकृत पूँजीगत लागत पर 77.54 मि. टन प्रति वर्ष क्षमता वाली शेष 30 खनन परियोजनाएँ तथा 113.42 करोड़ रु. की पूँजीगत लागत वाली 6 गैर खनन परियोजनाएँ (डीआरडी एएपी सहित) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। इसके अलावा वर्ष 2015-16 में 102 मिलियन टन/वर्ष परम क्षमता वाली 5 परियोजनाओं का प्रथम चरण सैद्धांतिक अनुमोदन हो गया है।

इनका श्रेणीवार विवरण निम्नप्रकार दिया जा रहा है :

परियोजनाएँ	कुल परियोजना की संख्या (पूर्ण परियोजनाओं सहित)	लागत पूँजी	निर्धारित क्षमता (मि.टन/वर्ष) (कोयला)
150 करोड़ रु. से अधिक			
खनन	13	5245.40	73.46
गैर खनन	0	0.00	—
50 करोड़ से 150 करोड़ रु. तक			
खनन	12	1100.76	22.66
गैर खनन	3	291.75	—
20 करोड़ से 50 करोड़ रु. तक			
खनन	6	204.32	4.55
गैर खनन	1	48.78	—
2 करोड़ से 20 करोड़ रु. तक			
खनन	31	460.92	15.19
गैर खनन	22	178.70	—
खनन	62	7011.40	115.87
गैर खनन	26	519.23	—
योग	**88**	**7530.63**	**115.87**

पूर्ण हुई 52 परियोजनाओं का विवरण निम्न है :

परियोजनाएँ	संख्या			स्वीकृत पूँजी (रु. करोड़ में)			निर्धारित क्षमता
	खनन	गैर खनन	योग	खनन	गैर खनन	योग	(मि.टन/वर्ष) (कोयला)
150 करोड़ रु. से ऊपर	3	0	3	1608.91	0.00	1608.91	16.25
150 से 50 करोड़ रु. के बीच	4	3	7	344.10	291.75	635.85	7.75
50 से 20 करोड़ रु. के बीच	4	0	4	122.00	0.00	122.00	2.75
20 से 2 करोड़ रु. के बीच	21	17	38	325.76	114.06	439.82	11.57
उप जोड़	**32**	**20**	**52**	**2400.77**	**405.81**	**2806.58**	**38.32**

XIIवीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान चालू/अनुमोदित परियोजनाएँ

XIIवीं योजना अवधि के दौरान चालू/अनुमोदित परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन/वर्ष)	प्रस्तावित पूँजी परिव्यय (रु. करोड़ में)	सीसीएल/ सीआईएल बोर्ड से अनुमोदन	सरकार का अनुमोदन/ वर्तमान स्थिति
1.	आर.सी.ई. कथारा ओसीपी	1.9	128.94 (अतिरिक्त)	01.10.2012 को हुई सीसीएल निदेशक मण्डल की 390वीं बैठक में अनुमोदित	क्रियान्वयित
2.	सयाल-डी ओसी	1.0	48.53	10.10.2013 को सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित	क्रियान्वयन के अधीन

उपरोक्त **''सैद्धांतिक अनुमोदन''** के साथ निम्नलिखित परियोजनाएँ अनुमोदित हुई है :

क्रम संख्या	परियोजना का	क्षमता (मि. टन/वर्ष)	सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन
1.	तापिन साउथ विस्तार	2 / 2.5	03.08.12 और 04.08.12
2.	हेसालाँग	1.7 / 2.5	01.10.12
3.	अमलो ढोरी युजीपी	0.57 / 0.65	20.12.12
4.	संघमित्रा	20 / 27	20.12.12
5.	तोपा विस्तार	5.25	02.02.13
6.	असवा	1.0	02.02.13
7.	महेन्द्र ओसी	4.0 / 5.4	26.04.13
8.	पचरा इन्टिग्रेटेड ओसी	15.0 / 20	26.04.13
9.	अशोक ओसी	22 / 30	06.11.13
10.	आरा ओसी	2.5 / 3.4	06.11.13
11.	जीवनधारा ओसी	1.0 / 1.35	19.11.13
12.	असनादरहा	3.0 / 4.0	15.04.14
13.	कल्याणी	2.0 / 2.7	11.08.14
14.	नॉर्थ उरीमारी विस्तार	7.5 / 10	04.11.14
15.	इपीआर गोविन्दपुर फेज़ II ओसी	3.0 / 4.0	04.11.14
16.	गोडो ओसी	3.0 / 4.0	10.02.15
17.	कारो विस्तार ओसी	11 / 15	21.05.15
18.	भैरवी ओसी	7 / 10	12.04.15
19.	मगध विस्तार ओसी	51 / 70	21/22.05.15
20.	कोनार का विस्तार परियोजना प्रतिवेदन	8 / 11	16.03.16
21.	आम्रपाली का विस्तार प्रतिवेदन	25 / 35	31.10.15
	कुल	**195.52 / 258.50**	

मुख्य बिंदु

1. **प्रारूपण एवं मुख्यतः अनुमोदन, आम्रपाली विस्तार (25 एमटीवाई) परियोजना** — 2015-16 के एमओयु एक्सेलेन्ट लक्ष्य 31.10.2015 की तुलना में 31.10.2015 को पूर्ण हुआ।

2. **मगध विस्तार (51 एमटीवाई) परियोजना का प्रारूपण एवं मुख्यतः अनुमोदन** — 2015-16 के सर्वश्रेष्ठ एमओयु लक्ष्य 31.08.2015 के पहले 22.05.2015 को पूर्ण हुआ।

3. **मगध ओसीपी (20 एमटीवाई) में कोयला उत्पादन प्रारम्भ** — 2015-16 के सर्वश्रेष्ठ एमओयु लक्ष्य 15.10.2015 की तुलना में 24.09.2015 को शुरु हुआ।

4. **पिपरवार ओसीपी (10 एमटीवाई)** — 2015-16 के सर्वश्रेष्ठ एमओयु लक्ष्य 31.10.2015 की तुलना में 31.10.2015 में पूरा हुआ।

5. मैन प्रोडक्टिविटी बाई नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का अध्ययन 09.12.2015 को पूरा हुआ जबकि 2015-16 का सर्वश्रेष्ठ एमओयु लक्ष्य 15.12.2015 रहा।

6. कॉस्ट कन्ट्रोल मॉनिटरिंग सेल की स्थापना और 50% खर्च के मदों को लेकर कॉस्ट कन्ट्रोल मापदंडों की पहचान पर दो प्रतिवेदन — 26.08.2015 और 28.11.2015 को पूर्ण हुए जबकि सर्वश्रेष्ठ एमओयु लक्ष्य 2015-16 के लिए 31.11.2015 रहा।

7. ओएमएस ओसी — 8.91, तुलना में सर्वश्रेष्ठ एमओयु लक्ष्य 7.51, 2015-16 के लिए रहा।

8. ओएमएस युजी — 0.32, तुलना में सर्वश्रेष्ठ एमओयु लक्ष्य 0.32, वर्ष 2015-16 के लिए रहा।

आपकी कम्पनी उपरोक्त हर वर्ग में एम. ओ. यू. लक्ष्य के तहत सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त किया है।

वर्ष 2016-17 में आपकी कंपनी में उत्पादन का सम्भावित स्तर निम्नानुसार होगा :

आंकड़े मि. टन में

ग्रुप	2015-16 (वास्तविक)	बी. ई. (2016-17) (ड्राफ्ट)
वर्तमान खदानें तथा पूर्ण हो चुकी परियोजनाएँ	28.006	23.125
चालू परियोजनाएँ	33.318	43.875
योग	**61.324**	**67.000**

26. पर्यावरण प्रबन्धन

(ए) पर्यावरण प्रबन्धन

1. परियोजनाओं की संख्या जिसके लिए पर्यावरण पर्यावरण मंजूरी मिली 02

(13.20 एमटीपीए मानकिये/13.50 एमटीपीएपीक)

(3.5 एमटीपीए अतिरिक्त क्षमता)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए में)	
	मानक	पीक
पिचरी ओसीपी	1.2	1.5
अशोक विस्तारिकरण (7 - ii)	12.00	12.00

2. परियोजनाओं की संख्या जिसके लिए एमओईएफ में फॉर्म-I, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई 04

(35.50 एमटीपीए मानकिये/41.50 एमटीपीएपीक)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए में)	
	मानक	पीक
अशोक विस्तारिकरण ओसीपी (7 - ii)	14.00	14.00
कारो विस्तारिकरण ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	11.00	14.00
कोनार विस्तारिकरण ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	8.00	11.00
कारो ओसीपी (7 - ii)	2.50	2.50

3. परियोजनाओं की संख्या जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने टीओआर की मंजूरी दे दी 04

(22.00 एमटीपीए मानकिये/29.05 एमटीपीएपीक)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए में)	
	मानक	पीक
सयाल डी ओसीपी	1.00	1.35
कारो विस्तारिकरण ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	11.00	14.00
कोनार विस्तारिकरण ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	8.00	11.00
झारखण्ड विस्तारिकरण ओसीपी	2.00	2.70

4. वाशरी की संख्या जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने टीओआर की मंजूरी दे दी 02

(14 एमटीपीए)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए में)	
	मानक	पीक
कारो इंटिग्रेटेड वाशरी सह ओसीपी	7.00	7.00
कोनार इंटिग्रेटेड वाशरी सह ओसीपी	7.00	7.00

5. परियोजनाओं की संख्या जिसके लिए लोक सुनवाई आयोजित की गई 08

कोयला खदान : (25.50 एमटीपीए मानकिये/33.00 एमटीपीए पीक)

बालू खदान : (0.27 एमसीयूएम मानकिये/0.49 एमसीयूएम पीक)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए में)	
	मानक	पीक
अरगडा ओसीपी	1.70	2.00
तापिन साऊथ विस्त्रीकरण ओसीपी	2.00	2.50
राजहारा ओसीपी	0.30	0.50
कारो विस्तारिकरण ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	11.00	14.00
कोनार विस्तारिकरण ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	8.00	11.00
पुंडी ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	2.50	3.00
गोविंदपुर बालू खान परियोजना (क्षमता एमसीयूएम में)	0.135	0.145
स्वांग बालू खान परियोजना (क्षमता एमसीयूएम में)	0.135	0.145

6. वाशरी की संख्या जिसके लिए लोक सुनवाई आयोजित की गई 03

(14 एमटीपीए)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए में)	
	मानक	पीक
कारो इंटिग्रेटेड वाशरी सह ओसीपी	7.00	7.00
कोनार इंटिग्रेटेड वाशरी सह ओसीपी	7.00	7.00
पुंडी इंटिग्रेटड वाशरी सह ओसीपी	3.00	3.00

7. परियोजनाओं की संख्या जिसके लिए ईएमपी जमा की गई 06

कोयला खदान : (19.00 एमटीपीए मानकिये/19.50 एमटीपीए पीक)

बालू खदान : (0.416 एमसीयूएम मानकिये/0.436 एमसीयूएम पीक)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए में)	
	मानक	पीक
पुंडी ओसीपी सह इंटिग्रेटेड वाशरी	2.50	3.00
कारो विस्तारिकरण ओसीपी	2.50	2.50
अशोक विस्तारिकरण ओसीपी	14.00	14.00
राजहारा ओसीपी	0.30	0.50
गोविंदपुर बालू खान परियोजना (क्षमता एमसीयूएम में)	0.135	0.145
स्वांग बालू खान परियोजना (क्षमता एमसीयूएम में)	0.135	0.145
जारंगडीह बालू खान परियोजना (क्षमता एमसीयूएम में)	0.146	0.156

8. **वर्षा जल संग्रहण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग)**

(ए) रजरप्पा ओसीपी - 06, कुल लागत - 16.3 लाख रुपया।

(बी) वनीकरण

वर्ष 2015-16 के दौरान 55025 पौधे, 22.01 हेक्टेयर में लगाए गए। वृक्षारोपण राज्य के वन विभाग के माध्यम से किया गया है।

(सी) आईएसओ प्रमाणन

- सीसीएल के कंपनी स्तर पर आईएमएस प्रमाण पत्र के लिए प्रबंधन नीति को तैयार और स्वीकृत कराया गया।
- प्रबंधन नियमावली प्रकाशित की गयी।
- आईएसओ 9K, 14K एवं ओहसास 18K में जागरूकता कार्यक्रम : 02
- सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम : 05
- आईएसओ 9K, 14K, 18K के लिए लीड ऑडिटर कार्यक्रम की व्यवस्था : 01

(डी) पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य गतिविधियाँ

(i) सीसीएल के सभी खानों/वाशरीज सीएमपीडीआई द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। इस साल PM_{10} (आरपीएम) के 1080 स्टेशनों,

अशोका ओसीपी - भूमि उद्धार स्थिति

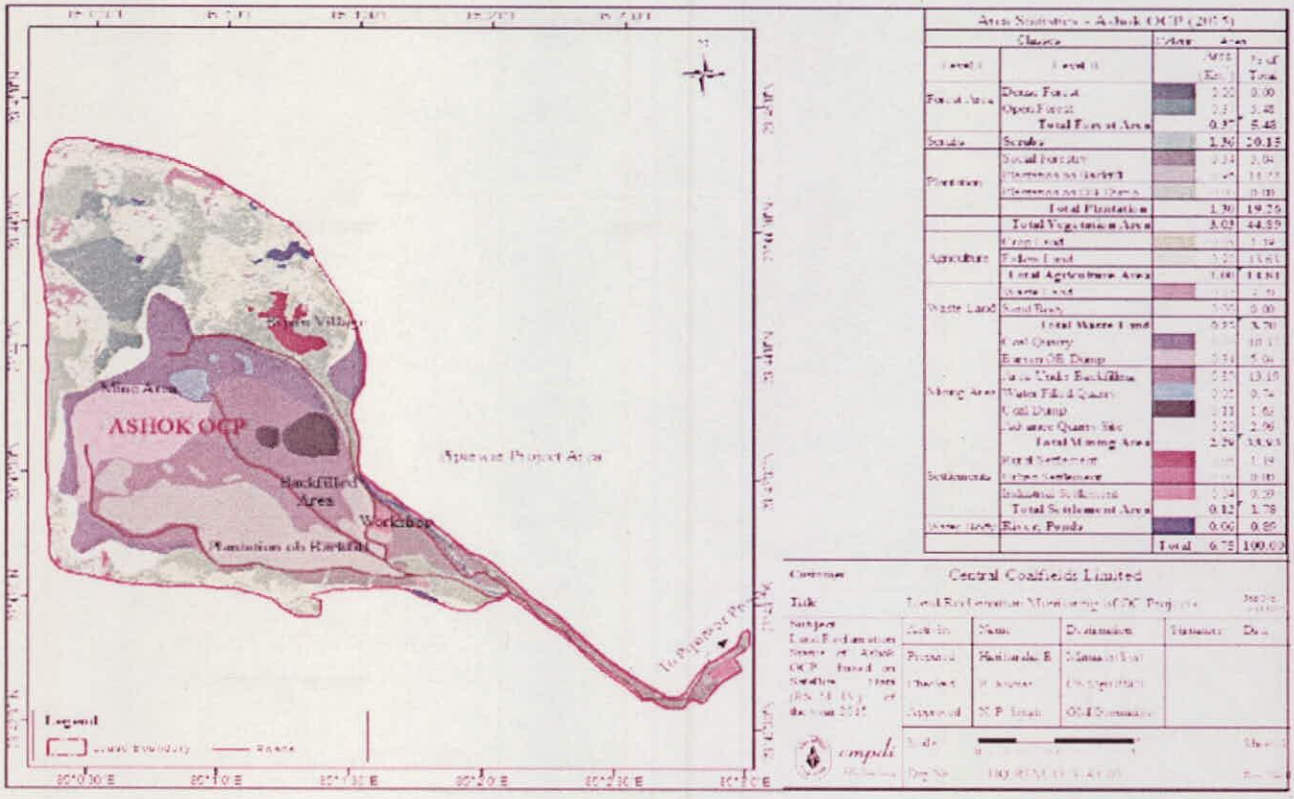

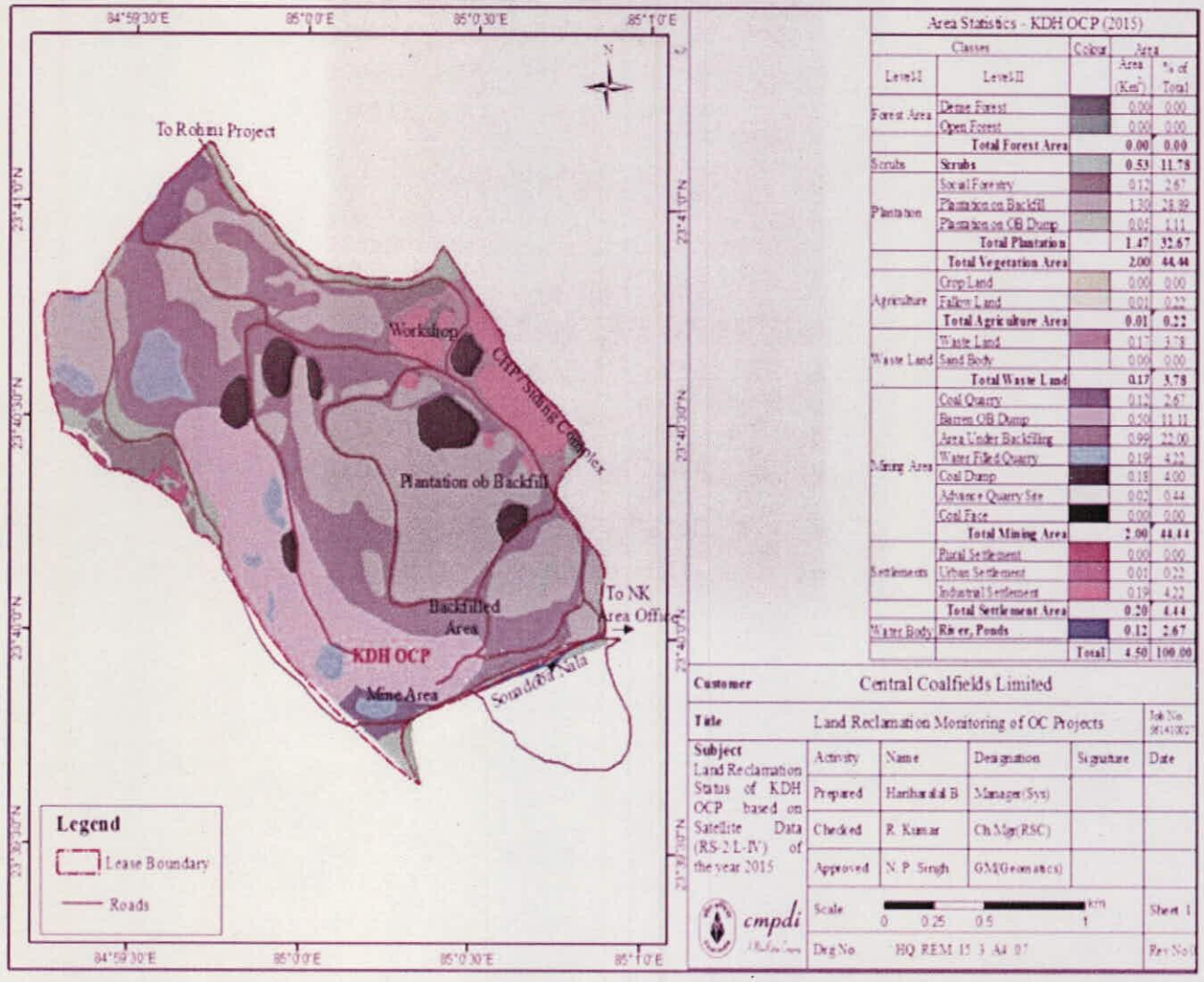

रोहिणी ओसीपी - भूमि उद्धार स्थिति

पीछे भरी सामग्री पर ऊपरी मिट्टी का प्रसार

कोयले के प्रेषण से पहले छिड़काव

$PM_{2.5}$ के 132 स्टेशनों, एफफ्लुएंट मॉनीटरिंग के 390 स्टेशनों, सर्फेस क्वालिटी के 500 स्टेशनों, पीने के पानी की गुणवत्ता के 180 स्टेशनों, शोर के 450 स्टेशनों और डीईटीपी के 50 स्टेशनों पर नमूने की जाँच की जाती है। $PM_{2.5}$ की नमूने की जाँच बचे हुए स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

(ii) खुली खदान में भूमि रिकलामेशन की अवस्था नियमित आधार पर रिमोट सेंसिंग द्वारा सीएमपीडीआई द्वारा की जा रही है। अशोक ओसी, पिपरवार ओसी, केडीएच ओसी, परेज ईस्ट ओसी और रजरप्पा ओसी जो की पाँच बड़े खदान हैं उनकी मॉनीटरिंग प्रत्येक वर्ष की जाती है। इसके अलावे निम्न परियोजनाओं की मॉनीटरिंग तीन वर्षों में एक बार की जाती है।

न्यू गिद्दी सी ओसी, रेलीगढ़ा ओसी, सिरका ओसी, गिद्दी-ए ओसी, भुरकुंडा ओसी / संगम ओसी, उरीमारी विस्तारिकरण ओसी, नॉर्थ उरीमारी ओसी, कोनार ओसी, करगली ओसी, बोकारो ओसी, खाशमहल ओसी, कारो ओसी, सेलेक्टेड ढोरी ओसी, तारमी ओसी, अम्लो ओसी, ढोरी ओसी, पिचरी ओसी, झारखण्ड ओसी, तापिन ओसी, केदला ओसी, गोविंदपुर फेज-II ओसी, जारंगडीह ओसी, कथारा ओसी, तोपा आरो ओसी, कर्मा ओसी, आरा ओसी, पुंडी ओसी, पिंडरा ओसी, सारूबेरा / चैनपुर ओसी, मगध ओसी, आम्रपाली ओसी, रोहिणी ओसी, पूर्णाडीह ओसी, डकरा ओसी, तेतरियाखार ओसी।

अशोक ओसी, पिपरवार ओसी, केडीएच ओसी, परेज ईस्ट ओसी और रजरप्पा ओसी जो की पाँच बड़े खदान हैं जिनकी मॉनीटरिंग प्रत्येक वर्ष की जाती है, अध्ययन के अनुसार, कुल 48.47 वर्ग किमी खान के पट्टे क्षेत्र में से कुल 26.83 (55.35% - खनन पट्टे का) वर्ग किमी में खुदाई हुई है, उस खुदाई वाले क्षेत्र में से 15.07 (56.17%) वर्ग किमी में वृक्षारोपण, 7.00 वर्ग किमी (26.09%) में बैक फिलिंग, 4.76 वर्ग किमी (17.74%) एक्टिव माइनिंग के अधीन है।

यह विश्लेषण से देखा गया है कि ओसी परियोजनाओं के 82.26% क्षेत्र में रेकलामेसॉन हुआ है और शेष 17.74% क्षेत्र सक्रिय खनन के अधीन हैं। सीसीएल कम्पनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए उपायों के परिणामस्वरूप जैविक रेकलामेसॉन (वृक्षारोपण) का स्तर 15.07 वर्ग किमी पहुँच गया है।

(iii) बोकारो एवं करगली क्षेत्र और रजरप्पा क्षेत्र के परित्यक्त खदान में क्रमश: डीवीसी एण्ड एम/एस हिंडाल्को, मूरी द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश समायोजित किया गया है।

(ई) वन भूमि मंजूरी

(i) वन भूमि का भौतिक कब्जा (साइट हवाला)

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट	क्षेत्र (हे. में)
1.	झारखण्ड ओसीपी	6.590
2.	केडीएच ओसीपी	28.950
3.	चुरी बेनती यूजीपी	312.75
4.	रोहिणी ओसीपी	74.810
	कुल	**423.11 (1045.5029 एकर्स)**

(ii) स्वीकृत स्टेज - II

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट	क्षेत्र (हे. में)
1.	रोहिणी ओसीपी	74.81 (184.859 एकर्स)

(iii) प्राप्त एफ़आरए

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट	क्षेत्र (हे. में)
1.	केडीएच विस्तारिकरण ओसीपी	126.72
2.	कोनार ओसीपी सह वाशरी	93.58
3.	चुरी बेंती परियोजना	198.16
	कुल	**418.46 (1034.03 एकर्स)**

(iv) प्राप्त एनओसी

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट	क्षेत्र (हे. में)
1.	केडीएच विस्तारिकरण ओसीपी	126.72
2.	कोनार ओसीपी सह वाशरी	2.70
	कुल	129.42 (139.67 एकर्स)

(v) ऑनलाइन प्रस्ताव जमा

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट	क्षेत्र (हे. में)
1.	पुंडी विस्तारिकरण ओसीपी	595.53
2.	कोनार ओसीपी सह वाशरी	93.58
3.	चुरी बेनती परियोजना	198.26
4.	पूर्णाडीह ओसीपी	323.49
5.	उरीमारी ओसीपी	202.47
6.	कोल डिस्पैच कन्वेयर - कारो ओसोपी	7.5
7.	कुजू औसीपी	106.65
8.	तोपा ओसीपी	489.01
9.	रोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम रहम टु पुलिस चौकी (मगध ओसीपी)	4.801
10.	आम्रपाली ओसीपी	432.59
11.	अशोक विस्तारिकरण ओसीपी	880.578
12.	रोड नेटवर्क फ्रॉम बिंगलत वाया सरधु (पश्चिम भाग) टु रहम	35.64
13.	मगध ओसीपी	659.05
	कुल	4029.049 (9955.99 एकर्स)

27. भू-अधिग्रहण की स्थिति

सीबीए (ए एण्ड डी) अधिनियम 1957 के अधीन

उपरोक्त अधिनियम के अधीन भूमि अधिग्रहण हेतु निम्नलिखित विस्तारित प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रगति हुई है -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र एकड़ में	अधिग्रहण
1.	विस्तारित खुली खदान परियोजना, कारो - I (बी. एण्ड के.)	145.38	सेक्शन - 11(1)
2.	पिंडरा, खुली खदान परियोजना (कुजू)	195.11	सेक्शन - 11(1)
3.	तोपा, पुनः संगठित खुली खदान परियोजना (कुजू)	204.23	सेक्शन - 11(1)
4.	अरगडा खुली खदान परियोजना (अरगडा)	577.00	सेक्शन - 11(1)
5.	पिछरी खुली खदान परियोजना (ढोरी)	344.71	सेक्शन - 11(1) एवं सेक्शन - 9(1)
6.	पचड़ा और पचड़ा (दक्षिण) (एम. एण्ड ए.)	3331.50	सेक्शन - 9(1)
7.	तेतरीया खाड़ खुली खदान परियोजना (राजहारा)	181.66	सेक्शन - 9(1), सेक्शन - 7(1) एवं सेक्शन - 4(1)
8.	पिपरवार परियोजना, पिपरवार रेलवे साईडिंग	91.00	सेक्शन - 9(1), सेक्शन - 7(1) एवं सेक्शन - 4(1)
9.	आम्रपाली विस्तार, खुली खदान परियोजना (एम. एण्ड ए.)	1046.55	सेक्शन - 9(1), सेक्शन - 7(1)
10.	अशोक विस्तारित - II (पिपरवार)	741.00	सेक्शन - 7(1)
11.	गिद्दी 'सी' खुली खदान परियोजना (अरगडा)	9.58	सेक्शन - 7(1) एवं सेक्शन - 4(1)
12.	मगध विस्तार - II, खुली खदान परियोजना (एम. एण्ड ए.)	18066.345	सेक्शन - 4(1)
13.	पिछरी खुली खदान परियोजना फेज - II (ढोरी)	130.95	सेक्शन - 4(1)
14.	आम्रपाली विस्तार -II, खुली खदान परियोजना (एम. एण्ड ए.)	5068.69	सेक्शन - 4(1)

23548.225 एकड़ भूमि का अधिग्रहण U/S सेक्शन - 4(1) के तहत किया गया जबकि एम.ओ.यू. के तहत लक्ष्य 445 एकड़ भूमि अधिग्रहण।

2069.79 एकड़ भूमि का अधिग्रहण U/S सेक्शन - 7(1) के तहत किया गया जबकि एम.ओ.यू. के तहत लक्ष्य 1500 एकड़ भूमि अधिग्रहण।

क्षतिपूर्ति का भुगतान

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रसंगाधीन, अधिग्रहित भूमि अधिनियम सी. बी. ए. (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 के तहत भूमि, मकान, पेड़ तथा अन्य ब्याज के क्षतिपूर्ति का भुगतान 348.48 लाख रुपये 13 भुगतान शिविर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। मगध एवं आम्रपाली क्षेत्र के कामता - ग्राम में सीधी खरीद के तहत 56.84 लाख की राशि भुगतान की जा चुकी है।

भू-अधिग्रहण अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान अधिग्रहित भूमि के बदले 1008.05 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है (जिसमें रुपये 234.35 लाख का भुगतान राज्य सरकार को भूमि बंदोबस्ती, ओ. बी. डम्प, तेतरीया खाड़ खुली खदान परियोजना (राजहारा) के लिए किया जा चुका है।) साथ ही घर एवं अन्य भू-क्षतिपूर्ति के ब्याज रजिस्ट्रार झारखण्ड उच्च न्यायालय को एल. ए. मामला के द्वारा अधिग्रहित जमीन क्षतिपूर्ति बढ़ोत्तरी की राशि परियोजना / गाँव जैसे सिरका, पतरातू, कुजू (लोक अदालत) तुमंग (एन. के. क्षेत्र) के लिये किया गया है।

सक्षम पदाधिकारी द्वारा 2215.53 लाख रुपये, जमीन की क्षतिपूर्ति घर, पेड़ (आर. एण्ड आर. सुविधा सहित) की राशि स्वीकृत की गई है।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को के.डी.एच., मगध, नॉर्थ उरीमारी, तोपा परियोजना हेतु 1026.34 (लगभग) लाख रुपये का भुगतान आर. एण्ड आर. सुविधा के अन्तर्गत किया जा चुका है।

नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जमीन (670.00 एकड़ अधिग्रहित भूमि: के बदले 335 स्वामियों एवं उनके आश्रितों को सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों एवं ईकाइयों में नौकरियाँ प्रदान की गई है।

पुन:स्थापन एवं पुनर्वसन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 287 परिवारों को सीसीएल विभिन्न क्षेत्रों (मुख्यत: के. डी. एच., मगध, नॉर्थ उरीमारी एवं तोपा आदि) में पुनर्वास के लिए मिलने वाली सुविधा दिया गया है।

28. रेलवे साइडिंग

निर्माणाधीन नई साइडिंग

(ए) पिपरवार साइडिंग

पूर्व मध्य रेलवे के मैक्लूस्कीगंज स्टेशन से पिपरवार जा रही रेलवे साइडिंग का निर्माण किया जा रहा है।

पिपरवार साइडिंग के निर्माण की स्थिति

M/s राइट्स लिमिटेड को जमा अवधि कार्य (डीपोजीट वर्क) के आधार पर रु. 90.61 करोड़ की लागत से पिपरवार रेलवे साइडिंग के शेष कार्य को पूरा करने का काम सौंपा गया था। वर्तमान में लगभग 30.5 किलोमीटर की पूरी लंबाई में काम पूरा हो चुका है। लगभग 28.50 किलोमीटर में पूरा रेल ट्रैक जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रीकल और टेलीकॉमनेकिशन का काम भी राइट्स द्वारा किया जाना है। राइट्स द्वारा काम प्रगति पर है। मेसर्स राइट्स के अनुरोध पर काम पूरा होने के लिए जून 2016 तक अंतरिम समय विस्तार दिया गया है। मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा परियोजना लागत (लगभग) रु. 141.00 करोड़ का संशोधित किया गया है।

मैक्लूस्कीगंज रेलवे स्टेशन पर जंक्शन बिंदु पर 1.683 किलोमीटर ट्रैक जोड़ने का काम पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। मुख्य लाइन से संबंधित काम रेलवे द्वारा पूरा हो चुका है लेकिन फ्लाईओवर लाइन / लूप लाइन का काम बाकी है।

(बी) टोरी-शिवपुर-हजारीबाग (अब कठोतीया) नई बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण (शत प्रतिशत सीसीडीए सहायता राशि के द्वारा)

पूर्व मध्य रोलवे, पटना द्वारा इस नइ बड़ी रेल लाइन परियोजना (संशोधित लगाई 93.45 किलोमीटर) के तहत निष्पादन के लिए मंजूरी प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 31.08.2010 को पूर्व में अस्वीकार कर दिया गया था।

वर्तमान स्थिति

टोरी-शिवपुर

अप्रैल, 2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संशोधित रेल लाइन मार्ग की स्टेज - I मंजूरी दी गयी थी। इसके बाद टोरी - शिवपुर संशोधित रेल लाइन मार्ग की स्टेज - II मंजूरी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.03.2013 को दी गई थी। वर्तमान में, मिट्टी का कार्य 0 - 44 किलोमीटर में रु. 589.37 करोड़ की लागत से टोरी के तरफ से सम्पादित किया जा रहा है। 0 - 23 किलोमीटर पहुँच में और 23 - 44.5 पहुँच में बड़े पुल का काम रु. 151.86 करोड़ की लागत से रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। फॉरमेशन में मिट्टी का कार्य (पहाड़ काटने सहित) प्रगति में है और 198.80 लाख घन मीटर मिट्टी का कार्य किया गया है। रु. 134.05 करोड़ की लागत से सड़क पर रेल पूल और रु. 39.95 करोड़ की लागत से स्टेशन की इमारत, पैदल पूल आदि का

काम के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टोरी - शिवपुर खण्ड में कुल मिलाकर लगभग 25% काम पूरा कर लिया गया है। रेलवे द्वारा टोरी - शिवपुर - कठोतिया नई रेल लाइन में मार्च, 2016 तक रु. 653.34 करोड़ खर्च कर दिया गया है।

शिवपुर - कठोतिया (शिवपुर - हजारीबाग की संशोधित संरेखण)

पूर्व में शिवपुर - हजारीबाग खण्ड की वानिकी मंजूरी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जंगल में जानवरों और उच्च घनत्व वाले वन की उपस्थिति के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।

अंतिम स्थान सर्वेक्षण के बाद प्रस्तावित वैकल्पिक शिवपुर - कठोतिया नई रेल लाइन संरेखण रु. 1983.04 करोड़ की लागत अनुमान के साथ रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भूमि की पहचान करने के बाद, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के लिए स्टेज - I का आवेदन अप्रैल / मई 2015 में दायर की जा चुकी है। कोई भी जमीनी कार्य इस खण्ड में अभी तक नहीं हुआ है।

कोल इण्डिया बोर्ड द्वारा 302वाँ बैठक में जो कि दिसम्बर, 2013 में हुआ था उसमें शिवपुर - कठोतिया नई बड़ी लाइन परियोजना के निर्माण के लिए रु. 3214.887 की लागत राशि को मंजूरी प्रदान की गयी थी। आगे की रेलवे द्वारा बढ़ी हुई लागत रु. 3571.69 करोड़ की राशि को सीसीएल बोर्ड द्वारा 22 जुलाई, 2014 को अनुमोदित किया गया था। इस मामले पर विचार करने कि लिए प्रस्ताव कोल इण्डिया बोर्ड को अवगत करा दिया गया था।

अब शिवपुर - कठोतिया नई बड़ी रेल लाइन को रूह्म इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और बैंक एबीलीटी रिपोर्ट बनाने हेतू नवगठित सीसीएल, इरकॉन और झारखण्ड सरकार के संयुक्त कम्पनी यानि ''झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड'' (जेसीआरएल) द्वारा चिह्नित किया गया है।

(सी) टोरी स्टेशन के निकट कच्चा वार्फ वाल के साथ-साथ अतिरिक्त रेल लाइन का निर्माण

यह काम पूरा हो चुका है।

(डी) पिपराडीह रेलवे साइडिंग का निर्माण

कार्य जमा अवधि के आधार पर पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद डिवीजन द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभिक कार्य पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद द्वारा शुरू किया गया है।

(इ) उत्तरी उरीमारी साइडिंग के लिए मार्ग संरेखण सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निर्माण

M/s राइट्स लिमिटेड द्वारा मार्ग संरेखण सर्वेक्षण (रूट एलाइगमेन्ट सर्वे) करने के बाद, व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफ. एस. आर.) तैयार किया और रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया है। मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) का अनुमोदन दिनांक 29.12.2015 को रेलवे द्वारा किया गया। मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग स्केल प्लान (ई. एस. पी.) तैयार किया जा रहा है और इसको पूर्व मध्य रेलवे के पास अनुमोदन के लिए जमा किया जाएगा।

(एफ) चेनेज 17.000 किलोमीटर और चेनेज 18.000 किलोमीटर के बीच में पिपरवार से मैक्लूस्कीगंज रेल लाइन संरेखण में दो वार्फ वाल का निर्माण (लोडींग प्लैटफॉर्म) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निर्माण

यह काम सितम्बर, 2015 में रु. 35.27 करोड़ की लागत से करने के लिए मेसर्स राइट्स लिमिटेडसौंपा गया है। व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और इसकी मंजूरी के लिए पूर्व मध्य रेलवे के पास प्रस्तुत किया गया है।

(जी) मगध रेलवे साइडिंग का निर्माण

मेसर्स राइट्स लिमिटेड के रु. 391.00 करोड़ की बजट्री प्रस्ताव को सीसीएल द्वारा अनुमोदित किया गया है। मगध रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए सेक्शन - 7 प्रक्रिया शुरू किया गया है।

मौजूदा रेलवे साइडिंग के नवीनीकरण

निम्नलिखित साइडिंग के नवीनीकरण का कार्य पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद डिवीजन द्वारा जमा अवधि कार्य के आधार पर प्रगति पर है — 1. ढोरी - I साइडिंग, 2. ढोरी - II साइडिंग, 3. तारमी साइडिंग, 4. जारंगडीह - I साइडिंग, 5. जारंगडीह - II साइडिंग, 6. एन. आर. और सारूबेरा (चरण - I), 7. एन. आर. और सारूबेरा (चरण - II), 8. के. डी. एच. - I साइडिंग, 9. डकरा साइडिंग, 10. बचरा साइडिंग, 11. साउन्दा - बी साइडिंग, 12. न्यु सेलेक्टेड ढोरी साइडिंग।

मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा करगली (वाशरी) साइडिंग का नवीनीकरण का कार्य भी प्रगति पर है।

29. भूगर्भीय सेवाएँ

वित्त वर्ष 2015-16 में भूगर्भ विभाग के कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन

ए. छिद्रण

वित्त वर्ष 2015-16 में एक लाख मीटर के लक्ष्य के तुलना में कुल 86115 मीटर छिद्रण कार्य हुआ जिसकी उत्पादकता 1423-25 मीटर प्रति ड्रिल से अधिक है जो 2 ड्रिलिंग कैम्प तोपा और लपंगा में स्थित 5 कार्यरत ड्रिल से सम्पन्न हुआ है। इस छिद्रण कार्य में खनन सेवा हेतु ब्लास्ट होल, जल निकासी एवं ट्यूबवेल हेतु लार्ज डायामीटर बोर होल्स एवं गवेषण हेतु नॉन कोर बोर होल शामिल है।

बी. परियोजना दस्तावेजीकरण एवं सम्बन्धित कार्य

(i) भूगर्भ

वर्ष 2015-16 में निम्न कार्य कम्पन्न हुआ जिसके अधिकांश खनन परियोजनाओं के उत्पादन आधारित खनन सेवाएँ एवं भावी खनन योजना क्रिया कलापों के सम्बन्ध में हैं :

1. सीसीएल अधिकार क्षेत्र में विभागीय और वाह्य संसाधनों द्वारा सीआईएल ब्लॉक में गवेषण कार्य किये जा रहे हैं। गवेषण कार्य का लोकेशन प्लान इत्यादि कार्य हेतु सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक (गवेषण), क्षेत्रीय संस्थान - III से सम्पर्क स्थापित करना, मासिक प्रगति प्रतिवेदन में भूगर्भीय जानकारी एवं विचाराधीन/लम्बित कोलकोर।

2. 01.04.2015 तक सीसीएल अधिकार क्षेत्र का कोयला भण्डार का एकत्रीकरण। सीसीएल अधिकार क्षेत्र में कोयले का भण्डार 43.060 बिलियन टन है। 01.04.2015 तक भारत के कोल इन्वेन्ट्री में कोयले का भण्डार 306.595 बिलियन टन है।

आउट सोर्सिंग के प्रस्ताव

1. एन के एरिया के रोहिणी ओसीपी से तीन वर्षों के लिए 87.59 लाख क्युबिक मीटर ओबी निष्कासन एवं 41.28 लाख टन कोल उत्पादन स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

2. पिपरवार एरिया के अशोक ओसीपी से आठ वर्षों के लिए 1050.00 लाख क्युबिक मीटर ओबी हटाने एवं 975 लाख टन कोल

उत्पादन सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

3. मगध-आम्रपाली क्षेत्र के मगध ओसीपी से आठ वर्षों के लिए 320.630 मिलियन क्युबिक मीटर ओबी (इंटर बर्डन सहित) निष्कासन एवं 227.100 क्युबिक मीटर टन कोल उत्पादन स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

4. मगध-आम्रपाली एरिया के आम्रपाली ओसीपी से आठ वर्षों के लिए 148.600 मिलियन क्युबिक मीटर ओबी इंटर्बर्डेन एवं रिहैन्डलिंग सहित निष्कासन एवं 121.550 मिलियन टन कोल उत्पादन स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

5. ढोरी एरिया के सेन्ट्रल सेक्टर पैच एक्स एवं जेड एसडीक्यु 3 क्यु परियोजना (ओसीपी) से 1 वर्ष चार महीने के लिए 16.443 लाख क्युबिक मीटर ओबी जिसमें 1.785 लाख क्युबिक मीटर शामिल है, एचईएमएम को किराया पर लेना स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

6. ढोरी एरिया के तारमी कोलियरी आउट सोर्सिंग पैच - एक्स, वाई, जेड ओसीपी से 1 वर्ष के लिए 9.00 लाख क्युबिक मीटर ओबी हटाने एवं 7.750 लाख क्युबिक टन कोल उत्पादन हेतु एचईएमएम को किराया पर लेना स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

7. पिपरवार एरिया के अशोक ओसीपी (इंट्रासिम पार्टींग सहित) से बारह महीने के लिए 61.92 लाख क्युबिक मीटर ओबी हटाने हेतु स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

8. कुजू एरिया के कुजू ओसीपी से कोयला एवं ओबी के निष्कासन हेतु संविदा की समय सीमा की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी - एवार्डेड एरिया नजदीक एन एक्स की मात्रा में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी एवं ओबी हटाने / निकासी का रिएप्रोप्रियेशन स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

9. ढोरी एरिया के अमलो ओसीपी से ओबी हटाने एवं कोल निष्कासन कार्य स्कीम सम्बन्धी वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

10. मगध ओसीपी में दो वाह्य संसाधन संविदा जो मेसर्स सैनिक माईनिंग एण्ड एलाईड सर्विसेस और मेसर्स वीपीआर - वीजीआर - पीएलआर कॉन्सोर्टियम को निर्गत है, इनके मुल संविदा के शर्तों में बिना फेर बदल किये कार्य क्षेत्र का आपसी बदलाव स्कीम वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

11. रजरप्पा एरिया के सेक्सन - II, रजरप्पा ओसीपी से 1.753 लाख क्युबिक मीटर ओबी हटाने एवं 0.309 मिलियन टन कोल निष्कासन स्कीम वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

12. मगध-आम्रपाली एरिया के आम्रपाली ओसीपी से 22.170 मिलियन क्युबिक मीटर

ओबी हटाने एवं 15.00 मिलियन टन कोल निष्कासन स्कीम - वाह्य संसाधनों के उपयोग के प्रस्ताव के लिए भूगर्भीय अध्ययन।

(ii) कैप्टिव माईन ब्लॉक

1. कैप्टिव माईन ब्लॉक से सम्बन्धित प्रश्नों का जबाव विभिन्न प्राधिकारों को दिया गया।

(iii) अन्य

1. वर्ष 2016-17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा (विभागीय एवं वाह्य) सीसीएल अधिकार क्षेत्र में सीआईएल ब्लॉकों की गवेषण कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करना।

2. विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

सी. भू-जल विज्ञान एवं परीक्षण छिद्र

सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों पेय जल आपुर्ति, कोयला एवं ओबी को प्रमाणित करने हेतु कुल 65 गहरे टिबवैल एवं परीक्षण छिद्र का छिद्रण हुआ।

डी. विशेषज्ञ सेवाएँ और कम्प्युटरीकृत कार्य

भूगर्भ विभाग सीसीएल - आईआईटी खड़गपुर, बी आई टी मेसरा, सीएमपीडीआई, एमईसीएल और यादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से सीआईएल आर एण्ड डी निधि से जीआईएस आधारित दो बड़ी परियोजनाओं "**इंटर एक्टीव जीओ-माईनिंग मॉडल ऑफ एस के सी एफ एण्ड डब्ल्यु बी सी एफ**" को पूर्ण किया। अंतिम प्रतिवेदन में सभी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी / डाटा को संलग्न किया गया है। बोर होल डाटा, मैप डाटा प्रोसेस आउट पुट दस्तावेज सहित सभी मुल डाटा का रखरखाव करता है। बेसिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए, भूगर्भीय मॉडल बनाने हेतु और विभिन्न आन्य प्रयोगों में सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन जैसे माईनेक्स, ऑटो कैड मैप और एस क्यु एल - सरवर का प्रयोग किया जाता है।

ई. कोयला भण्डार (कोल रिजर्वस)

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार 01.04.2015 तक सीसीएल अधिकार क्षेत्र में (1200 मीटर गहराई तक) कोयले का भूगर्भीय भण्डार (प्रमाणित, सूचित, अनुमानित वर्ग में) 43.060 बिलियन टन है।

कोयले का भण्डार इस प्रकार है :

(आँकड़ा बिलियन टन में)

कोयला	प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8.026	9.164	1.660	18.850
नॉन-कोकिंग	13.233	7.801	3.176	24.210
योग	**21.259**	**16.965**	**4.836**	**43.060**

30. कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को प्रारम्भ किया है —

1. सम्पूर्ण सीसीएल में ऑफिस ऑटोमेशन

ऑफिस ऑटोमेशन का विस्तार करने के लिए पूरे सीसीएल में कम्प्यूटर और सहायक उपकरण ऑफिस सूट के साथ खरीद कर इन्सटॉल कर दिये गए हैं। कोलनेट एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सीसीएल के व्यापार कार्यक्षमताओं का विस्तार करने के लिए ये कम्प्यूटर एक क्लाइंट / नोड के रूप में भी काम करते हैं।

2. **सीसीएल के सभी कमान क्षेत्रों में वाइड एरिया नेटवर्क (वैन)**

दिसम्बर, 2015 से वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) सीसीएल मुख्यालय को सीसीएल के क्षेत्रों, परियोजनाओं, स्टोर, केन्द्रीय कार्यशाला, केन्द्रीय अस्पतालों, धर्मकाँटा (रोड और रेल) और कोलकाता में सीसीएल के बिक्री कार्यालय को जोड़ने के लिए कार्यान्वित है। इसके कार्यान्वयन के बाद से डाटा प्रवाह के स्वचालन को बढ़ाया गया और नेटवर्किंग सुनिश्चित किया गया है। इसके कार्यान्वयन से पूरे सीसीएल में कार्यात्मक उपयोगकर्ताओं ने बिक्री एवं विपणन, वित्तीय लेखा और एकीकृत ओ. एम. एम. एस. (ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली) आदि व्यवसाईक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुगमता प्राप्त की है। कोल इण्डिया स्तर पर ईआरपी पैकेज स्थापना और कार्यान्वयन की योजना बनाई जा रही यह उसमें भी सहयोग करेगा। यह वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए रीढ़ की हड्डी है।

3. **फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सिस्टम**

फिल्मोट्स (फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सिस्टम) का विकास एवं कार्यान्वयन फ़ाइल, पत्र एवं नोट शीट की वर्तमान स्थिति को पता करने के लिए किया गया है। एक सिंगल क्लिक पर फ़ाइल, पत्र एवं नोट शीट की वर्तमान स्थिति को फिल्मोट्स की मदद से आसानी से की पता कर सकते हैं। फ़ाइलों के हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका अदा गी है। फ़ाइलें / पत्र आदि की ऑनलाइन ट्रैकिंग अब आसानी से की जा सकती है।

4. **बिल ट्रैकिंग सिस्टम**

विभिन्न विभागों में बिल के हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली सीसीएल में विकसित की गयी है। समय के किसी भी बिंदु पर बिल के वर्तमान स्थिति को अब ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

5. **कोलनेट एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर**

सीसीएल भर में सम्बन्धित उपयोगकर्ताओं को व्यापारिक कार्यक्षमताओं का समाधान प्रदान करने के लिए और एक समान रिपोर्टिंग के लिए ईआरपी की तरह कोलनेट की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत 6 मॉड्यूल क्रमश: (1) वेतन, (2) फिनानशीयल इन्फॉर्मेशन (एफआइएस), (3) ऑनलाइन मैटेरियल मैनेजमेंट (ओएमएमएस), (4) कार्मिक इन्फॉर्मेशन (पीआईएस), (5) सेल्स एण्ड मार्केटिंग (एस एण्ड एम) और (6) प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन (पीआईएम) हैं।

6. **सर्वर और इसके सम्बद्ध सहायक उपकरण**

नए सर्वर को पुराने सर्वर के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं कार्यान्वित किया गया है। नए स्थापित डेटा एवं अनुप्रयोग सर्वर दोनों भण्डारण और दक्षता के मामले में विशाल क्षमता के हैं। मुख्यालय के सर्वर एवं क्षेत्र सर्वर समान रूप से उच्च दक्षता के हैं और उनमें सैन स्टोरेज और सहायक उपकरण भी शामिल हैं। इन सर्वर का उपयोग कोलनेट अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है और वर्तमान में कोलनेट के छ: मॉड्यूल, बिल ट्रैकिंग मॉड्यूल एवं फाइलग ट्रैकिंग मॉड्यूल आदि अन्य एप्लिकेशन के साथ काम कर रहे हैं।

31. सुरक्षा प्रबन्धन

वर्ष 2015-16 में सुरक्षा विभाग, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने जवानों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर 24 X 7 घंटों सीसीएल के कमाण्ड एरिया / परियोजना / खदानों में मुस्तैदी पूर्वक अवैध खनन

के रोक थाम कर गौरवपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। मुख्यालय दरभंगा हाउस तथा एरिया के विभिन्न परियोजनाओं के बीच पूर्ण तालमेल के लिये सूचनाओं का आदान-प्रदान त्वरित गति से हब टू स्पोक मेकानिज़म के तहत होता है। इसका उपयोग कम्पनी के लिये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के रूप में भी किया जाता है।

विभाग द्वारा 2015-16 में 12 कमाण्ड एरिया में 453 रेड कर 99 मैट्रीक टन, अनुमानित मूल्य 24.73 लाख कोयला अपने कब्जे में किया। लीज होल्ड एरिया में अवैध खनन को रोक राज्य पुलिस थानों में अपराधियों के विरुद्ध एफ. आई. आर. की गयी है।

विभाग द्वारा कोयला खानों के पास चोक पोस्ट का निर्माण, कोयला डीपो के पास कंटीली तारों का घेरा, रात्रि पेट्रोलिंग गस्ती दल, काँटा घरों के पास सी. सी. टी. वी. कैमरा जो कि 24 X 7 घंटों की रिकॉर्डिंग करती है। जीपीएस एवं आरएफआईडी प्रणाली व्यवस्था की गयी है। विभाग द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवा ली जा रही है। जो विभाग को और शक्तिशाली कर रही है जो कि सभी तरह के आधुनिक गजट, बुलैट प्रुफ गाड़ियाँ, रात्रि में दिखने वाली ग्लास एवं आधुनिक हथियारों से लैस है। एशिया के सबसे बड़ी खदान मगध एवं आम्रपाली, जिला - चतरा (झारखण्ड) में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकार से बात चल रही है जिससे कि सीसीएल की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

विभाग अपने कॉलोनियों (कर्मचारियों एवं अधिकारियों का निवास स्थान) एवं कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के मद्दे नजर, सी. सी. टी. वी. कैमरा की व्यवस्था में प्रयासरत है। विभाग द्वारा सीसीएल के कमाण्ड एरिया में सुरक्षा व्यवस्था के लिये समय-समय पर दिशा-निर्देश एवं 24 X 7 घंटों सम्पर्क में रहने के लिये सीसीएल दरभंगा हाउस परिसर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित की गयी है जो प्रबंधन को सही और समय पर सूचना देती है।

विभाग द्वारा चोरी की रोकथाम अवैध खनन को रोकने के लिये एक ज्वाईंट टास्क फोर्स (जे. टी. एफ.) का निर्माण के लिये रोड-मैप राज्य सरकार को भेजी गयी है जिसमें राज्य सरकार एवं सीसीएल सुरक्षा बल मिलकर कार्य करेंगे, जिससे गलतियों की संभावना ना के बराबर होगी एवं सीसीएल के सुरक्षा तंत्र निकट भविष्य में और भी प्रखर हो कर उदयमान होगी।

32. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2015-16 में कम्पनी ने राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किये -

1. राजभाषा विभाग द्वारा नियमित कार्यशाला एवं निरीक्षण के कारण, क्षेत्रों में राजभाषा में कार्य का प्रतिशत बढ़ा है। तिमाही बैठकों में क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की भागीदारी में पहले से सुधार हुआ है।

2. वर्ष के दौरान प्रति तिमाही कार्यान्वयन बैठक की जाती है। अब तक 4 बैठक और 4 कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

3. अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक सीसीएल की पहल से प्रति तिमाही राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों एवं क्षेत्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। इससे विभागों और क्षेत्रों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ी है।

4. नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की हर छैमाही बैठक में राँची में स्थित सरकारी उपक्रमों की भागीदारी रहती है और गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सीसीएल के अप्रनि उसकी अध्यक्षता करते हैं। अप्रनि सीसीएल नराकास (सरकारी उपक्रम) के अध्यक्ष भी हैं, उनकी

पहल से कम्पनी ने राजभाषा पर निबंध प्रतियोगिता करवाई थी जिसमें लगभग सभी उपक्रमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इन निबंधों को एकत्र करके एक पुस्तक के रूप में 'नगर राजभाषा दर्पण' के नाम से कम्पनी द्वारा प्रकाशित की गई।

5. हाल ही में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एवं सीसीएल की संयुक्त पहल से नराकास के तत्वावधान में स्वरचित काव्य पाठ, तात्कालिक भाषण के साथ एक संगोष्ठि का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सीसीएल अप्रनि श्री गोपाल सिंह ने की। पुरस्कार वितरण समारोह में सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) श्री आर. एस. महापात्र ने विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया।

6. वर्ष पर्यन्त विभिन्न संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाले राजभाषा प्रशिक्षणों में सीसीएल के लगभग 70 व्यक्तियों को कम्पनी की ओर से प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इनमें मंत्रालय द्वारा राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली भी शामिल है, जिसमें प्रतिमाह 3 से 5 व्यक्ति को प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है।

7. वर्ष पर्यन्त, रई महत्वपूर्ण राजभाषा पुरस्कारों से कम्पनी, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (कार्मिक) को नवाजा गया है। अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी, भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, परिवर्तन जन कल्याण समिति, राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास, अखिल भारतीय राजभाषा विकास एवं सम्मान समारोहों में राजभाषा ज्योति, राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान, राजभाषा शील्ड, विशेष राजभाषा सम्मान, राजभाषा श्री, राजभाषा कीर्ति सम्मान और कई व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

8. 2015 सितम्बर माह, राजभाषा माह के रूप में मनाया गया। माह पर्यन्त निबंध, टिप्पण-आलेखन, प्रश्नमंच, तात्कालिक भाषण, कम्प्युटर टाइपिंग आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। लगभग 165 कर्मियों को नगद / अन्य पुरस्कारों से प्रोत्साहित किया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन मुख्यालय के विभागों और तीन क्षेत्रों को पुरस्कृत किया गया।

33. सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग कम्पनी का एक अभिन्न अंग है जिसमें 19 अधिकारी एवं 23 कर्मचारी हैं जो मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यरत हैं। यह विभाग संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में प्रभावी सेवाएँ का प्रतिपादन करता है। विभाग के द्वारा वर्ष 2015-16 में निरोधक, जाँच पड़ताल एवं दण्डात्मक कार्यों की निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त अवलोकन नीचे दिया गया है।

1. जाँच-पड़ताल

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सतर्कता विभाग के द्वारा 24 (आरआई) मामलों की नियमित जाँच-पड़ताल की गई और 27 (आरआई) नियमित जाँच पूरी की गई। इन सबके अलावे चालू वित्त वर्ष में विभाग में 365 शिकायत प्राप्त हुई जिनकी जाँच कर यथोचित कार्रवाई शुरू की गई।

2. दण्डात्मक कार्रवाई

इस वित्तीय वर्ष में सतर्कता जाँच-पड़ताल के द्वारा 17 अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई जिसमें 18 व्यक्तियों को बड़ा दण्ड (major penalty) एवं 13 व्यक्तियों को अल्प सजा (minor penalty) दी गई।

3. निवारक

- इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग के टीम के द्वारा कम्पनी के विभिन्न इकाइयों में 26 औचक निरीक्षण किया गया

जिसमें तीन पर नियमित जाँच-पड़ताल प्रारम्भ की गई। 02 पर सामयिक सतर्कता जाँच की गई जिसमें एक मामले पर नियमित जाँच शुरू हुई।

- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग के द्वारा सीसीएल के 60 अधिकारियों के दावारा जमा की गई वार्षिक सम्पत्ति की जाँच की गई। जिसमें 6 अधिकारियों को चेतावनी / सावधानी बरतने के लिए आगाह किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा किए गए जाँच - पड़ताल / औचक निरीक्षण के दौरान कार्य-प्रणाली में देखे गए अनियमितताओं के निवारण हेतु कार्य प्रणाली में निम्नलिखित सुधार सक्षम पदाधिकारियों को बताए गए।

(i) सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि क्षेत्रों में सिविल कार्यों से सम्बन्धित कुछ खामियाँ हैं। यह देखा गया कि प्री क्वालिफिकेशन रिक्वारीमेंट (पीक्यूआर) में असंगति है और अपारदर्शी है जिसमें उचित अनुमोदन और किसी प्रकार की न्यायीक तथ्यों का रिकॉर्ड नहीं है। इसके कारण निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारी के बीच उचित मध्यस्तता नहीं हो पाती है। इसी प्रकार कम्पनी के दूसरे क्षेत्रों में भी पी. क्यू. आर. को फिक्स करने में एकरूपता नहीं है। इस विषय को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है।

(ii) मृत कर्मी का धोखे से निकाला गया ग्रेच्यूटी एवं एल. सी. एस. बकाया का सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि 2013 में चिकित्सीय आधार पर वी. आर. एस. कर्मी का 1979 में महिला कर्मी के स्वैच्छिक निवृति योजना के तहत गलत तरीके से नियुक्ति की गई, आगे ग्रेच्यूटी एवं सी. एम. पी. एफ. मृत कर्मी के किसी गलत नामित व्यक्ति को दिया गया। सक्षम प्राधिकारी को यह तथ्य बताए गए और इस विभाग को ए. टी. आर. प्रेषित करने को कहा गया।

(iii) सीसीएल के दो वाशरी से बहता / जमा सलरी उठाने के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में आई।

(अ) सीसीएल ईंट निर्माताओं (आरआई) को फ्लोइंग सलरी 1980 के पहले से देता आ रहा है और इस प्रक्रिया में राख का उत्पादन होता है। ठेके के अनुसार यह राख सीसीएल की सम्पत्ति है मगर 1990-97 के बीच चार पार्टियों ने राख उठाई जो माननीय न्यायलय के अंतरिम आदेश के अनुसार था और 1990 में सीसीएल के एफ. डी. में अनुमोदित हुआ था।

(ब) इस बात पर माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि राख सीसीएल की सम्पत्ति है। अत: पार्टी द्वारा उठाई गई राख पर शुल्क लगना चाहिए। इस अनुसार अक्तूबर, 1998 में सीसीएल ने 5.57 करोड़ का बिल राख के मूल्य का बकाया प्राप्त करने के लिए दिये। राशि का भुगतान न होने पर चारों पीर्टियों के विरूद्ध मनीशुट फाइल की गई। सीसीएल के पक्ष में एक मामले पर निर्णय दी गई, मगर उसकी कार्यवाही की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के पास ही रही, जो जनवरी, 2014 में सुलझी। तीन अन्य मामले काफी समय से लंबित रहे, सितम्बर, 2013 में सीसीएल के पक्ष में दो मामले

आए जबकि एक मामला लंबित है। हालाँकि उपरोक्त बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है परन्तु तीन दोषी पार्टियाँ लिंकेज / एफ. डी. अनुमोदन / न्यायालय आदेश / एफ. एस. ए. के तहत 2013 मई / जून तक वाशरियों से स्लरी उठाती रही है।

(स) 2008 में नई कोल डिस्ट्रिव्यूशन पॉलिसी के आने से उपरोक्त तीनों दोषी पार्टियों ने क्षेत्रीय स्तर पर सीसीएल के साथ स्लरी की आपूर्ती के लिए पाँच वर्षों का एफ. एस. ए. किया। उपरोक्त अवलोकनों को सक्षम प्राधिकारी के उचित कार्रवाई के लिए ध्यान में लाया गया।

(i) बकाया राशि के भुगतान के लिए कोर्ट में मनीशूटस मामले कई दशकों से लम्बित थे और एक मामला अभी भी लम्बित है इस दौरान पार्टियों के पास बड़ी बकाया राशि होने के बावजूद सीसीएल से स्वरी उठा रही है। देरी को देखते हुए विधि मामलों की जल्दी निपटारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। पार्टियों को बहता / जमा स्लरी सीसीएल के किसी भी वाशरी से अपने नाम पर या अन्य नाम से उठाने की अनुमति से पहले बकाया भुगतान जल्द से जल्द होने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है।

(ii) 2007 में आये नए एन. सी. डी. पी. में स्लरी की आपूर्ति के लिए एफ. एस. ए. के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। 2008 में एफ. एस. ए. के द्वारा तीन दोषी पार्टियों ने क्षेत्रीय स्तर पर स्लरी की आपूर्ति का एफ. एस. ए. किया है। हालाँकि एडिसनल सॉलीसिटर जनरल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ने 26.10.2014 को अपने विचार में व्यक्त किया कि 2008 में हुए स्लरी की आपूर्ति के लिए एफ. एस. ए. माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007 के अनुरूप है। वैध उपभोक्ताओं के साथ स्लरी के आपूर्ति के लिए एफ. एस. ए. के विषय में पॉलिसी बनाई जाए, जैसे कोयला की आपूर्ति के लिए बनाई गई है।

(iv) एक क्षेत्र के साइडिंग से नॉन कोर रेक्श की भराई के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच के दौरान पाया गया कि हालाँकि रेलवे वैगन पर भराई का दायित्व सीसीएल का है, मगर उस कार्य में उपभोक्ता प्रतिनिधीगण / स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भेजे गए एजेंट का बड़ा हस्तक्षेप है जो अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले की छंटनी और पत्थर तथा अन्य फालतू सामानों को छांट कर कोयले से अलग करते हुए भराई के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण नॉन कोर उपभोक्ता साइडिंग में खड़े रह जाते हैं और उपभोक्ता से क्षतिपूर्ति ली जाती है। अगर यह देरी नहीं होती तो और अतिरिक्त रेक भी साइडिंग से प्रेषित किए जा सकते थे। उपभोक्ता प्रतिनिधियों / हैण्डलिंग एजेंट के द्वारा कार्य में बाधा डालने से कार्य में

अत्यधिक विलम्ब होती है और साइडिंग की उपयोगिता कम होती है जिससे प्रेषण बाधित होता है। उक्त बातों को सक्षम पदाधिकारी के ध्यान में उचित कार्रवाई के लिए लाया गया।

(v) क्षेत्रों में क्वार्टरों के निर्माण कार्य के (आई. टी. ई.) इनसेंटिव तकनीकी परीक्षण के सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए :

(अ) जाँच के दौरान सतर्कता टीम और महाप्रबन्धक (सिविल) द्वारा गठित टीम ने सुधार के लिए जरूरी कई कमियों को पाया। महाप्रबन्धक (सिविल) को सुझाव दिया गया कि उपरोक्त भवन को ग्रहण करते समय उपचारात्मक कार्रवाई लें और जरूरत हो तो सिविल इंजीनियरिंग मैनुअल (सी. इ. एम.) की धारा 8.06, 8.07 और 8.08 के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है।

(ब) ठेके के अनुसार निर्माण स्थल पर तकनीकी श्रम शक्ति नहीं लगाई गई हो तो ठेकेदार के विरूद्ध ठेका प्रावधान के अनुसार उचित दण्डीय कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया।

(स) ऐसा देखा गया है कि भुगतान का आकलन सामग्री, लेबर आदि के मूल्य का बढ़ना / घटना का हिसाब, एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। अत: महाप्रबन्धक (सिविल), सीसीएल को सलाह दी गई कि वे इस मामले पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि ऐसी गणनाएँ एग्रीमेंट के अतिरिक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार हों।

(ड) उपरोक्त क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा बिल प्रोसेसिंग की पद्धति सी इ एम की धारा क्र. 6.01 और 5.02.1 के अनुरूप नहीं है। इस विषय में महाप्रबन्धक (सिविल), को निर्देश दिया गया कि कम्पनी के किसी भी क्षेत्र में सी इ एम के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

(vi) एक क्षेत्र में डिजेल डिस्पेंसिंग यूनिट (डी डी यू) के सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि डी डी यू में अधिकारियों की पदस्थापना छ माह के अंदर दुबारा वही कर दी जाती है जबकि उनका स्थानांतरण संवेदनशील स्थानांतरण और पोस्टिंग के अन्तर्गत आता है, यह सी आइ एल के दिशानिर्देश के अनुसार नहीं है। इस मामले को सम्बन्धित अधिकारी को यथोचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया और इस कार्यालय को सूचित करने को कहा गया।

(vii) कम्पनी के एक अस्पताल के सतर्कता जाँच के दौरान पाया गया कि सीसीएल के अस्पताल में उपचार करनेवाले कर्मी के गैर हकदार सम्बन्धियों के उपचार का कर्मियों के वेतन से कटौती सही तरीके से नहीं होता है जिसका प्रतिपुष्टि भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह पाया गया कि पैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेजे गए रेफेरल केस का अस्पताल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सक्षम पदाधिकारियों के ध्यान में स्थिति को लाया गया, सुझाव दिया गया आवश्यक रिकॉर्ड एम आई एस डेटाबेस में किया जाय जो नये टेस्टिंग उपकरणों के खरीद के समय कीमत विश्लेषण के दौरान उपयोगी होगा।

(viii) रेलवे वेब ब्रिज के ठीक तरीके से काम नहीं करने और प्रेषण में कम मात्रा में कोयला साडिंग से भेजने लिए सी. सी. टी. वी. कैमरा लगाया जाए।

(ix) सीसीएल की एक खुली खदान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक की आपूर्ति के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच के दौरान यह देखा गया कि 2010-11 और 2011-12 के आर. सी. के प्रावधान के अनुसार बड़ी मात्रा में विस्फोटक होल में डाला जाता है उसे वे-ब्रिज से नेट डेलीवरी की काउंटर जाँच हर रोज होनी चारिए। एक परियोजना में पाया गया कि कई माह से उक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। कुछ जगह लोडिंग शीट / वेट मीटर मात्रा और वे-ब्रिज मात्रा में विस्फोटक की खपत में काफी अनियमितताएँ हैं।

यह देखा गया है कि :

(अ) रोज के आधार पर नपाई होती तो फायदा कम्पनी को होता यदि नेट वे-ब्रिज रीडिंग, लोडिंग शीट / वेट-मीटर मात्रा से कम होता। रेट कॉन्ट्रैक्ट के दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

(ब) ब्लास्टिंग स्थल पर थोक विस्फोटक वैन में निहित पानी के उपयोग से गलत परिणाम देने की संभावना है और इससे वे-ब्रिज द्वारा क्रॉस चेकिंग नपाई अप्रभावी हो जाती है। उपर्युक्त अवलोकनों को सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया और उचित कार्रवाई कर इस कार्यालय को सूचित करने के लिए निर्देश दिये गये।

(x) एक ओ. सी. पी. सरफेस स्टॉक से वाशरी तक कोयले के यातायात के इंटेन्सिव टेक्निकल एग्जामिनेशन (आई. टी. ई.) के सतर्कता जाँच के दौरान ये देखा गया कि ठेका में जी. टी. सी. धारा 18 और धारा 17 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।

पूर्ण अवलोकन निम्नलिखित हैं :

(अ) जी. टी. सी. की धारा 18 में दिया गया है कि ट्रकों को लोडिंग और अन-लोडिंग छोर पर वजन किया जाय और आँकड़ों को प्रतिमाह मिलाया जाय, यदि अन-लोडिंग छोर पर प्राप्त कोयले की मात्रा कम हो तो कम मात्रा में पाये गए कोयले का मूल्य दुगुना काटा जाए जो उस समय के दर के अनुसार होगी जिसमें सभी रॉयल्टी, सेस, जो सुरक्षा जमा राशि से लिया जाएगा या कार्य आदेश / करार में विशेष रूप से जो दिया गया हो। ये पाया गया कि 2011 से 2012 तक सात माह में उपरोक्त कार्य हुए पर ट्रकों का लोडिंग प्वाइंट में निरंतर दो माह तक वजन नहीं किया गया। ट्रकों का दोनों स्थानों में वजन के बाद एक या दो टन का अंतर आया तो भी उपरोक्त क्लॉज़ के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई।

(ब) इस मामले में जी. टी. सी. की धारा 17.0 को ठीक से लागू नहीं किया गया। इस मामले में लोडिंग इंड में वे-ब्रिज के ब्रेक डाउन होने पर कोई दूसरा उपाय वजन करने के लिए (लोडिंग इंड पर) नहीं किया गया।

दूसरे क्षेत्रों में भी परिवहन ठेके में जी. टी. सी. के क्लॉज़ 17.0 और क्लॉज़ 18.0 को ठीक से लागू नहीं होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया गया जो उक्त क्लॉज़ को लागू करवाने को सुनिश्चित करें और इस कार्यालय को सूचित करें।

(xi) एक क्षेत्र में 82 पो ऑर्डर में ठेकेदार को दिये गए सर्विस टैक्स के स्वीकार्यता के सम्बन्ध में यह देखा गया कि कुछ एक मामले में सर्विस टैक्स का भुगतान सीसीएल के द्वारा किया गया है जो करार / अनुबंध / सीसीएल के बोर्ड निर्णय के अनुरूप नहीं है। इस मामले में इस विभाग द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है और सम्बन्धित अधिकारी को अग्रेषित किया गया है जिसमें वे वित्तीय अंकेक्षण और अधिक दी गई राशि को वापस ले सकें जहाँ भुगतान हुआ है। इन कमियों को दूर करने के लिए उचित मानदण्ड बनाए जाएँ जिसमें ऐसी कमियाँ आगे न हो।

(xii) कम्पनी के विभिन्न परियोजनाओं के मैनुअल लोडिंग सेक्शन में भ्रस्टाचार की शिकायत पर औचक जाँच के दौरान मैनुअल लोडिंग द्वारा कोयला उत्पादन में गंभीर कमियाँ दिखादी। इसे ध्यान में रखकर निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई हैं :

(i) मैनुअल लोडिंग को पूर्णप्रमाणित पद्धति जब तक नहीं आती तब तक के लिए रोक सकते हैं।

(ii) संवेदनशील पोस्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का तीन वर्षों में रोटेशन किया जाए।

(iii) उपस्थिति का हिसाब रखने के लिए बायोमेट्रिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाये जिससे उपस्थिति के हिसाब में कमियों को कम किया जा सके।

(xiii) ओ. सी. पी. से वाशरी तक कोयला परिवहन और लोडिंग के कार्य का तीन वर्ष के करार के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताओं देखी गई :

(अ) सामान्य नियम एवं शर्त जो सीसीएल के क्षेत्र में कोयला के लोडिंग एवं परिवहन के कार्य के लिए बैंक गारंटी की वैध्यता 4.3 (सी), सेक्शन - 3 क्लॉज़ में स्वीकार किया जो निश्चित कम अवधि के लिए मान्य है उसे दोबारा सत्यापित नहीं की गई थी।

(ब) करार के सामान्य नियम एवं शर्तों के क्लॉज़ - 6.4 सेक्शन - 3 के अनुसार ओ. सी. पी. में हिन्ड्रेन्स रजिस्टर के रख-रखाव में यह पाया गया कि वाशरी में ठेका कार्य के निष्पादन में कई बड़ी बाधाएँ हैं और उनके रिकॉर्ड केवल ओ. सी. पी. द्वारा ही रखे जाते हैं। एक मानक, संदेह-हीन पद्धति के न होने पर जो हिन्ड्रेन्स के प्रमाणिकरण और अपडेटिंग के लिए ठेकेदार के कार्यों को प्रमाणित करने में आवश्यक ठेकेदारों को दण्ड से बचने में सहायता करता है और सफलतापूर्वक पूर्णता का प्रमाण-पत्र मिल जाता है जबकि निश्चित समयावधि में ठेकेदार अवार्डेड कार्य का आधा कार्य ही पूर्ण करता है।

(स) उपरोक्त अवधि में वाशरी में हिन्ड्रेन्स के लिए कोल रिसिप्ट में कोई लॉग बुक नहीं है और प्लांट के ब्रेकडाउन का भी उल्लेख नहीं है। इससे वाशरी में कम कोयले की प्राप्ति को प्रमाणित करने का कोई उपाय नहीं रहता। चालू एवं भविष्य में होने वाले सीसीएल के सभी क्षेत्र में ठेकों में ऐसी कमियाँ को होने की संभावना से इंकार नहीं

किया जा सकता। यह विषय सीएमडी, सीसीएल के ध्यान में लाया गया, फलस्वरूप तीन माह का समय हर क्षेत्र को दिया गया ऐसी कमियों को खत्म करने के लिए उचित पद्धति बनाने के लिए। इस मुद्दे को उचित कार्रवाई कर इस कार्यालय को सूचित करने को कहा गया।

(xiv) एक परियोजना में झूठे बिल के प्रक्रिया और भुगतान के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच के दौरान ये पाया गया कि दो पार्टी को 104 झूठे बिल के तहत 80,05800/- का भुगतान हुआ है। आगे पाया गया आठ झूठे बिल जिनके राशि 6,15,834/- है, दो पार्टियों को भुगतान के लिए प्रोसेस / पास होकर कैश अनुभाग में बकाया है, हालाँकि इन झूठे बिलों को क्षेत्रीय वित्त द्वारा रोक दिया गया है। उपरोक्त पाये गये अवलोकन निम्नलिखित हैं :

(अ) झूठे बिल देने के लिए सम्बन्धित पार्टियों पर कार्रवाई की जाए। भुगतान की गई राशि की वसूली पार्टियों से करवाने की कार्रवाई की जाए।

(ब) कम्पनी स्तर पर ऐसे जालसाजी को रोकने के लिए भविष्य में कम्पनी के वर्तमान नियमों में पर्याप्त मापदण्ड बनाए जाएँ जिससे प्राप्ति / प्रेषण एवं बिल की प्रक्रियाओं के वर्तमान प्रणाली को सशक्त बनाया जा सके।

(स) ऐसे जालसाजी के कार्यों की आगे पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पूरे सीसीएल में परियोजना / क्षेत्रीय स्तर पर फाइल एण्ड बिल ट्रैकिंग सिस्टम को जल्द लागू किया जाए।

इन तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया जिससे वे आगे की कार्रवाई कर सकें।

(xv) एक परियोजना में डीजल डिस्पेंसिंग युनिट (डी. डी. यू.) के कार्यों से सम्बन्धित सतर्कता जाँच के दौरान पाया गया कि :

(अ) **सही डिप चार्ट की अनुपलब्धता :** कार्यालय आदेश क्र. डाय/टेक/ऑप./23/4/91 दि. 17.01.2004 और डाय. / ऑप./2010/11/1142 दिनांक 10.05.2010, निदेशक (तक/संचा.), सीसीएल द्वारा जारी किये गये जिनका अनुपालन डी. डी. यू. में आवश्यक है। इसे लागू करने के लिए डी. डी. यू. में किसी भी समय डीजल की मात्रा पता करने के लिए डिप रिडिंग लेना महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जबकि यह पाया गया कि परियोजना के डी. डी. यू. के एक पम्प में बिना सही डिप चार्ट के कार्य हो रहा है जब से इसकी स्थापना हुई है और डीजल की मात्रा उचित रूप से डिप रिडिंग द्वारा प्राप्त नहीं की जा रही थी जब तक यू/जी टैंक का कैलिब्रेशन और आई. ओ. सी. द्वारा हाल ही में नया डिप चार्ट बनाया गया।

(ब) डिस्पेंसर की जीर्ण, टूटी हालत : परियोजना के डी. डी. यू. में डिस्पेंसर की हालत टूटी-फूटी अवस्था में थी जिसमें खराब कवरलाक और उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले अधिकतर ब्रेकडाउन होता है और डीजल टोटलाइजर मीटर से दिया जाता था। ऐसी ही स्थिति कम्पनी के दूसरे

डी. डी. यू. में भी हो सकती है। अत: इन तथ्यों पर सक्षम प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें वे कम्पनी के सभी डी. डी. यू. में ऐसी गलतियों को निश्चित समय के भीतर सुधारने के लिए उचित निर्देश दें।

(xvi) बारूद की इन्वेन्टरी और सीसीएल के मैगज़ीन की एसेसरीज़ की सतर्कता जाँच के दौरान निम्न लिखित

(अ) कास्ट बूस्टर की अधिकता। रिकॉर्ड की समीक्षा और परियोजना के द्वारा दिये गये जवाब में यह बताया गया कि विभिन्नता एक माह में दो अलग दिन ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं करने से हुई है। अन्य कोलियरी के जारी बारूद रजिस्टर भी ठीक ढंग से दर्ज नहीं हुआ है।

(ब) बारूद की एसेसिरीज जैसे की डी टी एच, टी एल डी इत्यादि विभिन्न स्पेशिफिकेशन खाते में कम पाया गया, दीमक और अन्य कीड़ो द्वारा बर्बाद हो गया था जो कि मैगजीन के कराब रख-रखाव को दर्शाता है।

यह मामला उचित कार्रवाई हेतू सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया गया।

4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अवलोकन

1. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 के दौरान सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर क्यूज / निबंध / लेक्चर / कार्यशाला का आयोजन किया गया जो नीचे दिये गये हैं :

- 26.10.2015 को दोपहर से निबंध प्रतियोगिता रोल ऑफ मोरल वैल्यू ऑफ ईथिक्स इन गुड गवर्नेंसएव एक क्विज प्रतियोगिता सीसीएल (मुख्यालय) के कर्मियों के बीच सतर्कता से सम्बन्धित इशु पर आयोजित किया गया। इसके अलावा डिबेट / इलोक्यूशन / स्पीच, पेंटिंग / पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता पाँच स्कूलों एवं दो कॉलेजों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित की गई।

- 28.10.2015 को एक कार्यशाला "ई-टेंडरिंग थ्रु रिवर्स ऑक्शन मोड पर आउट सोरसिंग / ट्रांसफोर्ट / कॉन्ट्रैक्ट का फाइनेलाइजेशन हेतु सी एम सी सेल के द्वारा राँची मुख्यालय के विचार मंच में सतर्कता विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया है। उपरोक्त अवसर पर निदेशक (वित्त), निदेशक (तक / संचालन), निदेशक (तक / पी एण्ड पी), निदेशक (कार्मिक) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीसीएल के द्वारा उद्‌गार व्यक्त किया गया। सभा को सम्बोधित करते हुए श्री अरविन्द प्रसाद (आई. टी. एस.), सीवीओ, सीसीएल ने शुरुवात में कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह केवल एक सप्ताह के लिए नहीं है बल्कि यह प्रत्येक क्षण काम के दौरान किये गये कार्यों को निष्पादन करता है। उन्होंने पारदर्शित पर बल देते हुए मान मूल्यों एवं मोरल इथिक के बारे में बताया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता श्री आकाश आहुवालिया, क्षेत्रीय प्रबन्धक (पूर्व) एम - जगशन सर्विसेज लिमिटेड एवं श्री के एस गईवाल, वरीय प्रबन्धक (खनन), सी एम सी विभाग के द्वारा पावर प्वाइंट पर प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में लगभग

250 ऑफिशियल सीसीएल के उपस्थित रहे।

- 30.10.2015 को विचार मंच, दरभंगा हाउस, राँची में आयोजित विचार प्रिवेन्टिव विजिलेंस ऐज़ ए टुल ऑफ गुड गवर्नेशन पर मुख्यालय एवं क्षेत्रों के मुख्यप्रबन्धक ने भाग लिया गया। उपरोक्त अवसर पर अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (तक. / संचालन), निदेशक (तक. / पी एण्डपी) एवं सीवीओ, सीसीएल ने अपने उद्‌गार व्यक्त किया।

स्वागत भाषण श्री अरविंद प्रसाद, आई. टी. एस., सीवीओ, सीसीएल के द्वारा व्यक्त किया गया।

उन्होंने यह विस्तार पूर्वक बताया कि सतर्कता विभाग कैसे प्रिवेंटिव विजिलेंस जागरूकता सीसीएल के कर्मियों के बीच फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सही से जाँच एवं कार्य के विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण रखना भी प्रिवेंटिव विजिलेंस है। सीवीओ, सीसीएल ने महत्वपूर्ण तकनीक जैसे वैन, इंटीग्रेटेड प्रणाली सी. सी. टी. वी., आर. एफ. आई. डी., जी. पी. एस. आधार वेईगी कंट्रोल एवं वेकिल ट्रैकिंग प्रणाली, ई-प्रॉक्यूरमेंट इत्यादि की महत्ता बताई।. उन्होंने बताया के सेनसिटिव पदों पर रोटेशन भी प्रिवेंटिव विजिलेंस है। उपलब्धियों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि रु. 2 लाख के ऊपर के टेंडर सीसीएल में ई-प्रॉक्यूरमेंट के द्वारा फाइनल किया जाता है।

श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल ने कहा कि सीसीएल एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है एवं यह हमारी जिम्मेवारी है अपने कर्तव्यों का निर्वहन कम्पनी के नियम के अंतर्गत करें। श्री पी के तिवारी, निदेशक (तक. / संचालन), सीसीएल ने लोगों से अर्ज किया की वे अपनी आत्मा की सुने। श्री सुबीर चंद्रा, निदेशक (तक. / पी एण्ड पी) ने कर्मियों से कहा कि वो अपने कार्य का पूरा ज्ञान रखें ताकि कार्य सुचारू रूप से तेजी से किया जा सके। श्री गोपाल सिंह, सीएमडी, सीसीएल सभा के मुख्य अतिथि थे। सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस ही प्रिवेंटिव गवर्नेंस है तथा यह कम्पनी के प्रत्येक कर्मचारियों के लिये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, निष्पक्षता, परोपकार और नैतिकता किसी कम्पनी के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एवं इन मूल्यों पर विचार किये गये निर्णय सकारात्मक होते हैं तथा यह कम्पनी एवं समाज के लिए दोनों के पक्षधर होते हैं। सीसीएल में कायाकल्प मॉडल के द्वारा इन मूल्यों पर अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने सीवीओ, सीसीएल को एवं उनके टीम के सभी सदस्यों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। उपरोक्त सभा में विभिन्न संकाय के मुख्यालय, क्षेत्रों के करीब 220 / 230 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

- कार्यशाला का विषय जेनरल विजिलेंस अवेयरनेश ऐमोंग इज़क्यूटिव वर्ककिंग इन द फील्ड्स विथ केस स्टडीज़ रिलेटेड

टु कॉमन इर्रेगुलरिटीज़ इन सिविल, परचेज़ एण्ड आउटसोरसिंग कॉन्ट्रैक्ट सी ई टी आई, बरकाकाना तथा बी. एण्ड के. क्षेत्र में 27.10.2015 एवं 30.10.2015 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर आयोजित किया गया। सीवीओ, सीसीएल भी सी ई टी आई, बरकाकाना में कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को मोटीवेट करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक निविदा प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा किए गए सामान्य अनियमिताओं के बारे में प्रतिभागियों को बताया।

विषय का मुख्य विवरण श्री वाई पी सिंह, मुख्य प्रबन्धक (सिविल), पी आर कुमार, प्रबन्धक (उत्खनन), वि. एस. सिंह, वरीय प्रबन्धक (एम. एम.), सतर्कता विभाग, सीसीएल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सीईटीआई के कार्यशाला में कुज्जु, अरगडा, बरकासयाल, हजारीबाग, रजरप्पा एवं सी. आर. एस. के करीब 100 अधिकारी उपस्थित थे। बी. एण्ड के. क्षेत्र के कार्यशाला में ढोरी, बी. एण्ड के. एवं कथारा क्षेत्र के करीब 75 अधिकारी उपस्थित रहे।

- मानव संसाधन विभाग में विभागीय इंक्वारी / प्रोसीडिंग पर 30.10.15 को एक सत्र का आयोजन किया गया जिसमें कार्मिक संकाय के 35 / 40 अधिकारी द्वारा भाग लिया गया। श्री बी. एन. मिश्र, पूर्व महाप्रबन्धक (सतर्कता), सीआईएल के द्वारा मुख्य बाते कही गई। उन्होंने विभागीय इंक्वारी / प्रोसीडोयोर एवं चार्ज-सीट इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया तथा प्रतिभागियों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब दिया।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान ''कायाकल्प'' सतर्कता मैगजीन के रूप में प्रकाशित की गई। यह मैसेज को देने का बहुत अनोखा जरिया है, आरटिकल, अतिरिक्त परिपत्र साथ ही साथ सी. बी. सी. का विभिन्न परिपत्र, केस स्टडिज़, सोच उत्तेजक कार्टून, कविता, नारा इत्यादि, सीसीएल के सतर्कता के आंतरिक रिसोर्स को मोवेलाइज इस मैगजीन के द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त मैगजीन 30.20.25 को सीएमडी, निदेशक मण्डल एवं सीवीओ, सीसीएल के द्वारा रिलीज की गई।

- सीसीएल के सतर्कता विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान भरपूर प्रयास किया एवं कम्पनी के कर्मचारियों के बीच नए विचारों को रखा और कुछ अभिनव तरीके आगे अधिकारियों को जागरूक करने के लिए अपनाया

  (i) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मियों को सी. यू. जी. मोबाइल पर संदेश भेज कर इस दिशा में प्रेरित किया।

  (ii) ''आइए हम सभी बिना पक्षपात एवं भय के ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य किए देश एवं समाज के विकास में भागीदार बने, सतर्कता विभाग सीसीएल द्वारा जनहित में जारी'' उपरोक्त संदेश को

(प्रसार भारती) आकाशवाणी एवं दो एफ. एम. चैनल (बिग एफ एम, राँची एवं रेडियो धूम, राँची) से नगरवासियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूक किया गया कि अपना काम बिना डर एवं पक्षपात के साथ करें।

(iii) सी. वी. सी. के निर्देश के अनुसार, सी. यू. जी. सेंश, पत्रों इत्यादि के द्वारा भी कर्मियों को अनुरोध किया गया। विभिन्न कार्यक्रम को देखे जैसे आज सबेरा, गुड ईवनिंग इण्डिया, इत्यादि डी. डी. के. एवं डी. डी. नेशनल पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन दिखाया गया।

5. सीसीएल सतर्कता ने कम्पनी के आई. टी. पहल में बड़ा योगदान दिया है। कम्पनी की मौजूदा प्रणाली में सुधार हेतू पहल लिया गया एवं कोयला के लीकेज / फिलफ्रेज़ को घटाया गया। निम्नलिखित पहल सक्रिय मार्गदर्शन / मॉनिटरिंग सतर्कता विभाग द्वारा लिया गया।

❖ **कोल नेट मॉड्यूल का कार्यान्वयन / वैन लगाना**

सभी परियोजना, क्षेत्रों सेन्ट्रल स्टोर / रिजनल स्टोर / सेन्ट्रलाइज लाइन यूनिट एवं वे ब्रिज के साथ सीसीएल (मुख्यालय) से वाइड एरिया कनेक्टिविटी को स्थापित किया गया। एवं प्रारम्भिक प्लान वर्क ऑर्डर के द्वारा टी. सी. आई. एल. को ऑपरेशनल बनाया गया। कोल नेट की सभी छः मॉड्यूल - पे रोल, फाइनेंस, एस एण्ड एम, पी. आई. एस., पी. आई. एम. एवं एम. एम. एस. को लगाया गया है। वैन की निगरानी के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली है।

❖ वैकिल ट्रैकिंग जी. पी. एस. / जी. पी. आर. एस. पर आधारित एवं पूरे सीसीएल कमाण्ड क्षेत्र में आर एफ आई डी आधारित वेईंग कांटारोल प्रणाली सी. सी. टी. वी. के साथ है। (क) कोयले की चोरी (ख) सभी वाहनों से सम्बन्धित की निगरानी डिस्पौच एवं विभिन्न कोलियरी में विक्रय (ग) उत्पादकता सुधार (घ) विक्रय, प्रेषण एवं उत्पादन से सम्बन्धित एम आई एम रिपोर्ट बनना (ङ) प्रेषण गतिविधियों में सुधार करके समग्र जी. पी. एस. / जी. पी. आर. एस. आधारित वैकिल ट्रैकिंग प्रणाली एवं आर एफ आई डी के साथ सी सी टीवी वेइंग कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रणाली पूरे सीसीएल कमाण्ड क्षेत्र में इसका अनुपालन किया जा रहा है।

❖ निम्नलिखित उपलब्धियाँ वर्ष के दौरान किए गये :

- 1776 की संख्या में वी टी एस / जी पी एस डिवाइस विभागिय / कॉन्ट्रैक्टर वाहनों के काम कर रहे हैं।
- 192 की संख्या में सी सी टी वी संचालित किए जा रहे हैं। 15.05.2016 तक 191 अतिरिक्त वर्क ऑर्डर की अवशक्ताओं को देने हेतू लक्ष्य रखा गया है।
- 82 आर एफ आई डी आधारित रिडर्स एवं बूम बेरियस काम कर रहे हैं।
- जियो - फेसिंग सभी एकटिव माइन में पूरा हो जाएंगे।

- 129 डब्ल्यूबीएस, वैन से कनैक्ट हैं एवं भाया वैन कोलनेट को रियल टाइम वेमेंट डाटा ट्रांसमीट किया जाता है।

➢ **ई-टेंडरिंग के साथ रिवर्स ऑक्शन :** सीवीसी के निर्देशानुसार लिबेरेजिंग टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के सम्बन्ध में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने रिवर्स बिडिंग के ई-टेंडरिंग शुरुआत में सभी ट्रान्सपोर्ट / ओबी / सैण्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनाया गया है। कोल इण्डिया की कम्पनी सीसीएल में सबसे पहले रिवर्स ऑक्शन (आर ए) को अपनाया गया। बाद में 1 करोड़ से अधिक मूल्यों के सभी कॉन्ट्रैक्ट अन्य विभागों द्वारा 20 जनवरी, 2016 से आरए प्रक्रिया शुरू किया जायेगा। इस वर्ष के दौरान 162 की संख्या में एनआईटी फ्लोटेड / आमंत्रित किए गए जहाँ लगभग रु. 10,283.15 करोड़ की ई-टेंडरिंग के द्वारा 136 मामलों में रिवर्स बिडिंग पूरा किया गया। परंपरागत सिस्टम पर कुछ ठोस लाभ इस प्रकार है :

- विक्रेता की संख्या में वृद्धि
- एक महीने के समय चक्र में कमी
- आर ए के परिणाम स्वरूप कुल 3141.253 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- 40 टेंडर में आर ए प्रक्रिया के द्वारा अंतिम कीमत अनुमानित कीमत से भी कम
- पर्दशिता में वृद्धि

❖ **ऑनलाईन शिकायतों को भरना :** सीसीएल में शिकायतें / समस्याएँ सतर्कता और समाधान सेल सीसीएल में आवेदन / पत्र और ई-मेल / फैक्स द्वारा भरा जा रहा है। सीसीएल में अक्टूबर, 2014 से ऑनलाईन शिकायत भरने की प्रक्रिया चालू है। सेक्रेटरी (कोल) द्वारा 07.01.2015 को ऑनलाईन समस्यों को भरने का सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया गया।

❖ **सीसीएल के अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन प्रॉपर्टी रिटर्न भरना :** सीसीएल के अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन प्रॉपर्टी रिटर्न भरना मार्च, 2012 के अंत से शुरू हुआ है। लोकपाल एक्ट, 2013 के अनुसार सम्पत्ति और देयता के नए फॉर्म सीआईएल के वेबसाइट में डाला गया है और 80% अधिकारियों ने 08.08.2014 और 31.03.2015 तक का विवरण डाल दिया है।

❖ **ऑनलाइन कर्मचारियों की भर्ती :** ऑनलाइन कर्मचारियों की भर्ती के लिए वर्ष 2012 में सीसीएल वेबसाइट में ऑनलाइन रिक्रुटमेन्ट सॉफ्टवेयर डाला गया।

❖ **ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम :** सीसीएल मुख्यालय में उपयोग के लिये ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम कोलनेट सिस्टम में डाला गया है।

❖ **ई-प्रोक्योरमेंट :** सीसीएल में अप्रैल, 2010 से मुख्यालय स्तर पर खरीद के सम्बन्ध में शुरू हुआ है और इसे क्षेत्रीय खरीदी में भी बढ़ा दिया गया द्वारा की जाती है।

❖ **ई-पेमेन्ट :** सीसीएल में 2010 से मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है।

❖ **फाइल मूवमेन्ट और ट्रैकिंग सिस्टम :** फाइलों, पत्रों एवं नोट्स आदि के प्रेषण का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग साथ अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक संख्या के साथ

सीसीएल मुख्यालय में संचालित हो गया है। क्षेत्रों में भी इसे लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

❖ **प्रॉपर्टी रिटर्न की जाँच :** सीसीएल के 60 अधिकारियों की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न की जाँच 2015-16 में हुई जिसमें 6 अधिकारियों को वार्निंग / सावधान किया गया।

6. **ई-गवर्नेंस और आई टी का उपयोग :** सीवीसी के निर्देशानुसार अधिकतर एन आई टी, निविदा दस्तावेज, सीआईएल परचेज़ एवं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैन्युअल, सर्टिफाइड स्टैण्डिंग ऑर्डर्स, सी डी ए रूल्स, कोल माइन्स रेग्युलेशन 1957, अर टी आई एक्ट 2005 और अन्य महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ एवं सूचनाओं को सीसीएल की वेब साईट के डाला गया है। उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित अन्य सूचनाओं को सीसीएल वेब साईट के डाला गया है।

- सीसीएल मुख्यालय के बिल विवरण।
- कोयला उपभोक्ताओं की सूची।
- ई-ऑक्शन, फॉरवर्ड ई-ऑक्शन और मॉडिफाइड फॉरवर्ड ई-ऑक्शन से सम्बन्धित सूचना / दिशा निर्देश।
- बोर्ड स्तरीय अधिकारी, क्षेत्रीय सीजीएम / जीएम और अन्य विभागाध्यक्ष / सीसीएल के अधिकायों के सम्बन्ध के डेलीगेशन ऑफ पावर।
- अधिकारियों के वरिष्ठता सूची।
- रोजगार सम्बन्धित सूचनाएँ / नोटिस।
- 2005-2006 से 2014-15 तक के सीसीएल का वार्षिक प्रतिवेदन।
- सेफ्टी पॉलिसी और कम्पनी की स्थिति का विवरण।
- वेण्डर के अनुसार कोल लिफ्टिंग और रिफ़ंड विवरण।
- सीआईएल के लीव रूल्स / टी ए रूल्स / चिकित्सा रूल्स / परचेज़ रूल्स।
- सीसीएल का कैटेगरी अनुसार श्रम शक्ति।
- ग्रीवांस रेड्रेसल प्रणाली।
- सीवीसी के परिपत्र।
- प्रमुख मद एवं अचल मदों की विभिन्न स्टोरों से सूची साथ में एलपीपी।
- गैर अधिकारी वर्ग की ऑनलाइन भर्ती।
- ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न भरना।
- डीजीएमएस अनुमोदित मदों की सूची।
- केन्द्रीकृत मदों की सूची।
- एचईएमएम की स्थिति।
- शिकायत दर्ज करना।
- एफएसए, ई-ऑक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए आरटीजीएस भुगतान।
- अधिकारी स्थानांतरण नीति।
- पर्यावरण क्लियरेन्स।

- पार्टी अनुसार शेष रिफ़ण्ड स्टेटमेंट।
- सामग्री प्राप्त करने के लिए एमएम विभाग द्वारा कार्य आदेश।

34. सूचना के अधिकार की स्थिति

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन वर्ष 2015-16 में निपटाये गये आवेदनों का विवरण निम्न है -

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	:	497
2.	निपटाये गये आवेदनों की संख्या	:	468
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	:	शून्य
4.	सूचना अधिकार अधिनियम के पैरा 6(3) केअधीन अंतरित आवेदनों की संख्या	:	155
5.	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	:	शून्य
6.	सीसीएल के किसी भी अधिकारी को सीआईसी के द्वारा पेनल्टी अवार्ड किया गया हो	:	नहीं

35. कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न सूचना के अधीन

सीसीएल में आन्तरिक शिकायत समिति कार्यान्वयित है। सीसीएल के महिला शक्तिकरण पोर्टल में समिति की संवैधानिक आदेश वेबसाइट पर अपलोडेड है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के तहत सम्बन्धित जानकारी निम्न है :

शिकायत प्राप्त करने की संख्या	निपटाये गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
02	01	आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया। पत्र सं. CCL/CHN/13/15/20145-53, दिनांक 4.8.2015 के तहत उसे आरोप पत्र जारी किया गया।

36. कॉरपोरेट गवर्नेन्स

आपकी कम्पनी कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी, यह विश्वास करती है कि बड़ी कम्पनियों का निर्माण स्वच्छ प्रशासन, नैतिक मूल्य और पारदर्शी सिद्धान्तों पर होता है। इनमें से अधिकांश ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिक व्यवहार और अच्छे गवर्नेन्स का पालन किया है। महारत्न कम्पनी (कोल इण्डिया लिमिटेड) की एक सहायक कम्पनी के रूप में कम्पनी द्वारा अपनाई गई कॉरपोरेट गर्वनेन्स प्रक्रिया एक उच्च मानक की प्रक्रिया है।

विभिन्न स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, प्रबन्धन, कर्मचारी, उपभोक्ता, वेन्डर, नियामक प्राधिकारी तथा समुदाय के बीच संबंध हेतु प्रभावकारी प्रबन्धन के लिए कॉरपोरेट गवर्नेन्स होता है। आपकी कम्पनी का दृढ़ विश्वास है कि यह संबंध कारपोरेट निष्पक्षता और उत्तरदायित्व के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है।

आपकी कम्पनी विश्वसनीय, वित्तीय सूचना, सत्य निष्ठा, पारदर्शिता, कानून का पालन करने में विश्वास रखती है। कॉरपोरेट गवर्नेन्स के संबंध में एक रिपोर्ट परिशिष्ट-1 में दी गई है तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु आपकी कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स के अनुपालन के संबंध में अंकेक्षक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-2 में दिया गया।

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)/कम्पनी सचिव, सीआईएल द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या सीआईएल: ix(D):04007:2010:1856 दिनांक 30.11/01.12.2010 के अनुसरण में एसईबीआई (पीआईटी) विनियम 1992 के 12 (i) इनसीडर ट्रेडिंग प्रवेन्सन हेतु आचार संहिता, 2008 में यथा संशोधित, कम्पनी के पदनामित कर्मचारियों, जिसमें निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी कार्यकारी निदेशक, सभी मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबंधक तथा कम्पनी के नामित विभागों मे कार्य कर रहे अधिकारियों के बीच परिचालित की गई।

कॉरपोरेट गवर्नेन्स में एमओयू उपलब्धि

क्रम संख्या	पैरामीटर	एमओयू 2015-16 उत्कृष्ट रेटिंग हेतु लक्ष्य	एमओयू 2015-16 वास्तविक उपलब्धि
1.	डी.पी.ई. द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स हेतु जारी मार्ग निर्देश के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग	85 और अधिक	90.625

37. शेयर होल्डरों के निरीक्षण हेतु मुख्यालय में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा की उपलब्धता

नियंत्रक और सहायक कम्पनियों के शेयर होल्डरों के लिए सीसीएल का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तथा उससे संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई गई। सीसीएल का वार्षिक लेखा को शेयर होल्डर द्वारा निरीक्षण करने हेतु मुख्यालय में रखा गया।

अत: कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा परिपत्र संख्या 2/2011 दिनों 8 फरवरी, 2011 तथा बाद में जारी किये गये पत्र संख्या सीआईएल: IX(D):04032:2011:2255 दिनांक 8 मार्च, 2011 के अनुपालन में मांग करने पर सीआईएल के शेयर होल्डरों को सूचना प्रदान करने के लिए राँची मुख्यालय में सीसीएल का लेखा उपलब्ध कराया गया।

38. निदेशक मण्डल

आलोच्य वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के निदेशकगण ने 9 (नौ) बैठकें की। दिनांक 17.06.2015 को अर्थात् 59वीं वार्षिक आम बैठक के दिन गैर सरकारी अंशकालीन निदेशकों एवं स्थायी आमंत्रितों सहित बोर्ड के निम्नलिखित निदेशक थे :

1. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
3. श्री आर. पी. गुप्ता संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली
3. श्री आर. मोहन दास, निदेशक (कार्मिक एवं औ.सं.), सीआईएल, कोलकाता
4. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल
5. श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
6. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल
7. श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल।

स्थायी आमंत्रित अतिथि :

1. श्री दीपक नाथ, आई.आर.टी.एस., मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व-मध्य रेलवे।
2. श्री डी. के. तिवारी, भा.प्र.से., सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार।

श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, पत्रांक - 21/3/2011- ए.एस.ओ., दिनांक 20/04/2015 को अपर

सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी की गई। उन्होंने सीसीएल के बोर्ड में अपना योगदान दिया। श्री एस. के. सिंह, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार।

पत्रांक 21/24/2014 - ए एस ओ दिनांक 08 जून, 2015 के अनुसरण में श्री आर. एस. महापात्र ने निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण 08.06.2015 से प्रभावी हुई एवं श्री सुबीर चन्द्रा ने निदेशक (तक./यो. एवं परि.) ने योगदान दिया 09.06.2015 को प्रभावी हुई।

पत्रांक 21/23/2014 - ए एस ओ दिनांक 08 जून, 2015 के अनुसरण में एवं 417वीं बोर्ड की बैठक 19/20.08.2015 को राँची में किया गया।

श्री अशोक गुप्ता एवं श्री भारत भूषण गोयल, गैर-सरकारी, पार्ट टाइम निदेशक मंडल, सीसीएल बोर्ड हेतु नियुक्त किए गए। (पार्ट - II) (xi) दिनांक 17 नवंबर, 2015 में अपर सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई।

श्री दीपक नाथ, आई आर टी एस, सी ओ एम, पूर्व मध्य रेलवे 31 मार्च, 2016 को समय पूर्ण हो गया। श्री बासुदेव राय, सीओएम, पूर्व मध्य रेलवे, स्थाई आमंत्रित अतिथि के रूप में सीसीएल बोर्ड में नियुक्त किए गए। श्री नाथ को पत्रांक 21/21/2008 - ए एस ओ (ii) दिनांक 24 मई, 2016 के अनुसरण में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के उप सचिव के द्वारा जारी की गई।

श्री संतोष कुमार सतपती, सचिव, खान एवं भूगर्भ तथा आयुक्त (खनन), झारखंड सरकार, सीसीएल बोर्ड के स्थाई आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए गए जबकि श्री डी के तिवारी, पत्रांक - 21/21/2008 - ए एस ओ दिनांक 28 जनवरी, 2016 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव के द्वारा जारी किया गया। आगे, श्री उदय प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, खान एवं भूगर्भ, को सीसीएल बोर्ड का स्थाई आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। श्री संतोष कुमार सतपती पत्रांक 21/21/2008 - ए एस ओ दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को अपर सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया।

अत: आपके कम्पनी के निदेशक मण्डली में निम्नलिखित निदेशकगण हैं (यानी 22 जुलाई, 2016 को सम्पन्न हुए 60वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समय) —

1. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक।
2. श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. श्री आर. मोहनदास, निदेशक (का./औ.सं.), कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता।
4. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त)।
5. श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तकनीकी/संचालन)।
6. श्री आर. एस. महापात्रो, निदेशक (कार्मिक)।
7. श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना)।

गैर-सरकारी अंश कालिक निदेशक :

1. श्री अशोक गुप्ता, सी ए।
2. श्री भारत भूषण गोयल,

स्थायी आमंत्रित अतिथि :

1. श्री बासुदेव राय, आई. आर. टी. एस., सीओएम, ई. सी. रेलवे।
2. श्री यू. पी. सिंह, भा.प्र.से., सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार।

39. निदेशकों का उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत निदेशकों के उत्तरदायित्वों की विवरणी के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि :

1. दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा विवरणी की तैयारी करने में सीआईएल नियंत्रण कंपनी द्वारा अनुमोदित लेखा नीति का अनुसरण समान रूप से किया गया है। लेखा मानदण्डों में आए नगण्य अन्तर को छोड़कर, उक्त लेखा नीति को आईसीएआई द्वारा लेखा के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही तैयार किया गया है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उनका अनुसरण किया। उन्होंने पाया कि ये लेखा नीतियाँ पूर्ण भरोसेमन्द हैं तथा इनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के समग्र कार्य-कलापों की सही स्थिति एवं आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी के लाभ-हानि की पूर्ण स्थिति की वास्तविक जानकारी हो सकेगी।

3. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरुप कंपनी के पर्याप्त लेखा-अभिलेखों के रख-रखाव में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरती है ताकि कंपनी की परिसम्पत्तियों की रक्षा की जा सके तथा अन्य अवैध गतिविधियों एवं अनियमितताओं का पता लगाकर उन्हें रोका जा सके।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बरका-सयाल क्षेत्र के भुरकुण्डा परियोजना में धोखाधड़ी भुगतान रू. 0.80 करोड़ का पकड़ा गया है एवं इसका असर वित्तीय वर्ष 2015-16 के एकाउन्ट्स फाइनेलाइजेशन के समय विचार किया जाएगा। उक्त मामला कम्पनी के सतर्कता विभाग के द्वारा अनुसंधान के अधीन है।

5. निदेशकों ने कंपनी की ''गोइंग कन्सर्न'' आधार पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष का वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया है।

6. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित की है जो यथोचित तथा प्रभावी ढंग से संचालित है।

40. कम्पनी के अंकेक्षक

सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत आपकी कंपनी के वर्ष 2015-16 के वित्तीय लेखा के अंकेक्षण के लिए कंपनी के विधि बोर्ड द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्मों को नियुक्त किया गया है :

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एशोसियेट्स
फोर मैंगोई लेन
सुरेन्द्र मोहन घोष सारणी
ग्राउण्ड फ्लोर, कोलकाता - 700 001

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स एस. एन. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
6, आरआईटी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर
कोर्ट कम्पाउण्ड,
राँची - 834001
झारखण्ड।

मेसर्स एन. के. डी. एण्ड कम्पनी
दूसरी मंजिल, राधा गौरी
गौशाला चौक, नॉर्थ मार्केट रोड
अपर बाजार, राँची - 834001
झारखण्ड।

मेसर्स कदमावाला एण्ड कम्पनी
द्वारा श्री रामचन्द्र प्रसाद
श्री राम पथ लेन
क्राउन पब्लिक स्कूल के सामने
किशोर गंज, हरमू रोड
राँची - 834 001
झारखण्ड।

मेसर्स लोधा पटेल बाधवा एण्ड कम्पनी
304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स
4 एच. बी. रोड, तीसरा माला
राँची - 834 001
झारखण्ड।

सचिवीय अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के सचिवीय अंकेक्षण के लिए निदेशक मण्डल द्वारा इसकी 414वीं बैठक (जो कि दिनांक 12.04.2015 को हुआ) में निम्नलिखित कम्पनी सचिवीय फर्म को नियुक्त किया गया :

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोशिएट्स
सी/18, प्रथम तल,
पार्क रोड नं. - 1,
अशोक नगर (गेट नं. - 1),
राँची - 834 002
झारखण्ड

41. बोर्ड समिति

अ. निदेशकों की अंकेक्षण समिति

श्री आर. पी. गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय की पदस्थापना सीसीएल बोर्ड आदेश पत्र क्रमांक 21/03/2011 - ए एस ओ दिनांक 20.04.2015 जो अंडर सेक्रेटरी, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था वाइस श्री एस. के. सिंह, आई ए एस, ज्वाईंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय, 415वीं बोर्ड बैठक 21.05.2015 को निम्नलिखित निदेशकों की बैठक में अंकेक्षकों की कमिटि बनाई गई जबतक स्वतंत्र निदेशक (गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक) की नियुक्ति की गई -

1. श्री आर. पी. गुप्ता, आई ए एस,
   संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, - अध्यक्ष
   भारत सरकार, नई दिल्ली

2. श्री आर. मोहन दास,
   निदेशक (का. एवं औ.सं.), - सदस्य
   सीआईएल, कोलकाता

3. श्री पी के तिवारी, - सदस्य
   निदेशक (तक./संचा.),
   सीसीएल

4. श्री डी. के. घोष, - विशेष अतिथि
   निदेशक (वित्त),
   सीसीएल

5. श्री दीपक नाथ, - सदस्य
   सी. ओ. एम.,
   ई. सी. रेलवे

श्री अशोक गुप्ता और श्री भारत भूषण गोयल के नियुक्ति गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में सीसीएल बोर्ड में अंडर सेक्रेटरी, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या - 21/15/2014 - ए एस ओ (पार्ट - II) (xi) दिनांक 17 नवंबर, 2015 को जारी किया गया, सीसीएल बोर्ड ने 419वीं बैठक जो 27.11.2015 को हुई अंकेक्षकों की कमिटि, निदेशकों की पुन: गठित की जिसमें निम्नलिखित निदेशक थे -

1. श्री अशोक गुप्ता, - अध्यक्ष
   गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक,
   सीसीएल

2. श्री भारत भूषण गोयल, - सदस्य
   गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक,
   सीसीएल

3. श्री आर. मोहन दास - सदस्य
   निदेशक (पी. एण्ड आई. आर.),
   सीआइएल

4. श्री डी. के. घोष, - स्थाई अतिथि
   निदेशक (वित्त),
   सीसीएल

लेखा समिति के बैठक में लेखा समिति के एक तिहाई सदस्य या दो सदस्य जो भी अधिक हो के द्वारा ही गणपूर्ति होगी मगर कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक का होना जरूरी है। 411 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.11.2014 को अंकेक्षण समिति द्वारा कार्यसूची में सम्मिलित टर्म ऑफ रेफरेन्स को बोर्ड अनुमोदित किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 177 (4) प्रावधान के अनुसरण में है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 6 बैठकें अर्थात दिनांक 21.05.2015, 08.08.2015, 19.08.2015, 31.10.2015, 04.02.2016 और 15.03.2016 को हुई। कंपनी सचिव, अंकेक्षण समिति के भी सचिव हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी की अंकेक्षण समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण अनुलग्नक - I में दिया गया है।

ब. निदेशकों की एम्पॉवर्ड उप समिति

आगे श्री पी. के. तिवारी ने निदेशक (तक./संचा.) की जिम्मेदारी 07.02.2015 को संभाली, 413वीं बोर्ड दिनांक 10.02.2015 को पी. के. तिवारी निदेशक (तक./संचा.)को एम्पावर्ड सब-कमिटि ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित किया गया जिसमें परियोजना एप्राइजल, मूल्यांकन और फाइनालाइजेशन के लिए निम्नलिखित निदेशकों के साथ रखा गया।

1. श्री गोपाल सिंह, - अध्यक्ष
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
   सीसीएल

2. श्री एस. के. सिंह - सदस्य
   ज्वाईंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय,
   भारत सरकार

3. श्री पी. के. तिवारी - सदस्य
   निदेशक (तक./संचा.),
   सीसीएल

4. श्री डी. के. घोष, - सदस्य
   निदेशक (वित्त),
   सीसीएल

5. श्री दीपक नाथ, - अतिथि
   सीओएम,
   ई. सी. रेलवे

श्री आर. पी. गुप्ता, ज्वाईंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय के बोर्ड ज्वाईंट करने पर जो पत्र क्रमांक 21/03/2011 - ए एस ओ, दिनांक 20.04.2015 अंडर सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वाइस श्री एस. के. सिंह, ज्वाईंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय, बोर्ड ने एम्पावर्ड सब-कमिटि का पुन: गठन कर श्री आर. पी. गुप्ता, ज्वाईंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय को संकल्प द्वारा परिपत्र (आर बी सी III) दिनांक 27.04.2015 को 415वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21/22.05.2015 को सम्मिलित किया।

आगे श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक/यो.एवं परि.) के रूप में 09.06.2015 को पदस्थापित हुए। बोर्ड बैठक 417वीं 19/20.08.2015 को उन्हें एम्पावर्ड सब-कमिटि ऑफ डायरेक्टर्स में प्रोजेक्ट अप्राइजल, मूल्यांकन और फाइनालाईजेशन के लिए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया।

इसी तरह श्री अशोक गुप्ता और श्री भारत भूषण गोयल, गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में पत्र क्रमांक 21/15/2014-ए एस ओ (पार्ट II) (XI) दिनांक 17 नवंबर 2015, अंडर सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र द्वारा सीसीएल बोर्ड ज्वाइन किया। 419वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.11.2015 में एम्पावर्ड सब-कमिटि ऑफ डायरेक्टर्स को पुन: निर्माण किया गया जिसमें निम्नलिखित निदेशक हैं :

1. श्री गोपाल सिंह, - अध्यक्ष
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
   सीसीएल
2. श्री आर. पी. गुप्ता - सदस्य
   ज्वाईंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय,
   भारत सरकार
3. श्री अशोक गुप्ता - सदस्य
   गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक,
   सीसीएल
4. श्री भारत भूषण गोयल, - सदस्य
   गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक,
   सीसीएल
5. श्री पी. के. तिवारी, - सदस्य
   निदेशक (तक./संचा.),
   सीसीएल
6. श्री डी. के. घोष - सदस्य
   निदेशक (वित्त),
   सीसीएल
7. श्री सुबीर चन्द्रा - सदस्य
   निदेशक (तक./यो. एवं परि.),
   सीसीएल
8. श्री दीपक नाथ, - अतिथि
   सीओएम,
   ई सी रेलवे

31 मार्च, 2016 के दौरान इ एस सी डी की 6 बैठक हुई : 12.04.2015, 21.05.2015, 19.08.2015, 31.10.2015, 30.12.2015 और 15.03.2016।

कम्पनी के एम्पावर्ड सब-कमिटि ऑफ डायरेक्टर्स की उपस्थिति का ब्यौरा 2015-16 के दौरान अनुलग्नक I में दिया गया है।

स. सम्यक विकास के लिए सम्यक विकास की समिति

पब्लिक एन्टरप्राइजेज विभाग, पब्लिक एन्टप्राइजेज और हेवी इन्डस्ट्रीज मंत्रालय, भारत सरकार ने 23 सितम्बर 2011 को इसके कार्यालय संकल्प क्र. डीपीइ, ओएम. क्र. 3(9)/2010-डीपीइ (एमओयु) वो केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिए (सीपीएसइएस) के लिए सम्यक विकास पर दिशानिर्देश जारी किये हैं।

इस दिशानिर्देश के अनुसार इसे प्रभाविक रूप से लागू करने के लिए - सम्यक विकास (एसडी) के लिए योजना की तैयारी जरूरी है।

एसडी प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र बाह्य एजेन्सी/एक्सपर्ट/सलाहकार बनाना है।

एसडी योजना के अनुमोदन उनके प्रदर्शन के लिए एक बोर्ड स्तर की कमिटी बनानी है।

कम्पनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अनुसार, सीएसआर और सम्यक विकास कमिटी में कम से कम 3 निदेशक निमें कम से

कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। जैसा कि 2014-15 में एसडी और सीएसआर बोर्ड स्तरीय कमिटी का गठन नहीं हुआ था।

इस प्रकार पत्र क्र. 21/15/2014 एएसओ (पार्ट- II) (3द्व), दि. 17 नवम्बर 2015 जो अंडर सेक्रेटरी, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के जारी पत्र द्वारा श्री अशोक गुप्ता और श्री भारत भूषण गोयल, गैर प्रशासनिक, अंशकालिक निदेशकों की सीसीएल बोर्ड में नियुक्ति से, सीसीएल बोर्ड ने 419वीं बैठक, 27.11.15 में सीडी/सीएसआर की कमिटी का निम्नलिखित निदेशकों के साथ गठन किया —

1. श्री भारत भूषण, — अध्यक्ष
   गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक,
   सीसीएल
2. श्री अशोक गुप्ता, — सदस्य
   गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक,
   सीसीएल
3. श्री आर. मोहन दास, — सदस्य
   निदेशक (पी. एण्ड आइ.आर.),
   सीआईएल
4. श्री सुबीर चन्द्रा, — सदस्य
   निदेशक (तक./यो.परि.),
   सीसीएल
5. श्री आर. एस. महापात्र, — सदस्य
   निदेशक (कार्मिक),
   सीसीएल

31 मार्च, 2016 तक सीडी/सीएसआर कमिटी की एक बैठक हुई जो 15.3.2016 को हुई।

42. धन्यवाद ज्ञापन

आपके निदेशकगण कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपकी कंपनी को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं स्वैच्छिक समर्थन के लिए भारत सरकार, विशेषकर कोयला मंत्रालय और कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण आपकी कंपनी को बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता देने के लिए झारखंड सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण हार्दिक सहयोग एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों के दौरान वे कंपनी के कार्य निष्पादन में और अधिक सुधार लाने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे। आपके निदेशकगण सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए सांविधिक अंकेक्षकों, कर-अंकेक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एवं बिहार सरकार के कंपनी निबंधक के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

43. परिशिष्ट

आपके विचारार्थ निम्नलिखित कागजात संलग्न किए जा रहे हैं :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में :

(क) वर्ष के दौरान 60,00,000/- रु. या 5,00,000/- रु. प्रतिमाह, यदि वर्षांश में नियोजित हों, से कम पारिश्रमिक नहीं पाने वाले अधिकारियों के विवरण वाला निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट।

(ख) विदेशी विनिमय आय/व्यय

(ग) कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के संबंध में विस्तृत विवरण

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

(3) 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखा पर सी.ए.जी. की समीक्षा

(4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(2) एवं 134(3) के तहत निदेशक रिपोर्ट के अनुसरण में परिशिष्ट जिसमें सर्वाधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रावधान का उत्तर अंकित है।

बोर्ड के लिए एवं बोर्ड की ओर से

ह./-

(गोपाल सिंह)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीन नं. - 02698059

अनुलग्नक - I

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

1. दर्शन

सीसीएल प्रबन्धन अच्छे निगमित प्रशासन एवं अपने प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के लिए हर पल प्रयत्नशील है।

सीसीएल का निगमित प्रशासन निम्नलिखित मूल सिद्धान्तों पर आधारित है :

1. उचित मात्रा, आकार, विशेषज्ञ और अपने उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्यों के वहन करने में प्रतिबद्धता करने वाले निदेशक मंडल का गठन।
2. बोर्ड तथा इसकी समितियों को समय पर सूचना देना ताकि वे प्रभावकारी ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सके।
3. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा सुरक्षित करना तथा स्वतंत्र रूप से जांच करना।
4. जोखिम प्रबन्धन तथा आंतरिक नियंत्रण की ठोस पद्धति।
5. कम्पनी से सम्बन्धित वास्तविक सूचना का समय पर तथा संतुलित रूप से स्टैक होल्डर को बताना।
6. पारदर्शिता और प्रतिबद्धता।
7. सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन।
8. अपने सभी स्टेक होल्डर, कर्मचारी, उपभोक्ता, अंशधारकों और निवेशकों के साथ समान व्यवहार करना।

एक निगमित-नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी निगमित प्रशासन के उच्चतम मापदण्डों के अनुसरण में विश्वास करती है। सीसीएल सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समस्त भारतीय नागरिकों को हर प्रकार की वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु हर संभव सहायता प्रदान करता है।

यह मात्र अनुपालन एवं राशियों के शेष आदि का निरीक्षण करने हेतु ही है। कंपनी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की दिशा में यह सतत् प्रक्रिया है। कंपनी के इन प्रयासों में राष्ट्रीय मांग, शेयर होल्डर्स तथा कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाता है साथ-साथ जोखिम को कम करने पर भी बल दिया जाता है। कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में निगमित संस्कृति का सृजन तथा उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, कंपनी के कार्य-व्यवहार में पारदर्शिता, सुस्पष्टता लाना, गुणवत्ता सुधार, कर्मियों की दक्षता एवं कार्यकौशल में वृद्धि लाकर कंपनी की छवि को उत्कृष्ट बनाना है।

2. निदेशक मण्डल

दिनांक 31.03.16 को आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल में 7 निदेशक अर्थात 5 कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित), 2 अंशकालीन निदेशक तथा दो स्थाई आमंत्रित सदस्य भी शामिल थे।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की कुल 9 (नौ) बैठकें हुई यथा 12.04.2015, 21/22.05.2015, 08.08.2015, 19.08.2015, 31.10.2015, 27.11.2015, 30.12.2015, 04.02.2016 तथा 15.03.2016। अत: निदेशक मण्डल की इन बैठकों के आयोजन के बीच समय का अंतराल 2 माह से अधिक नहीं था।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के गठन, निदेशक मण्डल की बैठक तथा गत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कम्पनियों में निदेशकों के पद तथा अन्य समितियों में उनकी सदस्यता इत्यादि का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है:

क्र. सं.	नाम/पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें		अन्य निदेशकीय पदों की संख्या	अन्य बोर्ड समितियों में सदस्यता	
			कार्यकाल में	उपस्थिति		ऑडिट समिति	उप समिति
1.	श्री गोपाल सिंह अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	09	09	शून्य	–	अध्यक्ष
2.	श्री डी. के. घोष निदेशक (वि.)	कार्यकारी निदेशक	09	09	शून्य	विशेष	सदस्य
3.	श्री पी. के. तिवारी निदेशक (तक./ संचा.)	कार्यकारी निदेशक	09	08	शून्य	सदस्य	सदस्य
4.	श्री सुबीर चन्द्रा $ निदेशक (यो. परि.)	कार्यकारी निदेशक	07	07	शून्य	–	सदस्य
5.	श्री आर. एस. महापात्र $$ निदेशक (कार्मिक)	कार्यकारी निदेशक	07	07	शून्य	–	–
6.	श्री आर. मोहनदास, निदेशक (का./औ.स.) सीआईएल	अंशकालीन निदेशक	09	07	(i) सीआईएल (ii) डब्लयू सी एल	अध्यक्ष	–
7.	श्री एस. के. सिंह @ संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	अंशकालीन निदेशक	01	01		अध्यक्ष	सदस्य
8.	श्री आर. पी. गुप्ता ^ ज्या.सेक्रे., कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	अंशकालीन निदेशक	08	06	एमसीएल	अध्यक्ष	सदस्य
9.	श्री दीपक नाथ ^^ सीओएम, इसी रेल	स्थाई आमंत्रित	09	08	लागू नहीं	आमंत्रित	आमंत्रित
10.	श्री डी. के. तिवारी # सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग	स्थाई आमंत्रित	07	–	लागू नहीं	–	–
11.	श्री एस. के. सतपथी ## सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग	स्थाई आमंत्रित	02	–	लागू नहीं	–	–
12.	श्री यू.पी. सिंह ### सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग	स्थाई आमंत्रित	–	–	लागू नहीं	–	–
13.	श्री अशोक गुप्ता * गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	04	03	लागू नहीं	अध्यक्ष	सदस्य
14.	श्री भारत भूषण गोया ** गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक	04	04	लागू नहीं	सदस्य	सदस्य

$ 09.06.2015 को कार्यभार लिया

$$ 08.06.2015 को कार्यभार लिया

@ 20.04.2015 को निदेशक के रूप में पदत्याग

^ प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक का कार्यभार 20.04.2015 को लिया

^^ 31.03.2016 को सेवानिवृत्त

28.01.2016 को स्थाई अतिथि व के पद स्थापित हुए

28.01.2016 को माइन्स एंड जिओलॉजी विभाग के सेक्रे. का पदभार लिया

04.04.2016 को माइन्स एंड जिओलॉजी विभाग में सेक्रे. का पदभार लिया

04.04.2016 को माइन्स एंड जिओलॉजी विभाग में सेक्रे का पद भार लिया

* 14.11.2015 को गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक का पदभार लिया

** 14.11.2015 को गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक का पदभार लिया

वर्ष 2015-16 के दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के पारिश्रमिक की अनुसूची

ए. कार्यकारी निदेशकगण

(रकम रु. में)

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कम्पनी के साथ व्यावसायिक संबंध	वेतन एवं भत्ते	वेतन संशोधन के कारण बकाया का भुगतान	मकान किराया भत्ता	छुट्टी नकदीकरण	एक्स-ग्रासिया	सीएमपीएफ अंशदान	चिकित्सा खर्च	एलएलटीसी	एलटीसी	ग्रैच्युटी	कुल
श्री गोपाल सिंह	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	2403232.20	0.00	0.00	166050.90	0.00	262875.00	1000.00	0.00	69166.00	0.00	2902324.10
श्री पी. के. तिवारी	शून्य	निदेशक (तकनीकी)	2207746.90	0.00	0.00	295795.80	0.00	258680.00	1418.00	0.00	0.00	0.00	2763640.70
श्री आर. एस. महापात्र	शून्य	निदेशक (कार्मिक)	1828936.00	0.00	75293.00	0.00	0.00	182002.73	13881.25	142214.40	0.00	0.00	2242327.38
श्री डी के घोष	शून्य	निदेशक (वित्त)	2199150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222318.00	54623.84	102485.12	0.00	0.00	2578576.96
श्री सुबीर चन्द्रा	शून्य	निदेशक (तकनीकी)	1661400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168183.00	23573.80	0.00	0.00	0.00	1853156.80
कुल			**10300465.10**	**0.00**	**75293.00**	**461846.70**	**0.00**	**1094058.73**	**94496.89**	**244699.52**	**0.00**	**0.00**	**12340025.94**

सेवा संविदा

कम्पनी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। पूर्णकालीन निदेशकों को नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तों का निर्धारण कम्पनी की अन्तरनियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

(बी) अंशकालीन निदेशक :

कम्पनी द्वारा किसी भी अंशकालीन निदेशक को किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

(सी) गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक :

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल रकम (रु.)
1.	स्वतंत्र निदेशकगण	श्री भारत भूषण गोयल (नियुक्ति की तिथि : 14.11.2015)	श्री अशोक गुप्ता (नियुक्ति की तिथि : 14.11.2015)	
	बोर्ड समिति बैठक में भाग लेने हेतु फीस	1,50,000.00	1,20,000.00	2,70.000.00
	कुल (1)	1,50,000.00	1,20,000.00	2,70,000.00

3. बोर्ड समिति :

(i) निदेशकों की उच्चाधिकार - उप समिति

जब श्री पी. के. तिवारी ने निदे.(तक./संचा.) के रूप में ज्वाइन किया 413वीं बोर्ड बैठक 10.02.2015 में उन्हें प्रोजेक्ट एप्राइजल, मल्यांकन और फाइनलाइजेशन के लिए सदस्य के रूप के रूप में उच्चाधिकार उप समिति में सम्मिलित किया गया। साथ में निम्नलिखित निदेशक थे -

1.	श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, सीसीएल	-	अध्यक्ष
2.	श्री एस. के. सिंह, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
3.	श्री पी. के. तिवारी, निदेशक तकनीकी (संचालन), सीसीएल	-	सदस्य
4.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	-	सदस्य
5.	श्री दीपक नाथ, सीओएम, ई. सी. रेलवे	-	अतिथि

इसी तरह पत्र क्र. 21/3/2011-एसओ, दि. 20.4.2015 को अंडर सेक्रेटरी, भारत सरकार द्वारा जारी .... श्री एस. के. सिंह, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी कोयला मंत्रालय ने श्री आर. पी. गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी को सीसीएल बोर्ड में शामिल किया तो सीसीएल बोर्ड ने उच्चाधिकार समिति में संकल्प, सर्कुलेशन (आरबीसी- II), दि. 27.04.15 को 415वीं बोर्ड बैठक, 21/22.05.2015 में उन्हें शामिल किया।

आगे श्री सुबीर चन्द्र ने 09.06.2015 को निदेशक (यो. एवं परि.) के रूप में पदस्थापना की और बोर्ड बैठक 417, दि. 19/20.08.2015 में प्रोजेक्ट अप्राइजल, मूल्यांकन और फाइनलाइजेशन के लिए उन्हें सदस्य के रूप में उच्चाधिकार सब कमिटी में शामिल किया गया।

आगे पत्र क्र. 21/15/2014-एएसओ(पार्ट- II)(xi), दिन. 17 नवम्बर 2015 में कोयला मंत्रलाय, भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी द्वारा जारी पत्र द्वारा श्री अशोक गुप्ता और भारत भूषण गोयल, गैर प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सीसीएल बोर्ड में सम्मिलित किया गया। बोर्ड मिटिंग 419वीं, 27.11.2015 में उच्चाधिकार सब कमिटी को पुन: स्थापित करके निम्नलिखित निदेशकों के साथ उन्हें सम्मिलित किया गया :

1.	श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक गुप्ता, गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री आर. पी. गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	–	सदस्य
4.	श्री भारत बूषण गोयल, गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
7.	श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./यो. परि.)	–	सदस्य
8.	श्री दीपक नाथ सीओएम, इसी रेलवे*	–	अतिथि

* दिनांक 31.03.2016 को सेवानिवृत्त

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान इएससीडी की 6 बैठकें दिनांक 12.4.15, 21.5.15, 19.8.15, 31.10.15, 30.12.15 तथा 15.3.16 को हुई।

वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी के निदेशकों के उच्चाधिकार कमिटी में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

नाम	उच्चाधिकार कमिटी		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री गोपाल सिंह, सीएमडी, सीसीएल	6	6	अध्यक्ष
श्री एस. के. सिंह, भा.प्र.से. ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक *	1	1	सदस्य
श्री आर. पी. गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक *	5	4	सदस्य
श्री अशोक गुप्ता, गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक ^	2	1	सदस्य
श्री भारत भूषण गोयल गैर प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक ^	2	2	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	6	6	सदस्य
श्री पी. के. तिवारी निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल	6	6	सदस्य
श्री सुबीर चन्द्रा निदेशक (तक.) (यो. एवं परि.), सीसीएल	3	3	सदस्य
श्री दीपक नाथ, सीओएम, इसी रेलवे $	6	6	अतिथि

* श्री एस. के. सिंह के स्थान पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अण्डर सचिव द्वारा जारी किया गया पत्र क्रमांक 21/3/2011-एएसओ दिनांक 20.04.2015 के तहत श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय ने सीसीएल बोर्ड का पदभार ग्रहण किया।

$ श्री दीपक नाथ, आमंत्रित, दिनांक 31.03.2016 को सेवा निवृत्त हुए।

^ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अण्डर सचिव द्वारा जारी किया गया पत्र क्रमांक 21/15/2014-एएसओ (भाग-II)(xi) दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के तहत श्री अशोक गुप्ता एवं श्री भारत भूषण गोयल ने सीसीएल बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किये।

(ii) निदेशकों की अंकेक्षक समिति

श्री पी. के. तिवारी का निदेशक (तक./संचा.) के रूप में 07.02.15 को सीसीएल ज्वाइन करने पर 413वें बैठक दि. 10.12.15 को आडिट कमिटी का पुनर्गठन हुआ साथ में निम्नलिखित निदेशक थे।

1.	श्री एस के सिंह आइएएस. ज्वा. सेक्रे., एमओसी	अध्यक्ष
2.	श्री आर. मोहनदास निदे(पी/आइआर)सी.आइ.एल.	सदस्य
3.	श्री पी. के. तिवारी निदे.(तक./संचा.)	सदस्य
4.	श्री दीपक नाथ सीओएम, इ सी रेलवे	अतिथि
5.	श्री डी. के. घोष निदे.(वि) सीसीएल	विशेष आमंत्रित

इस समय आदेश क्र 21.03.2011- एएसओ दि. 20.04.15 को अंडर सेक्रेट्र भा.स.कोयला मंत्रा. वाइस श्री एस. के. सिंह आइएएस द्वारा जारी आदेशानुसार श्री आर. पी. गुप्ता, ज्वा. सेक्रे, एमओसी ने सीसीएल बोर्ड ज्वाइन किया। 415वीं बोर्ड बैठक 21.05.15 में निम्नलिखित निदेशकों के साथ उन्हें आडिट कमिटी में शामिल किया गया है, जब तक गैर प्रशासनिक अंश कालिक निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई-

1.	श्री आर. पी. गुप्ता आइएएस, ज्वा. सेक्रे., एमओसी	अध्यक्ष
2.	श्री आर मोहन दास निदे. (पीएंडआइआर), सीआइएल	सदस्य
3.	श्री पी. के. तिवारी निदे. (तक./संचा.), सीसीएल	सदस्य
4.	श्री डी. के. घोष निदे. (वि), सीसीएल	विशेष आमंत्रित
5.	श्री दीपक नाथ सीओएम, इसीरेलवे	आमंत्रित

आगे पत्रांक. 21.15.2014 एएसओ(पार्ट - II) (xi)- दि. 17 नवम्बर 2015, अंडर सेकें. भा. स. कोयला मंत्रा द्वारा जारी पत्र के अनुसार सीसीएल बोर्ड के गैर प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप के श्री अशोक गुप्ता और श्री भारत भूषण गोयल की नियुक्ति हुई। 419वीं बोर्ड बैठक नि. 27.11.15 में निम्नलिखित निदेशकों के साथ आडिट कमिटी का पुनर्गठन किया गया-

1.	श्री अशोक गुप्ता गैर-प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	अध्यक्ष
2.	श्री भारत भूषण गोयल गैर-प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	सदस्य
3.	श्री आर मोहनदास निदे.(पीएंडआइआर)	सदस्य
4.	श्री डी के घोष निदे.(वित्त) सीसीएल	स्थाई आमंत्रित

लेखा समिति के बैठक में लेखा समिति के एक तिहाई सदस्य या दो सदस्य जो भी अधिक हो के द्वारा ही गणपूर्ति होगी मगर कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक का होना जरूरी है। 411 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.11.2014 को अंकेक्षण समिति द्वारा कार्यसूची में सम्मिलित टर्म ऑफ रेफरेन्स को बोर्ड अनुमोदित किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 177 (4) प्रावधान के अनुसरण में है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 6 बैठकें अर्थात दिनांक 21.05.2015, 08.08.2015, 19.08.2015, 31.10.2015, 04.02.2016 और 15.03.2016 को हुई। कंपनी सचिव, अंकेक्षण समिति के भी सचिव हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी की अंकेक्षण समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत है :

नाम	अंकेक्षण समिति की बैठक		अभियुक्ति
	कार्यकाल में सम्पन्न	उपस्थिति	
1. श्री एस. के. सिंह, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार / सरकारी अंशकालिक निदेशक *	—	—	अंकेक्षण समिति का अध्यक्ष
2. श्री आर. पी. गुप्ता, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार / सरकारी अंशकालिक निदेशक *	4	2	अध्यक्ष / सदस्य / आमंत्रित
3. श्री आर. मोहन दास, निदेशक (पी एण्ड आई आर), सीआईएल	6	6	अध्यक्ष / सदस्य
4. श्री अशोक गुप्ता ^, गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	2	2	अध्यक्ष
5. श्री भारत भूषण गोयल ^, गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	2	2	सदस्य
6. श्री दीपक नाथ $, सीओएम, पूर्व मध्य रेलवे	4	3	आमंत्रित
7. श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल	4	4	सदस्य
8. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	6	6	स्थाई आमंत्रित

* श्री एस. के. सिंह के स्थान पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अण्डर सचिव द्वारा जारी किया गया पत्र क्रमांक 21/3/2011-एएसओ दिनांक 20.04.2015 के तहत श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय ने सीसीएल बोर्ड का पदभार ग्रहण किया।

$ श्री दीपक नाथ, आमंत्रित, दिनांक 31.03.2016 को सेवा निवृत्त हुए।

^ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अण्डर सचिव द्वारा जारी किया गया पत्र क्रमांक 21/15/2014-एएसओ (भाग-II)(xi) दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के तहत श्री अशोक गुप्ता एवं श्री भारत भूषण गोयल ने सीसीएल बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किये।

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र

अंकेक्षण समिति का निम्नलिखित कार्य होगा

- निम्नलिखित के संबंध में अंकेक्षकों के साथ समय-समय पर चर्चा करना
  - आंतरिक नियंत्रण तथा उसकी पर्याप्तता
  - अंकेक्षकों की टिप्पणियाँ सहित अंकेक्षण का कार्य
  - बोर्ड में प्रस्तुत करने के पहले वित्तीय विवरण का तिमाही, अर्द्धवार्षिकी और वार्षिक समीक्षा
- निम्नलिखित कार्य निष्पादित करना
  - वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है यह सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण
  - बोर्ड में अनुमोदन के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रबन्धन के साथ समीक्षा, विशेषकर इसे निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातें, लेखा विधिनीति में कोई परिवर्तन यदि कोई हो, लेखा संबंधी बड़े इंदराज, किये गये महत्वपूर्ण समायोजन, संबंधित पार्टी के लेन-देन का प्रकटीकरण, अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप के औचित्य के संदर्भ में।

(iii) संपोषित विकास हेतु संपोषित विकास समिति

सरकारी लोक उपक्रमों हेतु लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों हेतु संपोषित विकास के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई ओ. एम. संख्या 3(9)/2010-डीपीई (एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 जारी किया।

मार्ग निर्देश के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु :

- संपोषित विकास हेतु योजना तैयार किया जाना आवश्यक।
- संपोषित विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेन्सी/विशेषज्ञ/सलाहकार नियुक्त किया जाय।
- संपोषित विकास की योजना के अनुमोदन और उसके निष्पादन की देख-रेख हेतु बोर्ड स्तर पर पदनामित समिति का गठन किया जाय।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 135 के अन्तर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषित विकास समिति में कम से कम 3 निदेशक आवश्यक हैं - इस सब में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक आवश्यक है। 2014-15 में चूँकि सीसीएल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, अत: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व बोर्ड स्तर की समिति का वर्ष 2014-15 में बनाना संभव नहीं हुआ।

आगे पत्रांक. 21.15.2014 एएसओ(पार्ट - II) (xi)- दि. 17 नवम्बर 2015, अंडर सेकें. भा. स. कोयला मंत्रा द्वारा जारी पत्र के अनुसार सीसीएल बोर्ड के गैर प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप के श्री अशोक गुप्ता और श्री भारत भूषण गोयल की नियुक्ति हुई। 419वीं बोर्ड बैठक नि. 27.11.15 में निम्नलिखित निदेशकों के साथ एसडी/सीएसआर कमिटी का पुनर्गठन किया गया-

1.	श्री भारत भूषण गोयल, गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	—	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक गुप्ता, गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	—	सदस्य
3.	श्री आर. मोहन दास, निदेशक (पी एण्ड आई आर), सीआईएल	—	सदस्य
4.	श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल	—	सदस्य
5.	श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	—	सदस्य

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान दिनांक 15.03.2016 को सम्पोषित विकास / निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की सिर्फ एक बैठक हुई।

सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2015-16 के लिए आपकी कम्पनी की लेखा-रिपोर्ट के अंकेक्षण कार्य हेतु भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्मों की नियुक्ति की गई है:

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
फोर मैंगोई लेन,
सुरेन्द्र मोहन घोष सारणी,
ग्राउण्ड फ्लोर,
कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल।

शाखा अंकेक्षक

1. **मेसर्स एस. एन. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
   6, आरआईटी बिल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर,
   कोर्ट कम्पाउण्ड, राँची - 834 001
   झारखण्ड।

2. **मेसर्स एनकेडी एण्ड कं.**
   दूसरा तल्ला, राधा गौरी,
   गौशाला चौक, नॉर्थ मार्केट रोड,
   अपर बाजार,
   राँची - 834001, झारखण्ड।

3. **मेसर्स कदमवाला एण्ड कम्पनी**
   द्वारा श्री राम चन्द्र प्रसाद
   श्री राम पथ लेन
   क्राउन पब्लिक स्कूल के सामने
   किशोर गंज, हरमू रोड,
   राँची - 834 001,
   झारखण्ड।

4. **मेसर्स लोधा पटेल बाधवा एण्ड कम्पनी**
   304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स,
   4, एच. बी. रोड, तीसरी तल,
   राँची - 834 001,
   झारखण्ड।

सचिवीय अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 204 के अन्तर्गत निदेशक मण्डल के बोर्ड ने 414 वीं बोर्ड बैठक में मद क्रमांक 4(30) दिनांक 12.04.2015 के द्वारा सचिवीय अंकेक्षण के लिए वर्ष 2015-16 हेतु निम्नलिखित कम्पनी सचिव फर्म को नियुक्त किया गया।

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स कान्त सनत एण्ड एसोसियेट्स
सी/18, पहला माला,
पार्क रोड नं. - 1,
अशोक नगर,
गेट नं. - 1,
राँची - 834 002,
झारखण्ड।

वार्षिक आम बैठक :

गत तीन वर्षों में शेयर होल्डर्स की आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है।

वर्ष	तिथि एवं समय	अवस्थिति	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2012-13	25.05.2013 मध्याह्न 12.00 बजे	दरभंगा हाउस राँची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री पीयूष सरकार, सीआईएल प्रतिनिधि	कुछ नहीं
2013-14	11.06.2014 मध्याह्न 12.00 बजे	दरभंगा हाउस राँची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री जे. बागची, सीआईएल प्रतिनिधि	कुछ नहीं
2014-15	17.06.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे	दरभंगा हाउस राँची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. सुश्री श्वेता लोहारूका, सीआईएल प्रतिनिधि	कुछ नहीं

नोट : गत तीन वर्षों में सम्पन्न आम बैठकों में डाक द्वारा मतदान के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

4. प्रकटीकरण (डिसक्लोजर)

सम्बन्धित पार्टियों से लेन-देन

कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्रकटीकरण के अनुसार, सम्बद्ध पार्टियों से ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया जिससे व्यापक रूप से कंपनी के हित को कोई हानि पहुँचती।

निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

दिनांक 02.07.2008 को सम्पन्न सीसीएल के निदेशकमण्डल की 348वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की आचार संहिता को प्रस्तुत किया गया है जिसे सीसीएल की वेब साईट सं. www.ccl.gov.in पर भी लोड किया गया है। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कार्य-व्यवहार एवं अनुमोदन सम्बन्धी सम्पुष्टि की प्राप्ति ले ली गई है।

एसईबीआई (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम 1992 तथा 2008 में संशोधित की रजिस्ट्रेशन 12(i) के अनुसरण में इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम हेतु आचार संहिता

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्या सीआईएल:ix:(D):04007:2010:1856 दिनांक 30.11/01.12.2010 के अनुसरण में **एसईबीआई (प्रोहिबिशन ऑफ इन्साइडर ट्रेडिंग) विनियम 1992 तथा 2008 में संशोधित के रजिस्ट्रेशन 12(i) के अनुसार** इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम हेतु आचार-संहिता कम्पनी के कर्मचारी जिसमें निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी कार्यकारी निदेशक, सभी मुख्य महाप्रबन्धक और महाप्रबन्धक तथा कम्पनी के नामित विभागों में कार्यरत सभी अधिकारियों के बीच परिचालित किया गया।

शक्ति प्रत्यायोजन

दिनांक 11.05.2010 को हुई निदेशक मण्डल की 367वीं बैठक में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक मण्डल के अधिकार संशोधित किये गये। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीसीएल के निर्देश के अनुसार सीसीएल की वेबसाईट : ***www.centralcoalfields.in*** पर डीओपी अपलोड किया गया। कार्यकारी निदेशकों का डीओपी तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धकों का डीओपी संशोधित किया गया तथा दिनांक 24.01.2012 को हुई बोर्ड की 384वीं बैठक में सूचना के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे सीसीएल की वेबसाईट में अपलोड भी किया गया।

लेखा व्यवहार

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के तहत प्रस्तुतीकरण करते हुए वांछित एवं संगत अपेक्षाओं तथा कम्पनी में लागू बाध्यकारी लेखा मापदण्डों के अनुरूप ही वित्तीय विवरणियों को तैयार किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के अनुसरण में, जोखिम को चिन्हित करने, मूल्यांकन एवं संगठन के विभिन्न कार्य-संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम कम करने संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से सन्निहित सम्भावित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम पर प्रभावपूर्ण तरीके से काबू पाने हेतु जोखिम के विरुद्ध बनाई गई नीति एवं प्रणाली के माध्यम से आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाते हैं।

5. संचार-व्यवस्था के साधन

कम्पनी का संचालन और वित्तीय निष्पादन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा कम्पनी की वेबसाईट में वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किया जाता है।

6. अंकेक्षण की अर्हता

कम्पनी हमेशा अनअर्हता वाली वित्तीय विवरणियाँ प्रस्तुत करती है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के लेखा पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की विवरणियों को निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया

है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को भी इसमें संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

कार्यकारी निदेशकगण अपने संबंधित क्षेत्रों के मुखिया होते हैं क्योंकि उन्हें इस कार्य का पर्याप्त अनुभव होता है तथा उन्हें कम्पनी के कार्यों एवं जोखिम प्रबंधन के बारे में हर तरह की जानकारी होती है। अंशकालीन निदेशक कम्पनी के कार्यों से पूर्णत: अवगत रहते हैं। कम्पनी से जुड़ी जोखिम प्रबंधन की अवधारणा को बोर्ड द्वारा बडे ही सुविचारित ढंग से परिभाषित किया गया है तथा बोर्ड के सदस्यों को इसके संबंध में समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

8. अंशकालीन निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रणाली

कोयला मंत्रालय, कोल इण्डिया लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी), रेलवे तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालीन निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन उनके संबंधित विभागों में प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड-सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशकों का चयन कोयला मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग के माध्यम से किया जाता है। इनकी यह नियुक्ति सामान्यत: तीन वर्षों के लिए की जाती है।

9. व्हिस्ल ब्लोअर नीति

कोल इण्डिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोल इण्डिया व्हिस्ल ब्लोअर नीति, 2011 सारे अनुषंगी कम्पनियों पर लागू है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी होने के मद्देनजर, कम्पनी के सभी अधिलेखों का लेखा-परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कभी भी किया जा सकता है और सतर्कता विभाग/सीबीआई आदि इनका निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं।

आपकी कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन स्वतंत्र रूप से एक सतर्कता विभाग कार्यरत है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यरत सतर्कता विभाग की शाखा सतर्कता से संबंधित निवारक उपायों पर विशेष ध्यान देती है।

10. इन्टग्रीटी पैक्ट

दिनांक 11.08.2008 को नई दिल्ली में आपकी कंपनी तथा ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल इण्डिया के बीच इन्टीग्रीटी के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 23.08.2008 को सम्पन्न बोर्ड की 350वीं बैठक के समक्ष सूचना हेतु उक्त ज्ञापन-समझौता प्रस्तुत किया गया।

11. कंपनी द्वारा अनुपालन

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अनुसरण में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित कोयला मंत्रालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभागों तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय को भेजी गई है।

12. यू. एन. ग्लोबल कॉम्पैक्ट

ग्लोबल कॉम्पैक्ट कारोबार के लिए तैयार एक ऐसी व्यवस्था है जो कारोबार तथा इसकी रणनीतियों में सुधार लाने हेतु सर्वमान्य 10 सिद्धांतों के माध्यम से मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सदा प्रयासरत रहती है। विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल कॉरपोरेट सिटिजन के रूप में कार्यरत, ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहली संस्था है जो किसी भी उद्योग के कारोबार तथा विपणन को व्यापक रूप से सामाजिक आवश्यकता के अनरूप मान्यता एवं विस्तार दिलाने का प्रयास करती है। विश्व स्तर की कंपनियाँ यू. एन. ग्लोबल का सदस्य बनी हुई हैं। सीसीएल सीएसआर के क्रियाकलाप कम्पनी पर आधारित हैं। वर्ष 2009 से यू. एन. ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सदस्य हैं। सीएसआर गतिविधियों से कम्पनी ऊपर उठी है साथ में सीएसआर व्यवसाय प्रक्रिया की चाभी बन गई है। यह व्यवसाय के उच्चतर सिद्धांतों पर चल रहा है।

आपकी कंपनी द्वारा चलाई गई कुछ विशेष सी.एस.आर. योजनाओं में कायाकल्प योजनाएँ, ऑपरेशन ज्योति, बालिका-शिशु प्रोत्साहन, इत्यादि उल्लेखनीय है। आपकी कंपनी द्वारा चलाई गई/चलाई जा रही सी.एस.आर. गतिविधियों के फलस्वरूप कमान क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले लोगों, राज्य प्रशासन, मीडिया तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के बीच कंपनी के प्रति अच्छी छवि के निर्माण में सहायता मिली है। सी.एस.आर. कार्यों से आपकी कंपनी को एक विशेष प्रकार का संस्कार संसदीय श्रम समिति, भारतीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट सोसाइटी, सी.ए.जी. ऑडिट तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ई.ए.सी. से भी सराहना मिली है।

अनुलग्नक - I ए

निदेशकों के प्रोफाइल

सीसीएल के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी/संचालन), निदेशक (वित्त), निदेशक (कीर्मिक), निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना), दो सरकारी / सीआईएल के नामित निदेशक एवं दो स्थाई आमंत्रित — एक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य संचालन प्रबंधक एवं एक सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची और दो अशासकीय अंशकालीन निदेशक हैं।

सभी निदेशकों का संक्षिप्त परिचय, उनके शैक्षणिक योग्यता, क्षेत्र, अनुभव एवं विशेषज्ञता, उनके व्यवसायिक संस्थाओं में सदस्यता, अन्य कम्पनियों में अध्यक्ष/निदेशकीय इत्यादि निम्नलिखित है।

श्री गोपाल सिंह

श्री गोपाल सिंह मार्च 2012 से सेन्ट्रल कोलफील्ड्स के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद पर प्रतिष्ठित हैं।

सीसीएल सीएमडी के पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने कई उच्च दायित्व का निर्वहन किया जैसे निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना), एसइसीएल, सीजीएम, कुसमुंडा क्षेत्र, एसइसीएल, इत्यादि। उनके कार्यभारों ने उन्हें कोयला क्षेत्र में विस्तृत अभिज्ञता और कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रबंधन का व्यापक अनुभव प्रदान किया।

21 जनवरी, 1961 को रोहतास में जन्मे श्री सिंह ने प्रसिद्ध संस्थान इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से 1982 में स्नातक किया। उन्होंने एक खनन अभियंता के रूप में अपनी जीविका सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र से प्रारम्भ की। उन्होंने ओपन कास्ट माइनिंग में एम. टेक. और फाइनांस में स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए उत्तीर्ण किया। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कोल इण्डिया के विभिन्न अनुषंगियों में जैसे सीसीएल में 21 वर्ष और एसइसीएल में 6 वर्ष, एसइसीएल में निदेशक (तकनीकी) बनने से पहले कार्य किया। कुसमुंडा परियोजना जहाँ उसके 23 वर्ष के जीवनकाल में कभी रेटेड क्षमता 6 एमटीवाई प्राप्त नहीं किया, 2006-07 में 9.066 एमटी उत्पादन किया अर्थात् 4 वर्ष में रेटेड क्षमता का 151%। उन्होंने कुसमुंडा ओसी का 50 एमटीवाई के लिए तथ्यात्मक परियोजना रिपोर्ट बनाई जो उस समय विश्व की उस तरह की सबसे बड़ी खदान थी।

सीएमडी, सीसीएल के रूप में कम्पनी के विकास को प्राथमिकता देते हुए पुन: परिभाषित किया जिसमें झारखण्ड के सामाजिक, आर्थिक पहलु को ध्यान में रखा गया। यह अब पूर्णत: **कायाकल्प मॉडल** के नाम से पहचाने जाने वाले कई शुरूवातों द्वारा **सम्मिलित विकास** पर केन्द्रित है। कायाकल्प योजना निम्नलिखित पर आधारित है :

(ए) पारदर्शी, न्यायसंगत और लोकोपकारिक दृष्टिकोण जिससे स्टेकहोल्डर्स को प्रोत्साहन और टीम निर्माण

(बी) गहन प्रशिक्षण द्वारा अद्यस्तनों का विकास

(सी) 'लीड बाई एक्जाम्पल' थियोरी के द्वारा कड़े अनुशासन लागू करना

(डी) नई खोज को बढ़ावा और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट तकनीकी अपनाना

(इ) लोकतांत्रिक योजना और स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण

इन शुरूवातों से ये परिणाम मिले :

कोयला उत्पादन में वर्षों की स्थिरता के बाद 4.1% वृद्धि वर्ष 2013-14 में और 11.3% वृद्धि वर्ष 2014-15 में। वर्ष 2014-15 में हुई वृद्धि कोल इण्डिया लिमिटेड की सभी कम्पनियों में सर्वाधिक है। यह डबल डिजिट वृद्धि भविष्य में भी जारी रहेगी जो देश की किसी भी कोयला कम्पनी के लिए अभूतपूर्व होगा। दो वर्षों 2013-15 के दौरान 6 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, 40 एमटी क्षमता के (जो आगे विस्तार द्वारा 100 मि. टन) शुरू किये गये जिसका समतुल्य कोयला उद्योग में कोई नहीं है। इसके अन्तर्गत बड़ी परियोजना मगथ ओसी (51 एमटीवाई - एशिया की सबसे बड़ी प्रस्तावित कोयला खदान) और आम्रपाली ओसी (12 एमटीवाई) हैं।

वे एक लोकोपकारी व्यक्ति हैं और समाज के कमजोर वर्ग की भलाई के लिए सामाजिक कार्यों में बहुत रूचि रखते हैं। उनके योग्य मार्गदर्शन से कम्पनी देश में कोयले की मांग को पूरा करने के ध्येय को संभालेगी।

श्री दीपक कुमार घोष

श्री दीपक कुमार घोष ने निदेशक (वित्त) का पदभार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 6 जुलाई, 2013 को ग्रहण किया और 2014-15 में विभिन्न कार्यभारों, निदेशक (कार्मिक) प्रभारी और निदेशक (तकनीकी/संचालन) का कार्य भी सफलता पूर्वक प्रभावी रूप से निभाया।

इन्होंने कोयला उद्योग में विशेषत: सीसीएल एवं इसीएल में 33 वर्षों से वित्त क्षेत्र में विभिन्न पदों पर अपनी कार्यकुशलता दर्शाई।

इनका जन्म 1959 में कोलकाता में हुआ और कोलकाता विश्वविद्यालय से कॉमर्स ग्रेजुएट बनें। इन्होंने अपने व्यावसायिक योग्यताएँ इन्स्टिट्युट ऑफ कॉस्ट एण्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया और इन्स्टिट्युट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इण्डिया से प्राप्त की।

इन्हें 27 जनवरी, 2014 से प्रणाली विभाग का कार्यभार दिया गया। फिर 1 जुलाई, 2014 को सीसीएल के निदेशक प्रभारी (सेल्स एण्ड मार्केटिंग) की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई। निदेशक (कार्मिक) प्रभारी का कार्यभार सफलता पूर्वक सरलता से निभाया। निदेशक (तकनीकी/संचालन) के पदभार त्याग देने पर उन्होंने नये निदेशक (तकनीकी/संचालन) की नियुक्ति तक पद का कार्यभार सम्भाला।

श्री प्रदीप कुमार तिवारी

श्री प्रदीप कुमार तिवारी ने 7 फरवरी, 2015 को सीसीएल में निदेशक (तकनीकी/संचालन) का पदभार लिया।

इस चयन के पहले, श्री तिवारी मुख्य महाप्रबंधक (उत्पादन) / मुख्य महाप्रबंधक - तकनीकी सचिव, सीएमडी, एनसीएल के पद पर थे। अक्टोबर, 2011 को श्री तिवारी का स्थानांतरण एनसीएल से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में हुआ जहाँ वे मुख्य महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना) रहें। श्री तिवारी इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद के 1979 बैच के माइनिंग इंजिनियरिंग के ग्रैजुएट हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरूआत जुनियर एक्ज़िक्यूटिव ट्रेनी के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (पहले डब्लुसीएल) के चिरिमिरी क्षेत्र से 1979 में किया। बाद में उनकी पदोन्नति

विश्रामपुर क्षेत्र, एसईसीएल के प्रबंधक के रूप में स्थानांतरण के साथ हुई। ईसीएल में 2001 में स्थानांतरण से पहले इन्होंने एसईसीएल के विभिन्न प्रबंधकीय क्षमता पर 22 वर्ष (1979 से 2001 तक) कार्य किया।

श्री तिवारी का खनन उद्योग में 36 वर्ष का अनुभव है। इन्हें खुली एवं भूमिगत खदान एवं खदानों की योजनाओं में विभिन्न पदों पर कार्य किये हैं। ये 2015 में ऑस्ट्रेलिया में इण्डियन माइनिंग मिशन पर गये सीआईएल के दल के मुखिया थे जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और एआईएमइएक्स 2015 के विभिन्न खानों का दौरा किया।

श्री राधाश्याम महापात्रो

श्री राधाश्याम महापात्रो ने सीसीएल (कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी) के निदेशक (कार्मिक) का पदभार 8 जून, 2015 से सम्भाला। सीसीएल में निदेशक (कार्मिक) बनने से पहले उनका अनुभव ऊर्जा, तेल और कोयला उद्योगों में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य करने का है। सीसीएल में श्री आर. एस. महापात्रो ने महा प्रबंधक (कार्मिक - औद्योगिक सम्बन्ध और भर्ती), सहायक महा प्रबंधक (एच आर), ईआईएल और वरीय प्रबंधक (एच आर), एनएचपीसी के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उन्होंने खाल्लीकोट कॉलेज, बेहरामपुर, ओड़िसा से फिजिक्स विषय के साथ स्नातक किया और स्नातकोत्तर की उपाधि कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक सम्बन्ध और श्रमिक कल्याण में प्राप्त की। श्री महापात्रो ने कई क्षेत्र जैसे एच आर फंक्शन, लाइजन और कोऑर्डिनेशन को बखुबी सम्भाला है। एनएचपीसी, ईआईएल और सीसीएल, राँची में उन्होंने प्रोडक्टिव वर्क कल्चर की शुरूआत की। एनएचपीसी में कार्य करते हुए उन्हें श्रेष्ठ कार्यों के लिए ग्रीनटेक एनवायरॉन्मेन्ट अवार्ड प्राप्त किया।

श्री महापात्रो ने महा प्रबंधक (पी एण्ड आइआर) के रूप में अक्टुबर, 2013 से एच आर कार्यों में उदाहरणात्मक परिवर्तन किये। उनके द्वारा किए गये इन प्रयासों से कम्पनी की छवि अच्छी हुई है और कम्पनी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है।

उन्होंने कोल इण्डिया द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रशिक्षण जैसे एडवांस मैनेजमेन्ट प्रोग्राम जर्मनी में, स्वीडन में एडवांस टेक्नोलॉजी एण्ड ऑरगानाइजेशनल कल्चर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री महापात्रो उत्पादकता में सुधार, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में विशेष रूचि रखते हैं। वे प्रशासन को दायित्वपूर्ण और समाज की जरूरतों एवं आशा के अनुरूप बनने के लिए समर्पित रूप से सुधार के कार्य करते हैं। पारदर्शिता एवं नेतृत्व और टीमवर्क में विश्वास इनकी विशेष योग्यता है।

श्री सुबीर चन्द्रा

श्री सुबीर चन्द्रा ने दिनांक 09.06.2015 को सीसीएल के निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) का पद ग्रहण किया। इन्होंने इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से 1979 में खनन अभियांत्रिकी में ग्रेजुयेशन किया और जेट की हैसियत से ईसीएल में बंकोला क्षेत्र के मोइरा कोलियरी में पदस्थापित हुए। 1985 में इन्होंने अपना एम. टेक. खुली खदान खनन पर किया। 2002 में इनका परियोजना अधिकारी के रूप में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नागपुर क्षेत्र में स्थानान्तरण हुआ। 2008 जनवरी तक इन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को अपनी सेवाएँ दीं इसके बाद इनका स्थानान्तरण एमसीएल के ईब वैली क्षेत्र में महाप्रबंधक के रूप में हुआ। निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) के रूप में पदोन्नति से पहले वे एमसीएल के लिंगराज क्षेत्र में महाप्रबंधक के पद पर रहे।

प्रारम्भिक दौर में श्री चन्द्रा को सेमी-मेकनाइज्ड और लोडरलेस भूमिगत खदान और बड़े खुली खदानों का विस्तारित अनुभव रहा। इन्हें भूमिगत एवं खुली खदानों के स्टेट-ऑफ-आर्ट तकनीकी के साथ संचालन का पर्याप्त मौका मिला।

निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) के रूप में इनके ऊपर कई महत्वपूर्ण विभागों का भार है जिनकी भूमिका सीआइएल द्वारा 2019-20 में 1 बीटी उत्पादन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है।

ये मृदु स्वभाव के हैं और निर्णय में दृढ़ हैं। ये अत्यंत उत्साही स्वभाव के एवं खनन समस्याओं को सुलझाने में आत्म विश्वास से भरपूर हैं। सीसीएल को इनके समृद्ध एवं विस्तारित अनुभव से पर्याप्त लाभ होगा।

श्री आर. पी. गुप्ता, *आईएएस*

श्री आर. पी. गुप्ता 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने कानपुर आईआईटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक किया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में अपनी सेवाएँ दी जिनमें शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव का पद शामिल है। इनके कैरियर में निम्न लिखित प्रमुख उपलब्धियाँ हैं :

(ए) गाँव और भूमि पार्सल नक्शे सहित भूमि रेकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और जियोस्पेटियल इमेजरी के साथ मिलान जिसके द्वारा पूरे गुजरात में आधुनिक तकनीकी से दुबारा सर्वे की शुरूआत हुई।

(बी) गुजरात के 35,000 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के, वार्षिक आकलन के लिए संप्रत्ययीकरण किया गया और लागू किया गया और एक पारदर्शी पूरी तरह से कम्प्युटराइज्ड और त्वरित प्रणाली से सिर्फ एक माह में दस हजार शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह से मेरिट के आधार पर हुई।

(सी) पीडीएस में मासिक बायो-मेट्रिक वेरिफिकेशन प्रणाली पूरे राज्य में लागू की गई।

इन्होंने दिनांक 15.04.2015 से कोयला मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पदभार ग्रहण किया। ये सीसीएल बोर्ड और इसके उप समितियों के प्रमुख सदस्य हैं।

श्री आर. मोहनदास

श्री आर. मोहनदास कोल इण्डिया लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक और औ. सं.) हैं। इन्होंने सोशल वर्क पर ग्रेजुएट की डिग्री मदुरै विश्वविद्यालय से किया है। इन्होंने युनाइटेड किंगडम, केम्ब्रिज, क्विन्स कॉलेज से 'एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम' और युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पेनसिल्वानिया के विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से 'मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम' किया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग से श्री दास ने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरूआत 34 वर्ष पहले की थी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में कार्य के दौरान इन्होंने मानव संसाधन में कई शुरूआत की जैसे 'इन्टिग्रेटेड ह्युमन रिसोर्सेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम', पेपर लेस कार्यालय के कन्सेप्ट में और 'इ-एनेबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम', अधिकारियों के लिए विकसित कर शुरू किया जो बैलेंस स्कोरकार्ड के साथ लिंक था।

कोल इण्डिया लिमिटेड में पदस्थापित होने से पहले ये महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) के रूप में राज्य सरकार के मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड, चेन्नई में पदस्थापित थे। 'आईएसओ क्वालिटी सिस्टम' में इन्होंने प्रशिक्षण लिया और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में लीड एक्सेसर रहे।

निदेशक (का/औ. सं.), कोल इण्डिया लिमिटेड के नाते श्री दास ने कोल इण्डिया लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्मिक नीतियों को बनाने और उनको लागू करने का दायित्व निभाया। इन्होंने मानव संसाधन के क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ जिसमें मुख्य रूप से कोल इण्डिया वेतन समझौतों — पहला, 2009 के जनवरी के माह में और दूसरा, जनवरी, 2012 में जिससे लगभग 375 हजार कामगार लाभान्वित हुए। यह द्विपक्षीय समझौता, 5 वर्षों के लिए किसी भी सरकारी उपक्रम में पहली बार हुआ है। अन्य कई एच आर प्रयास की शुरूआत इनके नेतृत्व में संस्था संस्कृति में परिवर्तन के लिए किये गये। सीसील के अलावा, कोल इण्डिया लिमिटेड और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के निदेशक का पद इन्होंने सम्भाला है।

श्री दास ने निम्नलिखित समिति/बोर्ड में सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है :

(ए) सेन्ट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के सदस्य।

(बी) एप्रेन्टिसशिप अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत सेन्ट्रल एप्रेन्टिसशिप काउंसिल (सीएसएफ) के सदस्य।

(सी) स्कोप के एक्सिक्युटिव बोर्ड के सदस्य।

(डी) मिनिमम वेजेस अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड (सीएबी) के सदस्य।

एच आर के क्षेत्र में श्री दास के सहयोग को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया और उनका नाम 'मोस्ट पावरफुल एच आर प्रोफेशनल्स ऑफ इण्डिया' नामक पुस्तक में दर्ज किया गया।

गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक

श्री भारत भूषण गोयल

श्री भारत भूषण गोयल पूर्व सिविल सेवक रहें जो 30 जून, 2015 में एडि. चीफ एडवाइज़र (कॉस्ट), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और इण्डियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

27 जून, 1955 में पंजाब के संगरूर में जन्में, इन्होंने कॉमर्स में ग्रैजुएट करके इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। ये इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्ट के फेलो सदस्य और एआईएमए और डीएमए के लाइफ सदस्य हैं। इन्होंने स्ट्रेथक्लिड विश्वविद्यालय, यु. के., इन्टरनेशनल लॉ इन्स्टिट्यूट, युएसए और नेशलन लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया, बैंगलोर से विशेष प्रशिक्षण लिए हैं।

इन्हें भारत सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 40 वर्षों का वृत्तिक अनुभव है। भारत सरकार में इन्होंने विभिन्न मंत्रालय / विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है। इण्डियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस में 1983 में पदस्थापना के पूर्व इन्होंने एचएमटी लिमिटेड, पंजाब हाऊसहोल्ड लिमिटेड और पंजाब हाऊसिंग डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड में कार्यरत रहे।

इनके पास पब्लिक पॉलिसी, फायनंशियल प्रबंधन, कॉर्पोरेट मूल्यांकन, विनिवेश, कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, एफेक्टिव रेगुलेटरी लैंडस्केप, कॉस्ट प्रबंधन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, रिस्क बेस्ड ऑडिट, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता है।

ये कई उच्च स्तरीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था / कमिटी के अध्यक्ष / सदस्य रह चुके हैं और कई कम्पनियों, संस्थाओं और ऑटोनॉमस संस्था के बोर्ड सदस्य रहें जहाँ इन्होंने मूल्यवान सुझाव दिये।

श्री गोयल हरियाणा सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय अंकेक्षण के लिए गठित कमिटी के अध्यक्ष हैं, नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनन्शियल मैनेजमेंट के फैकल्टी सदस्य हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन के सलाहकार और सदस्य कॉस्ट ऑडिट एण्ड एश्युरेन्स स्टैण्डर्ड बोर्ड, आईसीएआई और सीआईआई - टीसीएम एप्रुव एडवाज़र, कुल कॉस्ट मैनेजमेंट के हैं।

इन्होंने विभिन्न समसामयिकी विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर पेपर / वक्तव्य दिये हैं। ये कई शीर्ष बी-स्कूल, प्रोफेशनल बॉडिज़, अकादमिक संस्थाएँ, शोध संस्थाएँ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ फैकल्टी / विशेर्ष के रूप में जुड़े हैं।

श्री अशोक गुप्ता

श्री अशोक गुप्ता का जन्म 29 जनवरी, 1957 को हुआ। उन्होंने 1977 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ऑनर्स के साथ कॉमर्स ग्रैजुएशन किया। श्री गुप्ता ने 1980 में सीए परीक्षा में देश के मेरिट सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर सफलता पाई और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया के फेलो मेम्बर बने।

सीए अशोक गुप्ता को टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, फायनान्स, बैंकिंग, लॉ एडुकेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और बिजनेस मैनेजमेन्ट में 34 वर्षों का अनुभव है।

श्री अशोक गुप्ता ने अपने कैरियर की शुरूआत अशोक प्रवीण एण्ड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के रूप में 1981 से की और अब तक जुड़े हैं। ये कई बैंकों एवं बीमा कम्पनी में सांविधिक अंकेक्षक हैं।

श्री गुप्ता इण्डियन बैंक के अप्रशासकीय निदेशक और विजया बैंक के सरकारी नामित थे। श्री गुप्ता ने विशेष निदेशक (बीआईएफआर नामित) के रूप में सीआईएमएमसीओ लिमिटेड और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को अपनी सेवा दी है।

स्थाई आमंत्रित

श्री बासु देव रॉय

मुख्य संचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेलवे

श्री यू. पी. सिंह

सचिव (खान एवं भूगर्भ)
झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट -II

वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

सेवा में

सदस्यगण

मेसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी दी गई विवरणी की जांच की यद्यपि सूची में प्रदर्शित करार का अनुच्छेद-49 कम्पनी में लागू नहीं होता है।

2. कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा स्वीकृत सीमा को देखते हुए हमारी यह जांच उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन की जांच तक ही सीमित थी। किन्तु कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर हमारी इस जांच को न तो अंकेक्षण और न ही इसे हमारे मन्तव्य की अभिव्यक्ति माना जाए।

3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमे उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तथा निदेशकों एवं प्रबंधनों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है।

4. हम पुन: यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अनुपालन कम्पनी की भावी सक्षमता का न तो कोई आश्वासन है और न यह दक्षता या प्रभावीकरण ही दर्शाता है जिसके फलस्वरूप प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया।

कृते वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजीकृत संख्या : 311017ई)
ह./-
(अनिरुद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
सदस्य सं. : 051371

स्थान - राँची
दिनांक - 24 मई, 2016

परिशिष्ट-III

सचिवालयीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 204(1) और
कम्पनी के नियुक्ति और क्षतिपूर्ति कार्मिक नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, राँची
झारखण्ड

हमने अच्छे निगमित अभ्यास से जुड़े **सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कम्पनी)** का लागू संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सचिवालयीन लेखा परीक्षा का संचालन किया है। सचिवालयीन लेखा परीक्षण इस प्रकार से संचालित किया गया है जो हमें निगमित चरित्र/संवैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन का उचित आधार दे सके और मेरा मत मैं दे सकूँ। हमने कम्पनी बुक्स, पेपर्स, मिनट बुक्स, फॉर्म्स और रिटर्नस फाईल और अन्य रिकॉर्ड्स जो कम्पनी की देख-रेख में है, उनका सत्यापन किया है और जो सूचनाएँ कम्पनी, उसके आधिकारिक एजेन्टों और सक्षम प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयीन लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त हुए हैं, इन सब पर आधारित हम अपने विचार व्यक्त करते हैं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए लेखापरीक्षण के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कम्पनी के पास उपयुक्त बोर्ड प्रोसेस और अनुपालन तरीके सही स्थान पर है जिन्हें बाद में रिपोर्ट में विवृत किया जायेगा :

हमने कम्पनी के देख-रेख में रखे बुक्स, मिनट बुक्स, फॉर्म्स और रिटर्न फाईल तथा अन्य रिकॉर्ड्स वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च, 2016 का परीक्षण किया है जो प्रावधानों के अन्तर्गत है :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियम बनाए गये;

2. फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन नियम और शर्तें बनाई गई;

3. डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेस, भारत सरकार के द्वारा जारी केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेस के लिए निगमित प्रशासन के दिशानिर्देश;

4. कम्पनी द्वारा दिये गये सूचना के अनुसार, कम्पनी के पास उचित प्रणाली है जिससे इस पर लागू विशेष नियमों के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। (अनुलग्नक - 1 में लागू होनेवाली सूची है);

5. बोर्ड के गठन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना।

पुनरीक्षण के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियम, शर्तों, दिशानिर्देश, स्टैण्डर्ड्स आदि जो ऊपर के विषय में दिये गये हैं, का अनुपालन किया है जिसके निम्नलिखित अवलोकन हैं :

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्लॉस 4 के अन्तर्गत कम्पनी एक प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी है जो **कोल इण्डिया लिमिटेड** के स्वामित्व की सबसिडियरी है साथ 4 (चार) सदस्य / शेयरहोल्डर्स जैसे कोल इण्डिया लिमिटेड, अध्यक्ष, सीआईएल, निदेशक (वित्त), सीआईएल और अध्यक्ष/मैनेजिंग डायरेक्टर, सीसीएल। फिर भी कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 2(71) के अन्तर्गत यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है अत: पब्लिक कम्पनी के प्रावधान इस पर लागू है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) राष्ट्रपति, भारत, के अनुमोदन से, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. 21/35/2005-एएसओ (iv) दिनांक 6 जून, 2008 कम्पनी के बोर्ड का पुन:गठन हुआ जिसमें पाँच कार्यकारी निदेशक, दो अंशकालिक निदेशक, सरकारी प्रतिनिधि और पाँच गैर-कार्यालयीन निदेशक होते हैं। इस प्रकार कुल निदेशकों की संख्या बारह है और दो स्थाई आमंत्रित अतिथि, एक इस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे और दूसरा सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार। वर्तमान में पाँच निदेशक बोर्ड में हैं, साथ में तीन कार्यकारी निदेशक और दो सरकारी निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में नौ निदेशक बोर्ड में हैं जिनमें पाँच कार्यकारी निदेशक, दो अप्रशासकीय अंशकालीन सरकारी निदेशक और दो अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक हैं।

(बी) वर्ष के दौरान सीएसआर कमिटी का गठन हुआ।

(सी) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत तक कम्पनी में कोई महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई।

(डी) सभी निदेशकगणों को बोर्ड बैठक के शिड्यूल, अजेन्डा और अजेन्डा के विस्तार से नोट अग्रिम नोटिस द्वारा भेजे जाते हैं और एक प्रणाली बनाई गई है जिसके द्वारा अजेन्डा के मदों पर बैठक के पहले सूचनाएँ और स्पष्टिकरण ज्ञात हो सके और बैठक को सफल बना पाएँ। सेक्रेटरियल स्टैन्डर्ड - I की जरूरत को ध्यान में रखा गया है हालाँकि हमारे मत से शीर्ष प्रबंधन स्तर पर मिनट्स के रिकॉर्डिंग पर विचार की आवश्यकता है। फिर भी ब2ठक में हुए निर्णय मिनट्स में हैं और अजेंडा में विस्तृत संदर्भ है।

ये रिपोर्ट कम्पनी द्वारा दी गई सूचनाओं एवं रिकॉर्ड जो उनके द्वारा सुरक्षित रखे गये हैं, उनके आधार पर बनाई गई है। कम्पनी के पास पर्याप्त ऐसी प्रणालियाँ हैं जिनके द्वारा इसके आकार और संचालन के अनुरूप लागू नियमों, नीतियों, शर्तों एवं दिशानिर्देश के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित की जा सके।

कृते **कांत सनत एण्ड एसोसिएट्स**

ह./-

(सीएस सनत कुमार मिश्रा)

पार्टनर

सी. पी. नं. - 8705

स्थान : राँची

दिनांक : 23.05.2016

सचिवालयीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अनुलग्नक - I

1. माइन्स अधिनियम, 1952;
2. मिनरल कन्सेशनल रूल, 1960;
3. माइन्स एण्ड मिनरल (रेग्युलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट,1957);
4. द माइन्स रूल, 1955;
5. कोल माइन्स रेग्युलेशन्स, 1959;
6. द एक्सप्लोसिव रूल, 1884;
7. द एक्सप्लोसिव रूल, 1983;
8. कोकिंग कोल माइन्स (राष्ट्रीयकरण) एक्ट, 1972;
9. द कोल माइन्स (राष्ट्रीयकरण) एक्ट, 1973;
10. द कोल माइन्स (राष्ट्रीयकरण) संशोधन एक्ट, 1993;
11. द कोल माइन्स (टेकिंग ओवर मैनेजमेन्ट एक्ट), 1973;
12. द कोल माइन्स (संरक्षण एवं विकास) एक्ट, 1974;
13. द कोल माइन्स (स्पेशल प्रॉविजन्स) II ऑर्डिनेन्स, 2014;
14. द कोल माइन्स स्पेशल प्रॉविजन्स रूल्स, 2014;
15. द कोल बियरिंग एरियास (एक्विजिशन एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट) 1957;
16. द कोल माइन्स प्रॉविडेन्ट (मिसलेनियस प्रॉविजन्स) एक्ट, 1948;
17. माइन्स वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, 1966;
18. माइन्स रेस्क्यू रूल्स, 1985;

19. माइन्स (पोस्टिंग ऑफ एबस्ट्रैक्ट्स) रूल्स, 1954;

20. पेमेन्ट ऑफ अनडिस्बर्स्ड वेजेस (माइन्स) रूल्स, 1989;

21. इण्डियन ब्युरो ऑफ माइन्स, सिनियर टेक्निकल एसिस्टेन्ट(सर्वे, जुनियर टेक्निकल एसिस्टेंस (सर्वे) और जुनियर सर्वे रिक्रुटमेन्ट) रूल्स, 1990;

22. द कोल माइन्स पिट हेड बाथ रूल्स, 1959;

23. द माइन्स क्रेशेस रूल्स, 1966;

24. इण्डियन ब्युरो ऑफ माइन्स (इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एण्ड इलेक्ट्रिशियन) भर्ती रूल, 1990;

25. मैटरनीटी बेनिफिट (माइन्स) रूल्स, 1963;

26. पेमेन्ट ऑफ वेजेस (माइन्स) रूल्स, 1956;

27. कोल माइन नैशनलाइजेशन (प्रॉविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी, पेंशन, वेलफेयर फण्ड) रूल्स, 1978;

28. मेटेलिफेरस माइन्स रेग्युलेशनस, 1961;

29. माइनिंग लीजेस (मॉडिफिकेशन्स ऑफ टर्म्स) एक्ट, 1956;

30. कोलियरी कन्ट्रोल ऑर्डर, 2000;

31. कोलियरी कन्ट्रोल रूल्स, 2004;

32. ऑक्शन बाई कॉम्पिटिटिव बिडिंग ऑफ कोल माइन्स रूल्स, 2012;

33. कोल माइन्स एडवाइजरी बोर्ड रूल्स, 1973;

34. द एनवायरनमेन्ट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986;

35. इन्डस्ट्रियल डिसप्युट एक्ट, 1947;

36. पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट, 1936;

37. ट्रेड युनियन एक्ट, 1926;

38. वर्कमेन कम्पेनसेशन एक्ट, 1923;

39. हजार्डस वेस्टस (मैनेजमेन्ट हैन्डलिंग एण्ड ट्रांस-बाउण्डरी मुवमेन्ट) नियम - 2008;

40. पानी (संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

41. हवा (संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981

42. फैक्टरी अधिनियम, 1948;

43. मिनिमम वेजेस अधिनियम, 1948;

44. द एम्प्लॉइज़ स्टेट इन्श्युरेन्स अधिनियम, 1948;

45. द एम्प्लॉइज़ प्रविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्रॉविज़न अधिनियम, 1952;

46. पेमेन्ट ऑफ बोनस अधिनियम, 1965;

47. पेमेन्ट ऑफ ग्रैच्युटी अधिनियम, 1972;

48. द कॉन्ट्रैक्ट लेबर (प्रॉहिबिशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम, 1986;

49. द इण्डस्ट्रियल एम्प्लॉयमेन्ट (स्टैन्डिंग ऑर्डर) अधिनियम, 1946;

50. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923;

51. द अप्रेन्टिस एक्ट, 1961;

52. द इक्वल रेमुनरेशन अधिनियम, 1976;

53. द सेक्सुअल हरासमेन्ट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस (प्रिवेन्शन, प्रॉहिविज़न एण्ड रेडरेस्ड) अधिनियम, 2013।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखा पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ब) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनीज् अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय रिपोर्ट हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसरण में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु सीसीएल के वित्तीय विवरणों की तैयारी का उत्तरदायित्व इस कम्पनी के प्रबन्धन पर है। कम्पनीज् अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 के तहत स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित, जो कि कम्पनीज् 2013 के धारा 143(10) के तहत वर्णित है, अपनी राय व्यक्त करें। ऐसा सूचित किया गया है उनकी अंकेक्षण-रिपोर्ट दिनांक 24.05.2016 के द्वारा उनके द्वारा ऐसा अनुपालन किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से कम्पनीज् अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु सीसीएल की वित्तीय विवरणियों का पूरक अंकेक्षण कर लिया है। इस पूरक अंकेक्षण का कार्य सांविधिक अंकेक्षकों के दस्तावेजों का ख्याल किये बिना ही किया गया है तथा यह कार्य सांविधिक अंकेक्षकों की जांच, कम्पनी अधिकारी तथा लेखा-अभिलेखों की कुछ विशेष जांचों तक ही सीमित है। मेरे अंकेक्षण के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आ गये हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय बयान की एक बेहतर समझ और सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए आवश्यक है।

लाभदायिता पर टिप्पणी

नोट - 5 :	लम्बी अवधि के प्रावधान	—	रु. 2140.20 करोड़
	कर्मचारियों के अन्य लाभ	—	रु. 229.29 करोड़

अकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड्स (ए एस)-15 में 'कर्मचारी - लाभ' के अन्तर्गत डिफाईन्ड बेनिफिट प्लान ऑन एक्चुरियल वैल्युएशन बेसिस पर देयताओं की पहचान की गई है। कम्पनी ने हालाँकि पोस्ट रिटायरमेन्ट मेडिकल बेनिफिट, एक डिफाइन्ड लाभ योजना है जिसमें रु. 75.62 करोड़ अर्थात् बेसिक वेतन का 4% धन डियरनेस अलाउंस की रकम आवश्यक राशि 59.01 करोड़ जो एक्चुरियल वैल्युएशन बेसिस के तहत है, का प्रावधान किया है।

इस कारण लम्बी अवधि प्रावधान का ओवर स्टेटमेन्ट और लाभ का अंडर स्टेटमेन्ट, 16.61 करोड़ का हुआ है।

कृते एवं की ओर से,
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक,
ह./-
(प्रवीर कुमार)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड - II
कोलकाता

कोलकाता
दिनांक : 08 जुलाई, 2016

निदेशक रिपोर्ट के भाग के रूप में परिशिष्ट

(31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

परिशिष्ट - V

चैप्टर XII के अनुसरण में नियम - 5 नियुक्ति एवं पारिश्रमिक ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स, 2014 के तहत सूचना

वर्ष 2015-16 के दौरान 60.00 लाख रु. या उससे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की सूची *

क्रम सं.	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु.)	नियोजन का प्रकार स्थायी / अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष में)
	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वैसे कर्मचारी, जिन्होंने आलोच्य वर्ष (2015-16) के भाग में 5.00 लाख रु. प्रतिमाह की दर से कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया *

क्रम सं.	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु.)	नियोजन का प्रकार स्थायी / अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष में)
	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के सेक्शन 134 (3एम) के साथ कम्पनीज (अकाउंट्स) रूल्स, 2014 के सब क्लॉज 3(ए) के अनुसरण में सूचना

ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा के संरक्षण के लिए 2015-16 में उठाये गये कदम और उनका प्रभाव

1. जवाहर नगर कॉलोनी के 100 सोडियम वेपर स्ट्रीट लाइट जो कि 250 वाट के थे को 24 वाट एलईडी से बदला गया।

2. 6000 केवीआर कैपेसिटर बैंक खरीदे गए हैं और उनके स्थापन का कार्य अलग अलग खदानों में पावर फैक्टर सुधरने के लिए चल रहा है।

विवरण	स्थान	वर्तमान स्थिति
2 x 900 केवीएआर, 11 केवी एपीएफसी के साथ	ढोरी	सामग्री सुपर्द कर दी गयी है। मई, 2016 तक कमीशन हो जाएंगे।
1 x 600 केवीएआर, 11 केवी एपीएफसी के साथ	ढोरी	
2 x 600 केवीएआर, 6.6 केवी एपीएफसी के साथ	कथारा कोलियरी	
1 x 300 केवीएआर, 6.6 केवी एपीएफसी के साथ	रजरप्पा	
6 x 300 केवीएआर, 3.3 केवी एपीएफसी के साथ	तोपा - 1 नॉर्थ उरीमारी - 3 तारमी - 2	
2 x 150 केवीएआर, 3.3 केवी एपीएफसी के साथ	पुण्डी	
1 x 300 केवीएआर, 3.3 केवी एपीएफसी के साथ	स्वांग	

3. खदानों में 1000 वाट मेटल हेलिदएड वाट के 100 लैंपों को 160 वाट एलईडी लाइट के द्वारा बदला गया।

4. खदानों में 400 वाट मेटल हेलिदएड वाट के 100 लैंपों को 110 वाट एलईडी लाइट के द्वारा बदला गया।

5. कॉलोनी के 500 सोडियम वेपर स्ट्रीट लाइट जो कि 250 वाट के थे को 40 वाट एलईडी से बदला गया।

6. 300 ट्यूब लाइट जो कि 40 वाट के थे को 18 वाट एलईडी से बदला गया।

7. 30 स्ट्रीट लाइटों में टाइमर लगाये गए हैं।

8. ग्यारह में से तीन क्षेत्रों ने खदान अनुसार अलग ऊर्जा मीटर की व्यवस्था की है और क्षेत्रों में भी स्थापना का कार्य चल रहा है।

(ii) कम्पनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग के लिए उठाये गये कदम

1. 25 केवी ग्रीड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र सेन्ट्रल रिपेयर शॉप, बरकाकाना के छत पर लगाने का कार्य पत्र दे दिया गया है।

2. 7.5 केवी ऑफ-ग्रीड सौर ऊर्जा संयंत्र बैटरी के साथ आम्रपाली प्रोजेक्ट के 5 तौल घरों के ऊपर लगाने का कार्य के लिए निविदा आमंत्रीत की गयी है।

3. 400 केवी ग्रीड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र सीसीएल मुख्यालय के छत पर लगाने का प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

4. 15 वाट के 6 सौर लाइट फिटिंग सब-स्टेशन में लगाये गए हैं।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट

ऊर्जा संरक्षण के उपकरणों के कैपिटल निवेश पर वर्ष 2015-16 में लगभग 148.5 लाख रुपए का पूंजी निवेश किया गया।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के सेक्शन 134 (3एम) के साथ कम्पनीज (अकाउंट्स) रूल्स, 2014 के रूल - 8, सब क्लॉज 3(बी) के अनुसरण में सूचना

समावेशन (एब्जार्वशन) के संबंध में विवरण को प्रदर्शित करने वाला फॉर्म

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1.	विशेष क्षेत्र, जहां पर कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य चलाया गया।	कंपनी के पास अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआई ही सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए आरएण्डडी के कार्य केन्द्रीय रूप से करती है।
2.	उक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	—
3.	भावी कार्य योजना	—
4.	आरएण्डडी पर खर्च	रु. 0.95 करोड़ (सीआईएल से प्राप्त डेबिट नोट के आधार पर)
	(क) पूंजी	—
	(ख) आवर्ती	—
	(ग) योग	—
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एण्ड डी खर्च	—

प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन

1.	प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन के संबंध में किए गए प्रयास	—
2.	उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लागत में कमी लाने उत्पाद विकास तथा आयात प्रतिस्थापन इत्यादि के संबंध में किए गए प्रयासों के कारण हुए लाभ	शून्य
3.	विदेशी प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से प्रारम्भ करते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में निम्नांकित सूचना दी जाए	
	(i) आयातित प्रौद्योगिकी	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	शून्य
	(iii) क्या प्रौद्योगिकी को पूर्णत: अपना लिया गया है?	शून्य
	यदि पूर्णत: नहीं अपनाया गया है तो उन क्षेत्रों का नाम बताएं, (कारण एवं भावी योजना के वर्णन सहित)	शून्य

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के सेक्शन 134 (3एम) के साथ कम्पनीज (अकाउंट्स) रूल्स, 2014 के रूल - 8, सब क्लॉज 3(सी) के अनुसरण में सूचना

विदेशी विनिमय/मुद्रा/आय/व्यय

(i) निर्यात के संबंध में कार्य-कलाप यथा निर्यात बढ़ाने, उत्पादन के निर्यात के लिए विदेशी बाजार का विकास, निर्यात सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं के कार्यकलाप — कंपनी निर्यात नहीं कर रही है।

(ii) अर्जित/उपयोग हो चुका कुल विदेशी विनिमय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	*विवरण*	*2015-16*	*2014-15*
(क)	**उपयोग हो चुका विदेशी विनिमय (मुद्रा)**		
1.	ब्याज	0.00	0.00
2.	एजेन्सी कमीशन	0.00	0.00
3.	यात्रा / प्रशिक्षण खर्च	0.09	0.02
	योग	**0.09**	**0.02**

(ख) अर्जित विदेशी विनिमय (मुद्रा) : — **कंपनी द्वारा ऐसी कोई आय अर्जित नहीं की गई है।**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 134 के अन्तर्गत सीएसआर कार्य-कलापों का अतिरिक्त अनावरण

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कम्पनियों के लिए लागू नियम 8(1)2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) के संदर्भ अनुसार]

1. सीसीएल सीएसआर नीति का संक्षिप्त रूपरेखा

व्यापार एवं उद्योग, सामाजिक विकास और सामाजिक अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए अस्तित्व में आए हैं। वे समाज से संसाधन प्राप्त कर धन-मान उत्पन्न करते हैं। इसलिए, व्यवसाय और समाज अन्योन्याश्रित हैं और व्यापार को समाज के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करना चाहिए। एक स्थिर सामाजिक वातावरण व्यापार, निवेश एवं औद्योगिक कार्यों के लिए पूर्व अपेक्षित है। अत: यह अपेक्षित है की उद्योग समाज के विभिन्न समस्याओं का ख्याल रख कर ऐसा वातावरण बनाए। यह सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) का दृढ़ निश्चय है। कोल इण्डिया लिमिटेड के परिवार में यह कम्पनी एक मिनी रत्न श्रेणी - 1 की केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। एक समय नुकसान में रहने वाली कम्पनी ने कुछ साल पहले शानदार बदलाव किया और रिकॉर्ड उत्पादन, उत्पादकता, लाभ और लोगों की देखभाल (4Ps) द्वारा अपनी वर्चस्व स्थापित किया है।

सीसीएल का एक मिनी रत्न कम्पनी बनना उसके कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और झारखण्ड के लोगों के लिए "किसी सपने के सच होने" जैसा है - सीसीएल राज्य की सबसे बड़ी खनन उद्योग कम्पनी है। आस-पास के समुदाय का सीसीएल के साथ भावनात्मक लगाव है और कम्पनी को भारत में खनन के लिये, समाज का पूरा समर्थन प्राप्त है, जो अपने आप में अद्वितीय है। भावना, आकांक्षाओं के साथ अंत:स्थापित है और सीसीएल झारखण्ड राज्य के सात जिलों में कार्यरत है, जो ना कि केवल राज्य के औद्योगिक शक्ति (झारखण्ड का गहना) को दिखाता है बल्कि राज्य के लोगों के आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक भी है।

इस पृष्ठभूमि में, एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में सीसीएल का ध्यान समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को सम्बोधित करने की जिम्मेदारी की तरफ पूर्ण केन्द्रित हो जाता है। हालाँकि समुदाय पर ध्यान केन्द्रित करने वाली सोच को कम्पनी की दृष्टि, उद्देश्य और कोर मूल्यों को भी दर्शाती है।

सीसीएल : दृष्टि, उद्देश्य और कोर मूल्यों

दृष्टि

अंतर्राष्ट्रीय मानक के सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से खदान से बाजार तक, देश में एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनना।

मिशन

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कोयला और कोयला उत्पादों की नियोजित मात्रा का कुशलतापूर्वक और मितव्ययतापूर्वक से उत्पादन और विक्रय करना।

उद्देश्य

- पीढ़ी के अनुकूलतम आंतरिक संसाधनों के द्वारा उत्पादकता में सुधार, अपव्यय को रोकने, और पर्याप्त बाहरी संसाधन की निवेश जरूरतों को पूरा करने के हेतु गतिमान करना।

- कोयला खनन को सुरक्षा के उच्च मानकों, सुरक्षित खनन प्रथाओं और सतत सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से दुर्घटना मुक्त बनाना।

- परती जमीन का कृषीकरण और वृक्षारोपण के लिए प्रतिबद्ध योजना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करना।

- निर्धारित मानकों के भीतर परिवेश के वायु और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना।

- गुणवत्ता वाले कोयले की भूमिगत उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी अर्थात् निरंतर खनिक आदि लागू करना।

- मेगा खुली खदान परियोजनाओं को उच्च उपलब्धता और उपयोग के माध्यम से, उच्च क्षमता उपकरण का उपयोग कर लम्बी अवधि के रख-रखाव और मरम्मत अनुबंध (मार्क / MARC) संचालित तथा सुरक्षित करने के लिए।

- कोयला की नई क्षमताओं को जोड़कर और बड़े पैमाने पर ग्राहक की पसंद के अनुसार गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करके कोयले को लाभ पहुँचाने के लिए।

- मानसिकता बदलाव, अनुकूलित मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों और समन्वित टीमों के माध्यम से कर्मचारियों का पूर्ण सामर्थ्य पाने के लिए एक एक योग्य वातावरण बनाने के लिए।

- ऑपरेशन चलाने के लिए और तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कुशल जनशक्ति की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराने के लिए।

- बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, टाउनशिप जीवन में गुणवत्ता और उत्कृष्ट शैक्षिक सुविधाओं के माध्यम से कार्य संस्कृति में सुधार करने के लिए।

कोर मूल्य के बयान

- ग्राहक देखभाल
- पर्यावरण और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय
- कर्मचारियों के लिए देखभाल
- लागत चेतना

सीएसआर नीति का वेबलिंक

CIL के सीएसआर नीति नई कम्पनियों अधिनियम 2013 निम्नलिखित लिंक पर पाया जा सकता है

https://www.coalindia.in/en-us/company/policies.aspx

2. सीएसआर समिति की संरचना

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (क) श्री भरत भूषण गोयल, अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) D/O व्यय (ख) श्री अशोक गुप्ता, सीए

अंशकालिक निदेशक : (क) श्री आर मोहन दास, निदेशक (कार्मिक), सीआईएल

कार्यात्मक निदेशक : (क) श्री आर. एस. महापात्रा, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल (ख) श्री सुबीर चंद्रा, निदेशक (परियोजना और योजना), सीसीएल।

3. कम्पनी के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ

वित्तीय वर्ष	कर के पहले लाभ (करोड़ रु. में)
2012-13	2683.56
2013-14	2525.87
2014-15	2740.34
औसत शुद्ध लाभ	**2649.92**

4. वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% = रु. 53.03 करोड़

5. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च किया गया निगम सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

(अ) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए खर्च किया गया कुल राशि = रु. 212.79 करोड़

(ब) खर्च न की जाने वाली राशि : शून्य

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि का ब्योरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	**अभिज्ञात सीएसआर परियोजना / कार्यकलाप**	**वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है**	**परियोजना कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) (उस जिले / का नाम जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया**	**परिव्य रकम (बजट) परियोजना / कार्यक्रम**	**परियोजना / कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप : शीर्ष (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय (लाख में)**	**रिपोर्टिंग अवधि तक संचय व्यय (रु. लाख में)**	**खर्च की गई रकम प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अभिकरण के माध्यम से**
1.	सामुदायिक भवन, कुएँ, शेड/घाट, रोड, चारदीवारी तथा अन्य कार्य (विवाह भवन आदि)	आधारभूत संरचना	कमाण्ड क्षेत्र के 25 किमी के दायरे में आने वाले गाँव (अरगडा, बरकासयाल, बी एण्ड के, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, राजहरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, एन. के., मगध - आम्रपाली, बरकाकाना, नई सराई, (राँची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ के अन्य जिले)	रु. 5303 लाख समस्त सीएसआर कार्यों के लिए (संख्या 1 से 10)	342.10	रु. 33941.32 लाख 2007-08 से 2015-16 तक	सीएसआर विभाग मुख्यालय से तथा अरगडा, बरकासयाल, बी एण्ड के, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, राजहरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, एन. के., मगध-आम्रपाली, बरकाकाना, नई सराई, (राँची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ के (अन्य जिले)
2.	आधारभूत संरचना का विकास ग्रामीण स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल (छोड़े हुए विद्यार्थियों के लिए, सीसीएल के लाल तथा अन्य)	शिक्षा	— वही —	— वही —	531.18		— वही —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना / कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजना कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) (उस जिले / का नाम जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया	परिव्य रकम (बजट) परियोजना / कार्यक्रम	परियोजना / कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप : शीर्ष (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय (लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचय व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई रकम प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अभिकरण के माध्यम से
3.	हस्तचालित पंप लगवाना, डीप बोरिंग, कुएँ तथा अन्य कार्य करवाना (पाइप फिटिंग, टैंकर, पाइप लाइन लगवाना, पानी की आपूर्ति, आदि)	पेयजल	— वही —	— वही —	234.65		— वही —
4.	विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र, जन आरोग्य केन्द्र, रीहेबिलेशन सेंटर, लेप्रोसी कॉलोनी आदि	स्वास्थ्य	— वही —	— वही —	20.72		— वही —
5.	सामुदायिक शौचालय/ नालों का निर्माण एवं नवीकरण	स्वच्छता	— वही —	— वही —	50.01		— वही —
6.	तालाबों/बांधों का निर्माण/ नवीकरण, सौर लाइट लगवाना एवं अन्य विविध गतिविधियाँ जैसे - (पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन, पौधे आदि के चारों ओर बाड़ लगाने आदि)	पर्यावरण	— वही —	— वही —	161.23		— वही —
7.	गरीब और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजन जैसे - (सिलाई, मोटर ड्राइविंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, खेती प्रशिक्षण आदि)	कौशल विकास/ सामाजिक सशक्तिकरण	— वही —	— वही —	102.34		— वही —
8.	फुटबॉल और अन्य खेल टूर्नामेन्ट का आयोजन जैसे - (खेल के मैदान, स्टेडियमों का निर्माण और विविध गतिविधियाँ जैसे - खेल के सामान का वितरण आदि)	खेल और संस्कृति	— वही —	— वही —	2664.38		— वही —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना / कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजना कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) (उस जिले / का नाम जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया	परिव्य रकम (बजट) परियोजना / कार्यक्रम	परियोजना / कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप : शीर्ष (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय (लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचय व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई रकम प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अभिकरण के माध्यम से
9.	अन्य विकासशील तरह की गतिविधियाँ जैसे - रसोई गैस सिलिंडर वितरण, व्हीलचेयर वितरण, सावन महोत्सव 2015 का आयोजन आदि	अन्य	— वही —	— वही —	16.66		— वही —
10.	4 राज्यों में लगभग 11850 शौचालयों का निर्माण / नवीनीकरण	स्वच्छ विद्यालय अभियान	भारत देश के 4 राज्यों - झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में	—	17156		एनबीसीसी लिमिटेड
					21279.27	33941.32	

- वर्ष 2015-16 का अंकेक्षित व्यय : 212.79 करोड़

6. निर्धारित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय राशि नहीं खर्च करने के लिए कारण

लागू नहीं।

7. सीएसआर नीति की निगरानी और कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सीएसआर समिति का जिम्मेदारी बयान

हर सीएसआर प्रस्ताव हमारे परामर्श एजेंसी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई (राष्ट्रीय सीएसआर हब) को समीक्षा, सिफारिश और प्रस्तावों के पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है। टीआईएसएस से अनुमोदन मिलने के बाद, प्रस्ताव बोर्ड के स्तर के नीचे की एसडी एवं सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाता है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :

(क) महाप्रबंधक (एसडी और सीएसआर), सीसीएल, राँची

(ख) महाप्रबंधक (सिविल), सीसीएल, राँची

(ग) महाप्रबंधक (वित्त), सीसीएल, राँची

(घ) सीएमएस, सीसीएल, राँची

(ङ) विभागाध्यक्ष / उप महाप्रबंधक (पर्यावरण), सीसीएल, राँची

समिति सदस्यों से अनुमोदन के बाद, प्रस्ताव निम्न के समक्ष रखा जाता है :

- निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, राँची (रु. 10 लाख तक के प्रस्तावों के लिए)
- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीसीएल, राँची (रु. 10 लाख से रु. 25 लाख तक के प्रस्तावों के लिए)
- बोर्ड स्तरीय समिति (रु. 25 लाख से ऊपर के प्रस्ताव के लिए)

एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
(आर एस महापात्रो)	(भरत भूषण गोयल)	[अधिनियम की धारा 380 की
निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष सीएसआर समिति	उप धारा (1) के खण्ड (घ) के
दीन : 07248972	दीन : 07254856	तहत निर्दिष्ट व्यक्ति (जहाँ लागू हो)]

फॉर्म क्रमांक एओसी - 2

[कम्पनी (अकाउंट) नियम 2014 के नियम 8(2) और अधिनियम के सेक्शन 134 का सब सेक्शन (3) के क्लॉज (एच) के अनुसरण में]

कम्पनी के करार / अनुबंधों के विवरणों के खुलासे के फॉर्म जो कम्पनी द्वारा सम्बन्धित पार्टियों के साथ डाले गये हैं, इनका संदर्भ कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 188 के उप सेक्शन (1) में है जिसमें थर्ड प्रोविसो के अन्तर्गत कुछ आर्म लेन्थ लेन-देन हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 188(1) के अन्तर्गत सम्बन्धित सूचना, उप प्रबंधक (वित्त) / टैक्स द्वारा अनावृत निम्न प्रकार से किया गया है :

वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष के दौरान सीसीएल के सभी लेन-देन की प्रविष्टि पार्टियों के साथ आर्म लेन्थ बेसिस पर सीआईएल एवं अन्य अनुषंगियों की सलाह पर की गई है। हालाँकि यह आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 92ई के तहत अंकेक्षण के अधीन है।

प्रदर्शन और सहायक, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कम्पनियों में से प्रत्येक की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम की धारा 134(3)(क्यू) के अनुसरण में, 2013 नियम 8(1) कम्पनियों (लेखा) नियम, 2014]

झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जे. सी. आर. एल.), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखण्ड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है। यह कम्पनी कम्पनियों के 2013 के कानुन के तहत गठन किया गया था।

प्रमोटरों का नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखण्ड सरकार	10%

कम्पनियों की अधिकृत शेयर पूंजी रुपये 5.00 करोड़ होगी।

जे. सी. आर. एल. के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :

1. झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (CIN : U45201JH2015GOI003139) 31.08.2015 को निगमित किया गया था। निम्नलिखित रेल बुनियादी ढांचे संयुक्त उद्यम कम्पनी के कार्यान्वयन एजेंसी मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा शुरू किए जाने हेतु चिन्हीत किया गया है।

   a. शिवपुर - कठोतिया नई बी. जी. रेल लाइन — संशोधित डी. पी. आर. एवं बैंकेबिलिटी रिपोर्ट के लिए।

   b. आम्रपाली रेलवे साइडिंग — साइडिंग के निर्माण के लिए।

   c. नॉर्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग — साइडिंग निर्माण के लिए।

   d. संघमित्रा रेलवे साइडिंग — एफ. आर., डी. पी. आर. और निर्माण के लिए।

   e. पचरा (इंद्रगुप्ता) रेलवे साइडिंग — एफ. आर., डी. पी. आर. और निर्माण के लिए।

   f. टोरी - शिवपुर रेलवे लाइन, जो कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा निर्माणाधीन है - रेलवे मंत्रालय के साथ रियायत के तहत सीसीएल साइडिंग को जोड़ने के साथ-साथ, परियोजना में लाने के माध्यम से एवं परियोजना में जे. सी. आर. एल. कम्पनी के द्वारा कमाई की संभावना तलाश के लिए।

परियोजनाओं की पहचान करने के बाद, जे. सी. आर. एल. और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच परियोजना के कार्यान्वयन के समझौते को अंतिम रूप दिया गया और दिनांक 28.03.2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं। लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है और वार्षिक खाता पत्र तैयार की गई है।

2. वित्तीय स्थिति

आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी में कोई बदलाव नहीं आया है, जो कि 5.00 करोड़ रुपए है।

प्रमोटरों का नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखण्ड सरकार	10%

हालांकि, 31.06.2016 तक प्रमोटरों की शेयर पूंजी, झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड को प्राप्त नहीं हुआ है।

3. संक्षिप्त तुलन-पत्र

ब्यौरे	रुपये
कुल शेयर और देनदारियाँ	
मूलधन	0.00
भण्डार और अधिशेष	0.00
उप कुल	**0.00**
दीर्घकालिक उधार	0.00
अन्य चालू देनदारियाँ	5,84,053.00
कुल	**5,84,053.00**
संपत्ति	0.00
वास्तविक संपत्ति (कम मूल्यह्रास)	0.00
कैपीटल WIP	0.00
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	0.00
नकदी और बैंक बैलेंस	0.00
लघु अवधि के ऋण और अग्रिम	0.00
विविध व्य (प्रारंभिक खर्च)	5,72,893.00
लाभ और हानि खाते	11,160.00
कुल	**5,84,053.00**

फॉर्म क्रमांक एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार
31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) और
कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

1.	सीआइएन	:	यु10200जेएच1956जीओआई000581
2.	पंजीकरण दिनांक	:	1 नवम्बर, 1975
3.	कम्पनी का नाम	:	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
4.	कैटेगरी / सब-कैटेगरी कम्पनी	:	नीजी कम्पनी / सरकारी कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	:	दरभंगा हाउस, कचहरी रोड, राँची - 834 029 (झारखण्ड)
6.	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	:	नहीं
7.	नाम, पता और सम्पर्क विवरण रजीस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेन्ट का, यदि हो तो	:	लागू नहीं

II. कम्पनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप

(कम्पनी के कुल टर्न ओवर के 10% या अधिक में योगदान करने वाली सभी क्रिया कलापों को दर्ज करें)

क्रम संख्या	मुख्य उत्पाद / सेवा का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआइसी कोड	कम्पनी के कुल टर्न ओवर का %
1.	कोयला खनन	051-05101 और 051-05102	100.00

III. होल्डिंग कम्पनी, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों के विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी	% शेयर धारण	लागू सेक्शन
1.	कोल इण्डिया लिमिटेड, कोल भवन, प्लॉट नं. - एएफ - III, ऐक्शन एरिया 1ए, न्यु टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 156 सम्पर्क संख्या : 033 - 2324-6526 फैक्स नं. : 033 - 2324-6510 इ-मेल आईडी : mviswanathan2@coalindia.in	एल23109डब्लुबी1973जी01028844	होल्डिंग	100	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(46)
2.	झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड दरभंगा हाउस, राँची - 834029 झारखण्ड	यू45201जेएच2015जीओआई003139	संयुक्त उद्यम	64	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक अप, कुल इक्विटी का प्रतिशत)

(i) कैटेगरी वार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर्स की कैटेगरी	वर्ष के शुरूआत में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	
अ. प्रोमोटर का									
(1) भारतीय :									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) राज्य सरकार (रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ) निकाय - निगम	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	शून्य
(ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(च) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (अ) (1)	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	शून्य

शेयर होल्डर्स की कैटेगरी	वर्ष के शुरूआत में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	
(2) विदेशी :									
(छ) एनआरआई - व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज) अन्य व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ) निकाय - निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ञ) बैंक / वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ट) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (अ)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ब. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
(1) संस्थान									
(क) म्यूचुअल निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ) राज्य सरकार (रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ङ) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(च) बीमा कम्पनियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(छ) एफआईआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ) अन्य स्पष्ट करें	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (ब)(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

शेयर होल्डर्स की कैटेगरी	वर्ष के शुरूआत में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	
(2) गैर-संस्थान									
(क) निकाय - निगम									
(i) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) समुद्रपार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) व्यक्तिगत									
(i) हर एक अंशधारक द्वारा रु. 1 लाख तक के रखे गए नाममात्र / आंशिक शेयर पूंजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) हर-एक अंशधारकों द्वारा रु. 1 लाख से अधिक के रखे गए नाममात्र / आंशिक शेयर पूंजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (ब)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ब) = (ब)(1) + (ब)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
स. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में रखे गए शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महायोग (अ+ब+स)	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	–	93,99,997	93,99,997	99.9999%	शून्य

(ii) प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग

क्र. सं. संख्या	अंशधारकों के नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन प्रतिशत में
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन / भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों का रेहन / भारित शेयरों का %	
1.	कोल इण्डिया लिमिटेड	93,99,997	99.9999%	शून्य	93,99,997	99.9999%	शून्य	शून्य
2.								
	योग	93,99,997	99.9999%	शून्य	93,99,997	99.9999%	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो)

क्रम हृश.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%
2.	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन /अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)	कोई परिवर्तन नहीं			
3.	वर्ष के अंत में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%

(iv) शीर्षस्थ दस अंशधारकों के शेयर होल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर और एडीआर धारक के अलावा)

क्रम संख्या	शीर्षस्थ दस अंशधारकों हेतू प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	**श्री सुतीर्थ भट्टाचार्या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कोल इण्डिया लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.0000001%	1	0.0000001%
	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि / कमी तथा वृद्धि / कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)		—		
	वर्ष के अंत में (या पृथकीकरण की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान पृथक-अलग हुए हों तो)	1	0.0000001%	1	0.0000001%

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयर होल्डिंग

क्रम संख्या	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	**श्री गोपाल सिंह** अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक				
	वर्ष के प्रारम्भ में	1	0.0000001%	1	0.0000001%
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें(अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)		—		
	वर्ष के अंत में	1	0.0000001%	1	0.0000001%

क्रम संख्या	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
2.	**श्री अभिजीत चटर्जी** निदेशक (वित्त), कोल इण्डिया लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	1	0.0000001%	1	0.0000001%
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)	- 01 (22.05.2015 को अधिवर्षिता पर अंतरण के कारण)	0.0000001%	1	0.0000001%
	वर्ष के अंत में	शून्य	0.00%	00	0.00%
3.	**श्री आर. मोहन दास** निदेशक (पी एण्ड आईआर), कोल इण्डिया लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	0.00%	00	0.00%
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)	+ 01 (22.05.2015 को श्री अभिजीत चटर्जी का सेवानिवृत्त होने के कारण)	0.0000001%	1	0.0000001%
	वर्ष के अंत में	1	0.0000001%	1	0.0000001%
4.	**श्री डी. के. घोष** निदेशक (वित्त), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें(अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रम संख्या	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
5.	**श्री पी. के. तिवारी** निदेशक (तकनीकी / संचालन), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें(अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)		—		
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**श्री सुबीर चन्द्रा** निदेशक (तकनीकी / यो. एवं परि.), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें(अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)		—		
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	**श्री आर. एस. महापात्र** निदेशक (कार्मिक), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें(अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)		—		
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रम संख्या	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
8.	**श्री सी. वी. एन. गंगाराम** कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें(अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)		—		
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता सहित बकाया / प्रोद्भूत ब्याज किंतु जिसका भुगतान देय नहीं है

	प्रतिभूति ऋण जिसमें	अप्रतिभूति ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) प्रोद्भूत ब्याज किंतु जो देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i + ii + iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
— वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
— कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि				
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया				
(iii) प्रोद्भूत ब्याज किंतु जो देय नहीं				
कुल (i + ii + iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री गोपाल सिंह सीएमडी	श्री सुबीर चन्द्रा निदे. (तक./यो./परि.) 09.06.15 को पदभार ग्रहण किया	श्री आर. एस. महापात्र निदे. (का.) 08.06.15 को पदभार ग्रहण किया	श्री डी. के. घोष निदे. (वित्त)	श्री पी. के. तिवारी निदे. (तक./संचा.)	
1.	सकल वेतन	2902324.10	1853256.80	2242327.38	2578576.96	2763640.70	12340125.94
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	2546282.95	1473225.00	1763433.00	2490525.00	2495340.90	10768806.85
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	234643.22	104186.88	41402.25	210979.38	183911.57	775123.30
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक का विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन-लाभ के प्रतिशत रूप में-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लाभ के प्रतिशत रूप में- अन्य स्पष्ट करें						
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**5683250.27**	**3430668.68**	**4047162.63**	**5280081.34**	**5442893.17**	**23884056.09**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री भारत भूषण गोयल (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	श्री अशोक गुप्ता (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	कुल राशि
	— बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	1,50,000.00	1,20,000.00	2,70,000.00
	— कमीशन	0.00	0.00	0.00
	— अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00
	कुल (1)	**1,50,000.00**	**1,20,000.00**	**2,70,000.00**
2.	**अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक**	**श्री आर. पी. गुप्त**	**श्री आर. मोहन दास**	
	— बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
	— कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	— अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	कुल (ख) = (1+2)	**1,50,000.00**	**1,20,000.00**	**2,70,000.00**

ग. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक के पारिश्रमिक

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		श्री गोपाल सिंह सीएमडी	श्री डी. के. घोष निदेशक (वित्त)	श्री सी. बी. एन. गंगाराम कम्पनी सचिव	कुल राशि
1.	सकल वेतन	2902324.10	2578576.96	2488187.75	7969088.81
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधान अनुसार वेतन	2546282.95	2490525.00	2246697.30	7283505.25
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धि का मूल्य	234643.22	210979.38	166246.30	611868.90
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 के धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के इन ल्यु लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		श्री गोपाल सिंह सीएमडी	श्री डी. के. घोष निदेशक (वित्त)	श्री सी. वी. एन. गंगाराम कम्पनी सचिव	कुल राशि
2.	स्टॉक विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत अनुसार – अन्य, दर्शाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कपया, अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**5683250.27**	**5280081.34**	**4901131.35**	**15864462.96**

(vii) *पेनल्टी / दंड / कॉम्पाउन्डिंग ऑफ ऑफेन्सेस*

	प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड / सजा / लगाया गया संयुक्त शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	यदि कोई अपील हो (विवरण दें)
अ.	**कम्पनी**					
	अर्थ दण्ड/जुर्माना					
	सजा			कुछ नहीं		
	संयुक्त (प्रशमन-सुलह)					
ब.	**निदेशक**					
	अर्थ दण्ड/जुर्माना					
	सजा			कुछ नहीं		
	संयुक्त (प्रशमन-सुलह)					
स.	**दूसरे अफसरों की चूक**					
	अर्थ दण्ड/जुर्माना					
	सजा			कुछ नहीं		
	संयुक्त (प्रशमन-सुलह)					

धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार]

सेवा में,

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची।

विषय : सेक्शन 149 के सब-सेक्शन (6) के अन्तर्गत घोषणा

मै, अशोक गुप्ता, प्रमाणित करता हूँ कि मैं गैर-प्रशासनिक अंश कालीन निदेशक के रूप में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में हूँ और कम्पनीज़ एक्ट, 2013 के अधिसूचित क्लॉज़ 49 में दिये हुए लिस्टिंग एग्रिमेंट और मान्य प्रावधान जो स्वतंत्र निदेशक के लिए मानदण्ड है उसे पूरा करता हूँ।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ :

(अ) मैं कम्पनी या होल्डिंग अनुषंगी या एसोसियेट कम्पनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

(ब) मैं कम्पनी, उसकी होल्डिंग अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से सम्बन्धित नहीं हूँ;

(स) मेरा कम्पनी के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध न है / न था, न ही इसकी होल्डिंग अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी के साथ, या उनके प्रोमोटर या निदेशक के साथ आने वाले वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई सम्बन्ध है;

(द) मैं या मेरे सम्बन्धित का कम्पनी, इसकी होल्डिंग अनुषंगी या एसोसियेट कम्पनी या प्रोमोटर्स या निदेशक, 2% या उससे अधिक उसके टर्न ओवर या कुल आय 50 लाख या ऐसे उच्च राशि जैसा प्रेसक्राइब किया गया है, जो कम है, दो आनेवाले वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं है;

(इ) न मैं न मेरे किसी सम्बन्धित —

I. कम्पनी या इसकी होल्डिंग, अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी में तीन वित्तीय वर्षों में या आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित नहीं हैं / थे

II. किसी भी तीन वित्तीय वर्ष जो इस वित्तीय वर्ष के बाद आनेवाले हैं के दौरान कर्मी या प्रोप्राइटर या एक पार्टनर -

(अ) कम्पनी या इसके एसोसिएट कम्पनी में फर्म ऑडिटर या कम्पनी सेक्रेटरीज़ या पार्टनर; या

(ब) कम्पनी या इसके एसोसिएट कम्पनी में कोई विधि या एक कन्सल्टिंग फर्म जिसका कोई लेन देन हुआ हो जो उस फर्म के टर्नओवर का 10% या अधिक हो;

III. कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2% या उससे अधिक मेरे सम्बन्धियों द्वारा, या

IV. जिस नाम से बुलाया जाए एक मुख्य अधिकारी या निदेशक, किसी भी नॉन-प्रॉफिट संस्था जो कम्पनी से 25% या उससे अधिक प्राप्त करती है, किसी भी प्रोमोटर, निदेशक या उसके होल्डिंग, अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी या जो 2% या उससे अधिक कुल वोटिंग पावर कम्पनी का रखता हो;

(फ) मैं कम्पनी (नियुक्ति एवं योग्यता निदेशकों के) 2014 के नियम - 5 के अन्तर्गत दिये गये योग्यताओं को रखता हूँ।

धन्यवाद सहित,

भवदीय

ह/-

(अशोक गुप्ता)

निदेशक

डीआइएन : 03266416

दिनांक : जुलाई 28, 2016

स्थान : नई दिल्ली

सेवा में,

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची।

विषय : सेक्शन 149 के सब-सेक्शन (6) के अन्तर्गत घोषणा

मै, भारत भूषण गोयल, प्रमाणित करता हूँ कि मैं गैर-प्रशासनिक अंश कालीन निदेशक के रूप में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में हूँ और कम्पनीज़ एक्ट, 2013 के अधिसूचित क्लॉज़ 49 में दिये हुए लिस्टिंग एग्रिमेंट और मान्य प्रावधान जो स्वतंत्र निदेशक के लिए मानदण्ड है उसे पूरा करता हूँ।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ :

(अ) मैं कम्पनी या होल्डिंग अनुषंगी या एसोसियेट कम्पनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

(ब) मैं कम्पनी, उसकी होल्डिंग अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से सम्बन्धित नहीं हूँ;

(स) मेरा कम्पनी के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध न है / न था, न ही इसकी होल्डिंग अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी के साथ, या उनके प्रोमोटर या निदेशक के साथ आने वाले वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई सम्बन्ध है;

(द) मैं या मेरे सम्बन्धित का कम्पनी, इसकी होल्डिंग अनुषंगी या एसोसियेट कम्पनी या प्रोमोटर्स या निदेशक, 2% या उससे अधिक उसके टर्न ओवर या कुल आय 50 लाख या ऐसे उच्च राशि जैसा प्रेसक्राइब किया गया है, जो कम है, दो आनेवाले वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं है;

(इ) न मैं न मेरे किसी सम्बन्धित —

I. कम्पनी या इसकी होल्डिंग, अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी में तीन वित्तीय वर्षों में या आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित नहीं हैं / थे

II. किसी भी तीन वित्तीय वर्ष जो इस वित्तीय वर्ष के बाद आनेवाले हैं के दौरान कर्मी या प्रोप्राइटर या एक पार्टनर -

(अ) कम्पनी या इसके एसोसिएट कम्पनी में फर्म ऑडिटर या कम्पनी सेक्रेटरीज़ या पार्टनर; या

(ब) कम्पनी या इसके एसोसिएट कम्पनी में कोई विधि या एक कन्सल्टिंग फर्म जिसका कोई लेन देन हुआ हो जो उस फर्म के टर्नओवर का 10% या अधिक हो;

III. कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2% या उससे अधिक मेरे सम्बन्धियों द्वारा, या

IV. जिस नाम से बुलाया जाए एक मुख्य अधिकारी या निदेशक, किसी भी नॉन-प्रॉफिट संस्था जो कम्पनी से 25% या उससे अधिक प्राप्त करती है, किसी भी प्रोमोटर, निदेशक या उसके होल्डिंग, अनुषंगी या एसोसिएट कम्पनी या जो 2% या उससे अधिक कुल वोटिंग पावर कम्पनी का रखता हो;

(फ) मैं कम्पनी (नियुक्ति एवं योग्यता निदेशकों के) 2014 के नियम - 5 के अन्तर्गत दिये गये योग्यताओं को रखता हूँ।

धन्यवाद सहित,

भवदीय

ह/-

(भारत भूषण गोयल)

निदेशक

डीआइएन : 07254856

दिनांक : जुलाई 28, 2016

स्थान : नई दिल्ली

सीसीएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन वर्ष 2015–16

सहायक कंपनी : सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार (% में)	एमओयू लक्ष्य					दस्तावेज प्रमाण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम	(नॉर्म के अनुसार) अप्रैल, 15 से मार्च 16 तक अंकेक्षित उपलब्धि	रैंक या रॉ स्कोर	भारित	एमओयू कम्पोजिट स्कोर = मापित रैंक या रॉ स्कोर
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब					
			5	4	3	2	1					
1. वित्तीय पैरामीटर								वार्षिक प्रतिवेदन				
1. सेल्स टर्नओवर (नेट सेल्स)	₹ करोड़ में	10	9845.80	9792.12	9302.52	8837.39	8395.52	-वही-	10552.4	5	10	50
2. ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन रेट	%	10	0.2855	0.2811	0.2670	0.2537	0.2410	-वही-	0.3502	5	10	50
3. पीएटी/नेट वर्थ	%	5	0.2149	0.2106	0.2000	0.1900	0.1805	-वही-	0.3207	5	5	25
4. ईबीआईटीडीए/नेट ब्लॉक	%	7	1.1274	1.1441	1.0869	1.0326	0.9809	-वही-	1.6372	5	7	35
5. सेल्स टर्नओवर/नेट ब्लॉक	%	10	4.6249	4.7775	4.5386	4.3117	4.0961	-वही-	4.9873	5	10	50
6. डेटर्स टर्न ओवर	%	8	57.61	58.67	61.61	64.69	67.92	-वही-	38.08	5	8	40
योग		**50**										

2015–16 के एमओयू के वित्तीय पैरामीटर के ऊपर टिप्पणी :

1. ट्रेड रिसीवेबल्स का औसत कलेक्शन पीरियड की गणना करने के लिए ग्रॉस सेस्ल जो कि अंकेक्षित लेखा के पी एण्ड एल एकाउन्ट में (एक्साइज ड्यूटी, अन्य लेवियों तथा करों के सहित) और औसत ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि अंकेक्षित लेखा (नेट एवं डाउटफुल डेट्स को बाद करके) को विचार किया गया है।

2. कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इण्डिया द्वारा 1773.05 करोड़ रू. को उपरोक्त वित्तीय गणना में शामिल नहीं किया गया (2015–16 बी ई के टार्गेट में) क्योंकि इसके खिलाफ कम्पनी द्वारा अपीलेट ट्राइबुनल में अपील की जा चुकी है। इस दंड का प्रभाव, अगर 2015–16 में देना पड़ा तो वित्तीय पैरामीटर को 2015–16 के एमओयू आकलन के समय री–कास्ट किया जाएगा।

3. एमएमडीआर बिल का प्रभाव यदि अधिनियम का रूप लेते हुए लागू हो जाता है, यह प्रभावी नहीं होगा।

4. 2015–16 के एमओयू लक्ष्य की तैयारी में पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम, गैर अधिकारी वर्ग के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया।

सीसीएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन वर्ष 2015–16

सहायक कम्पनी – सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार (% में)	एमओयू लक्ष्य					दस्तावेज प्रमाण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम	(नॉर्म के अनुसार) अप्रैल, 15 से मार्च 16 तक अंकेक्षित उपलब्धि	रैंक या रॉ स्कोर	भारित	एमओयू कम्पोजिट स्कोर = मापित रैंक या रॉ स्कोर
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब					
			5	4	3	2	1					
2 डायनामिक/गैर वित्तीय मापदंड												
(i) I विकास की शुरूआत								वार्षिक प्रतिवेदन				
(अ) भूमि अधिग्रहण (एलए/सीबीए के अन्तर्गत अधिसूचना)												
(i) सीबीए सेक्शन 4 (i) के अन्तर्गत अधिसूचना	एकड़	1	445	423	402	382	362	-वही-	23548	5	1	5
(ii) सीबीए सेक्शन 7 (i) के अन्तर्गत अधिसूचना	एकड़	2	1500	1425	1354	1286	1222	-वही-	2069	5	2	10
(iii) भूमि कब्जा	एकड़	2	350	333	316	300	285	-वही-	670	5	2	10
(ब) परियोजना का रूपायन और अनुमोदन												
(i) आम्रपाली विस्तार (22 एमटीवाई) परियोजना का रूपायन और मुख्यतः अनुमोदन	माह	3	31 अक्टूबर'15	15 नवम्बर.'15	30 नवम्बर.'15	15 दिसम्बर'15	31 दिसम्बर'15	वार्षिक प्रतिवेदन और बोर्ड अनुमोदन	31.10.2015	5	3	15
(ii) मगध विस्तार (51 एमटीवाई) परियोजना का रूपायन और मुख्यतः अनुमोदन	माह	3	31 अगस्त'15	30 सितम्बर'15	31 अक्टूबर'15	15 नवम्बर.'15	30 नवम्बर.'15	-वही-	22.05.2015	5	3	15
उप योग		11										

सीसीएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन वर्ष 2015–16

सहायक कम्पनी – सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार (% में)	एमओयू लक्ष्य					दस्तावेज प्रमाण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम	(नॉर्म के अनुसार) अप्रैल, 15 से मार्च 16 तक अंकेक्षित उपलब्धि	रैंक या रॉ स्कोर	भारित	एमओयू कम्पोजिट स्कोर = मापित रैंक या रॉ स्कोर
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब					
			5	4	3	2	1					
(ii) II परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन								वार्षिक प्रतिवेदन				
(अ) परियोजना की शुरूआत और पूरा करना								वार्षिक प्रतिवेदन/बोर्ड अनुमोदन				
(i) मगध ओसीपी (20 एमटीवाई) से कोयला उत्पादन का प्रारंभ	माह	3	15 अक्टूबर'15	31 अक्टूबर'15	15 अक्टूबर '15	30 नवम्बर'15	15 दिसम्बर'15	-वही-	24.09.2015	5	3	15
(ii) पिपरवार ओसीपी (10 एमटीवाई) का समापन	माह	2	अक्टूबर'15	नवम्बर'15	दिसम्बर'15	जनवरी'16	फरवरी'16	-वही-	31.10.2015	5	2	10
(ब) 2015–16 की खरीदारी की सूची के अन्तर्गत एचईएमएम के प्राप्ति के लिए अवार्ड (शॉवेल, डम्पर, डोजर और ड्रिल)	माह	2	31 अक्टूबर'15	15 नवम्बर.'15	30 नवम्बर.'15	15 दिसम्बर'15	31 दिसम्बर'15	-वही-	प्राप्ति की प्रक्रिया में	0	2	0
(स) सीएपीईएक्स	रू. करोड़ में	2	585	500	475	451	429	-वही-	638.33	5	2	10
उप योग		9										

सीसीएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन वर्ष 2015–16

सहायक कम्पनी – सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार (% में)	एमओयू लक्ष्य					दस्तावेज प्रमाण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम	(नॉर्म के अनुसार) अप्रैल, 15 से मार्च 16 तक अंकेक्षित उपलब्धि	रैंक या रॉ स्कोर	भारित	एमओयू कम्पोजिट स्कोर = मापित रैंक या रॉ स्कोर
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब					
			5	4	3	2	1					
(iii) III उत्पादकता एवं आंतरिक प्रक्रिया								वार्षिक प्रतिवेदन				
(अ) डम्पर की उपलब्धता *	%	1	67	63	60	57	54		80	5	1	5
शॉवेल की उपयोगिता *	%	1	60	58	56	54	52		55	2.5	1	2.5
डोजर की उपलब्धता *	%	1	47	45	43	41	39		24	0	1	0
ड्रील की उपलब्धता *	%	1	42	40	38	36	34		44	5	1	5
(ब) अध्ययन द्वारा अनुमोदित रोहिनी खदान के लिए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्स्पशन लागू करना है	केडब्लुएच/ कम (कम्पोसिट)	2	12.88	13.52	14.20	14.91	15.66	वार्षिक प्रतिवेदन	5.082	5	2	10
(स) स्पेसिफिक डिजल कन्स्पशन और स्पेसिफिक पावर कन्स्पशन के बेंचमार्किंग के लिए दो खदानों का अध्ययन	माह	2	30 नवम्बर'15	15 दिसम्बर'15	31 दिसम्बर'15	**15** जनवरी'**16**	31 जनवरी'16	-वही-	समापन 30 नवम्बर, 2015	5	2	10
(द) मैन प्रोडक्टिविटी का नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा अध्ययन	माह	2	15 दिसम्बर'15	31 दिसम्बर'15	15 जनवरी'16	**31** जनवरी'**16**	15 फरवरी'16	-वही-	जमा किये गये 9.12.15	5	2	10
(फ) कॉस्ट कन्ट्रोल मॉन्टिरिंग सेल की स्थापना और खर्च मद को 50% सम्मिलित करते हुए कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स की पहचान पर दो रिपोर्ट जमा		1	30 नवम्बर'15	15 दिसम्बर'15	31 दिसम्बर'15	**15** जनवरी'**16**	31 जनवरी'16	-वही-	26.08.2015 & 28.11.2015	5	1	5
उप योग		11										

सीसीएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन वर्ष 2015–16

सहायक कम्पनी – सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार (% में)	एमओयू लक्ष्य					दस्तावेज प्रमाण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम	(नॉर्म के अनुसार) अप्रैल, 15 से मार्च 16 तक अंकेक्षित उपलब्धि	रैंक या रॉ स्कोर	भारित	एमओयू कम्पोजिट स्कोर = मापित रैंक या रॉ स्कोर
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब					
			5	**4**	**3**	**2**	**1**					
(iv) **IV** तकनीकी, गुणवत्ता, अनोखा अभ्यास								वार्षिक प्रतिवेदन				
(अ) सुरक्षा प्रबंधन												
(i) गत वर्ष में प्रति मिलि. टन कोयला उत्पादन के मृत्युसंख्या दर में कमी	कमी का %	1	3	2	1			-वही-	69	5	1	5
(ii) गत वर्ष में प्रति मिलि. टन कोयला उत्पादन के गंभीर चोटों के दर में कमी	कमी का %	1	3	2	1			-वही-	34	5	1	5
संख्या		**2**										
(v) V मानव संसाधन प्रबंधन								वार्षिक प्रतिवेदन				
(अ) इ–3 से ऊपर स्तर के लिए रिस्क प्रबंधन पर सर्टिफाइड प्रशिक्षण	संख्या	1	10	8	**6**	4	2	-वही-	23	5	1	5
(ब) इ–2 से ऊपर स्तर के लिए रिस्क प्रबंधन पर प्रशिक्षण	संख्या	1	12	10	**8**	7	6	-वही-	23	5	1	5
(स) प्रत्येक कर्मी के लिए पांच दिन का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	% कर्मी	1	35	33	30	**27**	24	-वही-	38.4	5	1	5
(द) कर्मियों के लिए श्वसन संबंधी बीमारियो की जांच	% कर्मी	1	33	30	27	24	**21**		34.4	5	1	5
	उप योग	4										

सीसीएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन वर्ष 2015–16

सहायक कम्पनी – सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार (% में)	एमओयू लक्ष्य					दस्तावेज प्रमाण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम	(नॉर्म के अनुसार) अप्रैल, 15 से मार्च 16 तक अंकेक्षित उपलब्धि	रैंक या रॉ स्कोर	भारित	एमओयू कम्पोजिट स्कोर = मापित रैंक या रॉ स्कोर
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब					
			5	4	3	2	1					
(vi) VI तकनीकी, गुणवत्ता, अनोखा अभ्यास								वार्षिक प्रतिवेदन				
(अ) ऑफटेक#	एमटी	3	61.00	60.60	57.57	55.00	52.00	-वही-	59.583	3.34	3	10
(ब) कोयला उत्पादन	एमटी	6	61.00	60.60	58.00	55.00	52.00	-वही-	61.324	5	6	30
(स) धुला कोयला उत्पादन	एमटी	1	8.00	7.60	7.2	6.90	6.50	-वही-	10.123	5	1	5
(द) प्रणाली क्षमता उपयोग	%	1	90	88.0	83.0	78.00	73.00	-वही-	116 (लगभग..)	5	1	5
(प) ओ एम एस यू जी	टन	1	7.51	**7.49**	7.11	**6.75**	6.42	-वही-	8.91	5	1	5
(फ) ओ एम एस यू जी	टन	1	**0.32**	0.31	0.29	0.28	0.26	-वही-	0.32	5	1	5
कुल योग		**13**									कुल स्कोर = **477.51**	
कुल गतिशील पैरामीटर्स		**50**									अंतिम समग्र स्कोर = **95.5**	

नोट –

1. लागू होने वाले विनियम के अनुसार एनओडी की आवश्यकता को सीपीएसई आकलित करेगी और बीओडी में यदि किसी एनओडी की जरूरत है, यह कमिटमेंट/एसिस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री/विभाग के अन्तर्गत सम्मिलित होगा। सीपीएसई को मंत्रालय/विभाग का नाम भी दर्शाना चाहिए जिनसे उसे अपने मंत्रालय के अलावा कमिटमेंट/एसिसटेंस की आवश्यकता है।
2. सभी आंतरिक दस्तावेज कम से कम एक बोर्ड के फशनल निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
3. सी जी रेटिंग, नॉन–काम्प्लाएंस टू डी पी इ गाइडलाइन, एन्ट्री ऑफ एमओएसपीआई एवं सर्वे डाटा, नॉन काम्प्लाएंस टू एमएसएमई गाइडलाइन्स और कम्पनीज अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों से नेगेटिव मार्किंग।
4. सीसीएल वर्किंग ऑफ सेल्स के अनुसार ग्रेड और ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन के अनुसार मद दे जिन्हें एमओयु 2015–16 को भाग बनाया जाए।

* सीएमपीडीआइएल द्वारा नये प्रतिमानक जारी करने पर लक्ष्य परिवर्तित हो जाएंगे और सीएमपीडीआईएल द्वारा तय किये गये नये प्रतिमानक से बहुत अच्छा लक्ष्य बनेगा और सभी श्रेणी में 2% का अंतर होगा।

\# वर्ष 2015–16 में सीसीएल की प्रेषण क्षमता सर्वाधिक 54 एमटी है, बाकी 7 एमटी तभी प्रेषित होगा यदि टोरी–शिवपुर रेलवे लाइन (सिंगल लाइन), अक्टूबर 2015 तक बन जाएगी, इसी अनुसार हमारा वित्तीय मापदंड मूल्यांकन के समय परिशोधित हो जाएगा क्योंकि तब प्रेषण 2015–16 में 61 एमटी होगा।

प्रबन्ध परिचर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

(क) उद्योग संरचना और विकास

कोयला — ऊर्जा का मुख्य स्रोत

भारत में कोयला प्रमुख ईंधन है। कुल उत्पन्न ईंधन का 81% कोयले का योगदान है तथा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता का भी प्रमुख स्रोत रहेगा। अभी विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है जहाँ 3520 मिलियन टन (वर्ष 2011 में पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 49.5%) का उत्पादन हुआ तथा इसके बाद युनाईटेड स्टेट का स्थान है जहाँ 992.8 मिलियन टन (वर्ष 2011 में पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 14.4%) उत्पादन हुआ।

आज तक कोयला ईंधन का प्रमुख स्रोत रहा है तथा भविष्य में भी घरेलु ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति का प्रमुख स्रोत रहेगा और भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। भारतीय अर्थ व्यवस्था की वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। 52.4% भारतीय ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कोयले से की जाती है जबकि 41.6% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति ऑयल और प्राकृतिक गैस से ही जाती है।

दिनांक 01.04.2015 तक सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में भूगर्भीय कोयला रिजर्व

(बिलियन टन)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	प्रदर्शित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8.026	9.164	1.660	18.850
नान कोकिंग	13.233	7.801	3.176	24.210
योग	**21.259**	**16.965**	**4.836**	**43.060**

भारत में अनुमानित भूगर्भीय संसाधन 298.914 बिलियन टन में से सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में 01.04.2015 तक 43.060 बिलियन टन कोयला है जो भारत के कुल रिजर्व का 14.41% है।

कोयले की मांग:

XII वीं योजना के निर्माण के समय कोयला और लिग्नाईट हेतु वर्किंग ग्रुप द्वारा 980.50 मिलियन टन कोयले की मांग निर्धारण किया गया तथा XII वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2016-17 तक 7.09% सीएजीआर निर्धारित किया। वर्ष 2020 में देश में ऊर्जा की मांग अनुमानित 1.215 बिलियन टन होगी।

सेक्टरवार ब्रेक-अप निम्नलिखित है

(मिलियन टन)

सेक्टर	2016 – 17
स्टील (कोकिंग)	67.20
विद्युत (यू)	682.08
विद्युत (केप्टीव)	56.36
सीमेंट	47.31
स्टील डीआरआई	50.33
अन्य	77.22
कुल नान कोकिंग	913.30
कुल	**980.50**
सी.ए.जी.आर.	7.09

कोयला प्रेषण

वर्ष 2015-16 के दौरान सेक्टरवार कोयले का प्रेषण 59.897 मिलियन टन है जो वृद्धि दर्शाता है।

(मिलियन टन)

सेक्टर	**2012-13** वास्तविक	**2013-14** वास्तविक	**2014-15** वास्तविक	**2015-16** वास्तविक
विद्युत	39.023	38.770	39.692	43.010
स्टील	3.380	2.755	3.478	2.793
फर्टिलाइजर	0.644	0.277	0.234	0.239
अन्य*	11.004	10.487	12.360	13.855
योग	**54.052**	**52.289**	**55.764**	**59.897**

* अन्य में ई-ऑक्सन अर्स्टवाईल नान कोर कन्न्यूमर, स्पंज आयरन और राज्य ऐजेन्सियाँ सम्मिलित हैं।

कोयले की उपलब्धता

वर्तमान खदानों से वर्ष 2015-16 के दौरान सीसीएल द्वारा XII वीं योजना की अवधि में किये जाने वाले उत्पादन का व्योरा निम्न है-

(मिलियन टन)

ग्रुप	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 बीई	2017-18 प्रोज.	2018-19 प्रोज.
वर्तमान खदाने	5.24	5.17	0.451	0.47	0.47	0.47
पूर्ण परियोजनाएँ	12.61	14.58	27.56	21.15	18.83	16.965
चालू और नई परियोजनाएँ	32.17	35.90	33.32	51.80	64.67	85.66
भविष्य / नया	—	—	—	6.58	18.02	30.41
योग	**50.02**	**55.65**	**61.32**	**80.00**	**102.00**	**133.50**

उत्पादकता :

सीसीएल में ओ एम एस की स्थिति निम्न है

(मिलियन टन)

	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक
भूमिगत खदान	0.35	0.34	0.32	0.325	0.33	0.35	0.32
खुली खदान	5.24	5.45	5.79	6.093	6.26	6.44	8.91
समग्र	3.66	3.88	4.19	4.421	4.64	4.78	6.51

ख. मजबूती और कमजोरी, अवसर और आशंका

मजबूती

1. **अधिक उत्पादन और भारी उत्पादन संभावना :** वर्ष 2015-16 में सीसीएल द्वारा 60.60 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया जो कि कोल इण्डिया के उत्पादन के 11% से अधिक है। सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में 43.060 बिलियन टन कोयला

रिजर्व है जो कि भारत के कोल रिजर्व का लगभग 14.41% है। कोल रिजर्व में नॉन कोकिंग कोल (विद्युत संयत्र द्वारा प्रयोग किये जाने वाला) तथा कोकिंग कोल (स्टील संयत्र द्वारा प्रयोग किये जाने वाला) सम्मिलित है। यह रिजर्व अगले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त है।

2. **प्राय: सभी कोल ब्लॉक में उपलब्ध अवसंरचना सुविधाएँ :** कोयला खदानों में विकास और उत्पादन के लिए हमें अच्छी रेल और रोड नेटवर्क की आवश्यकता है। सीसीएल के कोयला क्षेत्र में अच्छी रेल और रोड नेटवर्क उचित रूप में है। इस नेटवर्क से उपभोक्ताओं को कोयला आसानी से भेजा जाता है।

3. **पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध :** सीसीएल 40 वर्षों से कोयला खनन व्यवसाय में लगा है। यहाँ 43681 श्रमशक्ति है जो कि अपने कार्य में दक्ष है।

4. **वेरी लो इम्पलाइज एट्रीसन रेट :** कोयला खनन उद्योग में सीसीएल के कर्मचारियों को सबसे अच्छा वेतन और मजदूरी प्रस्तावित है। फलस्वरूप कर्मचारियों में बहुत कम एट्रीसन हुआ है। अधिकारियों के लिए हाल ही में पी आर पी लागू किया गया है जिसमें कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ा है।

5. **उच्च वित्तीय स्वायत्वता के साथ सीसीएल मिनी रत्न कैटेगरी-1 कम्पनी :** सीसीएल के कार्य निष्पादन के आधार पर डीपीई द्वारा कम्पनी को मिनी रत्न कैटेगरी-1 का दर्जा किया गया। इसका आशय है कि कम्पनी बिना सरकार के पास गये 500 करोड़ की परियोजना को अनुमोदित कर सकती है तथा यह ज्वाइंट वेंचर/सहायक कम्पनी/ओवरसीज कार्यालय की स्थापना कर सकती है।

6. **ऋण मुक्त कम्पनी :** चूकि कम्पनी ऋण मुक्त है अत: विदेशी ऊर्जा सम्पति के अधिग्रहण हेतु मार्केट से ऋण उठाया जा सकता है।

कमजोरी

1. **अप्रचलित प्रौद्योगिकी के साथ पुरानी खदान :** सीसीएल की अधिकांश खदानें पुरानी है जहाँ अप्रचलित उपकरण है। हाल ही में कम्पनी द्वारा कुछ नई खदानें खोली गई। केवल कुछ खदानों में स्टेट ऑफ टेक्नालॉजी का प्रयोग किया जा रहा है।

2. **श्रमिक संघवाद :** खदान में श्रमिक संघवाद निरंकुस है। हर खदान में 6 मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ से अधिक संघ है।

3. **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कम :** खदान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कम है। यह भ्रष्टाचार और अकुशलता पैदा करता है।

4. **खराब कार्य संस्कृति : 8 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारी औसतन 4 घंटे कार्य करता है।**

अवसर :

1. **कोयले की भारी और अस्थिर मांग : मांग और आपूर्ति के बीच 20 मिलियन टन का अंतर है जो बढ़ने की संभावना है।**

2. **उत्पादन प्रक्रिया की आउट सोर्सिंग :** परियोजना की उपलब्धता क्षमता के बाहर वाली परियोजना के लिए आउट सोर्सिंग सीसीएल

द्वारा किया जा सकता है। जहाँ विभागीय उपकरण की प्रतिनियुक्ति खर्चीला है वहाँ मार्जिनल डिपॉजिट (जैसे कोल डिपॉजिट) के मामले में आउट सोर्सिंग किया जा सकता है। अब श्रमिक संघों द्वारा आउट सोर्सिंग को समर्थन मिल रहा है।

3. **अपने उत्पाद का साईजिंग, वाशिंग या तरल व गैस में परिवर्तन कर मूल्य अपवृद्धि का अवसर :** धुले हुए कोकिंग कोयले का मूल्य उत्खनित कोकिंग कोल वाशरी का दूना है। मूल्य भिन्नता के लाभ हेतु इसे स्थापित किया जा सकता है।

आशंका :

1. **कम्पनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त करने हेतु भारत में कोयले में कैप्टीव माईन की अनुमति है :** सीसीएल को प्राईवेट प्लेयर जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित है, के साथ कार्य पूरा करना होगा।

2. **खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचने हेतु प्राईवेट कोयला खनन कम्पनियों को अनुमति देने की मांग :** प्राईवेट प्लेयर सीसीएल के लागत के 60% पर कोयला उत्पादन करते हैं। यदि खुली बाजार में कोयला बेचने की अनुमति दी जाती है तो हमें मूल्यवान उपभोक्ताओं को खोना पड़ेगा।

3. **प्राईवेट प्लेयरों के आ जाने से कम्पनी के उच्च कुशल कर्मचारियों को अच्छे वेतन, पर्क्स और अन्य सुविधा देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है:** चूँकि यह पीएसयू कम्पनी है अत: यह मार्केट की मांग के अनुसार कर्मचारियों का वेतन, पर्क्स आदि आसानी से नहीं बढ़ा सकता तथा इसके लिए लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

4. **कोयला खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समस्या :** कोयला खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बार-बार बन्द होता है तथा आतंकवादी समूह द्वारा खनन कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है/रोका जाता है। खराब कानून व्यवस्था के कारण खदानें औसतन 30 दिन बंद रहती है।

5. **वन भूमि मुक्त करने में असाधारण विलम्ब :** वन भूमि प्रस्ताव की प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब होता है। स्टेज-1 क्लियरेन्स हेतु एम ओ ई एफ को वन भूमि प्रस्ताव की संस्तुति भेजने में राज्य सरकार काफी समय लेता है। एम ओ ई एफ क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा स्थल निरीक्षण में काफी विलम्ब होता है। वन भूमि को मुक्त करने के लिए लगभग 4-6 वर्ष लग जाते हैं।

6. **अधिग्रहित भूमि को अधिकार में लेना :** अधिग्रहित भूमि को अधिकार में लेने में काफी कठिनाई होती है। सरकार द्वारा मुक्त की गई वन भूमि पर बेजा कब्जा रहता है जिसे मुक्त कराना आसान नहीं होता।

7. **परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास :** नई परियोजनाओं के विकास में परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास की समस्या एक बड़ी बाधा हो गई है क्योंकि परियोजना प्रभावित लोगों की मांग सीआईएल की आर.आर.पॉलिसी से अधिक होती है।

ग. कार्य निष्पादन :

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

घ. दृष्टिकोण

वर्ष 2019-20 तक कोल इण्डिया लिमिटेड 1 बिलियन टन उत्पादन के लिए प्रयासरत है जिसमें सीसीएल की हिस्सेदारी 133 एमटी होगी। इस उद्देश्य के लिए आपकी कम्पनी ने नई परियोजनाएँ जैसे - मगध ओसीपी (71 एमटीवाई) और आम्रपाली ओसीपी (27

एमटीवाई) का संचालन शुरू हुआ है, अन्य बड़ी परियोजनाएँ जैसे - महेन्द्र ओसीपी, संघमित्रा ओसीपी की भी इस विकास में भागीदारी की सम्भावना है।

ङ: **आन्तरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता:**

कम्पनी में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति स्थापित है तथा यह कम्पनी के आकार, व्यापार के स्वरूप के अनुरूप है तथा उचित प्राधिकरण एवं कार्य सम्पादन के अनुमोदन हेतु विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन एवं प्राधिकार प्राप्त है। पर्चेज मैनुअल, कान्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल, सिविल इन्जीनियरिंग, वर्क मैनुअल, खरीद हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताने वाला तथा संविदा एवार्ड करने वाली प्रक्रिया बताने वाली नीति भी है। आंतरिक लेखा परीक्षण का संचालन चार्टर्ड/कास्ट एकाउन्टेन्ट के बाहरी फार्म द्वारा किया जाता है जिसमें सभी कार्यालय/क्षेत्र और इकाइयाँ समाहित हैं। इनके प्रतिवेदन की समीक्षा अंकेक्षण समिति द्वारा की जाती है। कम्पनी के लेखा का अंकेक्षण भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा किया जाता है जो उनके द्वारा अंकेक्षित सम्पत्ति के अलावा होगा।

च. **संचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा :**

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

छ. **मानव संसाधन में सामग्री विकास/औद्योगिक संबंध जिसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है :**

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

ज. **पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनिमय संरक्षण :**

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

झ. **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व :**

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

ट. **सचेतक विवरण**

प्रबन्ध परिचर्चा और विश्लेषण तथा निदेशक प्रतिवेदन में दिये गये विवरण में कम्पनी का उद्देश्य, प्रोजेक्सन और इस्टीमेट, प्रत्याशा और भविष्य कथन आदि प्रगतिशील विवरण है जो कि लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है। आगे देखने वाले विवरण कुछ जोखिम और अनियमितता पर आधारित हैं जो कि वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं, वास्तविक परिणाम बताये गये परिणामों से भिन्न हो सकते हैं जो कि आर्थिक दशा पर निर्भर है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष का वित्तीय परिणाम

भाग – I

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त 3 माह	31.12.2015 को समाप्त 3 माह	31.03.2015 को समाप्त 3 माह	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
		अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से आय					
(क)	संचालन से निबल बिक्री/आय (उत्पादन शुल्क का निबल और अन्य देयता	2,661.66	2,647.21	2,914.42	10,552.37	9,474.99
(ख)	अन्य संचालन से आय	75.73	73.09	63.36	281.14	253.33
	संचालन से कुल आय	2,737.39	2,720.30	2,977.78	10,833.51	9,728.32
2	व्यय					
(क)	उपयोग किए गए सामान की लागत	253.14	183.48	255.66	807.85	837.64
(ख)	बिक्री के लिए माल की खरीद	–	–	–	–	–
(ग)	समाप्त सामान, डब्लयू आई पी, परागमन में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन	(432.09)	(155.35)	(378.95)	(135.99)	(112.07)
(घ)	कर्मचारी लाभ और व्यय	1,088.89	917.73	1,023.10	3,944.69	3,897.19
(ड.)	अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	89.96	79.69	78.34	318.21	309.46
(च)	हानि	7.31	–	3.09	7.31	3.09
(छ)	बिजली और ईंधन	73.42	74.08	79.89	294.48	278.19
(ज)	सामाजिक ओवरहेड	16.35	106.14	35.17	212.79	48.87
(झ)	मरम्मत	113.13	51.21	101.72	234.12	219.90
(ञ)	ठेका व्यय	319.25	320.73	287.63	1,157.65	947.06
(ट)	प्रावधान	127.73	119.80	(9.37)	377.65	97.81
(ठ)	खारिज किया	–	92.73	–	92.73	73.17
(ड)	अन्य व्यय	345.13	272.33	244.64	1,075.73	742.46
(ढ़)	ओ बी निष्काषन समायोजन	34.59	(8.36)	142.93	(225.83)	(44.77)
	कुल व्यय	2,036.81	2,054.21	1,863.85	8,161.39	7,298.00
3	अन्य आय, वित्तीय लागत और अपवादित मद के पहले संचालन से लाभ/(हानि) (1–2)	**700.58**	**666.09**	**1,113.93**	**2,672.12**	**2,430.32**
4	अन्य आय	108.02	99.71	89.49	464.10	344.21
5	वित्तीय लागत और अपवादित मद के पहले सामान्य क्रिया–कलापों से लाभ/(हानि) (3+4)	**808.60**	**765.80**	**1,203.42**	**3,136.22**	**2,774.53**
6	वित्तीय लागत	11.24	0.30	0.61	12.38	1.08
7	वित्तीय लागत के बाद किन्तु अपवादित मद के पहले सामान्य क्रिया–कलापों से लाभ/(हानि) (5–6)	**797.36**	**765.50**	**1,202.81**	**3,123.84**	**2,773.45**
8	अपवादित मद (पीपीए सहित)	(11.62)	9.06	20.89	5.10	33.11
9	टैक्स से पहले सामान्य क्रिया–कलापों से लाभ/(हानि) (7–8)	**808.98**	**756.44**	**1,181.92**	**3,118.74**	**2,740.34**
10	कर व्यय	270.79	352.87	409.14	1,204.04	969.73

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष का वित्तीय परिणाम

भाग – I (जारी...)

(₹ करोड़ में)

11	टैक्स के बाद सामान्य क्रिया–कलापों से लाभ/(हानि) (9–10)	538.19	403.57	772.78	1,914.70	1,770.61
12	असाधारण मद (निबल कर व्यय)	–	–		–	–
13	अवधि में निबल लाभ/(हानि) (11–12)	**538.19**	**403.57**	**772.78**	**1,914.70**	**1,770.61**
14	साझेदारों के लाभ/(हानि) का शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	अल्प ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	कर, अल्प ब्याज साझेदारों के लाभ/(हानि) के शेयर के बाद निबल लाभ/(हानि) (13–14–15)	538.19	403.57	772.78	1,914.70	1,770.61
17	पेड–अप इक्विटी शेयर कैपिटल (रूपया 1000 प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
18	पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुर्नमूल्यांकन सुरक्षित को छोड़कर सुरक्षित	4872.38	4872.38	3562.95	4872.38	3,562.95
19 (i)	असाधारण मद (विलोपन न किए गए) के पहले प्रति शेयर अर्जन (इपीएस)					
(क)	बेसिक	572.54	429.33	822.11	2,036.91	1,883.63
(ख)	डायलुटेड	572.54	429.33	822.11	2,036.91	1,883.63
19 (ii)	असाधारण मद (विलोपन न किए गए) के बाद प्रति शेयर अर्जन (इपीएस)					
(क)	बेसिक	572.54	429.33	822.11	2,036.91	1,883.63
(ख)	डायलुटेड	572.54	429.33	822.11	2,036.91	1,883.63

नोट :

1 31 मार्च, 2016 वर्ष के समाप्त उपरोक्त वित्तीय परिणाम हेतु ऑडिट कमिटि द्वारा पुनरीक्षण किया गया और 24 मई, 2016 की आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा के ऊपर स्वीकृत किया गया। उपरोक्त वित्तीय परिणाम का ऑडिट, स्टुटरी आडिटर के द्वारा किया गया जो क्लाउज – 41 के तहत लिस्टिंग एग्रीमेन्ट में आवश्यक है।

2 पिछले वर्ष हेतु अंक/पुनः संग्रह/पुनः क्रमबद्ध करना।

ह./-
(सी. वी. एन. गंगाराम)
कम्पनी सचिव

ह./-
(टी .के. सेन)
महाप्रबंधक (वित्त)-ए

ह./-
(डी. के. घोष)
निदेशक (वित्त)
डीन : 06638291

ह./-
(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीन : 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते मे. वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
(फर्म रजि. संख्या 311017ई)
ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या :. 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24.05.16

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

परिसंपत्ति और देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
		अंकेक्षित	अंकेक्षित
क	इक्विटी और देयता		
1	अंशधारकों की निधि		
	क) शेयर पूंजी	940.00	940.00
	ख) संचय और अतिरेक	5,033.47	4,872.38
	ग) शेयर वारंट के विरूद्ध प्राप्त धन	–	–
	उप योग : अंशधारकों की निधि	5,973.47	5,812.38
2	शेयर में लगा हुआ धन आवंटन हेतु लंबित	–	–
3	अल्प ब्याज	–	–
4	गैर–चालू देयताएं		
	क) लंबी अवधि उधारी	–	–
	ख) अस्थगित कर देयता (निवल)	–	–
	ग) अन्य लंबी अवधि देयता	50.45	34.34
	घ) लंबी अवधि प्रावधान	2,140.20	2,280.91
उप योग : गैर–चालू देयता		**2,190.65**	**2,315.25**
5	चालू देयताएं		
	क) अल्प अवधि उधारी	929.00	–
	ख) व्यापार देयता	148.71	108.46
	ग) अन्य चालू देयता	2,641.81	2,662.20
	घ) अल्प अवधि प्रावधान	1,481.99	1,502.24
	उप योग : चालू देयता	5,201.51	4,272.90
योग : इक्विटी और देयता		**13,365.63**	**12,400.53**
ख	परिसंपत्ति		
1	गैर–चालू परिसंपत्ति		
क	स्थाई परिसंपत्ति	2,614.05	2,337.13
ख	संचित साख*	–	–
ग	गैर–चालू निवेश	–	–
घ	अस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	725.03	620.47

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

परिसंपत्ति और देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
		अंकेक्षित	अंकेक्षित
ड.	लंबी अवधि ऋण एवं अग्रिम	137.27	131.07
च	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	1,374.39	1,248.33
	उप योग : गैर–चालू परिसंपत्ति	4,850.74	4,337.00
2	चालू परिसंपत्ति		
क	चालू निवेश	–	403.79
ख	स्टॉक	1,492.97	1,351.14
ग	व्यापार प्राप्त	1,365.58	1,465.57
घ	नगद और नगद के समान	4,188.61	3,511.86
ड.	अल्प अवधि ऋण और अग्रिम	855.42	807.86
च	अन्य चालू परिसंपत्ति	612.31	523.31
	उप योग : चालू परिसंपत्ति	**8,514.89**	**8,063.53**
	योग : परिसंपत्ति	**13,365.63**	**12,400.53**

*सम्पत्ति और देनदारियों का समेकित बयान के मामले में लागू।

ह./-
(सी. वी. एन. गंगाराम)
कम्पनी सचिव

ह./-
(टी .के. सेन)
महाप्रबंधक *(वित्त)*-ए

ह./-
(डी. के. घोष)
निदेशक *(वित्त)*
डीन : 06638291

ह./-
(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीन : 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते मे. वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
(फर्म रजि. संख्या 311017ई)
ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या :. 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24.05.16

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन–पत्र

			टिप्पणी	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	
I	इक्विटी और देयता						
(1)	अंशधारकों की निधि						
	(क)	शेयर पूंजी	1	940.00		940.00	
	(ख)	संचय और अतिरेक	2	5,033.47		4,872.38	
	(ग)	शेयरधारक के विरूद्ध प्राप्त धन		–		–	
					5,973.47		5,812.38
(2)	शेयर में लगा हुआ धन आवंटन हेतु लंबित				–		–
(3)	गैर चालू देयता						
	(क)	लंबी अवधि उधारी	3	–		–	
	(ख)	अस्थगित कर देयता (निवल)		–		–	
	(ग)	अन्य लंबी अवधि देयता	4	50.45		34.34	
	(घ)	लंबी अवधि प्रावधान	5	2,140.20		2,280.91	
					2,190.65		2,315.25
(4)	अल्प ब्याज		–		–		
(5)	चालू देयता						
	(क)	अल्प अवधि उधारी	6	929.00		–	
	(ख)	व्यापार देयता	7	148.71		108.46	
	(ग)	अन्य चालू देयता	8	2,641.81		2,662.20	
	(घ)	अल्प अवधि प्रावधान	9	1,481.99		1,502.24	
					5,201.51		4,272.90
	योग				**13,365.63**		**12,400.53**
II	परिसंपत्ति						
(1)	गैर चालू परिसंपत्ति						
	(क)	चालू परिसंपत्ति					
		(i) वास्तविक परिसंपत्ति–सकल ब्लॉक	10A	5,592.46		5,083.14	
		घटाव : अवक्षयन, हानि और निवल कार्यान्वयन मूल्य प्रावधान		3,599.76		3,401.57	
		निवल वहन मूल्य			1,992.70		1,681.57
		(ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति–सकल ब्लॉक	10A	440.74		376.43	
		घटाव : अवक्षयन, हानि और निवल कार्यान्वयन मूल्य प्रावधान		317.59		304.25	
		निवल वहन मूल्य			123.15		72.18
		(iii) पूंजीगत चालू कार्य	10B		228.52		287.39
		(iv) विकासधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	10C		269.68		295.99

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन–पत्र (जारी...)

		टिप्पणी		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
(ख)	गैर चालू परिसंपत्ति	11		–		–
(ग)	अस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)			725.03		620.47
(घ)	लंबी अवधि ऋण और अग्रिम	12		137.27		131.07
(ड.)	अन्य गैर चालू परिसंपत्ति	13		1,374.39		1,248.33
(2)	चालू परिसंपत्ति					
(क)	चालू निवेश	14	–		403.79	
(ख)	स्टॉफ	15	1,492.97		1,351.14	
(ग)	व्यापार प्राप्य	16	1,365.58		1,465.57	
(घ)	नगद और नगद के समान	17	4,188.61		3,511.86	
(ड.)	अल्प अवधि ऋण और अग्रिम	18	855.42		807.86	
(च)	अन्य चालू परिसंपत्ति	19	612.31		523.31	
				8,514.89		8,063.53
	योग			**13,365.63**		**12,400.53**
	महत्वपूर्ण लेखा नीति	33				
	लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी	34				

उपरोक्त टिप्पणियां तुलन पत्र की अभिन्न अंग

ह./-
(सी. वी. एन. गंगाराम)
कम्पनी सचिव

ह./-
(टी .के. सेन)
महाप्रबंधक (वित्त)-ए

ह./-
(डी. के. घोष)
निदेशक (वित्त)
डीन : 06638291

ह./-
(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीन : 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते मे. वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
(फर्म रजि. संख्या 311017ई)
ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या :. 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24.05.16

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

			टिप्पणी	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
आय :					
	संचालन से राजस्व		20		
	क	कोयला, कोक आदि की बिक्री		13,658.96	11,781.43
		घटाव : उत्पाद शुल्क		692.92	640.55
		अन्य लेवी		2,413.67	1,665.89
				3,106.59	2,306.44
		कुल बिक्री		10,552.37	9,474.99
	ख	अन्य संचालन से राजस्व		281.14	253.33
	(I)	संचालन से राजस्व (ए+बी)		10,833.51	9,728.32
	(II)	अन्य आय	21	464.10	344.21
	(III)	कुल राजस्व		11,297.61	10,072.53
	IV	व्यय			
		उपयोग किए गए सामान की लागत	22	807.85	837.64
		व्यवसाय में भंडार की खरीदी		–	–
		व्यवसाय में भंडार और कार्य प्रगति तथा समाप्त सामानों की संपत्ति सूची में परिवर्तन	23	(135.99)	(112.07)
		कर्मचारी लाभ व्यय	24	3,944.69	3,897.19
		बिजली और ईंधन		294.48	278.19
		कल्याण व्यय	25	212.79	48.87
		मरम्मत	26	234.12	219.90
		संविदात्मक व्यय	27	1,157.65	947.06
		वित्तीय लागत	28	12.38	1.08
		वित्तीय लागत		325.52	312.55
		प्रावधान	29	377.65	97.81
		खारिज	30	92.73	73.17
		अन्य व्यय	31	1,075.73	742.46
		अधिमार निष्काषन समायोजन		(225.83)	(44.77)
		कुल व्यय		**8,173.77**	**7,299.08**
	V	पूर्व अवधि अपवादित और साधारण मद और कर के पहले लाभ		**3,123.84**	**2,773.45**
	VI	पूर्व अवधि समायोजन प्रभार/(आय)	32	5.10	33.11
	VII	अपवादात्मक मद		–	–
	VIII	असाधारण मद और कर के पहले लाभ		3,118.74	2,740.34

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा (जारी...)

		टिप्पणी	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
IX	असाधारण मद प्रभार/(आय)		–	–
X	कर के पहले लाभ		**3,118.74**	**2,740.34**
XI	घटाव/(जोड़) : कर व्यय			
	– चालू वर्ष		1,308.60	1,023.89
	– आस्थगित कर		(104.56)	(54.16)
	– पिछला वर्ष		–	–
XII	सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ		**1,914.70**	**1,770.61**
XIII	संचालन बंद होने से अवधि के लिए लाभ		–	–
XIV	संचालन बंद होने का कर व्यय		–	–
XV	संचालन बंद होने से (कर के बाद) अवधि के लिए लाभ/(हानि)	–	–	
XVI	अवधि के लिए लाभ		1,914.70	1,770.61
XVII	प्रति शेयर अर्जन(₹) (₹1000 का अंकित मूल्य प्रति शेयर)			
	(1) बेसिक		2,036.91	1,883.63
	(2) डायलुटेड		2,036.91	1,883.63
महत्वपूर्ण लेखा नीति		33		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी		34		

उपरोक्त टिप्पणियां लाभ–हानि लेखा का अभिन्न अंग है

ह./-
(सी. वी. एन. गंगाराम)
कम्पनी सचिव

ह./-
(टी .के. सेन)
महाप्रबंधक (वित्त)-ए

ह./-
(डी. के. घोष)
निदेशक (वित्त)
डीन : 06638291

ह./-
(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीन : 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते **मे. वी. सिंघी एण्ड एशोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
(फर्म रजि. संख्या 311017ई)
ह/-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या :. 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24.05.16

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 1

शेयर पूँजी

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
क. अधिकृत :		
प्रत्येक ₹ 1000/- के110,00,000	1100.00	1100.00
	1100.00	**1100.00**
ख. निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 1000/- के पूर्ण नकदी प्रदत्त 94,00,000	940.00	940.00
	940.00	**940.00**

उपरोक्त में से 93,99,997 शेयर, नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामिनी द्वारा रखे गए हैं।

ग. कंपनी द्वारा केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य ₹1000/- प्रत्येक है, जारी किया गया है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक मतदान का हकदार है।

घ. लाभ में ब्याज और अपने अधिकार के अनुसार सदस्यों को भुगतान करने हेतु किसी भी वित्तीय वर्ष में निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को अनुमोदित और घोषित करने का अधिकार शेयर धारकों को होगा।

टिप्पणी : **5%** से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों का कंपनी में शेयर–

शेयरधारक का नाम	**31.03.2016** को		**31.03.2015** को	
	शेयर की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ **1000/)**	कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ **1000/-)**	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी)9399997	100	9399997	100	

वर्ष के दौरान शेयर की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 2

संचय और अतिरेक

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
संचय (रिजर्व) :				
पूंजी संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		—		—
जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त		—		—
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन		—		—
		—		—
पूंजी परिशोधन संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		—		—
जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त		—		—
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन		—		—
		—		—
विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		—		—
जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त		—		—
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन		—		—
		—		—
सीएसआर संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		—		34.38
जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त		—		—
घटाव : सामान्य संचय से अतिरिक्त		—		34.38
		—		—
संपोषित विकास संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		—		4.00
अतिरिक्त से विनियोजन		—		—
घटाव : सामान्य संचय अंतरित		—		4.00
		—		—
सामान्य संचय				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		1,863.20		1,550.79
जोड़ : अतिरिक्त से अंतरित		95.74		274.03
जोड़ : सीएसआर संचय से अंतरित		—		34.38
जोड़ : संपोषित विकास संचय से अंतरित		—		4.00
		1,958.94		**1,863.20**
अतिरेक				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3009.18		1,973.78	
दिनांक 01.04.2014 के अनुसार परिसंपत्तियों का अवक्षयन	—	3009.18	34.59	1939.19

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **2** (जारी...)

संचय और अतिरेक

			31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
वर्ष के दौरान कर के बाद लाभ/(हानि)			1914.70		1770.61
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)			**4,923.88**		**3,709.80**
घटाव : विनियोग					
विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु संचय			—		—
सामान्य संचय में अंतरण			95.74		274.03
सीएसआर संचय में अंतरण			—		—
एसडी संचय में अंतरण			—		—
अंतरिम लाभांश			1,457.00		100.00
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश			—		254.74
निगमित लाभांश कर :					
अंतरिम लाभांश कर	296.61			19.99	
प्रस्तावित लाभांश कर	—			51.86	
पिछले वर्ष के लाभांश कर	—		296.61	—	71.85
			3,074.53		**3,009.18**
योग			**5,033.47**		**4,872.38**

1. कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसार बचे हुए उपयोगी कुछ परिसम्पत्तियों को 01.04.2014 को शून्य कर एवं पिछले बचे हुए भाग के खर्च से शुरूआत के बचे आय के विरूद्ध वैल्यु को बदलकर वर्ष 2014–15 में रखा गया है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व एवं समपोषित विकास 2014–15 के उचित का रिजर्व 2014–15 के खर्च हेतु निर्माण रकम को सामान्य रिजर्व में 2014–15 के दौरान स्थानांतरण किया गया।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **3**

लंबी अवधि उधारी

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
क.	मियादी ऋण		
	आईबीआरडी	—	—
	जेबीआईसी (जेक्सीम)	—	—
	एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा	—	—
	लाइबर फ्रांस एस ए, फ्रांस	—	—
ख.	कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	—	—
	योग **(क+ख)**	**—**	—

वर्गीकरण **1**

प्रतिभूति	—	—
अप्रतिभूति	—	—

वर्गीकरण **2**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 4

अन्य लंबी अवधि देयता

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
व्यवसाय देयता*	—	—
प्रतिभूति जमा	37.24	26.76
अन्य**	13.21	7.58
योग	**50.45**	**34.34**
वर्गीकरण		
प्रतिभूति	—	—
अप्रतिभूति	50.45	34.34

टिप्पणी : (1) विदेशी मुद्रा में बकाया राशि कुछ नहीं है।
(2) *आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सीधे भुगतान पर दी गई अनुमति पर 12 माह से अधिक आस्थगित ऋण कुछ नहीं है।
(3) ** प्रबंधन के द्वारा प्रमाणित

टिप्पणी - 5

लंबी अवधि प्रावधान

			31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
कर्मचारी लाभ :					
–	ग्रेच्युटी		—		—
–	अवकाश नकदीकरण		330.99		349.02
–	कर्मचारी अन्य लाभ*		229.29		226.02
विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए (बाजार से बाजार)			—		—
ओबीआर समन्जन लेखा :					
भविष्य में ओबीआर के लिए संचित		1281.56		1,567.44	
घटाव : अग्रिम स्ट्रिपिंग		288.79		348.84	
			992.77		1,218.60
खदान बंद		587.15		487.27	
अन्य के लिए			—		—
योग			**2,140.20**		**2280.91**

1. *जीवित कर्मचारियों को सेवानिवृत पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु ₹75.62 करोड़ का प्रावधान सहित है। वास्तविक देयता, जैसे मूल वेतन का 4% + महंगाई भत्ता (₹75.62 करोड़) या एक्चुरीयल वैल्यूएशन (₹59.01 करोड़) जो भी अधिक हो, कम्पनी के नीति के अनुसार विचार किया जाएगा। जैसा कि अलग से फंड का निर्माण किया जाएगा।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 6

अन्य अवधि देयता उधारी

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
बैंकों से ऋण	929.00	—
मांग पर पुन: भुगतान किया जाने वाला ऋण	—	—
अन्य ऋण और अग्रिम	—	—
आस्थगित ऋण	—	—
योग	**929.00**	**—**

वर्गीकरण 1

प्रतिभूति	—	—
अप्रतिभूति	—	—

वर्गीकरण 2

निदेशक और अन्य द्वारा दी गई गारंटी पर ऋण

ऋण का विवरण	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

1. कैश क्रेडिट सुविधा :

कम्पनी ने, होल्डिंग कम्पनी सीआईएल के तहत, 55.00 करोड़ रू. के कैश क्रेडिट सुविधा के लिए बैंकर्स का एक संघ (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, प्रमुख बैंक के रूप में) एक समझौता किया है और इस उक्त सुविधा को कोलेट्रली संरक्षण, हाइपोथिकेशन चार्जेस द्वारा वर्तमान परिसम्पत्तियां जिनमें बुक कर्जा, रॉ सामग्रियों का भंडार, तैयार और आधे तैयार सामान, प्लांट और इक्विमेंट से असंबंधित स्टोर्स और स्पेयर्स (उपभोग करने वाले स्टोर्स एवं स्पेयर्स), पर दोनों वर्तमान और भविष्य के लिए एक साथ और अलग से उपरोक्त बैंक के लिए 83.00 करोड़ रू. रखे हैं। 55.00 करोड़ रू. के कैश क्रेडिट लिमिट का अधिकतम शुल्क 1.5 गुना है। उपरोक्त सुविधाएं वर्किंग कैपिटल पद आधारित है। उपरोक्त सुविधाएं वर्किंग कैपिटल पर आधारित फंड के कारण 2015–16 में कम्पनी द्वारा नहीं लिया गया।

2. बैंकों से लिए गये ऋण का विवरण :

बैंक का नाम	एफडी नं.	एफडी राशि	ऋण राशि
आंध्रा बैंक	47820100065217	312.00	283.50
बैंक ऑफ इंडिया	490045110007578	285.00	285.00
बैंक ऑफ बडौदा	170300016047	80.00	63.50
सिंडिकेट बैंक	7520/458/28(1)	285.00	166.18
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	00033091000666	128.00	116.33
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	00033091000710	16.00	14.49
योग		**1106.00**	**929.00**

टिप्पणी - 7

व्यवसाय देयता

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
बहुत छोटे उद्यम और छोटे उद्यम के बकाया देय	–	–
बहुत छोटे उद्यम और छोटे उद्यम के अलावा ऋणदाताओं के बकाया देय	148.71	108.46

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 8

अन्य चालू देयताएं

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
लंबी अवधि उधारी की चालू परिपक्वता		
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	—	—
कोल इंडिया लिमिटेड से अतिरेक फंड	—	—
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	—	—
पूंजी के लिए	102.36	118.32
व्यय के लिए :		
वेतन मजदूरी एव भत्ता	330.59	291.37
ऊर्जा और ईंधन	31.24	24.26
अन्य	403.24	340.72
	765.07	**656.35**
संविदिक देय :		
बिक्री कर/वैट	39.58	35.35
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	72.82	62.21
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2.01	0.54
कोयले पर राजस्व और शेस*	145.94	184.93
भराई उत्पाद शुल्क	12.29	13.67
स्वच्छ ऊर्जा शेस	315.22	169.48
एमएमडीआर राजस्व	107.89	—
अन्य संविधिक लेवी	27.81	24.99
	723.56	**491.17**
स्रोत से काटा गया आयकर	85.58	73.50
प्रतिभूति जमा	101.07	87.15
बयाना राशि	62.37	101.68
उपभोक्ता/अन्य से अग्रिम और जमा	741.81	993.58
उधारी पर उपार्जित ब्याज और देय	—	—
उधारी पर उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	10.06	—
शेष बराबरीकरण देयता	—	—
आइआइसीएम के साथ चालू लेखा	—	—
नियंत्रक कंपनी के साथ वर्तमान लेखा	—	17.31
भुगतान न किया गया लाभांश	—	—
पूर्व ओनर लेखा	—	—
राष्ट्रीयकरण के पूर्व जमा अन्य अग्रिम	—	—
सीएसआईपीए के लिए देयता	1.39	1.25
अन्य देयताएं**	48.54	121.89
योग	**2,641.81**	**2,662.20**

1. *मिनरल (वेलिडेशन) अधिनियम 1992 जो सेस और अन्य टैक्सस के एनएक्टमेंट के लिए कम्पनी ने 1992–93 में उपभोक्ताओं पर 4 अप्रैल, 1991 को सप्लिमेन्टरी बिल 100.33 करोड़ का सेस और सेल्स टैक्स के ऊपर लगाया है। उक्त राशि को संवैधानिक ड्युु पेएबल फॉर रॉयल्टी और सेस विथ कॉरस्पंडिंग डेबिट इन क्लेम्स रिसिवेबल–सेस (टिप्पणी – 19) में सम्मिलित किया गया है।
2. **19.85 करोड़ (प्रतिवर्ष बिल) कैश किया गया बैंक गारंटी सम्मिलित है।
3. राज्य सरकार से अधिसूचना के न आने से, आयबलिटी ऑफ द माइन्स और मिनरलस (डेवलपमेट और रेग्युलेशन) अधिनियम 2015 को उचित प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 9

अल्प अवधि प्रावधान

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
कर्मचारी लाभ के लिए		
- ग्रेच्युटी	212.72	135.79
- अवकाश नकदीकरण	47.16	39.65
- पीपीएलडी	206.08	172.96
- पीआरपी	538.60	493.18
- कर्मचारी अन्य लाभ	231.32	201.29
प्रस्तावित लाभांश के लिए	—	254.74
नियमित लाभांश के लिए	—	51.86
आयकर के लिए प्रावधान	—	—
घटाव अग्रिम आयकर/स्रोत से काटा गया कर	—	—
कोयले के इति भंडार पर उत्पाद शुल्क के लिए	116.04	90.59
अन्य के लिए खदान बंद	130.07	62.18
योग	**1,481.99**	**1,502.24**

1. 31.03.2016 तक 9.84% की दर से सेवानिवृत लाभ 198.68 करोड़ रूपया अन्य कर्मचारी लाभ में संहित है, जिनमें पेंशन का प्रावधान मूल वेतन का 3% + महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त लाभ का प्रावधान मूल वेतन का 6.84% + महंगाई भत्ता अधिकारी वर्ग के लिए रखा गया है जो कि 01.01.2007 से प्रभावित है, ये निदेशक (कार्मिक/औ.स.) सीआईएल कोलकाता द्वारा जारी ज्ञापन संख्या CIL/C-5A(vi)/005/35/1210 दिनांक 02/07.05.2009 के अनुसार है। पेंशन की देयता 3% की दर से और सेवानिवृत्त लाभ 6.84% के दर से 31.03.2016 तक ₹ 60.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 52.45करोड़) और ₹ 137.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 119.62 करोड़) रूपये की वित्तीय प्रतिवेदन लिया गया है हालांकि एक अलग फंड/ट्रस्ट उपरोक्त उद्देश्य के लिए बनाया जाना है।

2. इस वर्ष के दौरान अंतिम डिविडेंट के रूप में ₹ 254.74 करोड़ भुगतान किए गए हैं और यह राशि 17.06.2015 को हुए ए. जी. एम. में सदस्यों द्वारा अनुमोदित हैं।

3. वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकीय बोर्ड के द्वारा घोषित अंतरिम डिविडेंट ₹ 1457 करोड़ रूपया का भुगतान किया गया।

4. गैर अधिकारिक वर्ग के एक्सग्रेसिया के लिए ₹ 48500/- रूपये का प्रावधान प्रति कर्मचारी रखा गया है और अधिकारी वर्ग के पीआरपी सीआईएल से प्राप्त सलाह पर आधारित है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 10 ए

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				अवक्षयन				हानिकरण				योग/ अवक्षयन/ हानिकरण	कुल वहन मूल्य	
	01.04.2015 तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक	**01.04.2015** तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**As at 31.03.2016**	**01.04.2015** तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक		**31.03.2016** तक	**31.03.2015** तक
वास्तविक संपत्ति															
भूमि															
(क) पूर्ण स्वामित्व	16.87	0.62	–	17.49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.49	16.87
(ख) अन्य	630.42	301.40	–	931.82	372.29	24.96	–	397.25	–	–	–	–	397.25	534.57	258.13
भवन/जलापूर्ति/सड़क और पुलिया	437.66	12.82	–	450.48	270.57	8.59	–	279.16	–	–	–	–	279.16	171.32	167.09
Plant, संयंत्र और उपकरण	3,335.00	300.04	(141.95)	3,493.09	2,243.68	239.34	(134.89)	2,348.13	–	–	–	–	2,348.13	1,144.96	1,091.32
दूरसंचार	16.90	0.13	–	17.03	15.24	0.18	–	15.42	–	–	–	–	15.42	1.61	1.66
रेलवे साइडिंग	88.08	–	–	88.08	73.22	2.88	0.26	76.36	–	–	–	–	76.36	11.72	14.86
फर्नीचर और फिटिंग/ कार्या. का सामान तथा उपकरण/बिजली फिटिंग/फायर आर्म	70.93	15.98	0.05	86.96	52.14	6.73	0.05	58.92	–	–	–	–	58.92	28.04	18.79
वाहन	32.79	2.95	(0.31)	35.43	26.36	1.20	(0.29)	27.27	–	–	–	–	27.27	8.16	6.43
हवाई जहाज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विकास	382.76	13.18	–	395.94	342.52	7.10	0.03	349.65	5.55	2.96	1.12	9.63	359.28	36.66	34.69
राष्ट्रीयकरण के समय लिया गया परिसंपत्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सर्वेड ऑफ असेट्स	71.73	7.09	(2.68)	76.14	–	–	–	–	–	37.97	–	37.97	37.97	38.17	71.73
योग	**5,083.14**	**654.21**	**(144.89)**	**5,592.46**	**3,396.02**	**290.98**	**(134.84)**	**3,552.16**	**5.55**	**40.93**	**1.12**	**47.60**	**3,599.76**	**1,992.70**	**1,681.57**
प्रत्यक्ष परिसंपत्ति (31.03.2015 तक)	4,859.58	383.55	(159.99)	5,083.14	3,201.77	309.57	(115.32)	3,396.02	3.34	1.37	0.84	5.55	3,401.57	1,681.57	–
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति															
सॉफ्टवेयर	–	5.14	–	5.14	–	1.55	–	1.55	–	–	–	–	1.55	3.59	–
विकास	330.42	53.99	–	384.41	257.96	11.31	–	269.27	0.33	–	–	0.33	269.60	114.81	72.13

टिप्पणी :

1 भूमि–अन्य भी संबंधित कोल बेयरिंग एक्ट-1957 और लैंड एक्युजीशन एक्ट 1894 के तहत ग्रहण की गई।

2 सकल ब्लॉक एवं सर्वेड ऑफ पीएण्ड एम, गाड़ियां इत्यादि परमूल्य ह्रास को अचल परिसंपत्तियों और मूल्य ह्रास के प्रावधानों से निकाल लिया गया है बुक वैल्यू की बची 5% वैल्यू को सर्वेड ऑफ असेट्स फॉर डिसपोजल में स्थानांतरित किया गया है और इसे अलग से नोट 10ए में दिखाया गया है यदि समय से पहले सर्वेड ऑफ परिसंपत्ति है तो डब्लयू डी वी और बचे मूल्य 5% को लाभ–हानि लेखा में चार्ज किया गया है मानो सर्वेड ऑफ परिसंपत्ति पर हानि है सर्वेड ऑफ असेट का मूल्य डब्लयू डी वी के दिन और नेट रियलाइजेवल मूल्य पर आंका जाता है एन आर वी का आंकलन सर्वेड ऑफ परिसंपत्ति के अंतिम विक्रय मूल्य पर आधारित कर गणना की गई है।

3 कोल माइन्स लेबर वेलफेयर संस्थान से 1981 में लिए गये दो अस्पतालों के परिसंपत्ति और देयताएं वित्तीय प्रतिवेदन में नहीं दर्शाई गई है क्योंकि उनके मूल्य का निर्धारण लम्बित है। तीन माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, 1085–86 में जिन्हें लिया गया था उनके परिसम्पत्ति और देयताएं वित्तीय प्रतिवेदन में नहीं दर्शाए गये हैं क्योंकि उनका मूल्य निर्धारण अबतक नहीं हुआ है।

4 यदि किसी परिसम्पत्ति के महत्वपूर्ण भाग की पहचान लम्बित है जिस पर कार्य जारी है, उनके मूल्य ह्रास के लिए वर्तमान अभ्यास जो उसके पूरी परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर ही की जाएगी।

5 इमारत में इलेक्ट्रिक फिटिंग, जलापूर्ति प्रबंध, सेनेटरी फिटिंग और टाउनशिप में सड़क और पुलिया सम्मिलित होते हैं।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 10 बी

पूंजी कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत				प्रावधान				हानिकरण				योग/ अक्षयन/ हानिकरण	कुल वहन मूल्य	
	01.04.2015 तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक	**01.04.2015** तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक	**01.04.2015** तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक		**31.03.2016** तक	**31.03.2015** तक
वास्तविक संपत्ति															
भवन/जलापूर्ति/सड़क और पुलिया	62.53	9.16	(9.06)	62.63	10.69	1.89	–	12.58	–	–	–	–	12.58	50.05	51.84
संयंत्र और उपकरण	132.02	27.65	(107.47)	52.20	12.29	2.57	0.01	14.87	–	–	–	–	14.87	37.33	119.73
रेलवे साइडिंग	136.74	0.43	–	137.17	45.74	3.85	(0.26)	49.33	–	–	–	–	49.33	87.84	91.00
विकास	60.49	34.48	(1.71)	93.26	32.53	1.09	(0.03)	33.59	3.14	4.35	(1.12)	6.37	39.96	53.30	24.82
अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	**391.78**	**71.72**	**(118.24)**	**345.26**	**101.25**	**9.40**	**(0.28)**	**110.37**	**3.14**	**4.35**	**(1.12)**	**6.37**	**116.74**	**228.52**	**287.39**
वास्तविक संपत्ति (31.03.2015 तक)	281.36	182.27	(71.85)	391.78	91.61	9.38	0.26	101.25	2.26	1.82	(0.94)	3.14	104.39	287.39	–

टिप्पणी:

मशीन/परिसम्पत्तियों के लिए, जिनका तीन वर्ष से उपयोग खरीदी/अधिग्रहण के समय से नहीं हुआ है, मूल्यह्रास के समकुल प्रावधान, खरीदी/अधिग्रहण के दिन से चौथे वर्ष तक, वर्ष के दौरान 8.85 करोड़ रू. राशि (गत वर्ष ₹ 9.91 करोड) है और क्षति वर्ष के दौरान 3.23 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.88 करोड़ रू.) है।
31.03.2016 में कुल प्रावधान 120.20 करोड़ (पिछले वर्ष 108.12 करोड़ रू.) और परिसंपत्ति के हानि के प्रावधान जो पहले वर्षों के थे उन्हें रखा गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 10 सी

विकासधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत				प्रावधान				हानिकरण				योग/ अक्षयन/ हानिकरण	कुल वहन मूल्य	
	01.04.2015 तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक	**01.04.2015** तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक	**01.04.2015** तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान समा./बिक्री अंतरण	**31.03.2016** तक		**31.03.2016** तक	**31.03.2015** तक
अप्रत्यक्ष संपत्ति															
सॉफ्टवेयर	4.74	–	(4.74)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.74
विकास	118.94	4.84	(53.99)	69.79	1.25	–	–	1.25	–	–	–	–	1.25	68.54	117.69
पूर्वेक्षण और वेधन	176.04	32.49	(5.18)	203.35	2.48	(0.27)	–	2.21	–	–	–	–	2.21	201.14	173.56
योग	**299.72**	**37.33**	**(63.91)**	**273.14**	**3.73**	**(0.27)**	**–**	**3.46**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.46**	**269.68**	**295.99**
अप्रत्यक्ष संपत्ति (31.03.2015 तक)	258.86	93.26	(52.40)	299.72	3.46	0.27	–	3.73	–	–	–	–	3.73	295.99	–

1. 322.40 करोड़ रूपये में से जो कि अक्षयण खाते में से 4.76 करोड़ रूपये पिछले वर्ष से संबंधित हैं एवं इसको पूर्व अवधि अवक्षयण के रूप में टिप्पणी 32 में दिखाया गया है।

2. अप्रत्यक्ष विकास यू/सी रू. 53.99 करोड़ एवं प्रोशपेक्टिंग और बोरिंग यू/सी 5.18 करोड़ रू. मगध खुली खदान परियोजना का था जो कि 01.04.2015 से राजस्व खदान बन गए हैं उसे पूंजीकृत किया गया।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **11**

गैर–चालू निवेश लागत पर अनुद्धरित

	शेयर/बॉन्ड प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष/(पिछले वर्ष)	प्रति शेयर/बॉन्ड प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष/(पिछले वर्ष)	**31.03.2016** तक *((₹ करोड़ में))*	**31.03.2015** तक *((₹ करोड़ में))*
		(₹)		
व्यवसाय				
अन्य (समवाय प्रतिभूति में)	100	25.00	—	—
(रामगढ़ कर्णपुरा कोयलांचल श्रमिक सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड)	(100)			
योग			**—**	**—**
उद्धत निवेश का संचय			—	—
अनुद्धत निवेश का संचय			—	—
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			—	—
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान			—	—

टिप्पणी : गैर वर्तमान निवेश की वर्तमान परिपक्वताओं के वर्तमान निवेश की टिप्पणी 14 में दिखाया गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 12

लंबी सावधि ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
ऋण		
आपूर्तिकर्त्ता और ठेकेदार को अग्रिम		
पूंजी के लिए		
प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
अप्रतिभूति समझा गया सामान	112.29	109.35
संदेहात्मक	1.21	1.21
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	1.21	1.21
	112.29	109.35
राजस्व के लिए		
प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
अप्रतिभूति समझा गया सामान	3.69	–
संदेहात्मक	–	–
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	3.69	–
प्रतिभूति जमा		
प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
अप्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
संदेहात्मक	–	–
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	–	–
पी एण्ड टी, विद्युत आदि हेतु जमा		
प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
अप्रतिभूति समझा गया सामान	0.88	0.87
संदेहात्मक	0.14	0.14
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	0.14	0.14
	0.88	0.87
कर्मचारियों को ऋण		
गृह निर्माण हेतु		
प्रतिभूति समझा गया सामान	0.92	1.26
अप्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
संदेहात्मक	–	–
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	0.92	1.26

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **12** (जारी...)

लंबी सावधि ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
मोटर कार एवं अन्य यातायात सुविधाओं के लिए		
प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
अप्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
संदेहात्मक	–	–
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	–	–
सहायक कंपनियों को ऋण	–	–
अन्य को अग्रिम		
प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
अप्रतिभूति समझा गया सामान	19.49	19.59
संदेहात्मक	0.25	0.15
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	0.25	0.15
	19.49	19.59
योग	**137.27**	**131.07**

विवरण	इति शेष		अधिकतम राशि देय	
	चालू वर्ष (₹ in Cr.)	पिछले वर्ष (₹ in Cr.)	चालू वर्ष (₹ in Cr.)	पिछले वर्ष (₹ in Cr.)
कंपनी द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक/(सदस्य है कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक इच्छुक हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 13

अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
लंबी अवधि व्यवसाय प्राप्य		
- प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
- अप्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
- संदेहात्मक	–	–
	–	–
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	–	–
अन्वेषक छेदन क्रिया		
- प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
- अप्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
- संदेहात्मक	–	–
	–	–
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	–	–
बैंकों के एक्सक्रो खाता में	574.82	435.76
खदान बंद से संबंधित खर्चों के लिए प्राप्य	–	–
अन्य प्राप्य		
- प्रतिभूति समझा गया सामान	–	–
- अप्रतिभूति समझा गया सामान	799.57	812.57
- संदेहात्मक	–	–
	799.57	812.57
घटाव : संदेहात्मक ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
	799.57	812.57
योग	**1,374.39**	**1,248.33**

टिप्पणी

1.

विवरण	इति शेष		अधिकतम राशि देय	
	चालू वर्ष ((₹ करोड़ में))	पिछले वर्ष ((₹ करोड़ में))	चालू वर्ष ((₹ करोड़ में))	पिछले वर्ष ((₹ करोड़ में))
कंपनी द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक/(सदस्य है कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक इच्छुक हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. * दि. 08.11.2014 को सीआईएल के 310वें बोर्ड बैठक में टोरी–शिवपुर–कथोरिया नया बी जी रेल लाइन परियोजना के लिए परिशोधित लागत आकलन 3571.69 करोड़ रू. (1588.65 करोड़ रू. टोरी–शिवपुर खंड एवं 1983.04 करोड़ रू. शिवपुर–कथोरिया खंड के लिए) अनुमोदित हुआ है और यह राशि सीसीएल द्वारा वित्त प्रदत्त है। वित्त वर्ष 2015–16 तक 958.19 करोड़ रूपये सीसीएल द्वारा जमा किया गया जिसके विरूद्ध 161.14 करोड़ रूपये सी सी डी ए सी द्वारा अनुदान प्राप्त किया गया है।

3. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार अनुसूचित बैंकों के साथ खदान बंद करने के खर्च बावत प्रावधान एसक्रो खाता खोले गए हैं। एसक्रो खाता में कुल शेष 704.66 करोड़ रूपये है जिनमें से 574.82 करोड़ रूपये अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति में दर्शाया गया है और शेष 129.84 करोड़ रूपये टिप्पणी 17 में नगद और नगद के समान दर्शाया गया है इसपर कुल 98.62 करोड़ रूपये ब्याज के रूप में दिनांक 31.03.2016 तक प्राप्त हुआ जो कि एसक्रो खाता में ही सम्मिलित है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **14**

चालू निवेश–लागत पर उद्धरित/अनुद्धरित

	ईकाई/शेयर/ बॉन्ड/प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष/(पिछले वर्ष)	प्रति ईकाई/शेयर/ बॉन्ड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष/(पिछले वर्ष)	**31.03.2016** तक *((*₹ करोड़ में*))*	**31.03.2015** तक *((*₹ करोड़ में*))*
		(₹)		
गैर–व्यवसाय				
म्यूचुवेल फंड निवेश				
एसबीआई म्यूचुवेल फंड	/(3184164.956)	1,000.00	–	319.45
केनरा रोबेको म्यूचुवेल फंड	/(487080.375)	1,000.00	–	48.98
युनियन केबीसी म्यूचुवेल फंड	/(259215.922)	1,000.00	–	25.94
व्यवसाय				
8.5% कर मुक्त विशेष बॉन्ड **(**पूर्णतः भुगतान किया हुआ**) :** (विविध देनदारों के प्रतिभूतिकरण पर)				
बड़े राज्यवर विवरण				
उत्तर प्रदेश	– (80900)	1,000.00	–	8.09
हरियाणा	– (13330)	1,000.00	–	1.33
योग			**–**	**403.79**
उद्धत निवेश का संचय			–	–
अनुद्धत निवेश का संचय			–	9.42
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य *((*₹ करोड़ में*))*			–	–
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान			–	–
म्युचुवेल फंड की शुद्ध संपत्ति मूल्य			–	394.37

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 15

संपत्ति सूचियां

(लेखा विधि नीति संख्या 6 के अनुसार मुल्यांकन)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
	कोयले की भंडार	1,314.27	1,178.54
	विकासाधीन कोयला	–	–
		1,314.27	1,178.54
	घटाव : प्रावधान	0.65	–
क.	कोयले का भंडार (निवल)	**1,313.62**	**1,178.54**
	सामान और कलपुर्जों का भंडार (लागत पर)	210.68	206.66
	परागमन में भंडार	3.16	1.25
		213.84	207.91
	घटाव : प्रावधान	41.30	41.04
ख.	सामान और कलपुर्जों का निवल भंडार (लागत पर)	**172.54**	**166.87**
	कार्यशाला कार्य :		
	कार्य प्रगति और समाप्त सामान	3.59	2.70
	घटाव : प्रावधान	–	–
ग.	कार्यशाला कार्य का निवल भंडार	**3.59**	**2.70**
घ.	प्रेस :		
	कार्य प्रगति और समाप्त सामान	0.99	0.97
ङ.	सेन्ट्रल हॉस्पिटल में दवा का भंडार	**0.52**	**0.35**
च.	पूर्वेक्षण और वेधन/विकास व्यय/बिक्री हेतु कोयला ब्लॉक	**1.71**	**1.71**
	योग (क – च तक)	**1492.97**	**1,351.14**

1. वर्ष के दौरान सेवा अनुपयुक्त/नष्ट/अप्रचलित सामान एवं वो सामान कलपूर्जे जो 5 वर्षों से पड़े हैं का प्रावधान 0.26 करोड़ रू. (गत वर्ष 1.78 करोड़ रू.) किया गया। 31.03.2016 तक कुल प्रावधान 41.30 करोड़ रू. (41.04 करोड़ रू.) पर्याप्त माने गए हैं। वर्ष 2012–13 में अप्रचलित सामान का पुनः निरक्षण किया गया।

2. एन के क्षेत्र में 0.12 करोड़ के मध्य सतर्कता विभाग के द्वारा जब्त किए गए जिसपर आखिरी जांच 22.05.1992 में किया गया था। अबतक ना सामान वापस हुआ है ना कोई सूचना मिली है सतर्कता की लंबित जांच के तहत आवश्यक प्रावधान बनाए गए हैं।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी
टिप्पणी - **15** का परिशिष्ट
तालिका 'क'

(मात्रा लाख टन में)
(मूल्य ₹**Cr.** में)

वर्ष के समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले की इति भंडार और किताबी भंडार के साथ मिलान :

		कुल भंडार		गैर विक्रय योग्य/मिक्स भंडार		विक्रय योग्य भंडार	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	(क) 01.04.2015 तक प्रारंभिक भंडार	98.39	886.95	1.21	–	97.18	886.95
	(ख) प्रारंभिक भंडार में समायोजन	–	–	–	–	–	–
2.	वर्ष का उत्पादन	613.24	11,820.83	–	–	613.24	11,820.83
3.	उप योग (1+2)	711.63	12,707.78	1.21	–	710.42	12,707.78
4.	वर्ष में प्रेषण :						
	(क) बाहरी प्रेषण	464.97	10,303.94	–	–	464.97	10,303.94
	(ख) वाशरी को दिया हुआ	130.85	1,381.02	–	–	130.85	1,381.02
	(ग) निजी खपत	–	0.10	–	–	–	0.10
	योग (4)	595.82	11,685.06	–	–	595.82	11,685.06
5.	प्राप्त भंडार	115.81	1,022.72	1.21	–	114.60	1,022.72
6.	मापित भंडार	113.89	1,005.70	1.18	–	112.71	1,005.70
7.	भिन्नता (5-6)	1.92	17.02	0.03	–	1.89	17.02
8.	भिन्नता का विवरण :						
	(क) 5% के अंदर अधिक	0.29	1.97	–	–	0.29	1.97
	(ख) 5% के अंदर कमी	2.21	18.99	0.03	–	2.18	18.99
	(ग) 5% से अधिक	–	–	–	–	–	–
	(घ) 5% से अधिक कमी	–	–	–	–	–	–
9.	लेखा में स्वीकृत इति भंडार (6-8 क + 8 ख)	115.81	1,022.72	1.21	–	114.60	1,022.72

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी
टिप्पणी - 15 का परिशिष्ट

तालिका 'ख'

कोयले/कोक के इति भंडार का सारांश

(मात्रा लाख टन में)
(मूल्य ₹Cr. में)

	कच्चा कोयला		धुला/डिसील्ट कोयला				अन्य उपज*		योग	
			कोकिंग		नन–कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	98.39	886.95	1.03	49.22	5.65	79.25	11.02	163.12	116.09	1,178.54
घटाव : गैर बिक्री योग्य कोयला	1.21	–	–	–	–	–	–	–	1.21	–
समायोजित प्रारंभिक भंडार (बिक्री योग्य)	97.18	886.95	1.03	49.22	5.65	79.25	11.02	163.12	114.88	1,178.54
उत्पादन	613.24	11,820.83	14.71	685.99	86.52	1,875.92	19.99	798.45	734.46	15,181.19
प्रेषण										
(क) बाहरी प्रेषण	464.97	10,303.94	13.75	673.06	89.50	1,911.33	19.14	770.63	587.36	13,658.96
(ख) वाशरियों को दिया हुआ	130.85	1,381.02	–	–	–	–	–	–	130.85	1,381.02
(ग) निजी खपत	–	0.10	–	–	–	–	–	–	–	0.10
इति भंडार	114.60	1,022.72	1.99	62.15	2.67	43.84	11.87	190.94	131.13	1,319.65
घटाव : कमी	–	–	(0.12)	(3.96)	–	–	(0.04)	(1.47)	(0.16)	(5.43)
इति भंडार	114.60	1,022.72	1.87	58.19	2.67	43.89	11.83	189.47	130.97	1,314.27

1. *अन्य उत्पाद के प्रेषण मूल्य में नन–कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट का मूल्य सम्मिलित है किन्तु प्रेषण की मात्रा में नन–कोकिंग स्लरी 9222 एमटी और रिजेक्ट (कोकिंग एवं नन–कोकिंग दोनों) 1151745 एमटी सम्मिलित नहीं है।

2. 31-03-2016 तक इति भंडार नन–कोकिंग स्लरी एवं नन–कोकिंग रिजेक्ट क्रमशः 189071 एमटी तथा 8319867 एमटी हैं।

3. कोयले के इति भंडार को मात्रा में नापकर परिवर्तक गुणक द्वारा भार टन में बदला जाता है मात्रा से भार में गणना द्वारा परिवर्तन में (+ /-) 5 % का अंतर खाता भंडार और भौतिक भंडार का उपेक्षा की जाती है जैसा कई वर्षों से लेखा नीति में माना जाता है। परिणाम स्वरूप खाता भंडार 2.16 लाख टन मूल्य 22.46 करोड़ रू. को असमायोजित रूप में लेखा–खाता में रखा गया है।

   हालांकि निम्नलिखित मामले (+ /-) 5 % नापे स्टॉक को वित्तीय प्रतिवेदन में लिया गया है।

(₹ in Crs)

कोयले का प्रकार	इकाई का नाम	बुक स्टॉक		भौतिक स्टॉक		अंतर		अंतर का %
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
साफ कोयला	चैनपुर साइडिंग	16619	5.28	4138	1.32	12481	3.96	(-)75.10
डब्लू सी पी	चैनपुर साइडिंग	7224	2.41	2829	0.94	4395	1.47	(-)60.84

4. नॉन कोकिंग स्लरी और बुकिंग/नॉन कोकिंग रिजेक्टस का मूल्य शून्य है जो रेडी मार्केट की उपलब्धता न होने के कारण है सेल्स को रियलाइजेबल आधार पर चिन्हित किया गया है।

5. हाई कोक, ब्रीज कोक और कोल तार, गिरिडीह कोक प्लांट में 1.09 करोड़ का बहुत पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है और पुराने दर के कारण उसको अ–चलन के तहत 50% प्रावधान 0.55 करोड़ का बनाया गया है।

6. कथारा वॉशरी में पुराना कोकिंग स्लरी स्टॉक और स्वांग वॉशरी में क्रमशः 366354 एमटी और 48663 एमटी जिनका मूल्य पुराने दर से 851/–प्रति टन और 819ण्50 रू. प्रति टन है।

7. पुराना मैग्नेटाइट स्टॉक 269 टन का रजहरा क्षेत्र में 1991 से पड़ा है जिसका मूल्य 0.02 करोड़ रू. है उसके तहत 100% प्रावधान 0.02 करोड़ का रखा गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **16**

व्यवसाय प्राप्य

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
देय तिथि से 6 माह से अधिक बकाया ऋण*		
- प्रतिभूत अच्छा समझा गया	–	–
- अप्रतिभूत अच्छा समझा गया	256.12	616.47
- संदेहात्मक	660.38	518.02
	916.50	1,134.49
घटाव : खराब और संदेहात्मक व्यवसाय प्राप्य के लिए प्रावधान	660.38	518.02
	256.12	616.47
अन्य ऋण		
- प्रतिभूत अच्छा समझा गया	–	–
- अप्रतिभूत अच्छा समझा गया	1,109.46	849.10
- संदेहात्मक	68.80	45.13
	1,178.26	894.23
घटाव : खराब और संदेहात्मक व्यवसाय प्राप्य के लिए प्रावधान	68.80	45.13
	1,109.46	849.10
योग	**1,365.58**	**1,465.57**

नोट :

विवरण	इति शेष		अधिकतम राशि देय	
	चालू वर्ष *((₹ करोड़ में))*	पिछले वर्ष *((₹ करोड़ में))*	चालू वर्ष *((₹ करोड़ में))*	पिछले वर्ष *((₹ करोड़ में))*
कंपनी द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक भी निदेशक/सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	Nil	Nil	Nil	Nil
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक इच्छुक है	Nil	Nil	Nil	Nil

विविध देनदारों के विरूद्ध प्रावधान का चलन

(₹ in Cr.)

विवरण	राशि
01.04.2015 तक प्रारंभिक शेष	563.15
जोड़: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	259.65
योग	**822.80**
घटाव : वापस लिया हुआ प्रावधान	93.62
31.03.2016 तक इति शेष	**729.18**

* 6 माह से अधिक बकाया ऋण को ₹ 92.73 करोड़ को अप्राप्य ऋण के एवज में खारिज किया गया।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 17

नगद और नगद के समान

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
नगद और नगद के समान		
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		
- 3 माह की परिपक्वता के साथ लेखा में जमा*	1,033.40	943.00
- चालू खाता में	934.66	61.95
- कैश क्रेडिट लेखा में	–	–
भारत के बाहर बैंकों में लेखा	–	–
भेजा गया रूपया – परागमन में	0.10	0.01
पास में चेक ड्राफ्ट और स्टाम्प	0.23	2.54
पास में कैश	0.19	0.18
शिफ्टिंग और पुर्नवास निधि योजना के अधीन		
3 माह परिपक्वता अवधि के लिए अधिसूचित बैंकों में जमा	–	–
बैंकों के साथ एसक्रो एकाउन्ट	129.84	108.60
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- 3 माह से अधिक परिपक्वता के साथ लेखा में जमा	2,090.19	2,395.58
शिफ्टिंग पुर्नवास योजना के अधीन 3 माह से अधिक परिपक्वता अवधि के लिए अधिसूचित बैंकों में जमा	–	–
योग	**4,188.61**	**3,511.86**
वर्ष के दौरान किसी भी समय अनुसूचित बैंक के अलावा बैंक में अधिकतम बकाया राशि	–	–

Note :

1. उधारी गारंटी अन्य प्रतिबद्धता के विरूद्ध मार्जिन मनी या प्रतिभूति के रूप में बैंक में शेष 1106.00 करोड़ है।

2. नकद और बैंक शेष के संबंध में प्रत्यावर्तन बाधा कुछ नहीं।

3. 12 माह से अधिक पूर्णता का बैक डिपोजिट कम्पनी के पास नहीं है।

4. सीसीएल द्वारा जारी बैंक अकाउंट, दो कोर्ट मामलों के, धीसा लाल गोयल वर्सेस सीसीएल, मामला 08/01 और मेसर्स नव शक्ति फुएल्स, क्सेस सीसीएल और ओआरएस, एफ ए नं. 101/2007 और सेक्रेटरी विभाग ऑफ आईटी और इ–गवर्नेन्स, गवर्मेट ऑफ झारखंड, रांची के तहत लिएन सिक्योर्ड वाई डिपोजिट अकाउंट नं. 0404002100045433, 4.10 करोड़ रू. है।

5. *उपभोक्ता के दावे के तहत माननीय हाईकोर्ट कोलकाता के आदेशानुसार 5.02 करोड़ जमा सम्मिलित है।

6. नगद जांच प्रतिवेदन के अनुसार पास में नगद शेष प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।

7. कोयला मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार खदान बंद करने के खर्च के प्रावधान के तहत एस्क्रो अकाउन्ट, शिड्यूल बैंक में खोले गये हैं। कुल एस्क्रो अकाउन्ट बैलेंस 704.66 करोड़ रू. में से 574.82 करोड़ नोट–13 में अन्य नॉन करेंट एसेट के रूप में दिखाया गया है और बचे 129.84 करोड़ रू. कैश और कैश इक्विवेलेंट में दिखाया गया है। 98.62 करोड़ रू., 31.03.2015 तक कुल बैलेन्स एस्क्रो अकाउंट बैलेन्स में सम्मिलित किया गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 18

अल्प अवधि ऋण और अग्रिम

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
ऋण				
अग्रिम				
(वसूली योग्य अग्रिम जो नगद या वस्तु या उसके बराबर मूल्य में प्राप्त होता है)				
आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम				
राजस्व के लिए				
- प्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		–		–
- अप्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		112.83		94.95
- संदेहात्मक		0.55		0.55
		113.38		95.50
घटाव : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान		0.55		0.55
		112.83		94.95
संवैधानिक देय का अग्रिम का भुगतान				
विक्रय कर				
- प्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		–		–
- अप्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		160.82		78.59
- संदेहात्मक		–		–
		160.82		78.59
घटाव : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान		–		–
		160.82		78.59
अग्रिम आयकर/स्रोत से काटा गया कर	2658.49		1399.26	
घटाव : आयकर के लिए प्रावधान	2332.49	326.00	1023.89	375.37
अन्य				
- प्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		–		–
- अप्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		29.60		35.86
- संदेहात्मक		0.37		0.37
		29.97		36.23
घटाव : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान		0.37		0.37
		29.60		35.86
		516.42		489.82
कर्मचारियों के लिए अग्रिम				
- प्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		–		–
- अप्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		87.03		104.77
- संदेहात्मक		–		–
		87.03		104.77
घटाव : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान		–		–
		87.03		104.77

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 18 (जारी...)

अल्प अवधि ऋण और अग्रिम

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य सहायक कंपनियों के साथ चालू लेखा		25.20		–
सहायक कंपनियों के साथ ऋण लेखा		–		–
प्राप्त होने योग्य दावे				
प्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		–		–
अप्रतिभूत जो अच्छा समझा गया हो		113.94		118.32
संदेहात्मक	6.46		–	
घटाव : संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान		6.46		–
		113.94		118.32
पूर्व दत्तय व्यय		–		–
		226.17		223.09
योग		**855.42**		**807.86**

विवरण	इति शेष		अधिकतम राशि देय	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ म)	पिछले वर्ष (₹ करोड़ म)	चालू वर्ष (₹ करोड़ म)	पिछले वर्ष (₹ करोड़ म)
कंपनी द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक भी निदेशक/सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	Nil
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक इच्छुक है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

1. कर्मचारियों को अग्रिम में रूपया 58.17 करोड़ (विगत वर्ष रूपया 87.08 करोड़) वसूली योग्य अग्रिम सम्मिलित है, जो अधिकारियों को अल्पअवधि प्रावधान में दर्शाये गये पीआरपी के प्रावधान के तहत दिया गया था। (टिप्पणी सं. –9)
2. माइन्स बोर्ड, हजारीबाग, अधिसूचना सं. 1308 दि. 29.05.2003 द्वारा 0.5% प्रोफेशनल टैक्स का अधिरोपण किया गया था उसे माननीय हाईकोर्ट झारखंड, रांची ने आदेश क्र. 24.08.2006 द्वारा इसे असंवैधानिक और अधिकार से परे ठहराया गया। माइन्स बोर्ड, हजारीबाग द्वारा अधिरोपित प्रोफेशनल टैक्स की धन वापसी 8.01 करोड़ रू. के लिए कम्पनी उक्त राशि की वापसी के लिए झारखंड सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों से प्रयासरत है पर अबतक कोई उत्तर नहीं मिला है। कम्पनी ने माननीय हाईकोर्ट, रांची, झारखंड में रिट पिटिशन दायर किया है माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने रिट पिटिशन को दि. 25.11.13 में आदेश क्र 15 द्वारा खारिज करके सिविल कोर्ट में मामले को ले जाने के लिए निर्देश दिये और संबंधित क्षेत्र द्वारा मनी सूट फाइल सिविल कोर्ट में किया गया है।
3. रिसिवेबल के दावे में सेनवैट क्रेडिट रिसिवेबल राशि 98.51 करोड़ है जिसके तहत 6.46 करोड़ रू. की प्रावधान ओल्ड से नैवेट क्रेडिट रिसिवेबल के तहत किया गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 19

अन्य चालू परिसंपत्ति

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
उपार्जित ब्याज		
- निवेश	0.20	0.60
- बैंकों में जमा	126.07	97.42
- अन्य	0.39	0.56
	126.66	98.58
पूर्व स्वामी का लेखा	–	–
अन्य अग्रिम	–	–
घटाव : प्रावधान	–	–
	–	–
जमा		
सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार आदि के जमा	5.68	3.31
कोल इंडिया में जमा	–	–
	5.68	3.31
रॉयल्टी सेस और बिक्री कर के लिए जमा	297.80	247.28
घटाव : प्रावधान	40.25	40.25
	257.55	207.03
अन्य	3.09	3.09
घटाव : प्रावधान	0.30	0.30
	2.79	2.79
पूर्व कोल बोर्ड के लिए विनिमय हेतु भारत सरकार से प्राप्य धन	–	–
घटाव : प्रावधान	–	–
प्राप्य योग्य अन्य	221.98	212.54
घटाव : प्रावधान	2.35	0.94
	219.63	211.60
योग	**612.31**	**523.31**

1. अन्य प्राप्तियों में 7.79 करोड़ रू. का वसूली योग्य वैट इनपुट क्रेडिट शामिल है। कुल जमा का बैलेंस 30.57 करोड़ एम/एस डीएलएफ के साथ है।

2. चूंकि कोयला एक्साइजेबल 01.03.2011 से प्रभावित है, रॉयल्टी और एसइडी को अन्य करों में माना गया और ट्रांसेक्शन वैल्यु से निकाला गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज इन्टिलिजेन्स (डी जी सीइ आई), नई दिल्ली ने इसके कारण समन जारी किया और चर्चा की गई। सी आई एल, होल्डिंग कम्पनी जो इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसे यह सलाह दी गई कि ट्रांसेक्शन वैल्यु में रॉयल्टी और एसइडी को सम्मिलित किया जाए और सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी अन्डर प्रोटेस्ट भुगतान किया जाए जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के नौ सदस्य बेंच में यह लम्बित मामला निपट न जाए। इसके अनुसार 85.15 करोड़ रू. अंडर प्रोटेस्ट भुगतान किया गया जो कोयला प्रेषण और वाशरी में उपयोग किया गया और इस कारण उपरोक्त वर्ष में अतिरिक्त बिल 79.95 करोड़ का उठाया गया। शेष राशि 6.40 करोड़ जिसे रियजाइज करना है कैश सेल्स कस्टमर से उसे क्लेम रिसिवेबल सेल्स के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है। माननीय हाईकोर्ट, झारखंड ने निर्णय सीसीएल के पक्ष में दिया है, कैश सेल्स उपभोक्ताओं द्वारा लॉज किये गये मामले के तहत संदर्भ डब्लु. पी (टी) नं. 3087–2013,

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 20

संचालन से राजस्व

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
क	कोयला आदि की बिक्री	13,658.96	11,781.43
	घटाव : उत्पाद शुल्क	692.92	640.55
		12966.04	**11140.88**
	घटाव : अन्य लेवी		
	रॉयल्टी	841.85	836.22
	बालू भराई उत्पाद शुल्क	46.50	44.53
	केन्द्रीय बिक्री कर	163.59	148.24
	स्वच्छ ऊर्जा शेष	1013.10	430.27
	राज्य बिक्री कर/वैट	259.68	206.63
	एमएमडीआर रॉयल्टी 2%	10.14	–
	एमएमडीआर रॉयल्टी 30%	78.81	–
	अन्य लेवी	–	–
	कुल लेवी	**2,413.67**	**1,665.89**
	निकल बिक्री (क)	**10,552.37**	**9,474.99**
ख	कोयला आमदनी से संबंधित व्यय	–	–
	बालू भराई तथा अन्य सुरक्षा संबंधित सबसिडी	0.49	0.35
	लोडिंग तथा अतिरिक्त यातायात खर्चा*	303.69	277.25
	घटाव : उत्पाद शुल्क	16.92	16.45
	घटाव : अन्य लेवी**	6.12	7.82
		280.65	252.98
	अन्य संचालन से राजस्व (ख)	**281.14**	**253.33**
ग	संचालन से राजस्व (क+ख)	**10,833.51**	**9,728.32**

NOTE :

1. बिक्री में ग्राहकों से मिला प्रोत्साहन भी सम्मिलित है।

2. संयुक्त नमूने का एक परिणाम के रूप में, ग्राहकों के बोनस का दावा, को प्रेषण के साल की परवाह किये बगैर बिक्री में भुगतान के वर्ष में हिसाब में लिया गया है।

3. * लदान और अतिरिक्त परिवहन खर्चे बिक्री इन्वॉयस में सम्मिलित है।

4. ** अन्य लेवीज में केन्द्रीय बिक्री कर और जेवीएटी सम्मिलित है।

5. रेत नौभरण और सुरक्षात्मक काम की सब्सिडी को 0.18 करोड़ रूपये का समायोजन करके दिखाया गया है, जो कि वर्ष 2014–15 की अनुमानित प्राप्य में सीसीडीएसी द्वारा कम मंजूर किया गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 21

अन्य आय

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
लंबी अवधि निवेश (व्यवसाय) से आय		
संयुक्त वेंचर से लाभांश	–	–
सरकारी प्रतिभूति (8.5% करमुक्त विशेष बॉन्ड) से प्राप्त ब्याज	–	
चालू निवेश (गैर व्यवसाय से आय)		
म्युचुवेल फंड से लाभांश	30.78	29.93
सहायक कंपनियों से लाभांश	–	–
सरकारी सुरक्षा (8.5% करमुक्त विशेष बॉन्ड) से प्राप्त ब्याज	0.60	1.40
अन्य आय		
ब्याज सकल		
(स्रोत से काटा गया कर ₹28.50 करोड़) (पिछले वर्ष ₹20.88 करोड़)		
बैंकों में जमा	329.98	251.47
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम से	0.35	0.50
आयकर वापसी से	–	–
कोल इंडिया से	1.67	0.87
अन्य	–	–
अपेक्स प्रभार	–	–
संपदा बिक्री पर लाभ	–	–
विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ	–	–
विनिमय दर परिवर्त्तन	–	–
लीज रेट (ग्रास)	4.01	4.01
(स्रोत पर काटा गया ₹0.08 Cr.) (P.Y. ₹0.08 करोड़)		
पिछे लिखी गई देयता	4.23	10.54
सहायक कंपनी से गारंटी शुल्क	–	–
अन्य गैर संचालन आय	92.48	45.49
योग	**464.10**	**344.21**
निम्नलिखित हेतु गैर संचालन आय :		
वसूला गया पेनाल्टी/एलडी	23.87	18.39
रिकवरी साइडिंग प्रभार	16.50	13.13
कर्मचारियों से वसूली	9.89	1.85
अन्य	42.22	12.12
	92.48	45.49

टिप्पणी : बैंको के साथ जमा से ब्याज में एस्क्रो खाते में जमा से ब्याज शामिल है – खदान समापन 53.29 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 35.29 करोड़ रूपये)

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 22

उपभोग किए गए सामान की लागत

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
विस्फोटक	205.80	168.69
लकड़ी	1.13	1.88
पेट्रॉल ल्युब्रिकेंट, ऑयल आदि	331.13	399.50
एचईएमएम स्पेयर्स	155.99	146.39
अन्य उपभोग योग्य सामान और कलपुर्जे	113.80	121.18
योग	**807.85**	**837.64**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **23**

समाप्त सामान, कार्यप्रगति पर और व्यवसाय में भंडार की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
	कोयला/कोक का इति भंडार	1,178.54	1,067.28
	जोड़ : प्रारंभ भंडार का समंजन	–	–
	घटाव : कोयला/कोक में विकृति	–	–
		1,178.54	1,067.28
	घटाव :		
	कोयला का इति भंडार	1,314.27	1,178.54
	कोयले में विकृति	0.65	–
		1,313.62	1,178.54
(क)	कोयले की संपत्ति में परिवर्तन	(135.08)	(111.26)
	वर्कशॉप में निर्मित समाप्त सामान और डब्ल्यूआईपी का प्रारंभिक भंडार	2.70	1.68
	घटाव : प्रावधान	–	–
		2.70	1.68
	घटाव :		
	वर्कशॉप में निर्मित समाप्त सामान और डब्ल्यूआईपी का इति भंडार	3.59	2.70
	घटाव : प्रावधान	–	–
		3.59	2.70
(ख)	वर्कशॉप की संपत्ति सूची में परिवर्तन	(0.89)	(1.02)
	प्रेस प्रारंभिक कार्य		
	(i) समाप्त सामान	0.45	0.72
	(ii) कार्य प्रगति पर	0.52	0.46
		0.97	1.18
	घटाव :		
	प्रेस इति कार्य		
	(i) समाप्त सामान	0.47	0.45
	(ii) कार्य प्रगति पर	0.52	0.52
		0.99	0.97
(ग)	प्रेस कार्य समाप्त सामान और डब्ल्यूआईपी के इति भंडार के संपत्ति सूची में परिवर्तन	(0.02)	0.21
	व्यवसाय भंडार की संपत्ति सूची में कुल परिवर्तन **(क + ख + ग) (कमी/अधिक)**	**(135.99)**	**(112.07)**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 24

कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस और लाभ	2,821.70	2,777.98
अनुग्रह राशि	226.17	197.54
पीआरपी	86.15	71.03
पीएफ और अन्य फंड में योगदान	376.39	366.87
ग्रच्युटी	93.35	101.53
अवकाश नकदीकरण	106.23	168.36
वीआरएस	2.78	2.52
कामगार क्षतिपूर्ति	(0.18)	(0.85)
चिकित्सा व्यय	30.43	29.61
चिकित्सा व्यय पूर्व कर्मचारियों के लिए	10.46	9.81
स्कूल एवं संस्थानों को अनुदान	20.08	21.11
खेल–कूद एवं मनोरंजन	2.17	1.88
कैंटीन एवं शिशुगृह	0.31	0.31
बिजली और टाउनशिप	108.55	93.18
बस, एम्बुलेंस आदि का किराया	5.98	6.07
अन्य कर्मचारी लाभ	54.12	50.24
योग	**3,944.69**	**3,897.19**
अन्य कर्मचारी लाभ का विवरण		
एलटीसी/एलएलटीसी	17.26	9.84
एलसीएस	3.44	5.63
गृह भत्ता	20.91	21.44
गैस की अदायगी	11.54	12.36
अन्य	0.97	0.97
	54.12	**50.24**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **25**

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित व्यय

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित व्यय	212.79	48.87
योग	**212.79**	**48.87**

कुल राशि कंपनी को खर्चा करना चाहिए वर्ष के दौरान– ₹ 53.00 करोड़

वर्ष के दौरान किए गए सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित ब्यौरा–

	विवरण	कैश में	कैश में व्यय करना है	योग
(i)	परिसंपत्ति की निर्माण तथा अधिग्रहण	170.84	23.70	194.54
(ii)	अन्य	17.42	0.83	18.25
	योग	**188.26**	**24.53**	**212.79**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 26

मरम्मत

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
भवन	131.76	107.36
संयंत्र एवं मशीनरी	84.12	92.32
अन्य	18.24	20.22
योग	**234.12**	**219.90**
अन्य का विवरण :		
सड़क और पुलिया	7.02	15.52
भारी वाहन	2.57	2.26
कार एवं जीप	0.68	0.99
अन्य	7.97	1.45
	18.24	**20.22**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 27

संविदात्मक व्यय

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
परिवहन प्रभार :		
— बालू	0.45	0.33
— कोयला एवं कोक	295.11	232.76
— भंडार और अन्य आदि	0.56	0.50
वैगन लोडिंग	24.16	27.20
संयंत्र और मशीनरी का किराया	732.93	590.73
अन्य संविदात्मक कार्य	104.44	95.54
योग	**1,157.65**	**947.06**
अन्य संविदात्मक कार्य का विवरण :		
अन्य संविदात्मक व्यय	53.49	45.34
विविध खनन कार्य	50.84	50.16
अन्य	0.11	0.04
	104.44	**95.54**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 28

वित्तीय लागत

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
ब्याज व्यय		
आस्थगित भुगतान	–	–
बैंक ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट	–	–
आईबीआरडी और जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	–	–
सीआईएल फंड ऋण पर ब्याज	–	–
सहायक कंपनियों को ब्याज	–	–
अन्य	12.38	1.08
योग (क)	**12.38**	**1.08**
अन्य उधारी लागत		
ऋण (आइबीआरडी और जेबीआइसी) पर गारंटी शील्क ऋण	–	–
अन्य व्यय/बैंक प्रभार	–	–
योग (ख)	**–**	**–**
योग (क+ख)	**12.38**	**1.08**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 29

प्रावधान

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
(क)	निम्नलिखित के लिए प्रावधान :		
	संदेहात्मक ऋण	259.65	75.05
	संदेहात्मक अग्रिम और दावा	7.97	–
	विदेशी मुद्रा विनिमय	–	–
	भंडार और कलपुर्जे	0.26	1.78
	भूमि और कलपुर्जे	165.42	137.01
	भूमि भराई/खदान बंदी व्यय	37.97	–
	सर्वेड ऑफ स्थाई परिसंपत्ति/पूंजी डब्लयूआईपी	–	–
	योग (क)	**471.27**	**213.84**
(ख)	प्रावधान हटाया गया		
	संदेहात्मक ऋण	93.62	115.45
	संदेहात्मक अग्रिम और दावा	–	0.58
	विदेशी मुद्रा विनिमय	–	–
	भंडार और कलपुर्जे	–	–
	भूमि भराई/खदान बंदी व्यय	–	–
	सर्वेड ऑफ स्थाई परिसंपत्ति/पूंजी डब्लयूआइपी	–	–
	अन्य	–	–
	योग (ख) **93.62**	**116.03**	
	योग (क – ख)	**377.65**	**97.81**

टिप्पणी - 30

बट्टा खाता

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
संदेहात्मक ऋण	92.73	73.17
संदेहात्मक अग्रिम	–	–
अन्य	–	–
योग	**92.73**	**73.17**

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 31

अन्य व्यय

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
यात्रा व्यय		
– घरेलू	23.47	25.87
– विदेशी	0.09	0.02
प्रशिक्षण व्यय	4.59	3.85
टेलिफोन और पोस्टेज	2.73	2.43
विज्ञापन और प्रचार	5.84	6.56
भाड़ा प्रभार	0.31	0.65
विलम्ब शुल्क	9.86	12.72
दान/योगदान	–	–
प्रतिभूति व्यय	120.58	105.51
सीआईएल का सेवा प्रभार	30.77	27.82
किराया प्रभार	43.09	41.33
सीएमपीडीआई व्यय	38.68	21.22
विधि व्यय	4.20	5.74
बैंक प्रभार	0.23	0.35
अतिथि गृह व्यय	0.50	0.60
परामर्श प्रभार	4.15	3.28
अंडर लोडिंग प्रभार	144.52	96.57
बिक्री/छटाई/सर्वेड ऑफ संपत्ति पर हानि	0.68	1.90
लेखा परिक्षकों का पारिश्रमिक और व्यय		
– लेखा परीक्षण शुल्क	0.14	0.15
– कराधान मामले	–	–
– कंपनी के विधिक मामले	–	–
– प्रबंध सेवा	–	–
– अन्य सेवा	0.15	0.11
– व्यय की प्रतिभूति	0.11	0.13
आन्तरिक लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय	2.51	2.12
पर्नवास प्रभार	35.76	33.21
रॉयल्टी एस.ई.डी. और सी.ई.सेस	513.05	270.51
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	25.45	7.24
भाड़ा	0.94	0.81

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - **31**(जारी...)

अन्य व्यय

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*	31.03.2015 को समाप्त वर्ष *(₹ करोड़ में)*
दर और कर	2.33	1.18
बीमा	0.79	0.72
विनिमय दर परिवर्तन पर हानि	–	–
लीज रेन्ट	–	–
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.63	3.22
डीड रेन्ट/सर्फेस रेन्ट	0.18	0.03
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	11.60	7.85
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.01	0.01
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	5.62	4.74
अनुसंधान और विकास व्यय	0.95	10.40
विविध व्यय	39.22	43.61
योग	**1,075.73**	**742.46**

1. कोयले मंत्रालय के निर्णयानुसार पुनर्वसन शुल्क, 35.76 करोड़ (प्रतिवर्ष 33.21 करोड़ रू.) पुनर्वसन व्यय के रूप में डेबिट किया गया जिसके आधार पर सीआईएल से डेबिट मेमो प्राप्त हुआ है जो पुनर्वसन और शिपिटंग के कार्रवाई योजना के लागू करने के लिए फंड के मोबलाइजेशन, ईसीएल और बीसीसीएल के आग और अस्थित करने के हैं।

2. 30.77 करोड़ रू. (गत वर्ष 27.82 करोड़ रू.) का सर्विस चार्ज होल्डिंग कंपनी सीआईएल द्वारा लेवी किया गया है जो @ 5 ₹ प्रति टन कोयला उत्पादन पर है जिससे विभिन्न सेवाएं जैसे कब्जा करना, बाजारीकरण, निगमित सेवाएं आदि की जाती है जो आपसी समझौते पर आधारित है। इन्हें वित्तीय प्रतिवेदन में लिया गया है।

3. आई आई सी एम चार्ज 3.07 करोड़ (गत वर्ष 2.78 करोड़ रू.) होल्डिंग कंपनी द्वारा लेवी किया गया है जो कम्पनी के प्रति टन कोयला उत्पादन पर 0.50 रू. है, इसे वित्तीय प्रतिवेदन में लिया गया है।

4. सीएमपीडीआईएल के एमओयु पर आधारित दावे/बिल पिछले वर्षों का उसमें अंतर और अंतिम बिल/दावे/, जो 2016 मार्च तक के प्राप्त दावे/बिल के तहत हैं, वर्तमान वर्ष के व्यय में लिए गये हैं।

5. क्षति पर नेट–ऑफ एल बी चार्जेस ग्राहकों से लिया गया/लिया जाना है।

6. क्लोसिंग स्टॉक पर एक्साइज ड्यूटी उसके आकलित मूल्य पर आधारित है, हालांकि, कम्पनी की अकाउंटिंग नीनियों के अनुसार कोयला, कोक आदि पर क्लोजिंग स्टॉक आदि का मूल्य नेट रियलाइजेबल मूल्य या मूल्य दोनों में जो कम है, उस पर होना चाहिए।

7. सीआईएल के सलाह के अनुसार पूर्ण हुई परियोजना पर शोध एवं विकास के व्यय 0.95 करोड़ रू. लाभ और हानि के स्टेटमेंट में लिया गया है।

31 मार्च 2016 को विद्यमान तुलन पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 32
पूर्व अवधि समायोजन

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
(क)	व्यय		
	कोयला और कोक की बिक्री	45.26	23.67
	कोयला और कोक का भंडार	–	–
	अन्य आय	–	0.26
	भंडार और कलपुर्जों की खपत	–	0.34
	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	21.80	0.86
	ऊर्जा और ईंधन	1.86	–
	कल्याण व्यय	1.67	1.28
	मरम्मत	–	–
	संविदात्मक व्यय	–	2.42
	अन्य आय	–	3.65
	ब्याज और अन्य वित्तीय प्रभार	–	–
	अवमुल्यन	–	15.52
	योग (क)	**70.59**	**48.00**
(ख)	आय		
	कोयला और कोक की बिक्री	–	–
	कोयला और कोक का भंडार	–	–
	अन्य आय	2.47	–
	भंडार और कलपुर्जों की खपत	0.54	–
	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	–	–
	ऊर्जा और ईंधन	—	13.14
	कल्याण व्यय	–	–
	मरम्मत	–	1.75
	संविदात्मक व्यय	13.03	–
	अन्य व्यय	44.69	–
	ब्याज और अन्य वित्तीय प्रभार	–	–
	अवमूल्यन	4.76	–
	योग (बी)	**65.49**	**14.89**
	योग (क – ख)	**5.10**	**33.11**

टिप्पणी - 33

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

1.0 लेखा विधि परम्परा

ऐतिहासिक लागत-परम्परा तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा विधि सिद्धान्त और कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन अधिसूचित लेखा विधि मानकों के अनुसार लेखा के एक्रुअल आधार और संबंधित अवधारणा के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

1.1 एस्टीमेट का उपयोग

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुति भारत में लागू लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया गया है, जिसमें प्रबंधन अपनी मूल्यांकन घोषित परिसम्पत्तियों तथा देनदारी एवं प्रासंगिक देनदारी की घोषणा वित्तीय विवरण की तिथि तक तथा राजस्व की कमाई एवं व्यय दर्शाया गया है। किसी एस्टीमेट का फेर-बदल उसी अवधि में किया गया है।

2.0 सरकार से परिदान/अनुदान

2.1 संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत से पूंजी लेखा पर परिदान/अनुदान की कटौती की गई है। तुलन पत्र के आंकड़ों में व्यय न किया गया धन, यदि कोई है, चालू देयता में दर्शाया गया है।

2.2 राजस्व खाते में सब्सिडी/ग्राण्ट को लाभ और हानि लेखा विवरण में आय के तौर पर क्रेडिट किया गया है तथा सम्बन्धित व्यय को उसके प्रासंगिक खाते से डेबिट की गई है। राशि जिसकी व्यय नहीं हुआ है उसे वर्तमान देनदारी में दिखाया गया है।

2.3 क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में प्राप्त सरकार से परिदान/अनुदान

2.3.1 क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में एस एण्ड टी, पी आर ई, ई एम एस सी, सी सी डी ए आदि के अधीन प्राप्त कुछ अनुदान/फण्ड का उपयोग परिसम्पत्ति के निर्माण में किया गया है। उसे पूंजी संचय के रूप में माना गया तथा उसके मूल्य ह्रास को पूंजी संचय लेखा में डेविट किया गया। अनुदान से निर्मित परिसम्पत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास है जिससे अनुदान प्राप्त हुआ।

2.3.2. नोडल/क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में प्राप्त अनुदान/फण्ड को लेखा में प्राप्ति और वितरण के आधार पर लिया गया है।

3.0 अचल परिसम्पत्ति

3.1 भूमि

भूमि मूल्य में अधिग्रहण का खर्च पुनर्वास की खर्चा तथा नौकरी के बदले क्षतिपूर्ति शामिल है।

3.2 संयंत्र एवं मशीनरी

संयंत्र एवं मशीनरी में उत्थापन/स्थापना के सम्बन्ध में आई लागत एवं खर्चों के साथ-साथ वैसी लागत, जो उन परिसम्पत्तियों को अपेक्षानुसार चालू करने तथा उन्हें अच्छी हालत में रखने हेतु जरूरी थी, शामिल हैं।

3.3 रेलवे साइडिंग

प्रारम्भ होना लंबित होने पर रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु रेलवे प्राधिकारियों को किया गया भुगतान पूंजी हेतु अग्रिम के अधीन 'लम्बी अवधि ऋण और अग्रिम' टिप्पणी-12 में दर्शाया गया है।

3.4 विकास

परियोजना/विकासाधीन खदानों से सम्बन्धित निबल आय-व्यय को लेखा-बही में प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के तहत दर्ज कर उसे राजस्व लेखा में अंतरित किया गया है। केवल परियोजना रिपोर्ट में परियोजना की उत्पादन की स्थिति, उससे सम्भावित उत्पादन के निर्धारण एवं निर्माण-अवधि के दौरान उसके निर्माण-कार्यों की प्रगति के बारे में अन्यथा या किसी भी रूप में किए गए विशेष उल्लेख को छोड़कर विकासाधीन परियोजनाओं/खदानों को राजस्व में लाया गया है।

(क) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में वर्ष के तुरंत बाद, जिसमें अनुमोदित परियोजना, प्रतिवेदन के अनुसार 25 प्रतिशत निर्धारितक्षमता से भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या

(ख) कोयले को छूने/प्राप्त होने के दो वर्ष या

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, जिसमें उत्पादन मूल्य कुल व्यय से अधिक है

(जो भी पहले हो)।

3.5 लीज़

3.5.1 लीज़ ऑपरेटिंग

(i) पूंजीकृत परिसम्पतियाँ लीज़ पर दिये गये हैं एवं मूल्यह्रास नीति के अनुसार मूल्य घटाया जाता है। लीज़ रेंटल प्राप्ति की पहचान लीज़ की अवधि से अधिक आय से की गई।

(ii) लीज़ के पट्टे पर ले लिये गये सम्पत्ति के भुगतान के लिए भुगतान किराये पट्टे की अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं।

3.5.2 वित्त लीज़

(i) वित्त पट्टे पर लिया गया परिसम्पत्तियों के निचले उचित मूल्य पर पूंजीकृत कर रहे हैं एवं वर्तमान मूल्य के कम-से-कम पर लीज़ की भुगतान कर रहे हैं।

राशि के पट्टे देनदारियों के रूप में दिखाया पूंजीकृत राशि के बराबर है।

पट्टे के किराये में प्रमुख घटक लीज़ देनदारियों के विरूद्ध निकाला जाता है ब्याज घटक लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय खर्च के रूप में चार्ज किया गया है।

परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास नीति के आकार मूल्य घटाया जाता है। अगर लीज़ परिसम्पत्तियों को पट्टादाता को वापस लीज़ अवधि के समाप्त होने पर उपयोगी जीवन में पुरा खर्च का मूल्य घटा दिया जाना अथवा लीज़ अवधि जो कम हो।

(ii) परिसम्पत्तियाँ जो वित्तीय लीज़ में दिये गये हैं, उसे लीज़ प्राप्तियों में दर्शाया गया है, लीज़ परिसम्पत्तियों में सकल लागत के बराबर की राशि होगी। पट्टे की प्राप्ति के प्रमुख घटक बकाया के विरूद्ध समायोजित कर रहे हैं एवं ब्याज आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

4.0 पूर्वेक्षण और बोरिंग तथा अन्य विकास खर्च

अन्वेषण और अन्य विकास लागत व्यय जो पंच वर्षीय योजना की अवधि में हुआ है उसे प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अधीन अगले दो पंच वर्षीय योजना अवधि के अंत तक के लिए रखा गया है ताकि बाहरी एजेन्सियों को बेचे जाने वाले ब्लाकों या इसे बट्टे खाते में डालने के पूर्व के व्यय को छोड़कर, अन्य परियोजनाओं को चालू किया जा सके। ऐसे मामले में हुए व्यय को सम्पत्ति सूची के अधीन बिक्री होने तक रखा जाएगा।

5.0 निवेश

चालू निवेश का मूल्यांकन न्यूनतम लागत और सही मूल्य पर किया गया है। मेच्यूअल फण्ड में किये गये निवेश को चालू निवेश के रूप में लिया गया है।

जो निवेश चालू नहीं है उन्हें मूल्य में लिया गया है। हालांकि जब लम्बी अवधि के लिए किये गये निवेश में अस्थाई को छोड़कर कमी है, राशि को कम करके कमीं दिखाई गई है।

6.0 वस्तुसूची (इन्वेन्ट्री)

6.1 जहाँ अंकित स्टॉक और भौतिक रुप से सत्यापित कोयला स्टॉक में +/-5% तक का अन्तर होता है, वहाँ उसे अंकित कोयला, को इत्यादि के स्टॉक के रुप में लिया जाता है और जहाँ यह अंतर +/-5% तक से अधिक का आता है, वहाँ उसे भौतिक रुप से सत्यापित स्टॉक के रुप में लिया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत खर्चे, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

6.1.1 कोयला और कोक फाईन का मूल्यांकन न्यूनतम लागत या निवल वसूली मूल्य पर किया गया है।

6.1.2 स्लरी (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरी का मिडलिंग तथा सह उत्पाद का मूल्यांकन निवल वसूली मूल्य पर किया गया है।

6.2 स्टोर एण्ड स्पेयर

6.2.1 स्टोर और स्पेयर पार्ट के इति भंडार को लेखा में सेन्ट्रल स्टोर में दिखाये गये शेष तथा कोलियरी/यूनिट में पड़े हुए स्टोर की प्रत्यक्ष जांच के आधार पर लिया गया है।

6.2.2 सेन्ट्रल और एरिया स्टोर के स्टोर और स्पेयर पार्ट के स्टॉक (लूज़ टूल्स के सहित) का मूल्यांकन मापित औसत पद्धति के आधार पर की गई गणना के अनुसार किया गया है। कोलियरी/सब स्टोर/ड्रिलिंग कैम्प/खपत केन्द्र में पड़े हुए स्टोर की वर्षान्त सम्पत्ति सूची, प्रारम्भ में चार्जअप की गई, का मूल्यांकन क्षेत्रीय भंडार के जारी मूल्य, लागत/अनुमानित लागत के आधार पर किया गया है। वर्कशाप कार्य जिसमें कार्य प्रगति पर भी सम्मिलित है का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया है। प्रिंटींग प्रेस में स्टेशनरी का भण्डार तथा सेन्ट्रल हॉस्पीटल में दवाइयों की मूल्यांकन उसकी लागत पर की गई है।

6.2.3 सम्पत्ति सूची में स्टेशनरी का स्टॉक (प्रिन्टिंग प्रेस में पड़े हुए सामान के अलावा) ईट, रेत और दवाइयाँ (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़कर) को भण्डार में नहीं लिया गया है।

6.2.4 अव्यवहृत, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी भण्डारण का प्रावधान शत प्रतिशत दर पर रखा गया है एवं स्टोर एवं स्पेयर्स जिनका उपयोग पाँच साल या उससे अधिक नहीं हुआ है उसका प्रावधान पचास प्रतिशत की दर से रखा गया है।

7.0 अवक्षयण

7.1 स्थाई परिसम्पत्ति का अवक्षयण स्ट्रेट लाइन विधि से किया गया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के शिड्यूल - II में वर्णित है। सिर्फ वे परिसम्पत्तियाँ जो निम्नलिखित हैं, जिनका अवक्षयण उनके तकनीकी रूप में परिमापित कारगर अवधि कम्पनी अधिनियम, 2013 के शिड्यूल - II से कम हैं ताकि इनकी सही आकलन की जाए।

दूर संचार उपकरण	—	6 वर्ष और 9 वर्ष
फोटो कॉपी मशीन	—	4 वर्ष
फैक्स मशीन	—	3 वर्ष
मोबाइल फोन	—	3 वर्ष
कॉर्डलेस फोन	—	3 वर्ष
प्रिंटर और स्कैनर	—	3 वर्ष
अर्थ साइन्स म्यूजियम	—	19 वर्ष
हाई वॉल्यूम रेस्पिरेटरी डस्ट सैंपलर्स	—	3 वर्ष
कतिपय उपकरण / एचईएमएम		
(क) हाइड्रॉलिक शॉवेल	—	7 वर्ष
(ख) डम्पर (35 टी तक)	—	6 वर्ष
(ग) डम्पर (50 टी तक)	—	7 वर्ष
(घ) बी. एच. ड्रिल < 160 एमएम	—	7 वर्ष
एसडीएल (उपकरण)	—	5 वर्ष
एलएचडी (उपकरण)	—	6 वर्ष

7.2 सारी परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट मूल्य उसकी लागत की पाँच प्रतिशत रखा गया है, सिवाय उन परिसम्पत्तियों का जो पैरा 7.3 में वर्णित हैं।

7.3 सम्पत्ति जैसे कोल टब, वाइण्डिंग रोप्स, हॉलेज रोप्स, स्टोविंग पाइप्स और सुरक्षा लैम्प्स की तकनीकी आकलन द्वारा उपयोगी जीवनकाल एक वर्ष निर्धारित की गई है जिसका बचा हुआ मूल्य शून्य है।

7.4 वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियाँ जो कि जोड़े या हटाए गए हैं, इनकी अवक्षयण यथानुपात की जाएगी। सिर्फ उन्हीं परिसम्पत्तियों का जिसकी कारगर जीवन एक वर्ष है तथा अवशिष्ट मूल्य है शून्य है जो पैरा 7.3 में वर्णित है जिनकी पूर्ण अवक्षयण वर्ष के दौरान हो जाता है। इन परिसम्पत्तियों को दो वर्ष पूरा होने पर परिसम्पत्ति सूची से हटाया जाता है।

7.5 सीबीए, 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण पर व्यय का अवक्षयण परियोजना की शेष अवधि पर की जाती है। लीज़ होल्ड लैण्ड का व्यय का अवक्षयण प्रोजेक्ट के शेष अवधि या लीज़ की अवधि जो भी कम हो, उसपर किया जाता है।

7.6 पूर्वेक्षण और बेधन/विकास की खर्चा का अवक्षयण खदान के उपार्जन अवधि के दौरान बीस साल या उसके कार्यकारी अवधि जो भी कम हो, उसपर किया जाता है।

7.7 अमूर्त परिसम्पत्तियाँ जैसे सॉफ्टवेयर पर लागत का अवक्षयण स्ट्रेट लाइन विधि से तीन वर्ष या उसकी कानूनी अधिकार अवधि जो भी कम हो, उसपर की जाती है। इस अवधि के बाद इसका अवशिष्ट मूल्य शून्य हो जाता है।

8.0 परिसम्पत्ति का हानिकरण

जहाँ किसी सम्पत्ति का मूल्य अपने वसूली योग्य धन से अधिक है, उसे हानिकरण के रूप में समझा गया है तथा लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में माना गया है तथा इसके मूल्य को इसके वसूली योग्य धन से घटा दिया गया है।

पूर्व अवधि की हानि का अभिलेख उस समय किया गया जब यह आभास हुआ कि यह हानि उस सम्पत्ति से हुई जो अधिक दिन तक नहीं रहने वाली है या उसमें अववृद्धि हुई है।

9.0 विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा में लेन-देन, विदेशी मुद्रा लेन-देन की तारीख पर लागू दरों पर दर्ज की गई है।

समीक्षाधीन अवधि के अन्त में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक मद (नगद, प्राप्तियाँ, देनदारियाँ आदि), विनिमय समीक्षाधीन अवधि के अन्त में प्रचलित दर से लेखांकित किया गया है।

विदेशी मुद्रा में दर्शाये गये गैर-मौद्रिक रकम (निवेश के रूप में, अचल सम्पत्ति आदि) लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर लेखांकित है।

मौद्रिक मद के निपटान पर या, अवधि के दौरान दर्ज किये गये दर या पिछले वित्तीय लेखा में प्रयुक्त दर के अलावे अलग दर के कारण उत्पन्न होने वाली विनिमय अन्तर को आय या व्यय के रूप में माना गया है।

अन्तर्निहित विदेशी मुद्रा, जो कि भविष्य में निपटान हेतू क्रॉस मुद्रा स्वैप विकल्प अनुबंध के तहत है, तुलन-पत्र की तिथि पर प्रचलित दर पर लेखांकित किए गए हैं।

10.0 कर्मचारी लाभ

10.1 अल्प अवधि लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी लाभों को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें उन्हें लिया गया है।

10.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य लम्बी अवधि कर्मचारी लाभ

(क) परिभाषित योगदान योजना

कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि और पेंसन निधि के भुगतान हेतु योगदान योजना परिभाषित किया है। इस भविष्य निधि और पेंसन निधि का संचालन सीएमपीएफ प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के नियमों के अनुसार कम्पनी द्वारा सीएमपीएफ ऑथरिटी को वेतन लागत का निर्धारण प्रतिशत योगदान करना अपेक्षित है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना

तुलन पत्र में ग्रेच्यूटी और अवकाश नगदीकरण की देयता प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथर्ड के आधार पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार प्रदान की गई है। कम्पनी ने एलआईसी ऑफ इण्डिया के माध्यम से ग्रुप ग्रेच्यूटी स्कीम की स्थापना के संबंध में एक ट्रस्ट का निर्माण किया है। एक्चुरल मूल्यांकन के आधार पर उक्त फण्ड में योगदान किया जाता है।

(ग) अन्य कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अन्य लाभ जैसे - एलटीए/एलटीसी/लाईफ कवर स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेन्ट इंस्योरेन्स स्कीम, सेट्लमेन्ट भत्ता, सेवा निवृत अधिकारियों हेतु चिकित्सा लाभ योजना तथा खदान में हुई दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति आदि हेतु दिये गये लाभ का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथर्ड द्वारा वास्तविक आधार पर किया गया है।

11.0 रेवन्यू (राजस्व) व्यय की मान्यता

11.1 बिक्री

(क) जब सम्पत्ति रिस्क और ऑनरशीप के रिवार्ड के साथ खरीददार को अंतरित की जाती है तो बिक्री के संबंध में राजस्व को मान्यता दी गई और उसके रियेलाइजेबिलिटी में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चयता नहीं है।

(ख) कोयले की बिक्री निवल सांविधिक देयता है तथा कोयले की गुणवत्ता के मद में उपभोक्ता द्वारा की गई कटौती को स्वीकृत किया गया है।

11.2 ब्याज

ब्याज आय लागू दर और समयानुपात के आधार पर खाता की शेष राशि पर गणना की गई है।

11.3 लाभांश

लाभांश आय को मान्यता तब दी गई है जब प्राप्त होना स्थापित हो गया है।

11.4 अन्य दावा

अन्य दावा (ग्राहकों से ब्याज की देरी से प्राप्ति) के लिए हिसाब किया गया है, जब निश्चितता नहीं है कि दावा वसूली योग्य है।

11.5 कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी सीएमपीडीआईएल द्वारा कन्सल्टेन्ट सर्विसेज़ से आय

कन्सल्टेन्ट सर्विसेज़ से उत्पन्न रेवेन्यु खोज, खनन योजना / प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पर्यावरण योजना एवं अन्य इंजीनियरिंग सर्विसेज़ प्राइसिंग फॉर्मूला पर आधारित ग्राहकों की विभिन्न श्रेणी के लिए अपनाया गया है। होल्डिंग कम्पनी के लिए सेवाएँ एवं अन्य अनुषंगी में कीमत की एकरूपता, पी एण्ड डी हेतू 10% लागत प्लस सर्विस चार्ज एवं विभागीय ड्रिलिंग सर्विसेज़ हेतू 7.5%, आउट सोर्सिंग एजेन्सी के द्वारा चार्ज रेन्ज 7.5% ड्रिलिंग सर्विसेज़ हेतु प्रदर्शित किया जाता है। सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) रेट 90% पर पर्यावरण निगरानी का कार्य किया जाता है।

12.0 उधारी लागत

अधिग्रहण या परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु सीधे लगी हुई उधारी लागत को पूंजीकृत किया गया है। क्वालिफाइंग एसेट्स वह होता है जो काफी समय में इन्टेन्डेट उपयोग के लिए तैयार होता है। अन्य उधारी लागत को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है जिस अवधि में व्यय हुआ है।

13.0 कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आयकर का प्रावधान किया गया है। आस्थगित कर देयता और सम्पत्ति को मान्यता आनुपातिक कर दर आय-व्यय चिट्ठा की तिथि के अनुसार दी गई है बशर्ते कि समय भिन्नता, कर योग्य आय और लेखा आय के बीच होने वाली भिन्नता जो एक ही अवधि में होती हो तथा जो उसी अवधि या बाद की अवधि में विपर्यय के योग्य हो पर विचार किया गया है।

14.0 प्रावधान आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

वर्तमान उत्तरदायित्व के कारण प्रतिष्ठान के लिए प्रावधान को मान्यता दी गई है फलस्वरूप पिछली घटनाओं के अनुसार यह संभव है कि संसाधनों के आर्थिक लाभ की आवश्यकता उत्तरादायित्व को निभाने में लगे। इसके संबंध में एक विश्वसनीय प्राकलन किया जा सकता है। प्रावधान को वर्तमान मूल्य में गणना किया गया है तथा इसका निर्धारण उत्तरदायित्व के निर्वाह में आवश्यक प्राक्कलन के आधार पर किया गया है।

आकस्मिक देयता एक संभावित उत्तरादायित्व है जो कभी भी आ सकता है तथा जिसकी पुष्टि तभी की जा सकती है जब भविष्य में कुछ घटनाएं हो जाती है और पूर्णतया प्रतिष्ठान के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान उत्तरादायित्व जो पिछली घटनाओं से आ सकता है किन्तु इसे जाना नहीं जा सकता क्योंकि यह संभव नहीं है कि यह पता लगाया जा सके कि उत्तरदायित्व को निपटाने में संसाधन और आर्थिक लाभ आवश्यक होगा या धन का वास्तविक प्राक्कलन नहीं किया जा सकेगा।

आकस्मिक देयता का प्रावधान लेखा में नहीं किया गया है तथा टिप्पणी के माध्यम से इसे प्रकट किया गया है।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में न ही मान्यता दी गई है न ही खुलासा किया गया है।

15.0 प्रति शेयर आय

बेसिक प्रति शेयर लाभांश आय से गणना के द्वारा सकल लाभ कर के बाद विभाजित कर इक्विटी शेयर का वेटेज औसत संख्या की अवधि के दौरान शेष था। प्रति शेयर आय के मिश्रण करने के बाद विभाजित करके गणना के द्वारा वेटेज औसत संख्या इक्विटी शेयर का प्रति शेयर आय बुनियादी और सभी वेटेज इक्विीटी शेयर की संख्या, सभी सम्भावित इक्विटी शेयर रूपान्तर पर जारी किया जा सकता था।

16.0 अधिभार निष्काषन व्यय

एक मिलियन टन और अधिक प्रति वर्ष रेटेड क्षमता वाली ओपेन कास्ट खदान में ओबीआर की लागत तकनीकी आधार पर मूल्यांकन औसत अनुपात (कोल:ओबी) के आधार पर प्रभारित किया गया है साथ ही एडभान्स स्ट्रिपिंग और अनुपात भिन्नता के लिए समायोजन राजस्व में लाया गया है। तुलन पत्र एडभान्स स्ट्रिपिंग और अनुपात भिन्नता का निवल शेष ओबी निष्काषन के लागत के रूप में गैर चालू परिसम्पत्ति/लम्बी अवधि प्रावधान, जैसा मामला हो, शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है।

अभिलेख के अनुसार ओवर वर्डेन की मात्रा को ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना करने हेतु किया गया है जहाँ रिपोर्ट की हुई मात्रा और मापित मात्रा के बीच पाई गई भिन्नता दो वैकल्पिक अनुज्ञेय सीमा के निम्नतर स्तर पर हो जिसका विवरण निम्न है-

खदान के ओ.बी.आर. की मात्रा (वार्षिक)	स्वीकृत अन्तर की मान्य सीमा (जो भी कम हो)	
	I	II
	प्रतिशत	मात्रा (मि.घन मी. में)
1 मि. घन. मी. से कम	+/-5 %	0.03
1 से 5 मि. घन मी. तक	+/-3 %	0.20
5 मि. घन मी. से अधिक	+/-2 %	शून्य

हालाँकि जहाँ भिन्नता अनुज्ञेय सीमा से अधिक है वहाँ मात्रा पर विचार किया गया है।

17. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से सम्बन्धित आय/व्यय मदों, जो हर मामले में रु. 0.10 करोड़ से अधिक नहीं हैं, को चालू वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में माना गया है।

टिप्पणी - 34

वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी

1. आकस्मिक देयता/पूँजी प्रतिबद्धता

1.1 आकस्मिक देयता, जिसे वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है, का ब्यौरा निम्न है :

	विवरण			प्रतिवाद के अधीन भुगतान तथा अन्य चालू परिसम्पत्ति के अधीन दर्शाया गया (टिप्पणी-19)	
		2015-16 (₹ करोड़ में)	2014-15 (₹ करोड़ में)	2015-16 (₹ करोड़ में)	2014-15 (₹ करोड़ में)
1.	**केन्द्रीय सरकार विभाग**				
	आय कर	615.46	570.31	383.80	383.80
	एक्साइज एवं सेवा कर	101.66	97.48	0.00	0.00
	उप योग	**717.12**	**667.79**	**383.80**	**383.80**
2.	**राज्य सरकार विभाग**				
	विक्री कर / बिजली शुल्क सहित वीएटी	1386.86 (इसके विरूद्ध रु. 32.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है)	1098.92	264.99	214.69
	प्रविष्टि कर	25.00	25.00	0.00	0.00
	रॉयल्टी	536.28 (इसके विरूद्ध रु. 8.02 करोड़ का प्रावधान किया गया)	537.01	32.80	32.59
	माडा	229.49	183.48	0.00	0.00
	उप योग	**2177.63**	**1844.41**	**297.79**	**247.28**
3.	**सीपीएसईएस**	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.	**अन्य**	734.30	1082.69	9.98*	9.98*
	उप योग	**734.30**	**1082.69**	**9.98**	**9.98**
	कुल योग	**3629.06**	**3594.89**	**691.57**	**641.06**

* अप्रतिभूति के तहत (टिप्पणी - 12) में दर्शाया गया को अच्छा माना गया।

विरोध के तहत जमा किया गया मिलान टिप्पणी - 19 में मामलों की सूची के तहत जो जमा प्रगति में है उन्हें विरोध के साथ जमा किये गये हैं।

31.03.2016 तक वैध साख पत्र 21.97 करोड़ रु. है (पिछले वर्ष 16.14 करोड़ रु.)।

1.2 **पूँजी प्रतिबद्धता**

संविदा का अनुमानित धन जिसका निष्पादन पूँजी लेखा में किया जाना है तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निबल) वह 31.03.2016 तक 115.66 करोड़ रु. है (पिछले वर्ष 68.38 करोड़ रु.)।

1.3 **अन्य प्रतिबद्धता**

अन्य प्रतिबद्धता (राजस्व) का अनुमानित धन जिसका निष्पादन किया जाना है तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है वह 3547.50 करोड़ रु. है (पिछले वर्ष 1668.34 करोड़ रु.)।

2. दीर्घकालीन प्रावधान

ग्रैच्यूटी योजना के संबंध में देयता का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र में एक्चुरल मूल्यांकन के आधार पर किया गया। 01.04.2015 को ग्रेच्यूटी की प्रारम्भिक देयता 135.79 करोड़ रु. थी। वर्ष 2015-16 के लिए इन्क्रीमेन्टल ग्रेच्यूटी के प्रति देयता 86.38 करोड़ रु. है (रु. 9.45 करोड़ डेथ प्रीमियम सम्मिलित)। कम्पनी ने 2015-16 के दौरान 9.45 करोड़ रु. का योगदान डेथ प्रीमियम के लिए किया। ग्रेच्यूटी के लिए देयता का इतिशेष 212.72 करोड़ रु. है (रु. 34.51 करोड़ ग्रेच्युटी ट्रस्ट से दावा प्राप्ति सम्मिलित)। ट्रस्ट को दिये गये योगदान की व्यवस्था ट्रस्टियों ने किया तथा इस योगदान का निवेश लाईफ इन्स्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के साथ इम्पलाईज ग्रुप ग्रेच्यूटी कैश एक्युमुलेशन स्कीम में किया। निम्नलिखित तालिका में ग्रेच्यूटी प्लान तथा 31 मार्च, 2016 तक कम्पनी के वित्तीय विवरण में मान्य धन को दर्शाया गया है।

तालिका-1

उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आइटम 120 (सी)

	31 मार्च 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
वर्ष के प्रारंभ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	1582.69	1570.83
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	119.39	117.69
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
चालू सेवा लागत	104.66	79.79
संक्षेपण लागत	0.00	0.00
स्थापन लागत	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	180.69	199.35
उत्तरदायित्व का वास्तविक लाभ/हानि	(–) 60.21	13.73
वर्ष के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	1565.84	1582.69

तालिका-2

प्लान परिसम्पत्तियों के मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आइटम 120 (ई)

	31 मार्च 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
वर्ष के प्रारंभ में प्लान परिसम्पत्तियों का मूल्य	1446.90	1372.23
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
प्लान परिसम्पत्तियों का अनुमानित रिटर्न	115.75	109.78
योगदान	0.39	150.00
स्थापन लाभ	180.69	199.35
प्लान सम्पत्तियों पर एक्यूरल मूल्यांकन का लाभ/हानि	5.27	14.24
वर्ष के शेष में प्लान परिसम्पत्तियों का मूल्य	1387.62	1446.90

तालिका-3

फण्ड की स्थिति दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आइटम 120 (एफ)

	31 मार्च, 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
वर्ष के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	1565.84	1582.69
वर्ष के अंत में प्लान परिसम्पत्ति का वास्तविक मूल्य	1387.62	1446.90
फण्ड की स्थिति	(–) 178.21	(–) 135.79
वर्ष के अंत में गैर मान्यता प्राप्त वास्तविक लाभ/हानि	0.00	0.00
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसम्पत्ति (देयता)	(–) 178.21	(–) 135.79

तालिका-4

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आइटम 120 (जी)

	31 मार्च, 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
चालू सेवा लागत	104.66	79.79
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	119.39	117.69
प्लान परिसम्पत्ति पर अनुमानित रिटर्न	115.75	109.78
संक्षेपण लागत	0.00	0.00
स्थापना लागत	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त वास्तविक लाभ/हानि	(–) 65.49	(–) 0.51
लाभ/हानि विवरण मान्यता प्राप्त व्यय	42.81	87.19

तालिका-7

पूर्वानुमान दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आईटम 120 (एल)

	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2015 तक
नश्वरता तालिका	आईएएलएम (2006-08) यूएलटी	आईएएलएम (2006-08) यूएलटी
सेवा निवृत्ति आयु	60	60
शीघ्र सेवा निवृत्ति और अपंगता	प्रति वर्ष प्रति हजार 10	प्रति वर्ष प्रति हजार 10
	45 वर्ष आयु से अधिक 6	45 वर्ष आयु से अधिक 6
	29 से 45 के बीच 3	29 से 45 के बीच 3
	29 वर्ष से कम 1	29 वर्ष से कम 1
छुट दर	8.00%	8.50%
मुद्रा स्फीति दर	6.25%	6.25%
परिसम्पत्ति पर आवक	8.00%	8.50%
बचा हुआ कार्य जीवन	13 वर्ष	13 वर्ष
प्रयोग किया गया फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका-10

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता में चलन दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आईटम 120 (पी)

	31 मार्च, 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
प्रारंभिक निवल देयता	135.79	198.60
उपरोक्तानुसार व्यय	42.81	87.19
योगदान	0.39	150.00
अंत निवल देयता	178.21	135.79
अंत निधि/वर्षान्त प्रावधान	1564.84	1582.69

अवकाश नगदीकरण (ईएल/एचपीएल) :

तालिका-1

उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आइटम 120 (सी)

	31 मार्च, 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
वर्ष के प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	388.67	310.91
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	26.42	18.14
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
चालू सेवा लागत	40.79	40.35
कटौती लागत	0.00	0.00
समझौता लागत	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	116.75	168.36
उत्तरदायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	39.02	187.62
वर्ष के अन्त में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	378.15	388.67

डिसक्लोजर आइटम 120 (ई)

तालिका-2 : प्लान परिसम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :

लागू नहीं होता क्योंकि इस योजना में फण्ड नहीं दिया गया।

डिसक्लोजर आइटम 120 (एफ)

तालिका -3 : किया गया फण्ड दर्शाने वाली तालिक

लागू नहीं होता क्योंकि इस योजना में फण्ड नहीं दिया गया।

तालिका-4

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आइटम 120 (जी)

	31 मार्च, 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
चालू सेवा लागत	40.79	40.35
पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	26.42	18.14
प्लान परिसम्पत्ति पर अनुमानित रिटर्न	0.00	0.00
संक्षेपण लागत	0.00	0.00
समझौता लागत	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त वास्तविक लाभ/हानि	39.02	187.62
लाभ/हानि विवरण मान्यता प्राप्त व्यय	106.23	246.11

तालिका-7

पुर्वानुमान दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आईटम 120 (आई)

	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2015 तक
नश्वरता तालिका	आईएएलएम (2006-08) यूएलटी	आईएएलएम (2006-08) यूएलटी
सेवा निवृत्ति आयु	60	60
शीघ्र सेवा निवृत्ति और अपंगता	प्रति वर्ष प्रति हजार 10	प्रति वर्ष प्रति हजार 10
	45 वर्ष आयु से अधिक 6	45 वर्ष आयु से अधिक 6
	29 से 45 के बीच 3	29 से 45 के बीच 3
	29 वर्ष से कम 1	29 वर्ष से कम 1
छूट दर	8.00%	8.50%
मुद्रा स्फीति दर	6.25%	6.25%
परिसम्पत्ति पर आवक	लागू नहीं	0.00
बचा हुआ कार्य जीवन	13 वर्ष	13 वर्ष
प्रयोग किया गया फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका-10

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता में चलन दर्शाने वाला : डिसक्लोजर आईटम 120 (पी)

	31 मार्च, 2016 तक (रु. करोड़ में)	31 मार्च, 2015 तक (रु. करोड़ में)
प्रारंभिक निवल देयता	0.00	0.00
उपरोक्तानुसार व्यय	106.23	246.11
योगदान	0.00	0.00
अंत निवल देयता	106.23	246.11
अंत निधि/वर्षान्त प्रावधान	378.15	388.67

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

भूमि, जिसमें स्वतंत्र/पट्टा भूमि और कोयला धारक अधिग्रहण अधिनियम, 1957 के अधीन अधिग्रहित भूमि शामिल है, अधिसूचित भूमि का मूल्य/लागत भौतिक/वास्तविक/कब्जे तथा सक्षम प्राधिकारी के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सी.बी.ए. (ए. एण्ड डी.) अधिनियम, 1957 के तहत 41789 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें से लगभग 13474 हेक्टेयर भूमि टीनेन्सी भूमि है तथा 16989 हे. वन भूमि और 11326 हे. सरकारी भूमि है। 101.41 करोड़ रु. के मुआवजे का मूल्यांकन किया गया है। इस राशि में से 39.55 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है। शेष राशि का भुगतान विभिन्न परियोजनाओं में भुगतान-शिविरों का नियमित आयोजन कर के किया जा रहा है।

4. आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ

एएस 22 के अधीन यथा अपेक्षित आस्थगित कर सम्पत्ति निम्नलिखित है :

आस्थगित कर सम्पत्ति/देयताएं	2015-16 (रु. करोड़ में)	2014-15 (रु. करोड़ में)
(क) आस्थगित कर सम्पत्ति :		
1. संदेहात्मक अग्रिम और ऋण के लिए प्रावधान	270.31	206.34
2. भुगतान के आधार पर अनुज्ञेय व्यय	363.90	323.51
3. अन्य समय भिन्नता	90.26	76.64
योग (क)	**724.47**	**606.49**
(ख) आस्थगित कर देयता		
अवमूल्यन/परिशोधन	(–) 0.56	(–) 13.98
निवल कर (क - ख)	**725.03**	**620.47**

5. वर्ष के दौरान, रु. 7.31 करोड़ की परिसम्पत्तियों की हानी (पिछले वर्ष रु. 3.09 करोड़) की हानि लगातार हानि देने वाले खदानों को लाभ-हानि विवरण में डेबिट है।

6. सामान्य

6.1 **प्राक्कलन का उपयोग :** सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा विधि सिद्धान्तों के पुष्टिकरण में वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण प्राक्कलन और अनुमान के लिए आवश्यक है जो वित्तीय विवरण की तिथि पर सम्पत्ति और देयता के रिपोर्ट किये गये धन को प्रभावित करता है तथा रिपोर्ट किये गये राजस्व धन और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुए व्यय को भी प्रभावित करता है। वास्तविक धन और प्राक्कलित धन के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी गई है जिस अवधि में इसके परिणाम का पता चला है।

6.2 (i) लीज़ अनुबंध के टर्म में इम्पीरियल फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड की परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण एवं उपयोग का अधिकार स्वीकृत किया है। वर्ष की शुरुआत में खर्च का कुल योग रु. 80.19 करोड़ लिया गया है। सकल अवक्षयण वर्ष के अन्त में रु. 77.69 करोड़ है। वर्ष भर का अवक्षयण रु. 0.0020 करोड़ है। भविष्य में कम से कम लीज़ भुगतान प्राप्ति रु. 39.84 करोड़ लीज़ अवधि के दौरान है। भविष्य में लीज़ प्राप्ति भुगतान विवरण इस प्रकार है :

		2015-16 (रु. करोड़ में)
(i)	एक वर्ष तक	3.84
(ii)	एक वर्ष के बाद एवं पाँच वर्ष से ज्यादा नहीं	15.36
(iii)	पाँच वर्ष के बाद	20.64
	योग	**39.84**

(ii) पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड के साथ लीज़ अनुबंध के टर्म में कम्पनी 15.50 एकड़, भूमि का उपयोग करने का अधिकार मंजूर किया है। वर्ष के शुरुआत में सकल वहन राशि की लागत रु. 7.90 करोड़ है। सकल अवक्षयण वर्ष के अन्त में रु. 7.90 करोड़ है। वर्ष का अवक्षयण रु. शून्य है। भविष्य की कम से कम लीज़ भुगतान प्राप्ति का कुल योग लीज़ अवधि के दौरान रु. 3.40 करोड़ है। भविष्य की लीज़ भुगतान प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है :

		2015-16 (रु. करोड़ में)
(i)	एक वर्ष तक	0.17
(ii)	एक वर्ष के बाद एवं पाँच वर्ष से ज्यादा नहीं	0.68
(iii)	पाँच वर्ष के बाद	2.55
	योग	**3.40**

(iii) मेसर्स इम्पीरियल फास्टनर प्राईवेट लिमिटेड के साथ पट्टा-करार की शर्तों के मद्देनजर, कंपनी ने यह अधिकार स्वीकृत किया है कि वह कंपनी की परिसम्पत्तियों पर कब्जा तथा उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। वर्ष के प्रारम्भ में इनके सकल वहन मूल्य की लागत रु. 4968/- है। वर्षान्त में इनके संचित अवक्षयण की राशि रु. 4968/- है। वर्ष के दौरान अवक्षयण की राशि रु. शून्य है। पट्टा-अवधि के दौरान भविष्य में प्राप्त होने वाली निम्नतम पट्टा-भुगतान की समग्र राशि 1.68 लाख रु. है। भविष्य में प्राप्त होने वाली पट्टा-भुगतान की राशि का विवरण निम्नप्रकार है:

		2015-16 (रु. करोड़ में)
1.	एक वर्ष तक	0.12
2.	एक वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	0.48
3.	पाँच वर्षों से अधिक	1.08
	कुल	**1.68**

6.3 वापस / कर का समायोजन कर प्राधिकारी से नगद के आधार पर अकाउन्ट किया गया। एएस - 29 के तहत जिनकी पहचान नहीं की जा सकी उनको छोड़कर अतिरिक्त मांग आय कर, रॉयल्टी, सेस, बिक्री कर, प्रविष्टि कर इत्यादि को अंतिम आदेश के प्राप्ति के आधार पर अकाउन्ट किया गया।

6.4 कुछ व्यवसाय प्राप्य, व्यवसाय देय, अन्य चालू देयताएं और प्राप्य दावे पार्टियों के पुष्टिकरण के अधीन हैं तथा कुछ पुराने मद पुनर्मिलान हेतु लंबित हैं और उचित लेखा में समायोजन हेतु लंबित हैं। वर्ष के दौरान पुष्टिकरण हेतु पत्र जारी किया गया परन्तु अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुआ है।

6.5 कथारा कोलियरी और कथारा वाशरी के बीच 31.03.2007 तक कच्चे कोयले के इति भंडार में कमी/भिन्नता का पता लगाया जाना लंबित रहने के कारण वर्ष 2006-07 में 2.10 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसे 31.03.2016 को भी बरकरार रखा गया।

6.6 **प्रति शेयर अर्जन (एएस - 20) :**

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1.	कर के बाद लाभ (रु. करोड़ में)	1914.70	1770.61
2.	इक्वीटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ में)	1914.70	1770.61
3.	बेसिक एवं डाइल्यूटेड ई.पी.एस. के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या	94,00,000	94,00,000
4.	इक्विटी शेयरों की साधारण मूल्य (रु.)	1,000	1,000
5.	प्रति शेयर बेसिक और डायलुटेड अर्जन (रु.)	2036.91	1883.63

6.7 वर्ष 1989 में 8,99,788 टन कोयला गैर बिक्री योग्य घोषित किया गया था और तदनुसार निदेशक मण्डल के अनुमोदन से उक्त मात्रा सम्पत्ति सूची से कम कर दी गई/बट्टे खाते में डाल दी गई। तथापि झारखण्ड सरकार ने 8,99,788 टन इस गैर बिक्री योग्य कोयले पर रॉयल्टी मांगा। कम्पनी ने रॉयल्टी भुगतान का विरोध दर्ज किया। तथापि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर कम्पनी की अपील खारिज कर दी गई। 25.03.14 को रजरप्पा एरिया द्वारा समीक्षा याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। विवादित रु. 2.55 करोड़ है जिसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया।

6.8 डीएलएफ पावर लिमिटेड और बिल्ट ऑन एण्ड ऑपरेट आधार पर चालू किया गया रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव पावर प्लान्ट के पूँजीकरण लागत के लिए लम्बे समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद झारखण्ड राज्य विद्युत रेगुलेटरी कमिशन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2009 तथा अपीलियेट ट्रिबुनल द्वारा पुष्टिकृत आदेश के विरूद्ध कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2009 में अपील संख्या 7403 के रूप में दायर किया गया जो विवाद अभी लंबित है।

उपरोक्त अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2012 और 23.11.2012 द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में कम्पनी ने मार्च 2008 की अवधि तक 94.33 करोड़ रुपये 2012-13 में विवादित देयता के रूप में गणना किया है जिसमें 83.03 करोड़ रुपये डीएलएफ पावर लिमिटेड को दिया गया, 25% डिम्ड एनर्जी शुल्क उपरोक्त अवधि के लिये रोका गया है। माननीय सुप्रिम कोर्ट के निर्देशानुसार एड-हॉक भुगतान के तहत 75 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये दिनांक 20.11.13 और 10.01.14 को किया गया। माननीय सुप्रिम कोर्ट के निर्देशानुसार अप्रैल 08 से मार्च 14 तक की संशोधित राशि मार्च 08 की अवधि तक जो जेएसइआरसी की गणना पर आधारित है उसके अनुसार 23.25 करोड़ रुपये की राशि 2013-14 वित्तीय वर्ष में दिया गया। जो 94.33 करोड़ रुपये के अलावा है। यह राशि 2012-13 के वित्तीय विवरण के पहले ही दिया गया है। 2014-15 वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त देय 3.26 करोड़ रुपये रखा गया है। 2015-16 वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त देय 0.26 करोड़ रू. रखा गया है। मेसर्स डीएलएफ पावर लिमिटेड से शेष प्राप्ति योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित है :

(i)	2012-13 के वित्तीय विवरण में मार्च 08 तक की अवधि की देयता के संबंध में अंतरीय टैरिफ दिया गया है	– 94.33 करोड़ रु.
(ii)	2013-14 वर्ष में अप्रैल 08 से मार्च 14 तक की अवधि की देयता के संबंध में अंतरीय टैरिफ दिया गया है	– 23.25 करोड़ रु.
(iii)	डीम्ड एनर्जी शुल्क के संदर्भ में पुरानी कीप बैक राशि	– 31.36 करोड़ रु.
(iv)	अंतरीय टैरिफ 2014-15 के दौरान	– 3.26 करोड़ रु.
(v)	अंतरीय टैरिफ 2015-16 के दौरान (अकाउन्ट-रजरप्पा क्षेत्र)	– 0.26 करोड़ रु.
		152.46 करोड़ रु.
	घटाव : एड-हॉक भुगतान (सुप्रिम कोर्ट के आदेशानुसार)	183.03 करोड़ रु.
	कुल शेष राशि (टिप्पणी-19 में अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष में दर्शाया गया है)	30.57 करोड़ रु.

हालाँकि मेसर्स डीएलएफ ने 17.09.2012 को 302.63 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की है जिसमें 134.20 करोड़ रुपये देरी से भुगतान का ब्याज है जो कि पीपीए के क्षेत्र के बाहर है और मामला माननीय सुप्रिम कोर्ट के पास लम्बित है।

6.9 धारा 1.18.3 के अनुसार मेसर्स डीएलएफ के साथ उक्त पावर प्लांट के प्रारंभ से एक वर्ष के समाप्ति तक टैरिफ के ईंधन के घटकों में बढ़ोत्तरी/घटन, ईंधन के मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण है। रिजेक्ट्स के प्रारंभिक मूल्य पीपीए के क्लॉज 1.14 के अनुसार 90 रुपया प्रति टन है।

पीपीए की धारा 1.18.3 के अनुसार गणना की गई है और वित्तीय विवरण में ईंधन मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण रिजेक्ट्स के कुल मूल्य में संशोधन अतिरिक्त टैरिफ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति को 2013-14 वित्तीय वर्ष में दर्शाया गया है और एक अनुपूरक बिल मेसर्स डीएलएफ के लिए दिया गया है।

तत्पश्चात वर्ष 2014-15 के दौरान रिजेक्ट्स की मूल्य सेल्स एण्ड मार्केटिंग विभाग के स्टैण्डिंग कमिटी के सुझाव पर पुनरीक्षण की गई तथा उसे डीएलएफ के निदेशक (संचालन) को जीएम (ईएण्डएम)/डीएलएप/14/3530-36 दिनांक 17.11.14 के द्वारा अवगत कराया गया। इसके अनुसार जी-ग्रेड के स्लैक कोयला यूएचवी प्राइसिंग विधि जो कि 01.01.2012 से प्रभावी है के तहत जुलाई, 2000 से दिसम्बर, 2011 तक डीएलएफ से चार्ज की गई है। उस चिट्ठी के निर्गत होने पर विक्रय तथा बिजली के दर का पुनरीक्षण किया गया है।

31.03.2016 तक ईआईपीएल से प्राप्त रकम से आपूर्ति रद्द करने के बाद समायोजन के टैरिफ से रू. 38.69 करोड़ एडवान्स किया गया। इसका भुगतान नहीं करने के कारण निम्नलिखित कारवाई की गई :

पावर परचेस अनुबंध दिनांक 08 फरवरी 1993 के क्लाउज 2.6 के अनुसार किसी प्रकार के विवाद आने पर अथवा अनुबंध के संबंध के चलते आरबिट्रेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार डीपीसीएल एवं सीआईएल इस संदर्भ में आपसी तालमेल के द्वारा सोल आर्बिटेशन से आर्बिट्रेटर को अनुबंध स्वीकार होगा। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति में अगर आपसी सहमति टूट जाने पर एमर्जिंग की स्थिति में पार्टी का अनुबंध में याचिका दायर करना (सीसीएल) के पास लेकिन आर्बिटेटर की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। आर्बीट्रेशन एवं कोनशीलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 11(6) के अधीन और कोई रास्ता नहीं है। आर्बीट्रेशन का आवेदन 7 अप्रैल, 2016 तक भरा गया है जबकि रू. 36.89 करोड़ का प्रावधान लिया गया।

6.10 पार्टियों से कम्पनी को सुरक्षा के रूप में प्राप्त बैंक गारंटी, एनएससी, एफडीआर का कोई एकाऊंटल नहीं किया गया है। पुराने अवैध बैंक करेंटी के साथ वर्क आर्डर की मिलान प्रक्रिया चल रही है।

6.11 वर्ष के दौरान सामान की चोरी 0.44 करोड़ रु. की है (गतवर्ष 0.15 करोड़ रु.)।

6.12 ''फ्यूल सप्लाई एग्रीमेन्ट'' (एफएसए) पर मुआवजा प्राप्ति के रसीदी आधार पर दर्ज किया गया है।

6.13 कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 73 से 76 के तहत कोई राशि जमा नहीं ली है। हालाँकि पुराने आउटस्टैण्डिंग राशि व्यवसाय के लिए अर्नेस्ट मनी, सिक्युरिटी डिपोजिट तथा एडवांस डिपोजिट कानूनी सलाह के लिए लम्बित है, ये कम्पनीज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोज़िट्स रूल्स, 2014 के तहत आते हैं।

6.14 सेन्ट्रल स्टोर्स, बरकाकाना और बरका-सयाल क्षेत्र के लिए वीएटी पंजीकरण कराया गया है। सारे सामान जो कि सेन्ट्रल स्टोर्स में ग्रहण की जाती है उसका वीएटी इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ बरका-सयाल क्षेत्र को दिया जाता है।

6.15 कम्पनी के संदेहास्पद डेबट्स हेतु प्रावधान बनाए गए हैं जिसका खाते के कुछ बिल पर ग्रेड के स्लिपेज को पूर्व के ट्रेंड के लंबित ज्वाइंट सेम्पलिंग के आधार पर पुष्टि की गई है।

6.16 वर्ष के दौरान खदान बंद करने के प्रावधान के विरूद्ध एस्क्रो लेखा में कम्पनी ने 12.56 जमा नहीं किए। पिछले वर्ष में 717.22 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में 31 मार्च 2015 तक एस्क्रो लेखा में 704.66 करोड़ रुपये (98.62 करोड़ रुपये ब्याज सहित) शेष है ।

6.17 वस्तु सूची के पावर के मूल्यांकन वास्तविक खपत के आधार के बदले क्षेत्र के इकाइयों के विभागीय आंतरिक प्रमाण पत्र पर किया गया है।

6.18 भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक के द्वारा श्री आर सुब्रहमण्यम अतिरिक्त सचिव, मानव संसाधन विकास ने 12 दिसंबर 2015 को कम्पनी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है जो झारखंड राज्य के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के अधीन तीसरी इंडस्ट्री पार्टनर हेतु भारतीय इन्फारमेशन तकनीकी संस्था राँची (आईआईटी) को बनाने के लिए किया गया है। वर्ष के दौरान 3.20 करोड़ का भुगतान एवं 3.20 करोड़ वर्थ की बैंक गारंटी को कम्पनी द्वारा एक्जिक्युट किया गया है। इस तरह के भुगतान को ''सीएसआर खर्च'' के तहत रू. 3.20 करोड़ माना जाएगा।

6.19 दिनांक 07.05.2015 को सीसीएल एवं आईआरसीओएम इन्टरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए एवं झारखंड सरकार के विकास हेतु वित्तीय एवं रेलवे के आधारभूत संरचना के कार्य हेतु झारखंड राज्य में कार्यान्वयन हेतु एक संयुक्त वेंचर कम्पनी जिसका नाम ''झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड'' (जेसीआरएल) 31.08.2015 को कम्पनी एक्ट 2013 के तहत शामिल किया गया है। तुलन पत्र में दिनांक जे सी आर एल ने सीसीएल के नाम पर कोई इक्विटी जारी नहीं किया है सीसीएल के प्रतिबद्ध इक्विटी शेयरधारिता योगदान, आइ आर सी ओ एन इन्टरनेशनल लिमिटेड एवं झारखंड सरकार का 64%, 26% एवं 10% क्रमश: है जो सभी द्वारा सदस्यता के लिए कर रहे हैं, जबकि प्रबंधन को समेकित खातों को कम्पनी स्तर पर ही दिखाने हेतु सवाल नहीं उठाए जाते हैं।

6.20 एमओयू के अनुसार क्लाउज नं. 13, सीसीएल एवं आइआरसीओएन के द्वारा जेसीआरएल को बनाने में वित्त पोषित जे भी सी (एस) की हिस्सेदारी का अनुपात में है। तदनुसार, सीसीएल ने 508573 रू. भुगतान किया है। यह ऋण एवं अग्रिम के तहत (नोट नं. 18) में दर्शाया गया है।

6.21 कथित धोखाधड़ी के ट्यून पर रू. 80,05,800/ (अस्सी लाख पाँच हजार आठ सौ मात्र) 104 गलत बिल के विरूद्ध श्री अशोक कुमार सिंह एवं बर्मा कंस्ट्रक्शन के पक्ष में पता चला है उनके विरूद्ध एफआइआर नं. 74/16 दिनांक 11.03.2016 को भुरकुंडा, रामगढ़ में दर्ज किया गया है। कथित तौर पर उपरोक्त 104 बिल की शुरूआत/प्रसंस्कृत भुरकुंडा कोलियरी से परियोजना स्तर पर बरका-सयाल क्षेत्र के द्वारा कथित हस्ताक्षर से परियोजना के अधिकारियों, परियोजना के अधिकारियों द्वारा जाली बिल पर हस्ताक्षर किये जाने से एवं अन्य संबंधित कागजात से इंकार किया है। कम्पनी के सतर्कता विभाग के द्वारा अनुसंधान जारी है। सभी क्षेत्रों को पत्रांक सं. - फंड/15-16/617 दिनांक 17.03.16 को सूचित किया गया है कि उपरोक्त सभी प्रकार के भुगतान पार्टी का रोक दिया जाए। उपरोक्त पार्टी को धोखाधड़ी भुगतान के विरूद्ध उक्त तिथि से निम्नलिखित भुगतान रोक दिया जाए।

क्र.सं.	पार्टी का नाम	किये गये कथित धोखाधड़ी भुगतान (कुल)	अनुमानित मूल्य का किये गये कार्य/इएमडी/सिक्युरिटी जमा धन बरका-सयाल क्षेत्र में रोक दिया गया है (अनुमानित)			कुजू क्षेत्र में रोका गया बिल (कुल)	शेष
1.	मे. अशोक कुमार सिंह	0.50	बीजी	—	0.03		
			एसटीडीआर	—	0.01		
			ईएमडी	—	0.01	—	0.05
			सिक्युरिटी	—	0.11		
			किये गये कार्य का अनुमानित मूल्य	—	0.29		
			कुल	—	0.45		
2.	मे. वर्मा कन्सट्रक्शन	0.30	ईएमडी	—	—		
			सिक्युरिटी	—	0.05		
			किये गये कार्य का अनुमानित मूल्य	—	0.01	0.01	0.23
			कुल	—	0.06		
	कुल	0.80			0.51	0.01	0.28

उपरोक्त कथित धोखाधड़ी भुगतान रु. 0.80 करोड़ अन्य प्राप्तियों खाते में हस्तानान्तरण नोट-19 के तहत कर दिया गया है एवं खाते में बराबर की रकम का प्रावधान बनाया गया है। सतर्कता विभाग द्वारा मे. चन्दा इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स के 15 जब्त किया है जिसको कम्पनी द्वारा न तो खाते में लिया गया है और न ही भुगतान किया गया है एवं मामला अनुसंधान के अधीन है।

6.22 नलकरी डैम, पतरातु से पानी निकासी का दर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है, जिसे जेएसईबी द्वारा दिनांक 18.06.2013 को निर्गत पत्र के अनुसार अवगत कराया गया, जो कि सीसीएल के साथ समझौता नवीकरण से सम्बन्धित है। वर्ष के दौरान जेएसईबी के पत्रांक सं.- सीसीएल/एस एण्ड एम/एफ, दिनांक - 24.04.2015 के अनुसार मुख्यालय के नियमानुसार पानी बिल के रुप में शून्य रुपये (पिछले वर्ष 32.48 करोड़ रुपये) समायोजित किया गया।

6.23 कुछ मामलों में सेवा कर का सुलह, जेवीएटी-टीडीएस कार्य अनुबंध पर एवं जेवीएटी-टीडीएस बिक्री पर पहले के वर्ष सहित अवधि तक इस प्रक्रिया के तहत कार्य जारी है।

7. मूल प्रबंधन का पारिश्रमिक (कम्पनी सचिव सहित)

(करोड़ रुपये में)

मूल प्रबंधकों के नाम	वेतन		भविष्य निधि		अन्य (चिकित्सा, एलई,परक्यू.,पीआरपी)		बैठक फीस		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
श्री गोपाल सिंह	0.24	0.22	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.29	0.26
श्री पी. के. तिवारी	0.22	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
श्री टी. के. नाग	0.00	0.12	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.14
श्री आर. एस. महापात्र	0.19	0.00	0.02	0.00	0.012	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00
श्री आर. आर. मिश्रा	0.00	0.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
श्री डी. के. घोष	0.22	0.21	0.02	0.03	0.02	0.07	0.00	0.00	0.26	0.31
श्री एस. चन्द्रा	0.17	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
श्री सीवीएन गंगाराम	0.20	0.19	0.02	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.25	0.24
श्री अशोक गुप्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
श्री भारत भूषण गोयल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

8. (क) आयातित और देशज स्टोर, अतिरिक्त कलपुर्जे तथा उपयोग में लाये गये सामानों का मूल्य (नोट-22) :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	प्रतिशत	2014-15	प्रतिशत
आयातित	24.17	3	21.18	2.53
देशज	783.68	97	816.46	97.47
योग	**807.85**	**100**	**837.64**	**100**

(ख) आयात सामानों का सीआईएफ मूल्य :

(रु. करोड़ में)

	2015-16	2014-16
उपकरण एवं अतिरिक्त कल पुर्जे	1.65	14.82
पूंजीगत सामान	36.18	32.98
योग	**37.83**	**47.80**

(ग) विदेशी मुद्रा में खर्च :

(रु. करोड़ में)

		2015-16	2014-15
(i)	यात्रा/प्रशिक्षण खर्च	0.09	0.02
(ii)	अन्य	शून्य	शून्य

9. सेगमेन्ट रिपोर्टिंग (एएस 17) पर मैनडेटरी एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड जो पार्टी ट्रानजेक्सन (एएस 18), संचालन बन्द (एएस 24), अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट (एएस 25) तथा ज्वाइंट वेंचर में ब्याज की वित्तीय रिपोर्ट (एएस 27) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

10. आंकड़े करोड़ में बताये गये हैं तथा नजदीकी लाख में राउण्ड अप किये गये हैं।

11. वर्ष के दौरान तुलन पत्र के विभिन्न शीर्षों लाभ-हानि के विवरणों को पुन: व्यवस्थित/पुन:वर्गीकृत किया गया है तथा तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथासंभव तुलनात्मक बनाने के लिए पुन:व्यवस्थित/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी. वी. एन. गंगाराम	**टी. के. सेन**	**डी. के. घोष**	**गोपाल सिंह**
कम्पनी सचिव	*महाप्रबंधक (वित्त)-ए*	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*

उसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के आधार पर
टिप्पणी सं. 1 से 34 तक हस्ताक्षर
कृते **वी. सिंघी एण्ड एसोसियेट्स**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि. सं. 311017 ई.)
ह/-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(एम. संख्या : 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24.05.2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

(करोड़ रु. में)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	**संचालन कार्यकलापों से कैश फ्लो**			
	असाधारण मदों के समायोजन के लिए एवं कराधान पूर्व शुद्ध लाभ		3,123.84	2773.45
	निम्न के लिए समायोजन :			
	अवक्षयण	223.61		179.09
	आस्थगित कर	(104.56)		(54.16)
	ओ.बी.आर. समंजन	(225.83)		(44.77)
	निवेश पर ब्याज (कर मुक्त बॉण्ड्स)	(0.60)		(1.40)
	म्युच्युअल फण्ड से लाभांश	(30.78)		(29.93)
	जमा पर ब्याज	(329.98)		(251.47)
	सी.आई.एल. के पास जमा अतिरेक-निधि पर ब्याज	(1.67)		(0.87)
	वित्तीय लागत	12.38		1.08
			(457.43)	(202.43)
	कार्यरत पूँजी परिवर्तन के पूर्व संचालनात्मक लाभ		2666.41	2,571.02
	निम्नलिखित के लिए समंजन :			
	सम्पत्ति सूची में (वृद्धि) /कमी	(141.83)		(131.81)
	व्ययवसाय प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	99.99		410.15
	अन्य चालू परिसम्पत्ति में (वृद्धि)/कमी	(89.00)		(91.24)
	चालू निवेश में (वृद्धि)/कमी	403.71		201.31
	अल्प अवधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(47.56)		(97.69)
	व्ययवसाय देय में (कमी)/वृद्धि	40.25		17.14
	अन्य चालू देयताओं में (कमी)/वृद्धि	(20.39)		30.64
	अन्य लम्बी अवधि देयता में (कमी)/वृद्धि	16.11		1.97
	अल्प अवधि प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	286.35		79.59
	लम्बी अवधि प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	85.12		232.66
	अन्य अचालू सम्पत्ति में (वृद्धि)/कमी	(126.06)		(290.00)
	लम्बी अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि/(कमी)	(6.20)		(40.83)
			500.57	321.89
	असाधारण मदों और कर के पूर्व कैश फ्लो		**3,166.98**	**2,892.91**
	पूर्वावधि समंजन		(5.10)	(33.11)
	कर के पहले संचालनात्मक कार्यकलापों से कैश फ्लो		**3,161.88**	**2,859.80**
	टैक्स व्यय		1,204.04	969.73
	संचालनात्मक कार्यकलापों से निवल कैश फ्लो		**1,957.84**	**1,890.07**

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण (जारी...)

(करोड़ रु. में)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब.	**निवेश कार्यकलापों से कैश फ्लो :**				
	अचल परिसम्पत्तियों का क्रय/अधिग्रहण (समंजन का निबल)	(500.53)		(427.71)	
	जमा पर ब्याज	329.98		251.47	
	कर मुक्त पावर बॉण्ड की विमुक्ति	—		9.43	
	सीआईएल के पास जमा अतिरेक-निधि पर ब्याज	1.67		0.87	
	मुच्युअल फण्ड पर लाभांश	30.78		29.93	
	निवेश पर ब्याज (कर-मुक्त बॉण्ड्स)	0.60		1.40	
			(137.50)		(134.61)
स.	**वित्त कार्यकलापों से कैश फ्लो**				
	सी.आई.एल. से विश्व बैंक ऋण (विनिमय अस्थिरता)	—		—	
	विश्व बैंक ऋण का पुनर्भुगतान	—		—	
	बैंक से अल्प अवधि के लिए ऋण	929.00		—	
	कोल इण्डिया लिमिटेड से अल्प अवधि के लिए ऋण	—		—	
	ब्याज और वित्त प्रभार	(12.38)		(1.08)	
	लाभांश कर सहित अंतरिम एवं अंतिम लाभांश का भुगतान	(2060.21)		(623.13)	
			(1143.59)		(624.21)
	कैश या कैश के समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी (अ+ब+स)		**676.75**		**1,131.25**
	दिनांक 1.4.2013* को कैश एवं कैश-समतुल्य		3,511.86		2,816.37
	दिनांक 31.03.2014* को कैश एवं कैश-समतुल्य		4,188.61		3,947.62
	(*संदर्भ : टिप्पणी सं. 17)				
			676.75		**1,131.25**

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सी. वी. एन. गंगाराम	**टी. के. सेन**	**डी. के. घोष**	**गोपाल सिंह**
कम्पनी सचिव	*महाप्रबंधक (वित्त)-ए*	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*

उसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के आधार पर
टिप्पणी सं. 1 से 34 तक हस्ताक्षर
कृते **वी. सिंघी एण्ड एसोसियेट्स**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि. सं. 311017 ई.)
ह/-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(एम. संख्या : 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24.05.2016

वी सिंघी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

फोन : +9133 3028 - 7838
टेलीफैक्स : +9133 3028 -7836
ई-मेल : vsinghiandco@gmail.com
फोर मैगोलेन, सुरेन्द्र मोहन घोष सारणी
ग्राउण्ड फ्लोर
कोलकाता-700 001

धारा 41 का परिशिष्ट - VII

सूचीकरण अनुबंध की धारा 41 के अनुसरण में कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम और वार्षिक परिणाम पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

निदेशक मण्डल,
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
राँची।

महोदय,

सूचीकरण अनुबंध की धारा 41 के अनुसरण में, ''पब्लिक शेयर होल्डिंग तथा प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग'' जिसका प्रबंधन द्वारा प्रगटीकरण नहीं किया गया तथा हमारे द्वारा उसे उद्धृत नहीं किया गया, को छोड़कर, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत 31.03.2016 को समाप्त तिमाही तथा 01.04.2015 से 31.03.2016 तक का सीसीएल के वार्षिक वित्तीय परिणाम का हमने लेखा परीक्षण किया जो एतद्द्वारा संलग्न है। तिमाही वित्तीय परिणाम तथा वार्षिक वित्तीय परिणाम, अन्तरिम वित्तीय विवरण, जो कि कम्पनी प्रबंधन की जिम्मेवारी है, के आधार पर तैयार किया गया। लेखा मानक (ए. एस.) 25 में बताये गये अन्तरिम वित्तीय सिद्धान्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार कम्पनी लेखा मानक नियम 2006 के अनुसार जारी अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन या भारत के अधिकृत लेखाकारों के संस्थान तथा भारत में स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप हमारे लेखा परीक्षणों के इन वित्तीय परिणामों पर अपना मत व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है।

भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षण मानक के अनुरूप हमने लेखा परीक्षण किया, इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये लेखा परीक्षण की योजना बनाये और लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय परिणाम पूर्णतया गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में वित्तीय परिणाम के रूप में बताये गये धन के पूरे प्रमाण का परीक्षण करना सम्मिलित है। प्रयोग में लाये गये लेखा विधि सिद्धान्तों तथा प्रबंधन द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षण में सम्मिलित है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे लेखा परीक्षण में हमारे मत के लिये उचित आधार उपलब्ध है।

हमारे मत और हमारी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, ये तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम, इसी तिथि पर संलग्न हमारे लेखा परीक्षण के शर्त पर :

(i) इस सम्बन्ध में सूचीकरण अनुबंध की धारा 41 की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं तथा

(ii) 01.04.2015 और 31.03.2016 से 31.03.2016 की अवधि के वित्तीय परिणाम हेतु निवल लाभ और अन्य वित्तीय सूचना का सही और स्पष्ट झलक प्रस्तुत करते हैं।

कृते **वी. सिंघी एण्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि. सं. 311017 ई)
ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
सदस्य संख्या : 051371

स्थान : राँची
दिनांक : 24 मई, 2016

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (3) एवं 227 (2) के तहत निदेशक रिपोर्ट के परिशिष्ट के अनुसरण में सूचना

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन | **प्रबंधन का उत्तर**

सेवा में,

सदस्यगण
सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड,
दरभंगा हाउस,
राँची।

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया। जिसमें 31 मार्च, 2016 तक का तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण, वर्ष के अंत तक का कैशफ्लो विवरण, महत्वपूर्ण लेखा विधि नीति का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें अंकेक्षित वर्ष के उस दिन कम्पनी के क्षेत्रों में किये गये ब्रांच कार्यालयों के अंकेक्षण की अंकेक्षकों का प्रतिवेदन शामिल है, ये क्षेत्र कथारा, ढोरी, गिरीडिह, बोकारो और करगली, कुजू, नार्थ कर्णपुरा, पिपरवार, मगध-आम्रपाली, रजहरा, चरही और बाकी 6 क्षेत्रों/इकाईयों जिनका हमारे द्वारा अंकेक्षण किया गया, सम्मिलित है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 134(5) के अनुसार इस वित्तीय प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण और तैयारी के संबंध में कम्पनी के बोर्ड के निर्देशकगण उत्तरदायी है। वित्तीय प्रतिवेदन जो सच और सही वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, यह वित्तीय प्रदर्शन और कैश फ्लो साथ में भारत के साधारणत: स्वीकृत अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुरूप है जो कम्पनी (अकाउन्टस) नियम 2014 के सेक्शन 133, अकाउंटिंग स्टैन्डर्ड के एक्ट के नियम- 7 के तहत है। इस उत्तरदायित्व में एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अकाउंटिंग

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन

प्रबंधन का उत्तर

रिकार्ड के पर्याप्त रख-रखाव जिससे कम्पनी की सम्पत्ति की रक्षा हो सके और धोखाधड़ी की पहचान या अनियमितताओं की रोकथाम की जा सके। उचित अकाउनटिंग नीतियों का चयन एवं उनको लागू करना, निर्णय और आंकलन करना जो उचित और समझदारी युक्त हो और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की देखरेख, तैयार करना लागू करना जो अकाउंटिंग रिकार्डस की पुर्णता और सटीकता को सुनिश्चित करे, वित्तीय प्रतिवेदन बनाने और उसके प्रस्तुतिकरण में प्रासंगिक हो जो सही और उचित दृष्टिकोण धोखा और गलतियों से हुई भौतिक गलत प्रतिवेदन से मुक्त हो।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

अपने अंकेक्षण तथा शाखा अंकेक्षकों का संबंधित क्षेत्र के अंकेक्षण के आधार पर तैयार किये गये वित्तीय विवरण पर अपना मत व्यक्त करने का उत्तरदायित्व हमारा है। हमने एक्ट के प्रावधानों को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मानकों को और विषय जिन्हें अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित करना है एक्ट और नियमों के अंर्तगत तैयार किया है। जैसा इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट ऑफ इंडिया के जारी किये गये अप्लिकेबल, ऑथरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट एवं एक्ट के सेक्शन 143 (10) में विनिर्दिष्ट है के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार हमें सैद्धान्तिक आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा ये आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण में किसी भी तरह का असत्य और गलत विवरण न सम्मिलित हो।

अंकेक्षण में यह प्रक्रिया अपनाई जानी है कि जिससे यह पता चले कि वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया धन अंकेक्षण की दृष्टि से पूर्णतया सत्य है। प्रक्रिया का चयन करना अंकेक्षक के निर्णय पर आधारित है जिसमें वित्तीय विवरण में गलत विवरण का निर्धारण भी सम्मिलित है। जोखिम का निर्धारण करते समय अंकेक्षक इस पर विचार करता है कि आंतरिक नियंत्रण कम्पनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है तथा परिस्थिति के अनुकूल अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है कंपनी के आंतरिक नियंत्रण का वित्तीय रिपोटिंग पर और ऐसे नियंत्रण की की प्रभाविकता

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन	प्रबंधन का उत्तर

लागू है। अंकेक्षण में लेखा विधि सिद्धान्तों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा लेखा विधि प्राक्कलन की औचित्यता तथा वित्तीय विवरण का समग्र प्रस्तुतिकरण भी सम्मिलित है।

हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमने अंकेक्षण साक्ष्य एकत्र किया है वह हमारे अंकेक्षण मत तैयार करने में समुचित आधार प्रदान किया है।

मत

हमारे विचारों से और प्राप्त सूचना और दिये गये विवरणों के अनुसार, उपरोक्त एक मात्र वित्तीय प्रतिवेदन, एक्ट द्वारा आवश्यक सूचना देता है जिससे सही और उचित दृष्टिकोण से भारत में सामान्यत: मान्य एकाउन्टिंग नीतियाँ जो कम्पनी की 31 मार्च, 2016 को स्टेट ऑफ अफेयर्स, उसका लाभ और कैश फ्लो को उस दिन तक वित्तीय प्रतिवेदन में सुनिश्चित करता है।

विषयों पर महत्व

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

(i) कुछ शेष लम्बी अवधि के लिए लोन और अग्रिम के अन्तर्गत, अ्य नॉन-करेंट परिसंपत्तियां, कम अवधि के लोन और अग्रिम, ट्रेड रिसिवेबल, अन्य करेंट परिसंपत्तियां, ट्रेड पेएबल्स और अन्य करेंट देयताएं के संबंध में पार्टियों से बाकी का पता नहीं चला। अत: कनफर्मेशन/रिकन्सिलेशन/समायोजन में ऐसे शेष (जो प्रबंधन के अनुसार मायने नहीं रखता) का यदि कोई प्रभाव है तो उसका अभिनिश्चय नहीं किया गया।

अन-लिंक्ड शेष की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य विधि देनदारों के साथ बाकी के लिए नियमित अंतराल में रिकन्साइल की जाती है और ज्वाइंट रिकन्सिलेशन स्टेटमेन्ट पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर होते हैं। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 लेखा में खराब एवं संदेहात्मक ऋणों के संबंध में जो विवादित बकाया है, पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। शेष को सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियों को 2015त-16 के दौरान पत्र दिये गये हैं जिनका उत्तर भी भी नहीं आया है।

(ii) अभिलेख के अनुसार कम्पनी ने प्रेषण और बोरिंग

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन	प्रबंधन का उत्तर
तथा विकास व्यय के लिए ही केवल हानि का पता लगाने के लिए अपनी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया। अत: लाभ पर परिणामात्मक प्रभाव तथा शेष परिसम्पत्तियों के मूल्य की कमी का पता नहीं लगाया जा सका तथा वित्तीय विवरण में प्रावधान नहीं किया जा सका तथा यह सम्पत्ति हानि के संबंध में लेखा विधि मानक एएस 28 के अनुरूप नहीं है।	अकाउन्टिंग नीति क्रमांक 4.0 के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग और बोरिंग श्रेणी की परिसम्पत्तियों को रखा गया है। अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चलित प्रकृति के हैं जैसे एचइएमएम, गाड़ियाँ आदि को अन्य जगहों पर उपयोग में लाया जा रहा है। यहाँ तक जो अचल सम्पत्तियाँ हैं जैसे इमारत आदि का भी दूसरे लाभित उपयोग में प्रयोग किया जाता है। अत: इन सम्पत्तियों को हानि के लिए नहीं समझा गया।
(iii) कुछ लोन और अग्रिम, सुरक्षा जमा और बयाना राशि जमा को एक्ट के शिड्युल- II। के अनुसार नॉन करेंट परिसंपत्तियां/देयताएं और करेन्ट परिसम्पत्तियां/देयताओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: शेष (जो प्रबंधन के अनुसार मायने नहीं रखा) का यदि कोई प्रभाव है तो उसका अभिनिश्चय नहीं किया गया।	लोन एवं अग्रिम, सुरक्षा जमा और बयाना राशि को रिवाईज्ड शिड्युल- II, कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसार नॉन करेंट परिसंपत्तियां/देयताएं एवं करेंट परिसंपत्तियां/देयताएं में सम्मिलित किया गया है। फिर भी जैसा अंकेक्षक ने पाया, यदि जरूरत हो तो दुबारा देखा एवं दुबारा ग्रुपिंग वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान की जाएगी।
(iv) कम्पनी ने वित्तीय स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया है कि (संदर्भ मद क्र. 7.1, टिप्पण क्र. 34) दो पार्टियों द्वारा झूठे बिलों पर 80,05,800/- का जालसाजी से भुगतान हुआ है, इन पार्टियों के और एक और पार्टी के जाली बिना भुगतान किये बिल कम्पनी के बरका-सयाल क्षेत्र में पाए गये हैं एवं कम्पनी के सतर्कता विभग के अन्तर्गत इसकी जांच चल रही है, कम्पनी ने एफ आई आर पुलिस के पास इस मामले का किया है। यदि जरूरत हो तो वित्तीय स्टेटमेंट में किसी प्रकार का समायोजन किा जाएगा जब जांच पूरी हो जाएगी।	संबंधित पार्टियों से जालसाजी के भुगतान की वसुली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, 31.03.2016, तक कम्पनी ने 0.52 करोड़ (लगभग) संबंधित पार्टी के एस्टिमेटेड वैल्यु ऑफ वर्क डन/इसमडी/सिक्यूरिटी डिपोजिट/बैंक गारंटी आदि से निकाला है, संदर्भ पैरा क्र. 6.21, नोट - 34, अतिरिक्त टिप्पणी वित्तीय स्टेटमेंट।
(v) बोकारो एवं करगली क्षेत्र में, ब्रांच अंकेक्षक ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि वेतन और वेज ऑडिट बाह्य एजेंसी द्वारा कराए गये और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि करगली वॉशरी और बोकारो परियोजना में 1.85 करोड़ का ओवर भुगतान हुआ है। अंकेक्षकों ने पाया कि पीआर कामगारों को टीआर में परिवर्तित करते समय बेसिक पे	वेतन और वेजेस के अतिरिक्त भुगतान जो सिस्टम एवं ट्रांसक्शन ऑडिट ने ढूंढा उसकी वसुली नहीं हो पाई क्यूंकि ट्रेड युनियन उसका विरोध कर रही है। 28.05.2013 में हुई जेसीएससी की बैठक में एक कमिटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट आनी है। उनकी रिपोर्ट आने पर वसुली कार्रवाई तदनुसार की जाएगी।

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन	प्रबंधन का उत्तर
के फिक्सेशन में गड़बड़ी के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ है। इस मामले में एक कमिटी बनाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की और कमिटी के अवलोकनों को क्षेत्र ने स्वीकार किया जैसा ब्रांच ऑडिटरों ने रिपोर्ट किया, अत: हम उस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।	
(vi) पिछली अवधि का समायोजन और पहले किये गये भुगतान का खर्च :	
पिछली अवधि के आय/व्यय सम्बन्धी एवं पहले किये गये भुगतान के खर्च जो प्रत्येक मामले में 0.10 करोड़ रु. से अधिक नहीं होना चाहिए, उसे वर्तमान वर्ष के आय/व्यय में रखा गया है जो अकाउन्टिंग मानक (एएस) - 5 ''नेट प्रॉफिट / लॉस उस अवधि के लिए जो पहले की अवधि के मद थे और अकाउन्टिंग नीतियों के परिवर्तन के पहले थे, उसके अनुरूप नहीं है।''	पूर्व अवधि समायोजन और पहले किये गये भुगतान के खर्च को मैटेरियलिटी के तथ्य पर मदों का मूल्य के विचार की सीमा पर आधारित किया गया है जो अकाउन्टिंग मानक - I (एएस-1) के लेखा नीति के चयन और आवेदन का प्रमुख प्रतिफल है।
अन्य विषय	
हमने 10 क्षेत्र के वित्तीय प्रतिवेदन का अंकेक्षण नहीं किया है जो कम्पनी के इस एकमात्र प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं जिस वित्तीय प्रतिवेदन में कुल सम्पत्ति 31 मार्च, 2016 को 7566.29 करोड़ रुपये थे और कुल रेवेन्यु 2734.90 करोड़ रुपये वर्ष के अंत में थे जौसा कि एकमात्र वित्तीय प्रतिवेदन में विचार किया गया है। इन क्षेत्रों का वित्तीय प्रतिवेदन का अंकेक्षण ब्रांच अंकेक्षकों द्वारा किया गया है जिनके रिपोर्ट हमें एकत्र कर दिये गये हैं और हमारे विचार से सम्बन्धित क्षेत्रों के राशि और प्रगटीकरण के सदर्थ, पूरी तरह से ब्रांच अंकेक्षकों के द्वारा दिये गये रिपोर्टों पर आधारित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
अन्य विधि और व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रतिवेदन	
1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक	

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन

प्रबंधन का उत्तर

प्रतिवेदन) आदेश 2015 (दि ऑर्डर), यथा संशोधित, एवं जैसा कि कम्पनी द्वारा उचित समझे गये बुक्स की जांच एवं रिकॉर्ड्स द्वारा सूचना और विवरण दिये गये हैं, के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में परिशिष्ट - 1 के रूप में विवरण दे रहे हैं।

2. कम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल द्वारा निर्देश और उपनिर्देश जो सेक्शन 143 (5) अधिनियम के तहत आवश्यक है, जारी किये गये हैं, हम अपनी टिप्पणी देते हैं जो वित्तीय प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव एवं की गई कार्रवाई पर है अनुलग्नक- II में संलग्न है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि —

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं दस्तावेज मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे दृष्टिकोण से अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मत से लेखों की पुस्तकों को कम्पनी द्वारा सही तरीके से रखा गया है जैसा कि जांच के दौरान पाया गया और क्षेत्रों से जो हमारे द्वारा जांच नहीं किये गये हैं, वहां के वित्तीय प्रतिवेदन हमारे अंकेक्षण के लिये पर्याप्त हैं।

(ग) लेखा की कम्पनी के क्षेत्रों से आई रिपोर्ट्स, जो ब्रांच अंकेक्षकों द्वारा अधिनियम के सेक्शन 143(8) के अन्तर्गत अंकेक्षित की गई है हमें भेजी गई है और उनका रिपोर्ट तैयार करने में हमने उचित उपयोग किया है।

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन	प्रबंधन का उत्तर

(घ) इस रिपोर्ट में बताया गया तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैशफ्लो विवरण लेखा पुस्तिका के करार के अनुसार है और हम जहाँ नहीं गये उन क्षेत्रों से प्राप्त वित्तीय प्रतिवेदन के अनुसार है।

(ङ) हमारे विचार से उपरोक्त एकमात्र वित्तीय प्रतिवेदन में लेखा विधि मानकों का जो अधिनियम के सेक्शन 133, रिड विथ रूल 7 - कम्पनीज़ (अकाउन्ट्स) रूल्स, 2014 का अनुपालन किया गया है। सिर्फ उपरोक्त एम्फैसिस ऑफ मैटर्स पैरा में दिये गये विषयों को छोड़कर।

(च) 31 मार्च, 2015 को लिखित आवेदन जो निदेशकों से प्राप्ति के आधार पर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकॉर्ड में लिया गया है कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 को अयोग्य नहीं हैं जिनकी अधिनियम की धारा 164(2) के शर्तों के अनुसार नियुक्ति की गई है।

(छ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग में अंदरुनी वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण के संचालित प्रभावों के संबंध में अलग अनुलग्नक-॥। देखें; और

(ज) अन्य विषयों के संदर्भ में जो अंकेक्षक के रिपोर्ट में सम्मिलित हैं वे सभी कम्पनीज़ (ऑडिट एण्ड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम - II के अनुरूप हैं, हमारे विचार से और हमें प्राप्त सूचना और विवरण जो हमें दिये गये हैं :

(i) कम्पनी ने वित्तीय प्रतिवेदन के अतिरिक्त टिप्पण - 34 में उसके लम्बित

अंकेक्षकों का प्रतिवदेन

मुकदमों को प्रगट किया है। जबकि मुकदमों का प्रभाव वित्तीय-प्रतिवेदन पर तब दर्शाया जाएगा जब ये सुलझ जाएंगे और कम्पनी को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्त होगा।

(ii) कम्पनी के पास लम्बी अवधि के लिए करार नहीं है जिसमें डेरिवेटिव करार सम्मिलित हैं। जिससे भविष्य में दिखने वाली कोई सामग्री की हानि हो।

(iii) कम्पनी के पास कोई राशि ऐसी नहीं है जिसे इन्वेस्टर एडुकेशन और प्रोटेक्शन फण्ड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।

कृते मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि. सं. 311017 ई)

ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता सं. - 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24 मई, 2016

प्रबंधन का उत्तर

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट - I

(31 मार्च, 2016 वर्ष के अन्त में पैराग्राफ - 1 के संदर्भ में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण जो एक प्रतिवेदन है उस दिन के सदस्यों का अन्य विधि एवं नियामक आवश्यकताओं के ऊपर दिये गये हैं)

जाँच के आधार पर, अंकेक्षण कोर्स के दौरान हमने उचित विचार कर, यह रिपोर्ट दिया है।

I	(क) कम्पनी द्वारा सामान्यत: अचल परिसम्पत्तियों (मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति सहित) के विवरण को दर्शाने हेतु समुचित अभिलेख रखा जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ख) केवल सर्वे-ऑफ की जा चुकी परिसम्पत्तियों को छोड़कर, 1 लाख और अधिक मूल्य की अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन समय पर किया जाता है। जैसा कि हमें सूचित किया गया, जाँच के दौरान जब भी मिलान किया गया, कोई सामान की कमी नहीं पाई गई। हमारे विचार से, सभी स्थाई सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का आयोजन वास्तविक अन्तराल पर होगा।	सर्वेड ऑफ परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच छोड़कर यह कथन सत्य है। पी. एण्ड एम. के सर्वे-ऑफ तथा नीलामी द्वारा उनके निपटान के समय भौतिक सत्यापन किया जाता है।
	(ग) हमें मिली सूचना एवं विवरण के आधार पर भूमि एवं खनन पर अधिकार, टाइटेल और ब्याज राष्ट्रीयकरण के समय होल्डिंग और अनुषंगी कम्पनी द्वारा लिये जाने का टाइटल डीड विवरण क साथ सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है इसलिए इसपर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है।	कोल माइन्स का राष्ट्रीयकरण कोल माइन्स (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) 1973, कोल माइन्स ऑथरिटी लिमिटेड पर स्टैट्युटरी आदेश क्र. जीएसआर/345.ई, दिनांक 09 जुलाई, 1973, नई दिल्ली के तहत निहित हुआ है। कम्पनी के पास अपना टाइटल डीड्स नहीं है।
II	(क) कम्पनी के नीति के अनुसार कोयला, कोक इत्यादि का भौतिक सत्यापन वॉल्युमैट्रिक मापदण्ड के द्वारा किया गया, प्रत्येक खदान का कॉन्ट्युर मानचित्र के संदर्भ के साथ, वर्ष के अन्त में कोल इण्डिया लिमिटेड के टीम के द्वारा कोयले का मापी एवं	कोई टिप्पणी नहीं।

	उचित अन्तराल पर कम्पनी टीम के द्वारा मापी किया जाता है।	
	प्रबन्धन के द्वारा नियुक्त बाहरी एजेन्सियों के द्वारा भण्डारण एवं स्पेयर पार्ट्स, क्षेत्रीय भण्डार के बड़े भाग का भौतिक सत्यापन किया गया।	
(ख)	हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कोयला, कोक आदि हेतु प्रबन्धन द्वारा प्रत्यक्ष जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया समुचित है और कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के अनुरूप है। कम्पनी में सम्पत्ति सूची का उचित अभिलेख रखा जा रहा है। कोयला, कोक आदि के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष जांच तथा किताबी अभिलेख के बीच पाये गये +/- 5% के अंतर को टिप्पणी-33 के लेखा विधि नीति संख्या 6.1 के अनुसार लेखा में लिया गया है। स्टॉक मेजरमेन्ट टीम द्वारा चरही क्षेत्र में 75.10% और 60.84% की कमी पाई गई और उसे वित्तीय विवरण में लिया गया है।	बुक स्टॉक की तुलना में भौतिक सत्यापन पर पाया विसंगति के मामले से निपटने के लिए एक समान लेखा-नीति नहीं है और यह टिप्पणी - 33 के लेखांकन नीति संख्या 6.1 के अनुसार निपटा जा रहा है।
	पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा के भंडार के स्पेयर पार्ट्स की प्रत्यक्ष जाँच पर्याप्त नहीं लगती।	नोट कर लिया गया है।
III	नियंत्रक कम्पनी के साथ चालू लेखा बनाये रखने के अलावा कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे जा रहे रजिस्टर में आने वाली पार्टियों, फर्मों, कम्पनियों को कोई भी प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं स्वीकार किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
(अ)	होल्डिंग कम्पनी के करेंट अकाउंट के रखरखाव के नियम एवं शर्तें कम्पनी के लिए प्रिजुडिशियल नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

	(ब) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार नियंत्रक कम्पनी ने चालू लेखा पर ब्याज की अनुमति दी है। सहायक कम्पनी और नियंत्रक कम्पनी के बीच संबंधों पर विचार करते हुए हम नियंत्रक कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को दिये गये ब्याज दर पर अपना मत व्यक्त नहीं कर सकते।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(स) आदेश क्लॉज iii (स) लागू नहीं है, इसलिए यहाँ पर अतिदेय रकम नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
IV	कम्पनी द्वारा गारंटी और सिक्युरिटी, निवेश एवं कोन के संबंध में सेक्शन 185 और 186, के प्रावधानों का कम्पनी पालन करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
V	कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 73 से 76 तक कम्पनी में किसी प्रकार के जमा (डिपोज़िट) वर्ष के दौरान स्वीकार नहीं किया है जबकि पुराने आउटस्टैण्डिंग शेष रकम प्राप्ति के संदर्भ में अथवा कम्पनी के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु जैसे - अर्नेस्ट मनी, जमा सिक्युरिटी, अग्रिम जमा, पार्टीज़ / अन्य से कम्पनीज़ (स्वीकार्य जमा) रूल्स, 2014 के अनुकूल कम्पनी विधिक सुझाव ले रही है।	इसे वित्तीय प्रतिवेदन के अतिरिक्त टिप्पण (टिप्पण - 34) के पैरा क्रमांक 6.13 में दिया गया है।
VI	अधिनियम के 148 सेक्शन के (1)सब सेक्शन में केन्द्रीय सरकार द्वारा कॉस्ट रेकॉड के रख-रखाव के लिए विशेष निर्देश हैं और हमारे मत से दिये गये लेखा और रिकॉर्ड उसी अनुसार रखे गये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
VII	(ए) दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी सामान्यतया अविवादित लागू सांविधिक देय जिसमें भविष्य निधि, आयकर सेवा कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य सांविधिक देय समुचित प्राधिकारी के पास नियमित रूप से	01.01.2005 से 31.12.2007 तक का 16.51 करोड़ रू. के सर्विस टैक्स का दावा विवादित है क्योंकि टैक्स विभाग उपरोक्त को जीटीए के अन्तर्गत दोनों दावे कर रहा है साथ ही कार्गो होल्डिंग सर्विसेस और मामला सर्विस टैक्स कमिशनर राँची के पास लम्बित है।

	जमा कर रही है। केवल 01.01.2005 से 31.12.2007 तक की अवधि के लिए कुछ क्षेत्रों के संबंध में रु. 16.51 करोड़ सेवा कर और बिक्री कर रु. 0.04 करोड़ को छोड़कर 31 मार्च, 2015 तक इस संबंध में कोई भी अविवादित देय का भुगतान, एरियर जिस माह में देय है उस माह से 6 माह से अधिक अवधि तक बकाया नहीं है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कम्पनी के कर्मचारियों के लिए राज्य इन्श्योरेन्स अधिनियम लागू नहीं है। आगे किसी समाधान के न होने के कारण हम पुराने बकाया शेष उधार के रूप में सीएमपीएफ सहयोग, सीएमपीएएफ एड मिन. शुल्क, पेंशन फंड और सीएमपीएफ पेंशन फंड के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।	सीएमपीएफ सहयोग, सीएमपीएफ एडमिन शुल्क और सीएमपीएफ पेंशन फण्ड के शीर्ष के अन्तर्गत पुराने अन-लिंक्ड शेष समाधान की ओर अग्रसर है।
(बी)	कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और जो विवरण दिया गया है कम्पनी ने प्रतिवेदन के परिशिष्ट - I के अनुसार योग्य प्राधिकारी के साथ मतान्तर के कारण बकाया जमा नहीं किया है।	सेल्स टैक्स, रॉयल्टी, सेस आदि माभले के विवादित बकाया को अग्रिम भुगतान प्राधिकारों द्वारा प्री-रिक्विजिट अपील पर किया गया है, यदि राशि ऋण और अग्रिम में दर्शाई गई है। अनिश्चित देयताएँ, पूरे विवादित मामले के वित्तीय विवरण में अतिरिक्त टिप्पणी के रूप में दिया गया है।
VIII	दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और बुक्स और रिकॉर्डस जो हमने प्रशिक्षण किये, कम्पनी बैंक के देयताओं के भुगतान में कहीं न चुके।	कोई टिप्पणी नहीं।
IX	दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे बुक्स एवं रिकार्ड के परीक्षण के बाद हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर (डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट) और टर्म लोन द्वारा कोई राशि वर्ष के दौरान नहीं कमाया, अत: 3(ix) यहाँ लागू नहीं होता।	कोई टिप्पणी नहीं।

X	वित्तीय प्रतिवेदन के नोट नं. 34 और पैरा 6.21 में दिये गये रिपोर्ट के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कोई मटेरियल फ्राड या किसी भी प्रकार की जालसाजी कम्पनी के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा ऑडिट के दौरान नजर नहीं आया न ही रिपोर्ट आई।	कोई टिप्पणी नहीं।
XI	प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और बुक्स एवं रिकॉर्डस के परीक्षण के बाद हम रिपोर्ट करे हैं कि कम्पनी ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान अधिनियम के शिडयुल v के साथ सेक्शन 197 के प्रावधान जो आवश्यक है, के अनुसार किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XII	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है अत: क्लॉस 3 (XII) आर्डर का यहाँ लागू नहीं होता।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIII	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम का सेक्षन 177 और188 के प्रावधानों के अनुपालन लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIV	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कम्पनी के बुक्स और रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयर के कोई प्रेफरेंशियल एलोटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेन्ट या पूरा या भाग में कन्वर्टिबल डिबेन्चर नहीं किया है। अत: ऑर्डर का क्लॉस 3 (xiv) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XV	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा कम्पनी के बुक्स और रिकॉर्डस परीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी निदेशक या उनसे संबंधित व्यक्तियों से नॉन-कैश ट्रांसक्शन नहीं किया है अत: क्लॉस 3 (xv), आदेश का यहां लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVI	कम्पनी का पंजीकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के सेक्शन 45-1 A के अन्तर्गत	कोई टिप्पणी नहीं।

करने की आवश्यकता नहीं है अत: क्लॉस 3 (XVI) आदेश का यहाँ लागू नहीं है।

कृते मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि. सं. 311017 ई)

ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता सं. - 051371)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24 जून, 2016

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट - II (ए)

(31 मार्च, 2016 वर्ष के अन्त में कम्पनी की वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 143(5) के तहत)

क्षेत्र-अरगडा, बरकासयाल, सेन्ट्रल वर्कशॉप और सेन्ट्रल स्टोर्स (बरकाकाना), रजरप्पा, कोलकाता सेल्स कार्यालय और मुख्यालय

1. क्या कम्पनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के सही शयूटल/लीज डीड्स उपलब्ध नहीं है।

   होल्डिंग और अनुषंगी कम्पनी के द्वारा लिए गये लैंड एंड माइन्रिग के इन्ट्रेस्ट और टायटल और अधिकार और अन्य राष्ट्रीयकरण के समय के टायटेल डिडस सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है अत: उक्त पर टिपपणी करने में हम असमर्थ हैं, कम्पनी द्वारा पूरे संबंधित डाटा के लिए रिकन्सिलिएशन की प्रक्रिया की जा रही है।

2. कोई मामला वेवर का / कर्ज का खारिज / कर्ज / ब्याज इत्यादि का रिपोर्ट, यदि हाँ तो सम्मिलित रकम एवं उसके कारण क्या है।

   पॉलिसी के अनुसार प्रबंधन के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष संदिग्ध कर्ज को पुनरीक्षण करें एवं लेखा खाता में आवश्यक प्रावधान / राइट्स ऑफ बनाएँ। निदेशक मण्डल के अनुमोदन के साथ कम्पनी ने वर्ष के दौरान रिटेन-ऑफ संदेहात्मक ऋण 92.73 करोड़ रुपये है जो एनटीपीसी के प्रदर्शन के लिए है। बोर्ड के निदेशकों के अनुमोदन से वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए दादरी एवं यह निर्णय 25 अगस्त 2015 के एडीआर एम में लिए गये मिनट्स के आधार पर है।

3. अन्य ऑथोरिटीज़ अथवा सरकार से कोई भी परिसम्पत्ति उपहार के रूप में नहीं लिया गया एवं जबकि तीसरे पक्ष के साथ इन्वेन्टरी हेतु उचित रिकॉर्ड की देखभाल की जा रही है।

   हमारे जाँच चेक्स के अनुसार एवं सूचना के अनुसार और प्रबंधन के स्पष्टीकरण के द्वारा दिया गया है कि तीसरे पक्ष के साथ कोई इन्वेन्टरी के साथ तथा सरकार अथवा अन्य ऑथोरिटी कोई भी परिसम्पत्ति उपहार के रूप में नहीं दिया गया।

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट - II (बी)

(31 मार्च, 2016 वर्ष के अन्त में कम्पनी की वित्तीय विवरण पर
कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 143(5) के तहत)

क्षेत्र : अरगडा, बरकासयाल, सेन्ट्रल वर्कशॉप और सेन्ट्रल वर्कशॉप और केन्द्रीय भण्डार (बरकाकाना), रजरप्पा, कोलकाता सेल्स कार्यालय और मुख्यालय

1. जीसीवी मुद्दों पर बकाया राशि के मामलों के लिए प्रावधान रखे गए हैं कि नहीं उसकी जाँच की जाए। 31.03.2015 को वर्तमान जीसीवी देय की स्थिति कोल इण्डिया लिमिटेड की सम्बन्धित अनुषंगी की जाँच की आवश्यकता है। यह भी सुनिश्चित करना है कि वार्षिक लेखा नए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार तैयार किया गया / रखा गया है कि नहीं।

   जीसीवी के बकाया राशि पर प्रावधान नहीं बनाए गये हैं, जबकि एनटीपीसी जीसीवी का विवाद सुलझ गया है और एनटीपीसी ने बकाया राशि 420.01 करोड़ रुपये रिलीज़ भी कर दिया है। वर्ष के दौरान जीसीवी अकाउन्ट पर अप्राप्य देय के 73.17 करोड़ रुपये रिटर्न ऑफ किए गए हैं और जीसीवी सुलझाने की राशि 60.97 करोड़ को अप्राप्य देय के तहत प्रावधान हटा दिये गये हैं। अतः जीसीवी विवाद के सम्बन्ध में कोई नया प्रावधान नहीं बनाया गया।

   हाँ, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन नए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार तैयार रखा गया है।

2. क्या कम्पनी ने क्षेत्रों के मर्जर / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसम्पत्ति एवं सम्पत्तियों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। यदि हाँ तो क्या सम्बन्धित अनुषंगी ने आवश्यक पद्धति का अनुपालन किया?

   हमें दी गई सूचना और विवरण के अनुसार कोल इण्डिया लिमिटेड के वार्षिक कोयला स्टॉक मापन के निर्देशानुसार मापन किया गया है। आगे, कोई नया ढेर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही बनाया गया है।

3. वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2015-16 बनाने के दौरान क्या

पूरे अनुषंगी में भूअधिग्रहण की एन्ट्रिज़ साथ ही देरी से भुगतान पर ब्याज जो भूमि क्षतिपूर्ति, परियोजना प्रभावित लोगों (पै.) को दी गई, उन्हें समान रूप से शामिल किया गया?

हमें दी गई सूचना और स्पष्टिकरण के आधार पर ये कम्पनी द्वारा किया गया।

4. क्या जी.सी.वी. के रेंज को लेकर सैम्पलिंग के समय कोई विवाद है, यदि है तो उसका उचित परीक्षण हुआ?

हमें दी गई सूचना और स्पष्टिकरण के आधार पर 01 अप्रैल, प्रतिवर्ष नॉन कोकिंग कोयला सीम के ग्रेड जी.सी.वी. के आधार पर सैम्पलिंग द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा घोषित किया जाता है। सीएसआईआर-सीआईएमएफआर द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण (जी.सी.वी. और अन्य पैरामीटर्स) उनकी प्रयोगशाला में की जाती है। कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार विद्युत गृह सैम्पलिंग के लिए थर्ड पार्टी नियुक्त कर सकती है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें विद्युत गृह के परिणाम कम्पनी से प्राप्त परिणाम से मेल नहीं खाते। मामले को उपभोक्ताओं के साथ रिकॉन्सिलिएशन के द्वारा सुलझाने की पहल की जा रही है। अब यह निर्णय लिया गया है कि कम्पनी की ओर से लोडिंग एण्ड में और विद्युत उत्पादकों द्वारा एक साथ सीआइएमएफआर द्वारा सैम्पल का विश्लेषण किया जाएगा। ऐसी आशा की जाती है कि इससे मामला जल्दी सुलझ जाएगा।

कृते मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि. सं. 311017 ई)

ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता सं. - 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24 मई, 2016

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट - III

(31 मार्च, 2015 वर्ष के अन्त में कम्पनी की वित्तीय विवरण विवरण में अत्यवैधिक और नियंत्रक आवश्यकताएँ, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के इवन डेट टू द मेम्बर्स पर हमारी रिपोर्ट - संदर्भ पैरा - 2 (एफ))

कम्पनीज़ एक्ट 2013 (द एक्ट) के सेक्शन 143 के सब-सेक्शन - 3, क्लॉज़ (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (द कम्पनी) के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है, 31 मार्च, 2016 तक हमारे वित्तीय प्रतिवेदन के साथ जोड़कर वर्ष के अंत तक का है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है और उसका रख-रखाव भी करता है। इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी गाइडेन्स ऑन ऑडिट ऑफ इन्टरनल फाइनन्शियल कन्ट्रोल ओवर फायनन्शियल रिपोर्टिंग के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने आन्तरिक नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग स्थापित की है। इस जिम्मेदारी के अन्तर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, लागू करना और रख-रखाव जो अनुशासन और इमानदारी के साथ व्यापार को सुनिश्चित करे, कम्पनी की नीतियों का पालन करे, परिसम्पत्तियों का संरक्षण करे, गलती एवं जालसाजी की पहचान और रोकथाम करे, लेखा रेकॉर्ड को पूर्णता और सटीकता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना, इस अधिनियम के अन्तर्गत आती है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे ऑडिट के आधार पर विचार व्यक्त करें। हमने हमारा अंकेक्षण 'गाइडेन्स नोट ऑन ऑडिट ऑफ इन्टरनल फाइनान्शियल कन्ट्रोल ओवर फाइनान्शियल रिपोर्टिंग (द गाइडेन्स

नोट)' के अनुसार और अंकेक्षण के मानकों के अनुसार किया है जो आईसीएआई द्वारा जारी अधिनियम के सेक्शन 143 (10) के अन्तर्गत दिया गया है।

इसी प्रकार एक्सटेंट एप्लिकेबल टू एन ऑडिट ऑफ इन्टरनल फाइनान्शियल कन्ट्रोल, दोनों एप्लिकेबल टू ऑडिट ऑफ इन्टरनल फाइनान्शियल कन्ट्रोल, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये हैं। इन मानक और दिशानिर्देशों की अै कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ एवं ऐसे अंकेक्षण करें जो यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक, वित्तीय नियंत्रण जो, स्थापित और उचित रूप से रखाव करे, पर्याप्त है कि नहीं और सभी चीजों के लिए प्रभावशाली रूप से नियंत्रण है कि नहीं।

हमारे अंकेक्षण में उन पद्धतियों को अपनाया जाता है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनका प्रभावी संचालन का अंकेक्षण प्रमाण हो। हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझने के लिए है, उस जोखिम का आकलन करना है जो मटेरियल विकनेस में है और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावी संचालन, डिजाइन, मूल्यांकन और परीक्षण है। अंकेक्षक के निर्णय पर पद्धति चुनी जाती है जिमें गलती या जालसाजी से मटेरियल के गलत स्टेटमेंट के जोखिम का आकलन वित्तीय प्रतिवेदन में कर सकें।

हम विश्वास करते हैं कि अंकेक्षण प्रमाण जो हमें प्राप्त हुए हैं वे कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर पर्याप्त एवं उचित दिये गये है जिस आधार पर हमने अपने मत दिये हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

एक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक पद्धति है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है और सामान्यत: स्वीकृत अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन बनाने में उपयोग होता है। एक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ये पद्धति और नीतियाँ हैं कि — (1) रिकॉर्ड

का रख-रखाव उचित हो अर्थात् उपर्युक्त विवरण के साथ सही और स्पष्ट डिस्पोजिशन को दिखाए, (2) सकारण सुनिश्चित करें कि रिकॉर्ड किये गये लेन-देन सामान्यत: स्वीकृत लेखा नीति के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन को बनाने में आवश्यक हो और कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुरूप ही रिसिप्ट और खर्चों का ब्यौरा बनाया गया हो, और (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के उपयोग, डिस्पोजिशन, अनाधिकृत अधिग्रहण का समय पर रोकथाम और पहचान जिनका वित्तीय प्रतिवेदन पर मटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सीमित उत्तराधिकार

क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सीमित उत्तराधिकार है, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण, मटेरियल अप्रबंधन चाहे गलती या जालसाजी से हो सकती है और चिह्नित नहीं होने की संभावना है। साथ ही भविष्य के लिए कोई भी मूल्यांकन का अंकन, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का जोखिमवाला हो सकता है क्योंकि वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के परिवर्तन से अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों के अनुपालन के स्तर निम्नगामी हो सकता है।

मत :

कम्पनी ने वित्तीय प्रतिवेदन (संदर्भ मद क्र. 7.1, टिप्पणी क्र. 34) में यह रिपोर्ट किया है कि दो पार्टियों को 80,05,800/- रुपये का झूठे बिल पर गलत भुगतान चिह्नित हुआ है। साथ ही कम्पनी के बरका-सयाल क्षेत्र में इन पार्टियों और एक अन्य पार्टी का जाली भुगतान न हुआ बिल पाया गया है और मामला कम्पनी के सतर्कता विभाग के जाँच के अधीन है। कम्पनी ने पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज किया है। इस प्रकार यदि आवश्यक हो तो वित्तीय प्रतिवेदन में जाँच पूरी होने पर समायोजन किया जाएगा।

उपरोक्त के विषय में हमारे विचार से कम्पनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ये वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2016

तक प्रभावी रूप से कार्यरत है, वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का क्राईटेरिया के आधार पर जो इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अराउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के दिशा-निर्देश नोट ऑन ऑडिट के आवश्यक तत्वों पर विचार कर स्थापित किया गया है।

कृते मेसर्स वी. सिंघी एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म रजि. सं. 311017 ई)

ह./-
(अनिरूद्ध सेनगुप्ता)
पार्टनर
(सदस्यता सं. - 051371)

स्थान : राँची
दिनांक : 24 मई, 2016

परिशिष्ट - 1

विवादित सांविधिक देयताओं का 31.03.2016 तक का विवरण

(रु. करोड़ में)

टैक्स का प्रकार	मामलों की संख्या	कोर्ट का नाम	अवधि	विवादित राशि
रॉयल्टी मामले	42	सर्टिफिकेट ऑफिस - धनबाद, राँची, बोकारो, हजारीबाग	1984-85 से 2014-15	83.71
रॉयल्टी मामले	3	डिप्टी कमिश्नर, हजारीबाग, रामगढ़	1996-97 से 2014-15	2.10
रॉयल्टी मामले	5	कमिश्नर, हजारीबाग	1992-93 से 2008-09	4.73
रॉयल्टी मामले	33	उच्च न्यायालय, झारखण्ड	1987-88 से 2010-11	392.18
रॉयल्टी मामले	7	उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	1991-92 से 2008-09	53.57
सेल्स टैक्स मामले	242	कमर्शियल टैक्स अधिकारी - राँची, हजारीबाग, तेनुघाट, रामगढ़	1989-90 से 2015-16	476.77
सेल्स टैक्स मामले	196	जेसीसीटी (अ), हजारीबाग	1989-90 से 2015-16	418.18
सेल्स टैक्स मामले	19	जेसीसीटी (अ), राँची	1985-86 से 2011-12	0.82
सेल्स टैक्स मामले	92	कमीशनर, कमर्शियल टैक्स, राँची	1988-89 से 2013-14	202.59
सेल्स टैक्स मामले	121	ट्रिब्यूनल, राँची	1990-91 से 2013-14	232.21
सर्विस टैक्स और एक्साइज मामले	11	कमिशनर, राँची	2004-05 से 2008-09	89.13
सर्विस टैक्स और एक्साइज मामले	2	सेस्टाट, कोलकाता	2004-05 से 2007-08	12.15
सर्विस टैक्स और एक्साइज मामले	2	अन्य		0.39
इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी मामले	14	डीसीसीटी	2005-06 से 2012-13	10.01
इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी मामले	7	सीसीटी, राँची	2008-09 से 2010-11	1.49
इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी मामले	160	जेसीसीटी (अ), हजारीबाग	1992-93 से 2013-14	39.65
इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी मामले	17	ट्रिब्यूनल, राँची	1993-94 से 2010-11	1.96
इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी मामले	8	उच्च न्यायालय, झारखण्ड	1997-98 से 2004-05	3.18
एन्ट्री टैक्स मामले	1	उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	2006-07	25.00
आय कर मामले	1	एसेसिंग अधिकारी, राँची	2011-12	1.37
आय कर मामले	10	सीआईटी (अपील), राँची	2004-05 से 2012-13	581.25
आय कर मामले	16	सीआईटी (अपील), जमशेदपुर	2004-05 से 2010-11	31.86
आय कर मामले	2	उच्च न्यायालय, झारखण्ड	1986-87 एवं 1989-90	0.99
	1011	कुल		2665.26

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस, राँची 834 029
झारखण्ड

www.centralcoalfields.in